खण्ड-380, अंक-6
सोमवार, 8 आषाढ़, शक संवत् 1909
(29 जून, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–74
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	75
इलाहाबाद जनपद में बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनमानस में आक्रोश होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
अलीगढ़ नगर में पेयजल की अनियमित व्यवस्था एवं वाटर टैक्स में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
ग्राम सुवंशखेरा, बछरांवा, जिला रायबरेली में भीषण अग्निकाण्ड से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
बरेली, मुरादाबाद, रामपुर व नैनीताल जनपदों में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	77
ग्राम हमीरपुर, फिरोजाबाद, आगरा में बिजली के तार से हुई अग्निकाण्ड की घटना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
उन्नाव जनपद में काम के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78
देवरिया जनपद की नहरों में पानी का अभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	79–93
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	93–94
सदन द्वारा पारित भोजन अवकाश के प्रस्ताव को वर्तमान बजट सत्र तक निलम्बित किए जाने की मांग	95–96
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (जारी)	97
मुजफ्फरनगर में एक वकील और महिला द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिए जाने की मांग	97
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	98–116
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित)	
मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा	116–151
उत्तर प्रदेश महिला संस्था एवं बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड में निर्वाचन सम्पन्न करने हेतु कार्यक्रम के पुनः निर्धारण की सूचना	152
वित्तीय वर्ष 1981–82 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4–न्याय विभाग (स्वीकृत)	153
अनुदान संख्या 6–संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर) (स्वीकृत)	153
अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	153
अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग (स्वीकृत) ..	153
अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) (स्वीकृत)	154

अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत तथा अन्य व्यय (स्वीकृत) 154
अनुदान संख्या 17—सचिवालय (स्वीकृत) 155
अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग (स्वीकृत) 155
अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) .. 155
अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) .. 156
अनुदान संख्या 32—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) 156
अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग (स्वीकृत) 156
अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) 157
अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) 157
अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) .. 157
अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) .. 158
अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) 158
अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) 158
अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) .. 159
अनुदान संख्या 47—सहायता और पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) 159
अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) (स्वीकृत) 159
अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) (स्वीकृत) .. 159
अनुदान संख्या 54—गन्ना विकास विभाग (स्वीकृत) 159
अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग (स्वीकृत) 160
अनुदान संख्या 60—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) .. 160
अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग (स्वीकृत) 161
अनुदान संख्या 64—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) .. 161
अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग (स्वीकृत) 161
अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) (स्वीकृत) .. 162
अनुदान संख्या 69—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) 162
अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) 162
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) .. 163
अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग (स्वीकृत) 163
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) 163
अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्ययय) (स्वीकृत) 164
अनुदान संख्या 81—गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 164
अनुदान संख्या 85—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 164
अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 165
अनुदान संख्या 88—उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 165

अनुदान संख्या 101—मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 165
अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) 166
अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) 166
अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) 166
अनुदान संख्या 108—पर्यटन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. 167
अनुदान संख्या 110—शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .. 167
अनुदान संख्या 112—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .. 167
अनुदान संख्या 120—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) 168
अनुदान संख्या 123—क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .. 168
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 (पारित) 168–177
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) .. 178–183
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 183
नत्थियां 184–192

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 जून, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
अजीत प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	दूधनाथ, श्री	जौनपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	परमाई लाल, श्री	हरदोई
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कुमारी	एटा	पुष्कर सिंह रौथाण, श्री	गढ़वाल
औसान सिंह, श्री	इटावा	फरीद महफूज किदवाई, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्ना खां)	गोण्डा
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	बालेश्वर, श्री	देवरिया
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद

महाराज सिंह, चौधरी इटावा
महावीर सिंह, श्री सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री गाजियाबाद
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) मुरादाबाद
रमाकान्त, श्री आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री वाराणसी
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री बाराबंकी
राम जनम, श्री आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती फर्रुखाबाद
राम लक्षन, श्री गोरखपुर
राम सजीवन, श्री बांदा
राम शरण दास, श्री सहारनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
रीना कुमारी, श्रीमती मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
लाल प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती बलिया
विष्णु देव, श्री आजमगढ़
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री एटा
शारदानन्द अंचल, श्री बलिया
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री गोरखपुर
शेर बहादुर सिंह, श्री फैजाबाद
श्री प्रकाश, श्री आजमगढ़
सखावत हुसैन, श्री गाजियाबाद
समरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा
सुरेश चन्द्र, नैनीताल
हफीज भारती, श्री आजमगढ़
हर्ष वर्धन, श्री गोरखपुर
हीरा सिंह बिष्ट, श्री देहरादून
हृदय नारायन दीक्षित, श्री उन्नाव

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 29 जून, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

परिवहन आयुक्त कार्यालय से फाइलों की चोरी

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मंत्री को इसकी जानकारी है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ से वाहनों से सम्बन्धित हजारों फाइलें (अनुमानित संख्या 18 हजार) रहस्यमय ढंग से हाल में ही गायब कर दी गयी हैं जिसके कारण परिवहन विभाग को करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या चोरी के कारणों का पता लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आया ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)—

परिवहन आयुक्त कार्यालय से कोई भी फाइल गायब या चोरी नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आयुक्त शब्द को लेकर माननीय मंत्री जी ने घुमाकर उत्तर दे दिया है। माननीय मंत्री जी को प्रश्न की भावना को समझना चाहिए था। आयुक्त न सही, परिवहन विभाग में पंजीकरण की जो फाइलें, 18 मामले तो मैंने दिये थे, जिनकी संख्या लगभग 22 हजार है, गायब हैं। यह मामला सरकार के संज्ञान में कब आया ? यदि आया है तो वस्तुस्थिति क्या है और शासन ने अभी तक इस मामले पर क्या कार्यवाही की है, उसकी जानकारी देने का कष्ट करें ? भूमि सीमा-रोपण की जिस प्रकार फाइलें गायब हो गई थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक भ्रष्टाचार व तथ्यों को छिपाकर रकम पैदा करने का यह मामला है ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, परिवहन आयुक्त के कार्यालय से कोई ऐसी बात नहीं है। 1985 में फ्लड आया था, जिसमें लखनऊ के आर0 टी0 ओ0 दफ्तर से कुछ फाइलें नष्ट हो गई थीं। गायब होने की कोई बात नहीं है। 5-6 गाड़ियों के रिनीवल का मामला उन 5-6 फाइलों में था लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक 5 हजार गाड़ियों का रिनीवल हो चुका है। गाड़ीवालों के जो कागजात आते हैं और उन्हें जो इन्डोर्समेंट जाता है, उसी हिसाब से उनके कागजात तैयार हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि फ्लड की वजह से फाइलें गायब हुई हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जानबूझकर गायब की गई हैं और फ्लड का सहारा लिया जा रहा है। मेरे प्रश्न के प्राप्त होने के बाद व अन्य स्रोतों के माध्यम से क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रकरण की जांच हेतु कोई जांच समिति बनायी या वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है कि वह इसकी जांच कर बतायें कि वास्तव में फाइलें गायब हुई हैं या फ्लड में ही नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने जो उत्तर पूर्व में दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट हूं । 1985 **में** वहां पर बाढ़ आई हुई थी, मेरा भी दफ्तर वहां पर है और मेरे कार्यालय में भी 4 फिट तक पानी था । कुछ 5-6 फाइलें नष्ट हुई थी, किन्तु गाड़ियों के जो इन्डोर्समेन्ट आते हैं, उससे कागज तैयार किए जा रहे हैं । यदि कोई ऐसी गड़बड़ी हुई होती तो वह मेरी निगाह से बच नहीं सकती थी और यदि कोई दोषी होता भी तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी को कब पता चला कि फाइलें फ्लड में बह गई हैं । प्रश्न-कर्ता के बाद पता चला या उससे पहले पता चल गया था ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जब बाढ़ आयी थी, उसी समय पता चल गया था ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, यदि किसी समाचार पत्र में किसी विभाग से सम्बन्धित कोई महत्व-पूर्ण समाचार छपता है तो उसकी कटिंग माननीय मंत्री जी के यहां भेज दी जाती है। आज ही दैनिक जागरण में परिवहन विभाग से सम्बन्धित समाचार छपा था कि फाइलें गायब हुई हैं, जिससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। आज इस प्रश्न के उत्तर के लिए 3 विकल्प ढूंढे जा रहे हैं–पहला, बाढ़ में गलना खिाया जाय, दूसरा, चोरी दिखाया जाय या फिर तीसरा गायब होना दिखाया जाय । कहीं ऐसा तो नहीं कि अखबार को पढ़कर ही माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया हो । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? जानबूझकर, प्राइवेट आपरेटर्स को लाभ पहुंचाने व करोड़ों रुपए हजम करने की वजह से ही ये फाइलें गायब की गई हैं। क्या इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इन सारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी के अनुपूरक उत्तर के सन्दर्भ में, उन्होंने स्वीकार किया कि बाढ़ में फाइलें बह गयीं, तो क्या वह यह बता सकते हैं कि कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक की फाइलें बाढ़ में बहीं और इसकी सूचना उन्हें कब प्राप्त हुई ? क्या यह भी रिपोर्ट की गयी कि इसमें इतने का नुकसान सम्भावित है? नियमत: विभाग में जब कोई ऐसी बात होती है तो इन्क्वायरी बैठाली जाती है, तो क्या आपने डिपार्टमेण्ट में इस प्रकार की गड़बड़ी की बात पर कोई कमेटी इन्स्टीट्यूट की ? अगर नहीं की, तो उसके कौन से कारण हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

मैंने पहले ही जवाब दिया कि जब कमरे में पानी बढ़ा तो फाइलें भीग गयीं।

(व्यवधान)

आप सुन लें, मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा । जहां तक आपने कहा कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, तो एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। हर सीजन पर गाड़ियों

के रिनीवल हो रहे हैं। जो गाड़ियों से सम्बन्धित कागजात थे, करीब 6000 गाड़ियों के कागजात खराब हुए । मोटर मालिकान आते हैं और नये रजिस्टर और फाइलों में उसको तैयार किया जा रहा है। इसका नुकसान से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक जांच कमेटी बैठालने का प्रश्न है, तो जब हर चीज की जानकारी है तो जांच की आवश्यकता ही क्या है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे अफसोस है कि मा0 मंत्री जी स्वयं भ्रष्टाचार के इतने गम्भीर मामले को दबाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गाड़ियों के मालिकान को असुविधा नहीं हो रही है, उन्होंने अपनी सुविधा को दूर करने के लिये और तथ्यों को दबाने के लिये ही तो यह भ्रष्टाचार किया है। मैं अगर एक गाड़ी का मालिक हूं और मैं जो कहता हूं, उसको सही मानकर आप गाड़ी का रिनीवल कर देते हैं । वस्तुस्थिति यह है कि जो आपके कागजात हैं, उसी से पता चलेगा कि टैक्स जमा है या नहीं है या कोई और लाइबिलिटी तो नहीं है। एक बात स्पष्ट है, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उनको निजी जानकारी है कि 4 फिट पानी भर गया था । मैं जानकारी को सही मान लेता हूं, लेकिन क्या सारी फाइलें 4 फिट के नीचे ही रखी थीं, यह फाइल गायब करने का आवरण लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय यह मामला आपके संज्ञान में आया, तो क्या आपने सीधे स्वयं जांच की या किसी अधिकारी से जांच करायी ? यदि करायी तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

डाक्टर संजय सिंह–

माननीय गुप्त जी की बातों से लगता है कि भ्रष्टाचार की सारी ठेकेदारी इस तरफ की है और ईमानदारी की सारी ठेकेदारी उस तरफ की है। मैंने स्पष्ट कहा कि बाढ़ आती है तो सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह रहता है, सेक्शन आफीसर एवं अन्य अधिकारी वहीं बैठते हैं । दफ्तर में कोई चीज कम हो रही है या नुकसान हो रहा है, हर चीज की जानकारी उनको होती है । जहां तक बाढ़ की बात है....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यहां पर ठेकेदारी लेने न लेने का प्रश्न नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सारी फाइलें भूतल पर ही रखी थी अर्थात् यह तो 6 हजार फाइलों के सन्दर्भ की पत्रावलियां हैं, ये सब 4 फिट के नीचे ही रखी थीं?

डा0 संजय सिंह–

आर0 टी0 ओ0 के दफ्तर की जो हालत है, उसकी जानकारी तो आपको स्वयं होगी कि फाइलें किस प्रकार रखी जाती है। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि आज भी किसी आर0 टी0 ओ0 के आफिस में उन फाइलों को सही ढंग से रखने की व्यवस्था नहीं है, न अधिकारियों के बैठने के लिए उचित स्थान है। फाइलें चोरी नहीं गयी हैं। मैं बिल्कुल इसको मानता हूं। आपकी जानकारी सत्य नहीं है यह मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं निश्चयात्मक रूप से जानना चाहता हूं कि वह फाइलें बाढ़ में खराब हो गयीं, यह जानकारी मंत्री जी को कब हुई या इसकी जानकारी मंत्री जी को कब कराई गयी? माननीय मंत्री जी तथ्यों को सदन के सामने रख नहीं रहे हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तारीख को बाढ़ आयी थी और पत्रावली गायब होने की बात की जानकारी शासन को कब हुई? क्या मंत्री जी निश्चयात्मक रूप से बतलाने की कृपा करेंगे ? कैटागोरिकली कि उनके संज्ञान में यह बात कब आयी कि पत्रावलियां गायब हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक जी को पूरी जानकारी है कि बाढ़ कब आयी । लेकिन बाढ़ कब आयी और कितने बज कर कितने मिनट पर आयी यह जानकारी उनको करा दी जायेगी ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन एवं रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर को संबिलीन करने का प्रस्ताव

**2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में भूगर्भ जल सर्वेक्षण भण्डारों की खोज हेतु राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन एवं रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर समान वैज्ञानिक पद्धतियों से खोज हेतु कार्यरत हैं ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के वैज्ञानिक सर्वेक्षण हेतु दो संगठनों की क्या आवश्यकता है ? क्या सरकार दोनों विभागों के वैज्ञानिकों को संबिलीन करने की नीति अपनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी नहीं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में (पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ कर) भूगर्भ जल की उपलब्धता एवं गुणता का आंकलन किया जाता है तथा भूगर्भ जल संसाधनों के विकास के दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल अन्वेषण हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है उसके अन्तर्गत हाइड्रोजियोफिजिकल, हाइड्रोलाजिकल, भू-भौतिकीय, अन्वेषणात्मक छिद्रण, भूरसायनिक एवं नाभिकीय तकनीक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0 प्र0 द्वारा उपग्रहीय एवं वायुवीय चित्रों के उपयोग एवं निर्वचन के फल-स्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं नियोजन का कार्य किया जाता है । यह केन्द्र राष्ट्रीय अंतरिक्ष के अन्तर्गत हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये उपग्रहीय आंकड़ों को प्रयोग में ला रहा है। दोनों संगठनों के कार्य पद्धति में कोई दोहराव नहीं है अतः दोनों विभागों के वैज्ञानिकों को संबिलीन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर दोनों का अलग-अलग काम बतला दिया है। लेकिन 27-2-86 को मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने भूगर्भ सर्वेक्षण संगठन द्वारा फांटोंजियोफिजिकल यानी कि वायुवीय चित्रों की बुन्देलखण्ड में सर्वेक्षण किये जाने की जानकारी दी थी । वह उत्तर मेरे पास इस समय भी मौजूद है। लेकिन इस बार मंत्री जी ने रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा ही इस कार्य का होना बतला दिया है। तो जो जानकारी पहले दी गयी थी वह गलत थी या जो इस प्रश्न के सन्दर्भ में जानकारी दी जा रही है वह गलत है, मंत्री जी कृपया इसको बतला दें ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

यह सही है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर भी बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्र में भूगर्भ जल की खोज का काम कर रहा है लेकिन केवल जल स्तर की खोज करना ही उसका काम नहीं है बल्कि और भी बहुत से उसके काम हैं । भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में मिलाने से वह कार्य जो वह कर रहा है उससे वह वंचित हो जायेगा । भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन पानी की उपलब्धता के बारे में खोज करता है लेकिन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर पानी की उपलब्धता के अलावा भी बहुत से कार्यों की खोज करता है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

वह कौन से और बहुत से कार्य हैं जिनकी वह खोज करता है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

जैसे कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर बुन्देलखण्ड के अलावा घाघरा, गण्डक के क्षेत्रों में भी प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन करने का कार्य कर रहा है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्रों में भूगर्भ जल की खोज, घाघरा गन्डक क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, ऊपरी गंगा जल समेत क्षेत्र का मूल्यांकन, कारबेट नेशनल पार्क के वन एवं चारगाह क्षेत्रों का मूल्यांकन, बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के कुछ जल समेत क्षेत्रों का भूमि सर्वेक्षण, हरदोई जनपद के हरियावांन तथा टंडियावांन ब्लाकों के परती भूमि का वर्गीकरण एवं रेखांकन प्रदेश के सिंचाई विभाग के अनुरोध पर अयोध्या से घाघरा राप्ती के जलागम स्थल तक घाघरा नदी के जल बहाव में आये परिवर्तनों का अनुश्रवण एवं उन्नाव जनपद में धान के क्षेत्रों का कालिक अनुश्रवण आदि कार्य कर रहा है ।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय मंत्री जी ने अपने निहित स्वार्थ के कारण इस विभाग में दो तीन पद सृजित किए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के अलावा अन्य जनपदों में कितने पद सृजित किए गए हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

जहां आवश्यकता होगी किये जायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

वाराणसी मिर्जापुर और इलाहाबाद के दक्षिणांचल में जहां पानी का संकट है, क्या वहां भू सर्वेक्षण कराया गया ? यदि कराया गया है, तो क्या परिणाम निकला और यदि नहीं कराया गया तो कब तक करायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

जहां भू-जल संकट की बात आती है, सर्वेक्षण कराया जाता है । मिर्जापुर और वाराणसी में भी काम हुआ है । यदि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम न हुआ हो तो माननीय सदस्य बता दें सर्वेक्षण करा दिया जायगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विभागाध्यक्ष के पद पर सिविल इंजीनियरिंग के अभियन्ता नियुक्त हैं । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त पद पर सिविल इंजीनियर की नियुक्ति क्यों की गई है और क्या यही कारण है कि उन्हें भू सर्वेक्षण में काम करने में कठिनाई होती है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

मान्यवर, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा हाईड्रोलोजिकल, हाईड्रोजियाफिजिकल, भू-भौतिकीय, अन्वेषणात्मक छिद्रण, भू-रसायनिक एवं नाभकीय तकनीकी आदि का कार्य किया जाता है । निदेशक के पद पर जिसकी नियुक्ति की गयी है, वह व्यक्ति उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता को रखता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता भी है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह उत्तर स्पष्ट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन विभाग अलग करने से जो सारे भू-गर्भ वैज्ञानिक हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन है और यही कारण है कि 500 टन यूरेनियम बालू के नाम से चला गया, यह बात मंत्री जी को मालूम है । तो फिर रिमोट सेंसिंग विभाग को अलग करने की क्या आवश्यकता है, उसका क्या लाभ है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया शायद माननीय सदस्य समझ नहीं पाये ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि रिमोट सेंसिंग और भू-गर्भ जल सर्वेक्षण दोनों विभाग अलग-अलग काम करते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण जो है वह रिमोट सेंसिंग का काम और फोटो जियोलौजिकल का काम भी करता है । मेरा प्रश्न यह था कि जब यह दोनों विभाग एक ही प्रकार का काम करते हैं तो दोनों के लिये अलग-अलग विभाग बनाने की क्या आवश्यकता है ? दोनों

विभागों के वैज्ञानिकों को अलग-अलग वेतनमान भी दिया जाता है । रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर वालों को केन्द्र के वेतनमान दिए जाते हैं और भूगर्भ जल संगठन को प्रदेश सरकार का वेतनमान दिया जाता है, ऐसा क्यों है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैंने बताया कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिमोट सेंसिंग का भी काम करता है । अन्डर ग्राउन्ड वाटर जो उपलब्ध होता है वह खारा है या मीठा है, इसे भी देखता है । लेकिन रिमोट सेंसिंग सेन्टर अन्डर ग्राउन्ड वाटर के अलावा और भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है । इसलिये दोनों में टकराव नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय मंत्री जी ने अपने पिछले उत्तर में स्पष्ट किया कि रिमोट सेंसिंग और भूगर्भ जल सर्वेक्षण दोनों विभाग एक ही काम करते हैं और अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग के पास विभागाध्यक्ष हैं वे भूगर्भ जल सर्वेक्षण का काम करते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग भी आता है । इस प्रकार उनके इस उत्तर में अन्तरद्वन्द है । इसलिये मान्यवर, इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें । इससे पूरे प्रदेश में असन्तोष है । मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है, विरोधाभास है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यहां के उद्योग का 70 प्रतिशत केवल भूगर्भ सर्वेक्षण से चलता है । यूरेनियम, सिल्का सैंड अल्म्यूनियम सारे उद्योग भण्डार कड़वे एवं खारे पानी का सर्वेक्षण यह सारा उद्योग यहां पर भूगर्भ सर्वेक्षण से चलते हैं फिर भी इसको प्रदेश स्तर का माना जाता है और रिमोट सेंसिंग को केन्द्र स्तर का । तो यह भेद क्यों है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

इसका इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं निकल रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती द्वारा खरीदी गयी कार का औचित्य

*1–श्री गोपाल दास यादव तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 29 जुलाई, 1985 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 से सम्बन्धित प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के द्वितीय प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 पर समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि शिवहर्ष किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बस्ती में खरीदी गयी कार के क्रय का औचित्य सिद्ध नहीं होता और साधिकार नियंत्रक ने कार की खरीद की स्वीकृति देते समय उसका सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री द्वारा उक्त अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों तथा साधिकार नियंत्रक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी हां ।

तारांकित प्रश्न संख्या 9, न कि प्रश्न संख्या 3, से सम्बन्धित प्रकरण प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया गया था ।

शासन द्वारा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को निर्देश दिये गये कि वह उत्तर-शायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 58(5) के तहत वर्तमान प्राधिकृत नियंत्रक को निर्देश दें । शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक को निर्देश दे दिये गये हैं।

चूंकि प्राधिकृत नियंत्रक पी0 सी0 एस0 कैडर के अधिकारी थे अतः शासन द्वारा समिति की संस्तुतियों को नियुक्ति विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इस शिवहर्ष किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती में आपने एक पी0 सी0 एस0 महोदय को नियुक्त कर दिया जिनका शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं था। शिक्षा के विकास के लिये जो अनुदान मिलते हैं उसमें उन्होंने शिक्षा के ऊपर खर्च न करके अपनी सुविधा के लिए एक कार खरीद ली। जिसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि यह अनियमित था। अगर मान्यवर, कोई इंजीनियर अनियमित कार्य करता तो शासन उसको मुअत्तल कर देता लेकिन वह पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं इस-लिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि उनके द्वारा किया गया कार्य अनियमित सिद्ध हो गया । तो क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, बहुत ही विनम्र शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न, प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित हुआ था। प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने अपने निर्णय को शासन को अवगत कराया था, उसमें उन्होंने कहा है कि समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि शिवहर्ष किसान पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती में खरीदी गयी प्रश्नगत कार के क्रय का औचित्य सिद्ध नहीं होता और समिति की राय में कार की खरीद की स्वीकृति देते समय तत्कालीन प्राधिकार नियंत्रक द्वारा इसका सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया गया कि उक्त विद्यालय के लिये कार की खरीद सार्वजनिक हित में होगी अथवा नहीं । समिति आशा करती है कि भविष्य में इस प्रकार के अपव्यय पर शासन द्वारा और अधिक नियंत्रण रखा जायेगा ताकि विद्यालयों को शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान का समुचित उपयोग हो सके ।

मान्यवर, जब प्रश्न एवं संदर्भ समिति का निर्णय आया तो शासन ने नियमानुसार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 58(5) के तहत जो अधिकार दिये गये हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्राधिकार नियंत्रक को इस आशय का निर्देश देगा जिन महाविद्यालयों या उसकी सम्पत्ति उचित प्रबन्ध के

लिये आवश्यक समझे प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों का पालन करेगा। तो मान्यवर, उन्हीं निर्देशों के तहत शिक्षा निदेशक ने एक पत्र भेजा। इतना ही नहीं शासन ने 10 जुलाई, 86 को एक जी0 ओ0 भी इस सम्बन्ध में निकाला जिसमें स्पष्ट कहा है कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने कहा है कि भविष्य में भी ध्यान रखा जाय। तो मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं आप जरा एक मिनट सुन लें उसमें कहा है यदि छात्र कोषों से बचत होती है तो उससे किसी वाहन के क्रय, नये विषय या संकाय खोलने हेतु, भ्रमण हेतु अनुदान, भवन के विस्तार करने, उपकरण क्रय करने तथा छात्र संघों के कार्य कलापों पर व्यय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

यह हमने लिख दिया है और आदेश किया है कि इनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि इन्होंने कालेज में कार खरीदने में सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया। शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में अवगत कराने के लिये लिखा गया है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने इस खरीद को अनुचित करार दिया है। इस कालेज को हमारे पुराने मित्र श्री उपाध्याय ने अपने परिश्रम से खड़ा किया था जिसको आपने साधिकार नियंत्रक के अधीन कर दिया और कालेज के पैसे से नियंत्रक ने कार खरीद लिया। वह पी0 सी0 एस0 अधिकारी है, आपने नियुक्ति विभाग को लिखा है, मैं जानना चाहता हूं कि नियुक्ति विभाग को कब लिखा गया और अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसा बताया गया कि सारा काम नियम पूर्वक चल रहा है। नियम 58(5) में शिक्षा निदेशक को जो अधिकार था उसके अनुसार उन्हें सूचना भी दे दिया। समिति ने कहा था कि भविष्य के लिये देख लें और अपव्यय न हो, इसका जी0 ओ0 27 जून को निकाल दिया। नियुक्ति विभाग को लिखा है कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियुक्ति विभाग का बहाना लेकर उस अधिकारी को बचाने की कोशिश की गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके सामने यह तथ्य पुष्टकारक रूप में आ गया कि उस साधिकार नियंत्रक ने धन का दुरुपयोग किया है तो उसको अभी तक हटा दिया गया है कि नहीं।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, अब तक वहां 5 साधिकार नियंत्रक बदले गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब आपके अधिकारी जो पी0 सी0 एस0 हैं, वह आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह के निर्देश जारी करेंगे कि साधिकार नियंत्रक पी0 सी0 एस0 अधिकारी न नियुक्त किये जायं और शिक्षा विभाग के अधिकारी ही इस पद पर भविष्य में नियुक्त किये जायं?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि पी0 सी0 एस0 अधिकारी शासन के पूरे नियंत्रण में हैं और दूसरे जो अधिकारी उपलब्ध होते हैं शिक्षा विभाग के अथवा पी0 सी0 एस0 अधिकारी उन्हें वहां लगा दिया जाता है। यह शर्त नहीं है कि पी0 सी0 एस0 अधिकारी ही लगेगा ।

*2–श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बेसिक शिक्षा परिषद्, सीतापुर के भविष्य निधि से गबन का मामला

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, सीतापुर में भविष्य निधि के लगभग 12 लाख रुपये के गबन का मामला हाल में ही शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो जानकारी कब मिली तथा इस बारे में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

गबन का मामला संज्ञान में आया है।

13-2-1987 को ।

प्रारम्भिक जांच के आधार पर उप विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर तथा दो संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। जांच चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 12 लाख रुपये से अधिक के गबन का मामला है, जो शासन के संज्ञान में आया है । मेरी जानकारी के अनुसार यह मामला शासन के संज्ञान में किसने दिया और प्रारम्भिक जांच से क्या बात प्रकाश में आयी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

शासन के संज्ञान में यह जानकारी हरि शंकर शुक्ल, सहायक लेखा अधिकारी, जिला परिषद्, सीतापुर ने 13-2-87 को वित्त नियन्त्रक, बेसिक शिक्षा को दी और 14-2-87 को ही इन्हीं हरि शंकर शुक्ल ने यह जानकारी निदेशक, बेसिक शिक्षा को दी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह जो प्रारम्भिक जांच हुई है, उससे क्या पूरे तथ्य जानकारी में आये हैं? अभी-अभी आये, अधिकारी को तो आपने सस्पेण्ड किया है, लेकिन उनके पूर्व के कई अधिकारियों, जिनके काल में भी लाखों रुपयों का गबन हुआ है, के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है ? तो जांच में पाये गये पूरे तथ्यों के आधार पर किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी है और किनके विरुद्ध की गई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

यह जो गड़बड़ी मालूम हुई है, यह सन् 76 से प्रारम्भ है और 76 से 87 तक 12 बेसिक शिक्षा अधिकारी बदल चुके हैं है। तो इसलिए प्रारम्भिक जांच की गई है और उस जांच से श्री रामआसरे शुक्ल, सहायक अध्यापक दोषी पाये गये हैं, जिनको बेसिक शिक्षा अधिकारी ने काम की अधिकता को देखते हुए कार्यालय में लगा रखा था और श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जो डी0 आई0 कार्यालय में क्लर्क हैं दोषी पाये गये हैं और प्रेम नारायण जलोटा भी दोषी पाये गये हैं और इन सभी को निलम्बित कर दिया गया है। किन्तु अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी जांच चल रही है, पूरी जांच रिपोर्ट आने पर जो-जो भी दोषी होंगे, उन सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह प्रश्न सीतापुर से सम्बन्धित है, लेकिन मेरी जानकारी है कि प्रदेश के अनेक जिलों में प्राविडैन्ट फण्ड को खत्म करने, गबन करने के मामले सरकार के पास आये हैं, तो क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि प्रदेश के जिन जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर या बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के फण्ड को गबन करने के मामले प्रकाश में हैं उनकी तत्काल व्यापक पैमाने पर जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

यदि वह किसी जिले का कोई प्रकरण बतायेंगे, तो उसकी जांच कराके, जो उचित कार्यवाही होगी की जाएगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह बात शासन के संज्ञान में है। गोरखपुर में तो 14 लाख से भी अधिक का गबन है। अन्य जिलों में जो हुआ है, उसकी जानकारी शासन की है, तो क्या वह सदन को आश्वासन देंगे कि जिनकी भी उनके पास जानकारी है, उनकी जांच कराकर तत्काल उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इस प्रकार की कोई जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं है कि कहीं गबन का कोई मामला चल रहा है। कोई जिला वह बतायेंगे तो उसको दिखवा लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

तो मैं सदन को गुमराह करने की सूचना दे रहा हूं । गोरखपुर में ऐसे मामले की यह जांच करा रहे हैं और उसमें कई लोग निलम्बित भी हो गये हैं, तो मैं शिक्षा राज्य मंत्री के विरुद्ध सदन को गुमराह करने की आपको नोटिस दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी ने अभी बताया है कि गोरखपुर के बारे में कि उनकी जानकारी में वहां का कोई ऐसा मामला नहीं लाया गया है, तो इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के विरुद्ध तो माननीय विधायक हरि शंकर तिवारी द्वारा गबन सम्बन्धी जानकारी शासन को दी गई है और उस पर कार्यवाही की मांग की गई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, इस प्रश्न का संबंध इससे नहीं है । अगर ऐसी बात है तो यह दिखवा लिया जायगा कि इस तरह की कोई बात है या नहीं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह केवल सीतापुर का ही मामला नहीं है। जैसा कि ओझा जी ने कहा यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित मामला है। बहुत से जिलों में भविष्य निधि के बारे में घोटाले किये गये हैं और बहुत से अध्यापक बिना भविष्य निधि प्राप्त किये मर जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो भविष्य निधि का विवरण पत्र रखने की पद्धति है उसमें आमूल परिवर्तन करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक महीने अध्यापकों को रजिस्टर चेक करने का मौका मिल जाया करे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 14 नवम्बर, 86 को बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का जो वित्तीय कार्य है उसके लिये वहां लेखाधिकारी को लगाया गया है। हिसाब किताब में जो किसी प्रकार की गड़बड़ी है उसको ठीक कराने का काम किया जा रहा है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । जो लेखाधिकारी रखे गये हैं वह खुद गड़बड़ी करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई मामला है जिसकी जांच आप चाहते हैं, तो आप उसे लिखकर दे दें, उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो जांच हुई तो एक से अधिक, वहां के उप विद्यालय निरीक्षक, बी0 एस0 ए0 आदि की जिम्मेदारी पायी गयी तो इस समय इसकी जांच कौन कर रहा है और यह जांच कब तक पूरी हो जायगी । वर्तमान उप विद्यालय निरीक्षक जो हैं क्या उनके कार्यकाल में गबन की शिकायत मिली थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्होंने लिखाई थी? इसके पहले के जो लोग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मैंने बताया है कि प्रारम्भिक जांच से जो भी अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से पकड़ में आये उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 76 से यह मामला चल रहा है। एक क्लर्क था जो फर्जी हस्ताक्षर करके गबन करता था जिसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वर्तमान उप विद्यालय निरीक्षक जो निलम्बित किये गये हैं उनके खिलाफ क्या कोई मामला आया था या नहीं? वह कौन से तथ्य हैं जिससे उनको दण्डित किया गया है? जो इससे पहले के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, डी0 आई0 के कार्यालय में बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एक बाबू थे, जो गड़बड़ी वहां पर की जा रही थी तो वह उसको अपने हस्ताक्षर से तस्दीक करते रहे जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि देखें कि यह गड़बड़ी न होने पाये । जब वह सारी गड़बड़ी को अपने दस्तखत करके तस्दीक करते जा रहे थे तो वह दोषी हैं । इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी । 12 लाख का गबन अवशेष है जिसकी छानबीन हो रही है। 6 लाख रुपया बैंक खाते से निकाल कर डी0 आई0 ने जमा कराया था, इलाहाबाद बैंक में। 6 लाख रुपया उन्होंने जमा किया है 5-12-86 को तो इस तरीके से स्पष्ट है कि यह दोषी है इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इसमें एक अधिकारी को दण्डित किया गया है कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर प्रमाणित किये । फर्जी काम होता रहा जिसको उन्होंने रोका नहीं इसलिये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसको दण्डित किया गया इस बारे में कुछ नहीं कहना है परन्तु जिनके फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं या जिन लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, मूल में भी वह अधिक दोषी हैं। उनके खिलाफ आपने किस-किस के बारे में कौन-कौन सी कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह मैंने बताया कि यह 14 नवम्बर, 86 से बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में वित्तीय कार्य को देखने के लिए लेखाधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है तो उसके पहले जिन लोगों ने गड़बड़ी किया है उसकी छानबीन करायी जा रही है। छानबीन में जो भी अधिकारी पकड़ में आयेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि सन् 76 से यह गड़-बड़ी चल रही थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि 76 से आज 86 तक जितने अधिकारी थे, जिनके दस्तखत से यह गड़बड़ियां हुईं, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की और जिस अधिकारी ने इस गड़बड़ी की रिपोर्ट की उसी को आपने मुअत्तल किया । उस अधिकारी ने आपके विभागीय चोरी का भंडाफोड़ किया इसलिए दण्डस्वरूप उसको मुअत्तल किया?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है यह जानकारी तो विभाग को हरिशंकर शुक्ल के द्वारा मालूम हो गयी थी 20-2-87 को इन्होंने रिपोर्ट किया है तो यह सवाल नहीं पैदा होता कि इनकी रिपोर्ट करने के बाद यह जानकारी में बात आयी हो । जानकारी तो पहले ही हो गयी है। इसलिए इनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई करने का कोई सवाल नहीं उठता ।

(कई विपक्षी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम शरण दास–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब की स्थापना

*2–श्री मूल चन्द–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब लखनऊ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गयी थी उस उद्देश्य के निर्धारित लक्ष्य का पचास प्रतिशत कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा अब तक विकास खण्ड अधिकारियों को कोई भी प्रशिक्षण बैच न तो निकल पाया है, न ही कोई शोध कार्य हुआ है? यदि हां, तो क्या वर्तमान निदेशक को शीघ्र बदलकर संस्थान की योजना को कारगर ढंग से लागू कराने का निदेश शासन द्वारा जारी किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं। राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गयी थी शत-प्रतिशत उसकी पूर्ति हो रही है। अब तक विकास खण्ड अधिकारियों का एक प्रवेश सत्र, एक अभिनवीकरण सत्र तथा 63 अल्पकालीन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं और शोध कार्य भी सम्पादित किए गये हैं। चूंकि संस्थान के स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति संतोषजनक ढंग से हो रही है अतएव वर्तमान निदेशक को बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूल चन्द्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि इन्होंने किस तारीख से यह 63 अल्पकालीन सत्र को शुरू किया और किस तारीख को समाप्त किया और इनमें कितने लोगों ने भाग लिया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना 1982 में हुई। 1982-83 में 500 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1983-84 में 509, वर्ष 84-85 में 459 वर्ष 1985-86 में 917 और वर्ष 1986-87 में मान्यवर, 1581 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[8वें गुरुवार के ता0प्र0सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर और झांसी के मध्य परिवहन निगम का डिपो स्थापित किये जाने की मांग

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि कानपुर एवं झांसी के 225 कि0मी0 के बीच परिवहन निगम का कोई डिपो नहीं है जबकि नियमानुसार 75 कि0मी0 के अन्तर पर डिपो होना चाहिये? यदि हां, तो क्या मंत्री जी झांसी कानपुर के मध्य उरई में परिवहन निगम को डिपो एवं कार्यशाला स्थापित किये जाने के आदेश करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

प्रत्येक 75 कि0मी0 की दूरी पर डिपो बनाये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। वर्ष 1987-88 में झांसी-कानपुर के मध्य उरई में निगम का डिपो एवं कार्यशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में निगम की डिपो कार्यशालायें हमीरपुर, झांसी, कानपुर, औरय्या में स्थापित हैं, जहां से उरई क्षेत्र को भी परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतएव उरई में निगम का डिपो एवं कार्यशाला बनाया जाना इस वर्ष की योजना में सम्मिलित नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियमों में कितने किलोमीटर की दूरी पर डिपो और कार्यशाला होना चाहिए। नियमों में क्या प्राविधान है ? क्या 225 किलोमीटर की दूरी पर डिपो और कार्यशाला बनाये जायेंगे? दूसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या मंत्री जी अगले वर्ष की योजना में उरई में डिपो और कार्यशाला स्थापित किये जाने पर विचार करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न है कि कितने किलोमीटर पर डिपो बनाये जाने का प्राविधान है तो मान्यवर, इसके लिए किलोमीटर का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है कि कितने किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। यह जिलों के, रीजन के और जोन के हिसाब से डिपो बनते हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, जो आपने कहा कि क्या अगले साल विचार करेंगे? तो हम अवश्य विचार करेंगे।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माठ और कालपी के बीच डिपो न होने के कारण यात्रियों को भयंकर परेशानी होती है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माठ और कालपी के बीच में कम से कम 10 शटल बसें चलाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जितनी आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कराई जायेगी।

उत्तर प्रदेश में भोजपुरी एकेडमी बनाने की मांग

*5–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री भोजपुरी के विकास के लिए बिहार सरकार की तरह उ0 प्र0 में भी भोजपुरी एकेडमी बनाने का विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

सम्प्रति भोजपुरी अकादमी बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

अगर समय रहा तो ले लिया जायेगा।

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

स्व0 गनपति सिंह, निवासी सारंगपुर, थाना जहांगीरपुर जिला बुलन्दशहर की हत्या में पुलिस सहयोग की जांच एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

*7–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गनपति सिंह, निवासी सारंगपुर थाना जहांगीरपुर जिला बुलन्दशहर की पुलिस के सहयोग से 12 अगस्त, 85 को हत्या कर दी गयी थी तथा उक्त सम्बन्ध में श्री गनपति सिंह के पिता ने अनेकों बार पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर से मुल्जिमों को ढूढ़ निकाल कर कार्यवाही करने पर आग्रह किया था? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-8-85 को मृतक श्री गनपति सिंह का शव पब्लिक इण्टर कालेज जहांगीरपुर के ट्यूबवेल के पीछे एक खेत में पड़ा हुआ मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। मृतक का बिसरा कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। उपलब्ध अभिलेखों से मृतक के पिता का पुलिस अधीक्षक से मिलना प्रकाश में नहीं आया। अभी तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है और न ही यह हत्याकाण्ड पुलिस के सहयोग से होना ज्ञात हुआ है। विवेचना अभी प्रचलित है।

*8–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

थाना फतेहाबाद, जनपद आगरा निवासी चिरौंजी पुत्र श्री सोभाराम को थानाध्यक्ष भटसेना द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या

*9–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ग्राम पतैयापुरा थाना फतेहाबाद के निवासी चिराँजी पुत्र सोभाराम को थानाध्यक्ष भटसेना ने दिनांक 26-5-85 को फिरोजाबाद स्थित संत टाकीज से पकड़ा और थाना भटसेना में उसे रखा तथा सुबह 5 बजे झूठी पुलिस दस्यु मुठभेड़ में हत्या की गयी? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में अंकित आरोप सही नहीं हैं बल्कि दिनांक 27-5-85 को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष मटसेना (आगरा) के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ग्राम पिलुआ के बीहड़ में पहुंची और बीहड़ में 5 बदमाश दिखाई पड़े जिनसे प्रातः 4 बजे मुठभेड़ हुई। परिणामस्वरूप चिराँजी पुत्र सोभाराम, निवासी पतैयापुरा मारा गया जिससे एक इकनाली बन्दूक मय कारतूस जीवित 7 व खाली 17 बरामद हुई।

इस मामले की मैजिस्टीरियल जांच कराई गई और चिरौंजी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की घटना सही पाई गई।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मा0 मंत्री जी को यह जानकारी है कि दिनांक 26-5-85 को थाने के हवालात में सीताराम नामक अभियुक्त बंद था और क्या उसका यह बयान रिकर्ड है कि यह लड़का जिसको फर्जी इनकाउन्टर में मारा गया। उसको 27 ता0 को ले जाकर फर्जी इनकाउन्टर किया गया।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, सीताराम के हवालात में होने की कोई सूचना नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि सीताराम नामक व्यक्ति हवालात में बन्द था और उसने ए0डी0एम0 की अदालत में अपना बयान दाखिल किया है। सीताराम 26 तारीख को हवालात में बन्द था। क्या मा0 मंत्री जी इस मामले की सी0 आई0डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, इस मामले में मैजिस्ट्रीरियल जांच हो गई है और जांच में मुठ-भेड़ बिल्कुल सही पाई गई है, इसलिए सी0 आई0 डी0 जांच की अब आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

. .मान्यवर, इसी प्रसंग से सम्बन्धित हमारे जनपद का भी एक मामला है, जिसमें फर्जी इन्काउंटर दिखाते हुए एक थानाध्यक्ष ने अपने ही ड्राइवर को मार दिया, यह बात वहां के अखबारों में भी छपी है परन्तु आज तक उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही आज तक उसके सम्बन्ध में उस थानाध्यक्ष द्वारा कोई जानकारी दी गई तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच एक कमेटी बनाकर करायेंगे और दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका यह मामला तिवारी जी, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैजिस्ट्रीरियल जांच में मुठ-भेड़ सही पाई गई परन्तु जो इस प्रश्न के साथ जो उत्तर आज छपा है, उसमें दिया है कि मैजिस्ट्रीरियल जांच चल रही है, इसमें दोनों में मान्यवर, आपकी कौन सी बात सही मानी जाए और दूसरे जैसा कि माननीय सदस्य, ने बताया कि सीताराम के साथ चिरौंजी भी बन्द था 26 तारीख को और 27 को मुठभेड़ दिखाकर ऐसे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच गुप्तचर द्वारा कराने में आपको क्या दिक्कत है । यह भी आपके विभाग की एक शाखा है । दूसरे आपकी पुलिस कभी बीहड़ में जाती नहीं तो उस रोज कैसे बीहड़ में चली गई तो इन सारे तथ्यों की जानकारी गुप्तचर विभाग से कराने में आपको क्या परेशानी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जिस आदमी की यहां पर चर्चा है, 17 मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं । मान्यवर, पूर्णतया मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की विवेचना हुई और सम्पूर्ण प्रकरण पर गम्भीरता से विचार करने के बाद ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अब अग्रिम किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की इस मामले में आवश्यकता नहीं है. । और मान्यवर, इस मामले की जांच अपर जिलाधिकारी के स्तर से हुई है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो बन्दूक इसके पास दिखाई गई है, उसका नम्बर क्या है और यह आपके यहां कब जमा हुई क्योंकि यही बन्दूक 4 इन्काउन्टर्स में दिखाई गई है फर्जी तौर पर और जिस दरोगा ने इस मामले की तफतीश की है, उस रोज 4 इन्काउन्टर्स दिखाए गए हैं और एक आदमी मारा गया है, जबकि मुखबिर ने चारों आदमियों की जानकारी दी, तो क्या उक्त विवेचना में उन चारों बदमाशों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, इसको माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

उन लोगों के जो नाम प्रकाश में आए हैं वह है जगदीश सिंह, अजयपाल सिंह, रामपाल सिंह, जगवीर सिंह तथा रामवीर सिंह आदि हैं । मान्यवर, इनसे संबंधित सारी बातों पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचार विमर्श कर लिया गया है और समस्त शिकायतों व शंकाओं को ध्यान में रखकर विचार कर लिया गया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, 5 आदमी पुलिस को मिलते हैं । इनकाउन्टर होता है, एक आदमी मर जाता है । क्या मुकदमा चलाया गया 307 में । मैं जानना चाहता हूं कि उन चार आदमियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया । मा0 मंत्री जी मजिस्ट्रीरियल जांच बैठा देते हैं तथ्यों को छिपाने के लिये, कभी ए0 डी0 एम0 का और कभी एस0 डी0 एम0 का बहाना ले लेते हैं । जहां कहीं इन्काउन्टर होता है, मजिस्ट्रेट जाता है, जांच कर लेता है । यह जांच फार्मल होती है, वह जाता है खेद लेता है कौन आदमी मरा है और बात क्या है? मान्यवर, आदमी सिनेमा के चौराहे पर पकड़ा गया, हवालात में रहा . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मैं यही जानना चाहता हूं कि चार आदमियों के जो नाम बताये वह गिरफ्तार किये गये अथवा नहीं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

यह केस न्यायालय में चला गया । मजिस्ट्रीरियल जांच वहां चली गयी, इसके बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मा0 मंत्री जी तथ्यों को छुपा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 26 तारीख को जैसा कि प्रश्नकर्ता मा0 वर्मा जी ने कहा

मुलजिम हिरासत में था, आपके रिकार्ड में भी मौजूद है । जो व्यक्ति 26 को लाक-अप में बन्द है, उसका 27 को इन्काउन्टर होता है । क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो लाक-अप से निकाल कर इन्काउन्टर करते हैं, कोई कार्यवाही की गयी । यह स्पष्ट है कि लाक-अप से मारा । ऐसी परिस्थितियों में क्या मा0 मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभाग में आपराधिक मुकदमें दर्ज किये जायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जिस प्रकार की सूचना मा0 सदस्य ने दी है उसकी जानकारी कर लूंगा । अगर हवालात में जैसा बता रहे हैं, रहा होगा तो अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी ।

जिला सहकारी बैंक लि0 सुल्तानपुर के सेल्स मैन श्री मो0 सलीम उर्फ मुन्ना की हत्या तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग

*10—श्री शिव नारायण मिश्र (अनुपस्थित) —

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मो0 सलीम उर्फ मुन्ना सेल्स मैन जिला सहकारी बैंक लि0 सुल्तानपुर स्थाई निवासी कंजर टोलिया बल्टन बाजार, थाना कोतवाली शहर की दिन दहाड़े अराजक तत्वों द्वारा माह जुलाई या सितम्बर, 85 में गोली मार कर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो आज तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां, दिनांक 14-8-85 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी । मृतक के सगे भाई श्री शौकत अली की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध सं0-966/85 धारा 302 भा0 द0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ ।

वादी मुकदमा श्री शौकत अली ने न तो किसी अभियुक्त को नामजद किया और न अपना संदेह ही व्यक्त किया, कोई गवाह भी अंकित नहीं कराया । तत्काल किसी पर संदेह भी नहीं व्यक्त किया । विवेचना के दौरान बाद में वादी मुकदमा व उसके चाचा श्री नन्हें ने इस हत्या के संबंध में कई व्यक्तियों से अपनी रंजिश प्रकट करते हुए संदेह व्यक्त किया । उन लोगों से काफी तत्परता के साथ पूंछतांछ की गई । लेकिन कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई । पुलिस के अथक प्रयास करने पर भी हत्यारे का पता नहीं चल सका । अतः दिनांक 30-7-86 को इस अभियोग में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी ।

*11—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

पी0आई0सी0 विधूना, जिला इटावा के कैमिस्ट्री प्रथम प्रश्न पत्र का परीक्षाफल रोका जाना

*12—श्री अंसान सिंह (अनुपस्थित) —

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पी0 आई0 सी0 विधूना इटावा के वर्ष 1985 की परीक्षा में 25 छात्रों का कैमिस्ट्री प्रथम प्रश्न पत्र का परीक्षा फल मात्र इस आधार पर रोका गया है कि परीक्षार्थियों ने रफ नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । वर्ष 1985 की परीक्षा में केन्द्र किसान हायर सेकेन्डरी स्कूल कुदरकोट, इटावा पर सामूहिक नकल की शिकायत के आधार पर केन्द्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मार्जन कराया गया । मार्जनोपरान्त रसायन विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में विषय विशेषज्ञ की आख्या के आधार पर 24 छात्रों का परीक्षाफल समिति द्वारा रोकने का निर्णय लिया गया ।

तथ्यों का परीक्षण कर अनुचित साधन निस्तारण समिति ने 22 छात्रों का परीक्षाफल निरस्त करने तथा 2 छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात् परिषद् के निर्णय के विरुद्ध छः दण्डित छात्रों ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया । मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इन पांच परीक्षार्थियों का तथा 1 परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रत्यावेदन के फलस्वरूप परीक्षा समिति द्वारा घोषित किया जा चुका है । इस प्रकार कुल 15 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रद्द किये गये तथा 9 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित कर दिये गये । इसकी सूचना यथा समय विद्यालय को प्रेषित की जा चुकी है ।

*13—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

शहजादी मंडी छावनी क्षेत्र आगरा की सिंडीकेट बैंक में पड़ी डकैती एवं जांच

*14—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 जनवरी, 1986 को आगरा के छावनी क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियारों से लैस लुटेरों द्वारा रिवाल्वरों तथा हथगोलों के बल पर की गयी दुस्साहसिक दो लाख आठ हजार रुपये की लूट के अपराधी पकड़े गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7 जनवरी, 1986 को सशस्त्र लुटेरों द्वारा दिन में लगभग 2—15 बजे प्रश्नगत बैंक से दो लाख उन्नासी हजार आठ सौ, इक्यावन रुपया (2,79,851 रु0) लूटा गया था ।

विवेचना से प्रकाश में आए पांच अभियुक्तों में से चार अभियुक्तों को विभिन्न तिथियों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । एक अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 9-1-87 को धारा 82/83, द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत् कार्यवाही की गई ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि आगरा छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत शहजादी मंडी के सिन्डीकेट बैंक में हथियारबन्द लुटेरों द्वारा बैंक को लूटा गया । यह घटना 7-1-86 को हुई । उत्तर में मंत्री जी ने बताया 5 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और एक अभियुक्त के खिलाफ एक साल बाद 82-83 में कार्यवाही की गयी । क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार किये गये, उनके नाम क्या हैं ? जिसके खिलाफ 82-83 में कार्यवाही की गयी उसका नाम क्या है और वह कहां रहता है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, यह बहुत बड़ा गिरोह राष्ट्रीय स्तर का है ।

उन्होंने इसके बाद केवल आगरा में ही बैंक डकैती नहीं डाली, बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में भी डकैती डाली । आगरा में डकैती डालने के बाद उन्होंने बड़ौदा और दिल्ली में भी डकैती डाली । उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई । इस समय वे जेल में हैं । उन चार व्यक्तियों के नाम विनोद, अशोक तलवार, अनिल भटनागर और राकेश हैं, इनमें से अशोक तलवार अनिल भटनागर इस समय दिल्ली जेल में और राकेश बम्बई जेल में हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर मुझे मा0 मंत्री जी से नहीं मिला । जिस अभियुक्त के खिलाफ 82-83 की कार्यवाही की गयी, उसका नाम क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, 82-83 की कार्यवाही राकेश के विरुद्ध हुई ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि जिस दिन आगरा में अभियुक्तों ने डकैती डाली, उस दिन उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आगरा में मौजूद थे और सारी पुलिस उनकी सुरक्षा व्यवस्था में ही लगी रही, इसी कारण से वहां पर डकैती पड़ी । श्रीमन्, दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सत्य है कि क्या वह बैंक बाई पास की घनी आबादी में है और वहां पर आपकी पुलिस के कितने कान्स्टेबिल उस चौराहे पर बैंक की सुरक्षा हेतु तैनात थे और वहां पर जो दरोगा ड्यूटी पर था, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, डी0 जी0 पी0 आगरा में मौजूद थे या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस दरोगा की ड्यूटी आप कह रहे हैं कि बैंक पर थी, उसकी ड्यूटी स्थायी थी, या बराबर गश्त करते रहने की थी, इसके बारे में जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन जिन अपराधियों के बारे में जानकारी हो गयी है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने मा0 मंत्रीजी से स्पष्ट सवाल पूछा था कि उस दिन वहां डी0जी0पी0 थे या नहीं और वहां पर उस थाने का जो दरोगा ड्यूटी पर था, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? इसके उत्तर में मा0 मंत्रीजी का कहना है कि इसकी जानकारी नहीं है । डी0जी0पी0 के होने की जानकारी भी मा0 मंत्री जी को नहीं है। श्रीमन्, इससे मेरा आरोप सिद्ध होता है कि चूंकि बैंक में डकैती पुलिस के सहयोग से पड़ी इसलिये उस दरोगा के खिलाफ ये कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं । इसमें जब मा0 मंत्रीजी को पूरी जानकारी नहीं है तो क्या इसकी जानकारी करने के लिये तथा इस प्रश्न का पूरा उत्तर दिलाने के लिये इस प्रश्न को आज स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मा0 सदस्य बतावें कि किस प्रश्न का उत्तर उन्हें चाहिये, जो उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने पूछा कि वहां पर जो दरोगा ड्यूटी पर था, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? तो जब तक दरोगा के खिलाफ यह साबित न हो जाय कि उसमें दरोगा की कोई साजिश थी और वह डकैतों से मिला हुआ था, जब तक दरोगा के खिलाफ कोई संदेह किसी ने प्रकट किया हो, तब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा कि मा0 वर्मा जी ने पूछा कि डी0जी0पी0 आगरा में मौजूद था कि नहीं, क्या मा0 मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के थाना सोहरामऊ में भी इसी प्रकार की डकैती पड़ी तथा उस दिन डी0 जी0 पी0 वहां पर मौजूद थे और क्या यह सही है कि उस दिन उन्नाव के सोहरामऊ थाने के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी जिस दिन महामृत्युंजय जाप करवा रहे थे, उस दिन वहां पर चार कत्ल हुए थे?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मनोहर लाल—

माननीय गृह मंत्री जी वहां मौजूद थे । उस दिन वहां 4 कत्ल हो गये । डी0 जी0 पी0 वहां मौजूद थे, किन्तु वे लोग मंत्री जी के स्वागत में लगे हुए थे, इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकी । इनकी मौजूदगी में सब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर दरोगा का डकैती में कोई हाथ होना पाया जाता, तब उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती, अगर किसी साजिश में हाथ पाया जाता, तब उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती । हमारी जानकारी यह है कि जिस बैंक की सुरक्षा के लिए दरोगा व पुलिस गार्ड तैनात कर रखी थी, बजाय इसके कि वह डकैतों का मुकाबला करते, वे लोग डकैतों को देखते हुए बैंक छोड़कर भाग गये और डकैतों को खुली डकैती करने का मौका दे गये । क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इतने से कसूरवार पुलिस के लिए माननीय मंत्री जी कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं समझते हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, इस बिन्दु पर जांच करा ली जायेगी अगर दरोगा दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, इस सिन्डीकेट बैंक ने स्थानीय थाने से पुलिस की मांग की थी और पुलिस वहां पर लगाई भी गई । तो फिर पुलिस ने उन डकैतों का प्रतिरोध क्यों नहीं किया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्रतिरोध किया या नहीं किया, यह तो नहीं मालूम । वैसे प्रतिरोध तो किया ही होगा, लेकिन कर नहीं पाये होंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो लोग पकड़े गये हैं, उन्होंने बड़ौदा में भी डकैती डाली और दिल्ली में भी डकैती डाली । आगरा में जब डकैती पड़ी तो कोई विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया होगा, तो क्या उसने इन डकैतों को आगरा बुलवाकर उनसे विवेचना की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, विवेचना के लिए अधिकारी दिल्ली गये थे, वहां पर जब वह पहुंचे तो मालूम हुआ कि दिल्ली की डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिये गये हैं। 18 तारीख को पेशी लगी थी, किन्तु वे उस दिन वहां उपस्थित नहीं हुए, अब अगली कोई पेशी लगी है, उसमें उन्हें पुनः आगरा बुलाया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी शंका सही निकली, विवेचना अधिकारी ने विवेचना नहीं की ।

श्री काजी मोहिउद्दीन–

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आ रहा है, वह गैर जिम्मेदाराना उत्तर है। बैंक की सुरक्षा के लिए जो पुलिस गार्ड व दरोगा तैनात किया गया था, जब उन्होंने प्रतिरोध किया होगा तो कहीं न कहीं उन्हें चोटें आयी होंगी । क्योंकि सुरक्षा गार्डों से डकैतों का पहले टकराव होना स्वाभाविक है। प्रश्न प्राप्त हो जाने के बाद माननीय मंत्री जी ने तैनात पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यदि नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि बैंक अधिकारियों ने इस प्रकार की कोई शंका प्रकट नहीं की । जानकारी होने पर उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

*15–श्री हर्ष वर्धन–

[9वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा मनौतापुर वि0 खं0 सांथा, जिला बस्ती के सचिव तथा विक्रेता के विरुद्ध जांच की मांग

*16–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि नायब तहसीलदार, तहसील बांसी, जनपद बस्ती द्वारा साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा मनौतापुर (वि0 खं0 सांथा) के सचिव तथा विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत थाना खेसरहा (बस्ती) में प्रथम सूचना रिपोर्ट अक्टूबर, 1985 में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थाना खेसरहा द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सत्य है कि थाना खेसरहा द्वारा अभी तक अभियुक्तों

को हिरासत में नहीं लिया गया जबकि उन लोगों ने किसी न्यायालय से जमानत भी नहीं कराया है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस विषय में ग्राम मनतापुर, थाना खेसरहा निवासी सर्वश्री सीताराम यादव पुत्र सुकई तथा निर्बल पुत्र झीनक के दो प्रार्थना-पत्र तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बस्ती को माह जनवरी, 1986 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनका आशय क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि पार्टी बन्दी के आधार पर मुकदमा कायम कराया गया था। साक्षीगण ने कोर्ट में सचिव व सेल्स मैन के पक्ष में कलम बन्द बयान दिये हैं, जिसके कारण दिनांक 30-3-87 को अंतिम रिपोर्ट संख्या–7 प्रेषित कर मुकदमें की विवेचना समाप्त कर दी गयी है ।

इस सम्बन्ध में सीताराम यादव पुत्र सुकई तथा निर्बल पुत्र झीनक का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यह मुकदमा नायब तहसीलदार के द्वारा दर्ज कराया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कुछ हरिजनों ने अपर जिलाधिकारी, बस्ती को यह शिकायत दी थी कि उन्हें चीनी प्राप्त नहीं हो रही है और उन्होंने अपने कार्ड प्रस्तुत किये थे ? दूसरी बात, अपर जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार, बांसी से जांच करायी, नायब तहसीलदार, बांसी ने तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया, क्या नायब तहसीलदार से कोई पूछताछ की गयी ? जब नायब तहसीलदार ने जांच करके मुकदमा दर्ज कराया तो कौन-कौन से लोग पार्टीबंदी में थे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

तहसीलदार ने जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट एफ0 आई0 आर0 करायी थी, उसके बारे में जब जांच हो रही थी तो जिन्होंने चीनी न प्राप्त होने की शिकायत की थी, उन्होंने ही अदालत में हलफिया बयान दे दिया कि चीनी मिली है, कार्ड पर इन्दराज नहीं है, लेकिन दुकानदार के रजिस्टर पर लिखा हुआ था। इसलिये उस मुकदमे को फाइनल कर दिया गया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या नायब तहसीलदार से भी विवेचना के अन्तर्गत पूछताछ की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

तहसीलदार से तो जांच के दौरान पूछताछ की ही गयी, उसी की तो रिपोर्ट थी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

नायब तहसीलदार ने बांसी में जो मुकदमा दर्ज कराया, उसकी क्या अपराध संख्या है और किस तारीख को किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मुकदमा दर्ज कराया जो खाद्य नियंत्रक कानून है, उसके अंतर्गत कि चीनी नहीं मिली उसका सारांश यह था। किन्तु उस बात को ही जिनको चीनी नहीं मिली, जिनको शिकायत थी, उन्होंने ही कह दिया कि चीनी मिल गयी, तो किस बात की जांच होती, क्या तफतीश होती और क्या कार्यवाही होती ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं जानना चाहता हूं कि जो राशन की दुकान का जो मालिक है, जो चीनी इशू करता है, तो क्या आवश्यक नहीं कि रजिस्टर पर भी चढ़ाये और कार्ड पर भी चढ़ाये ? जब उसने कार्ड पर नहीं चढ़ाया तो क्या नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ ? यदि हुआ, तो क्या कारण है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

खाद्य नियंत्रण कानून के अन्तर्गत उसने रजिस्टर पर लिखा और कार्ड पर नहीं चढ़ाया, इसके लिये खाद्य विभाग को संस्तुति की गयी है कि वे विभागीय कार्यवाही करें ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, यह रजिस्टर तो रहता ही दुकानदार के पास, वह जो चाहे उसमें लिख दे ? कार्डधारक के कार्ड पर लिखा नहीं गया। तहसीलदार एक जिम्मेदार अधिकारी है जिसे जांच का मामला सौंपा गया। जांच नायब तहसीलदार ने की उसके बाद मुकदमा कायम हुआ। तो उसके खिलाफ कार्यवाही न करके जिस पर जांच करायी गयी। दुकानदार से पुलिस ने मिल करके मामले को रफा-दफा करा दिया। क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे?

*17–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से विलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*18–श्री काशी सिंह ऐरी–

[12वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला अधिकारी जनपद मथुरा के द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 की धनराशि बिना डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक बुलाये खर्च किये जाने के सम्बन्ध में जांच की मांग

*19–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि चालू वित्तीय वर्ष 86-87 हेतु एन0 आर0 ई0 पी0 की प्रथम किश्त का अधिकांश भाग जिलाधिकारी मथुरा ने डी0 आर0 डी0 ए0 की बिना बैठक बुलाये ही विभिन्न खण्डों को आवंटित कर दिया था? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा बैठक न बुलाये जाने के क्या कारण थे तथा वह कौन सी परिस्थियां थीं जिनके कारण जिलाधिकारी ने पैसा आवंटित किया व आवंटन का क्या मापदण्ड था?

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जनपद की जिला परामर्शदात्री आपातकालीन बाढ़ सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 2-6-86 में माननीय विधायकगण एवं संसद सदस्य के विशेष आग्रह पर ग्रामीण क्षेत्रों की बाढ़ सुरक्षा एवं जल निकासी की व्यवस्था पर यह निर्णय लिया गया कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की स्वीकृति की प्रत्याशा में एन0 आर0 ई0 पी0 की धनराशि से कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराये जायें, अतः विभिन्न विभागों को तद्सम्बन्धी धनराशियां आबंटित कर दी गईं ।

अपरिहार्य कारणों से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक की तिथि 3 बार परिवर्तन के उपरान्त 15-7-86 को बुलाई गई जिसमें एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत बजट व अवमुक्त धनराशि की विस्तृत जानकारी समस्त सदस्यों को कराई गई। बाढ़ सुरक्षा एवं जल प्लावन की स्थिति का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की कार्यवाही की गयी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य चयन का दायित्व

*20–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्य चयन करने का दायित्व किस अधिकरी अथवा संस्था पर है ? क्या वर्ष 1984-85, 85-86 व 86-87 में देवरिया जनपद में प्रारम्भ कराये गये समस्त कार्यों के लिए सम्बन्धित संस्था अथवा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य चयन करने का दायित्व जिला ग्राम्य अभिकरण प्रबंध कारिणी समिति पर है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत योजनाओं के चयन का दायित्व भारत सरकार पर है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राम कृष्ण जायसवाल के भ्रष्टाचार के कारण जनपद के छात्रों/छात्राओं तथा अभिभावकों को होने वाली परेशानियों के संबंध में उन्हें सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 22-8-86 का पत्र शासन को मिल गया है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और प्रश्नकर्ता के पत्र तथा जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से जांच कराई जा रही है।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 184 पर)

भीटी उमरांवा मार्ग जनपद फैजाबाद के मरम्मत हेतु स्वीकृत धन

2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित भीटी-उमरांवा मार्ग की मरम्मत हेतु काफी समय से एक लाख रुपया ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद के पास पड़ा है लेकिन अधीक्षण अभियंता द्वारा अभी तक स्वीकृति न मिलने के कारण उक्त कार्य शुरू नहीं हो सका है? यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के लिये कौन दोषी है और उक्त कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

उक्त कार्य के लिए वर्ष 1985-86 में एक लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी और उसी समय से ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जो अब पूर्ण होने की अवस्था में है।

इसके विलंब के कारणों के बारे में जांच कराई जा रही है। तद्नुसार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज गोसाईगंज जनपद फैजाबाद के जर्जर भवन के मरम्मत की मांग

3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में स्थित जिला परिषद् फैजाबाद की बिल्डिंग जिसमें राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज गोसाईगंज चल रहा है, की जर्जर स्थिति के संबंध में प्रश्नकर्ता का उन्हें सम्बोधित दिनांक 18-8-86 का पत्र मिल गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त भवन की मरम्मत कराने तथा भवन के चारों तरफ चहार दीवारी का निर्माण कराने का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत भवन में आवश्यकता को देखते हुए शौचालय का निर्माण करा दिया गया है तथा पूरे भवन की मरम्मत कराई जा रही है। भवन के चारों तरफ चहारदीवारी का निर्माण धनाभाव के कारण अभी नहीं कराया जा सका है ।

इलाहाबाद नगर में प्राथमिक विद्यालयों की तथा उसमें विद्यार्थी व अध्यापकों की संख्या

4–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर तथा जिले में कितने सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उसमें कितने विद्यार्थी तथा अध्यापक हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

इलाहाबाद नगर तथा जिले में कोई सरकारी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का विवरण निम्नवत है:–

क्षेत्र का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	छात्रों की संख्या
नगर	173	723	20,546
ग्रामीण क्षेत्र	1,621	5,740	2,42,810

5–श्री अफजाल अंसारी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

गाजीपुर में हत्या, चोरी, लूट आदि की घटनाएं तथा पेशेवर, गिरोहबन्द अपराधियों से पुलिस की सांठ-गांठ की सी0 आई0 डी0 जांच

6–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 में हत्या, डकैती, जबरिया चोरी, लूट इत्यादि गम्भीर अपराधों में वृद्धि हुई थी तथा वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 86-87 में इन अपराधों में पुनः वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो किन कारणों से, पेशेवर व गिरोह बन्द अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? क्या यह सही है कि इस जनपद में ऐसे भी पुलिस कर्मी तैनात हैं जिनकी सांठ-गांठ जनपद के कुख्यात अपराधियों से है ? क्या मंत्री जी इस बात की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1984-85 की अपेक्षा वर्ष 1985-86 में हत्या की घटनाओं को छोड़कर शेष अन्य अपराधों में कमी हुई थी किन्तु वर्ष 1986-87 में अपराधों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई ।

यह कहना सही नहीं है कि पेशेवर व गिरोहबन्द अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है । प्रभावी नियंत्रण हेतु निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

किसी दृष्टान्त की जानकारी होने पर मामले की अपराध अनुसंधान विभाग से जांच करवाने पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद गाजीपुर में मादक द्रव्यों की अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी

7–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में मादक द्रव्यों की तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर की जाती है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस जनपद में हजारों की संख्या में युवक मादक द्रव्यों जैसे हीरोईन, कोकीन, मारफीन और टिकिया पीने के आदी हो चुके हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर के कितने और कौन-कौन तस्कर वर्तमान समय में विदेशों में तस्करी के आरोप में बन्द हैं ? क्या मंत्री जी इस जनपद में तस्करी पर नियन्त्रण के लिये विशेष निर्देश स्थानीय पुलिस को देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है ।

यह सही नहीं है ।

इस जनपद में विदेशों से तस्करी करने वाला कोई गिरोह प्रकाश में नहीं आया है । तस्करों पर कड़ी नजर रखने के शासन के निर्देश हैं ।

जनपद वाराणसी में थानों की संख्या तथा थानों पर दी गयी जीपों की संख्या

8–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के नगर क्षेत्र में, कुल कितने थाने हैं और उन थानों पर सरकारी वाहन जीप कितनी-कितनी, किन-किन पर हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के देहाती क्षेत्र में कुल कितने थाने हैं और इसमें किन-किन थानों पर कितनी-कितनी सरकारी जीपें हैं ? वाराणसी शहर मुख्यालय से पचास किलोमीटर से अधिक दूरी वाले कौन-कौन से थाने हैं और मुख्यालय से कितनी-कितनी दूरी पर है ? इन थानों में विशेष रूप से दस्यु प्रभावित कौन-कौन से थाने हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

9–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

10–11–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के प्राइमरी व कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन

12–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज की प्राइमरी पाठशाला व कन्या प्राइमरी पाठशाला के लगभग 50 प्रतिशत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं ? उन पाठशालाओं के बच्चे धूप व पेड़ के नीचे पढ़ते हैं ? यदि हां, तो इन भवनों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

लगभग 25 प्रतिशत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ।

जनपदीय शिक्षा समिति द्वारा संस्तुत एवं धन की उपलब्धता के अनुसार मरम्मत की कार्यवाही की जाती है ।

भूत पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा अपने विरुद्ध निकाले गये भ्रष्टाचार से संबंधित नोटिस की सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

13–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 अगस्त, 1984 को कोई पत्र पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली अकबरपुर फैजाबाद ने अपने विरुद्ध निकाली गई, भ्रष्टाचार से संबंधित नोटिस की जांच सी0 आई0डी0 से कराने के लिए उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उक्त नोटिस क्या थी तथा उस नोटिस की जो जांच शासन द्वारा की गई उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां, श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र दिनांक 4-7-84 जो तत्कालीन गृह सचिव को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है । नोटिस श्री जेतली द्वारा भ्रष्ट एवं अनियमित कार्य किये जाने की जांच के संबंध में थी । अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से श्री जेतली के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

14–श्री शेर बहादुर सिंह–

[दि0 29-7-85 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

15–श्री अकबर हुसैन बावर –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सहायक उप-बालिका विद्यालय निरीक्षका, बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

16–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

विधान सभा के वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं0–63 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित सहा0 उप0 बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने जांच रिपोर्ट किस तिथि को प्रस्तुत की ? क्या जांच रिपोर्ट में श्रीमती कमला देवी (प्रथम) सहा0 अध्यापिका जिन्होंने दिनांक 29-8-80 को थाना कोतवाली, बाराबंकी में लड़ाई-झगड़े संबंधी एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई थी, को भी दोषी दर्शाया गया था तथा जांच रिपोर्ट में यह भी संस्तुति की गयी थी कि माह अक्टूबर का वेतन वितरण हेतु प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ दिया जाये कि वे वेतन वितरित कर सूची एक सप्ताह में उप-विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दें? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

दिनांक 22-9-80 को जांच रिपोर्ट में श्रीमती कमला देवी प्रथम द्वारा 29-8-80 को थाना कोतवाली बाराबंकी में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने का उल्लेख नहीं है । किन्तु श्रीमती कमला देवी प्रथम को दोषी ठहराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनन्दन प्रसाद पाठक संस्कृत अ0 प्राइमरी पाठशाला, बाराबंकी की शैक्षिक योग्यता

17—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं—50 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाठक, संस्कृत शिक्षक ने उत्तर मध्यमा परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की एवं अंक तालिका किस तिथि को निर्गत की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री पाठक की मृत्यु हो चुकी है और प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाराबंकी में हुई नियुक्तियों की जांच

18—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1987 के प्रथम सत्र के प्रथम सोमवार के अता0 प्र0 सं0—3 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत 13 नियुक्तियां कौन सा मापदण्ड अपना कर की गई हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रिक्तियां किस तिथि को एवं किस-किस दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

चयन समिति द्वारा की गई मार्किंग के आधार पर ।

स्वतंत्र भारत लखनऊ में दिनांक 22 अप्रैल, 1982 ।

श्रीमती शान्ती मिश्र सह0 अध्यापिका, सीनियर बेसिक विद्यालय, दंवा, बाराबंकी की सेवा समाप्ति

19—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में श्रीमती शान्ती मिश्र सह0 अध्यापिका, सीनियर बेसिक विद्यालय, दंवा, बाराबंकी को क्या सेवा से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती शान्ती मिश्र जनपद बाराबंकी से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं थी तथा जनपद बाराबंकी की मूल निवासिनी भी नहीं थी ? यदि हां, तो श्रीमती शान्ती मिश्र किस जनपद की मूल निवासी थी तथा किस जनपद से एवं किस वर्ष में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

नियमों के अन्तर्गत दोषी पाये जाने के कारण ।

जी हां ।

जी हां ।

जनपद बाराबंकी की मूल निवासिनी नहीं थी ।

मूल निवास के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है ।

जनपद प्रतापगढ़ से वर्ष 1980 में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया ।

अपर जिलाधिकारी परियोजना, उन्नाव को ग्राम मोहम्मदपुर विकास खण्ड सुमेरपुर जिला उन्नाव के नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त शिकायती-पत्र

20—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर जिलाधिकारी परियोजना जनपद उन्नाव को ग्राम मोहम्मदपुर विकास खण्ड सुमेरपुर जिला उन्नाव के नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त दिनांक 1-3-1987 के भेजे हुए दो ऐसे शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें बिहार बक्सर रोड से टन्डसपुर-रुकुमपुर-डीड़िगाखेरा को निर्मित होने वाले मार्ग में मोहम्मदपुर-रुकमपुर के पास छोड़ दिए जाने तथा प्रा0 पा0 मोहम्मदपुर विकास खण्ड सुमेरपुर में स्थित कुएं की मरम्मत न कराये जाने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उपरोक्त दोनों निर्माण कार्य कब तक पूरे किए जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

मोहम्मदपुर के पास तालाब पड़ जाने तथा भारी मात्रा में पानी भरा होने के कारण मार्ग बनवाया जाना संभव नहीं है । मार्ग का कार्य पानी सूख जाने पर पूरा करवा दिया जायेगा ।

प्रा0 पा0 मोहम्मदपुर के कूप का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिया गया है । शेष कार्य एक मास में पूर्ण करा दिया जायेगा ।

21–श्री भगवती सिंह विशारद–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

श्री गोपाल नारायण मिश्रा, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता महात्मा गांधी इण्टर कालेज सफीपुर उन्नाव के विवादित मामलों को हल करने का प्रस्ताव

22–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव ने श्री गोपाल नारायण मिश्रा (अवकाश प्राप्त प्रवक्ता महात्मा गांधी इण्टर कालेज सफीपुर उन्नाव) के विवादित मामलों को हल करने के दिनांक 15-1-1987 को कोई त्रिदलीय मीटिंग बुलाई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये थे और उन निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रबन्धक तथा सम्बन्धित अध्यापक को बुलाकर बैठक की थी ।

बैठक में श्री गोपाल नारायण मिश्र के अवशेष वेतन भुगतान, भविष्य निर्वाह निधि के अंतिम भुगतान एवं पेंशन के संबंध में निर्णय लिये गये थे ।

श्री मिश्र के अवशेष वेतन एवं भविष्य निधि का अंतिम भुगतान किया जा चुका है ।

श्री मिश्र के पेंशन के कागजात तैयार कराने हेतु उनके विद्यालय में उपस्थित न होने के कारण उनके पेंशन पत्रजात तैयार नहीं हो सके हैं ।

प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण में सुर्खी, चूना या सीमेन्ट के उपयोग का प्रस्ताव

23–श्री दीप चन्द सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा हो रहे हैं उनकी 9 इंच की दीवारें गारे-मिट्टी से चुनाई हो रही है? क्या उक्त भवनों की दीवारें निकट भविष्य में सुर्खी, चूना या सीमेंट से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

झांसी जिले के चिरगांव-गुरसराय मार्ग के बेतवा नदी पर बने राम नगर घाट का रिपटा को सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव

24—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के चिरगांव से गुरसराय मार्ग पर पड़ने वाला बेतवा नदी पर बने रामनगर घाट का रिप्टा जो अब तक जिला परिषद् के पास है, को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ?. यदि हां, तो इसे अब तक हस्तान्तरित न किये जाने का क्या औचित्य है जब कि चिरगांव से गुरसराय मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रसंगगत रिपटे के हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति प्रतीक्षित है ।

मेरठ में खरखोदा व बड़ौत कस्बे में फायर स्टेशन बनाने की योजना

25—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में कितने फायर स्टेशन की योजना शासन के विचाराधीन थी ?. क्या मेरठ में खरखोदा व बड़ौत कस्बों में फायर स्टेशन बनवाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1986-87 में 47 फायर स्टेशन खोले जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन थे । मेरठ के खरखोदा कस्बे में फायर स्टेशन खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था । मेरठ के बड़ौत नगर में फायर स्टेशन की स्थापना गत वर्ष 1986-87 में ही की जा चुकी है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों के मेन्टीनेन्स का प्रस्ताव

26—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो सड़कें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बनायी जा रही हैं और पीच स्तर तक पूर्ण कर दी गई हैं क्या उक्त सड़कों के मेन्टीनेन्स हेतु (देख-रेख) मेट रखने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की क्योंकि उसके मेन्टीनेन्स की व्यवस्था हेतु इस विभाग के बजट में कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद मैनपुरी के थाना जसराना के कतिपय दर्ज अभियोगों की विवेचना

27–श्री मैनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के थाना जसराना के अन्तर्गत धारा 420 भा0 द0 वि0 बनाम रघुवीर सिंह वर्ष 1982 में व थाना फरिहा में अ0 सं0 28/92, 19/83, 22/83, 23/83, 46/83, 31/84, 32/84, 33/84 व 34/84 और 52/84 मुहरसिंह आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुए ? क्या यह सही है कि विवेचना अधिकारियों ने उनमें अन्तिम आख्याएं लगायी हैं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा प्रश्नगत अपराधों की अग्रेतर विवेचना सी0 आई0 डी0 से करायी जावेगी ? यदि नहीं, तो आपत्ति के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित अभियोगों की विवेचना से प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर किसी भी अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

28–29–श्री हर्षवर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

30–31–श्री राम जनम –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों व बरसाती नालों की सफाई का कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव

32–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0 आर0 इ0 पी0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों व बरसाती नालों की सफाई का कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो विभाग में मस्टर रोल भरने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार कराये जाते हैं। इस गाइड लाइन्स के खण्ड–1 के प्रस्तर–28 के अनुसार ठेकेदारों को लगाने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेरठ के थाना चांदीनगर के अन्तर्गत धौली प्याऊ पर पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव

33–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के थाना चांदी नगर के अन्तर्गत धौली प्याऊ पर पुलिस चौकी बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह चौकी कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जनपद मेरठ के थाना चांदीनगर के अन्तर्गत धौली प्याऊ पर पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है। जिसके प्राप्त होने पर वांछित कार्यवाही की जायेगी ।

थाना बन्थरा, जिला लखनऊ के अन्तर्गत गांवों की संख्या तथा उनकी दूरी

34–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बन्थरा, जिला लखनऊ के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव आते हैं ? क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम थाना बन्थरा से कितने-कितने किलोमीटर की दूरी पर है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

थाना बन्थरा, जिला लखनऊ के अन्तर्गत 58 गांव आते हैं। इन ग्रामों की कम से कम दूरी एक किलोमीटर तथा अधिक से अधिक 20 किलोमीटर है । इन ग्रामों के नाम व थाने से दूरी का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 185 पर ।)

श्री राम स्वरूप निवासी सेक्टर एन0 बन0 हाउसिंग स्कीम अलीगंज के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

35–श्री सुखपाल पान्डे–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम स्वरूप निवासी सेक्टर एन0 बन0 हाउसिंग स्कीम अलीगंज मकान नं0–422 थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ द्वारा लालता प्रसाद कान्सटेबिल पुलिस लाइन आदि के विरुद्ध विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में दिनांक 21-7-86 से 23-7-86 व 4-9-86 को क्रमशः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी तथा मुख्य मंत्री को भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिकायतें है और उसकी जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब कराई गई और उत्पीड़न करने वाले दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थी का दिनांक 24-9-86 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ एवं अन्य प्रार्थना-पत्रों की नकल प्रार्थी से नाप्त की गयी। संदर्भित प्रार्थना-पत्रों में का0 लालता प्रसाद के विरुद्ध गाली गलौज करने प्रार्थी तथा उसकी पत्नी को मारने की व बंद करने की धमकी देने, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाने पर सिपाही द्वारा उसकी औरत को बदमाश कहने आदि के मुख्य आरोप लगाये गये हैं। उक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच थाना-ध्यक्ष, अलीगंज एवं क्षेत्राधिकारी, महानगर द्वारा विभिन्न तिथियों को की गई।

जांच से प्रार्थी द्वारा विपक्षी को रहने के लिये कमरा न देने पर विपक्षी द्वारा उसे गाली गलौज व मारपीट की धमकी देने की बातें प्रकाश में आयीं । जांच के दौरान दोनों पक्षों को आपस में झगड़ा न करने के लिए समझा दिया गया है। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है।

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जांच हेतु ग्राम राजपुर, जिला मथुरा के निवासियों के शिकायती पत्र

36–श्री राम नरेश यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18-10-85 तथा फरवरी, 86 में ग्राम राजपुर, वृन्दावन, जिला मथुरा के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र कुछ असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलाधिकारी, बलिया के ड्राइवर के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमा एवं जांच रिपोर्ट

37–श्री राम नरेश यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के जिलाधिकारी का ड्राइवर (श्री कैलाश यादव) दिनांक 22-10-85 को जिला अधिकारी के साथ दौरे पर सरकारी सेवा में रहा है लेकिन बलिया जनपद के थाना बांसडीह रोड के थानाध्यक्ष ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर उक्त ड्राइवर को फंसा दिया, जिसकी जांच शासन ने श्री पारसनाथ चौधरी, ग्राम शाहपुर, पोस्ट बांसडीह रोड, जिला बलिया के प्रार्थना पत्र पर कराया है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और शासन ने उस थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई। जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दयाल दास श्रीवास्तव, आशुलिपिक, जिला विकास अधिकारी, बलिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण आदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही से अलग है और अनुशासनात्मक कार्यवाही आरोप पत्र जारी होने की तिथि से मानी जाती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि श्री दयाल दास श्रीवास्तव, आशुलिपिक, जिला विकास अधिकारी, बलिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 3-5-75 से प्रारम्भ हुई थी और मा0 लोक सेवा न्यायाधिकरण ने उन्हें उसी तिथि से बहाल किया है? यदि हां, तो श्री दयाल दास श्रीवास्तव को दिनांक 23-9-73 से 2-5-75 तक का वेतन जिस अवधि को उनके अवैतनिक अवकाश स्थानान्तरण आदेश का परिपालन न करने के फलस्वरूप स्वीकृत हो चुका था, का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो इस भारी वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय क्षति के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? शासन को इस तथ्य की जानकारी होने पर उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दयाल दास, आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर का लियन तथा इनके बकाये वेतन का भुगतान

39–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन के न्याय विभाग ने श्री दयालदास श्रीवास्तव, आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर के सम्बन्ध में दिनांक 7-11-86 को यह स्पष्ट मत दिया है कि वह किस विभाग के कर्मचारी हैं, यह स्पष्ट नहीं है ? क्या उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शासनादेश संख्या 714/38-1-79-1589 दिनांक 27-10-80 द्वारा वह ग्राम्य विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में हो गये और राजस्व विभाग में उनका लियन समाप्त हो गया इसकी जानकारी उन्होंने माननीय लोक सेवा अधिकरण के सम्मुख नहीं रखा ? यदि हां, तो माननीय न्यायाधिकरण का वह निर्णय ग्राम्य विकास विभाग पर किस प्रकार लागू हुआ? यदि नहीं लागू हुआ तो उन्हें ग्राम्य विकास विभाग में कार्य करने की अनुमति तथा बकाए का 1,22,839.00 रु0 भुगतान किन परिस्थितियों में कराया गया ? इस भारी वित्तीय अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । प्रश्न में वर्णित मत न्याय विभाग ने 17-11-86 को प्रशासकीय विभाग की पत्रावली में व्यक्त किया था। श्री दयालदास श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में उपरोक्त की जानकारी माननीय लोक सेवा अधिकरण के समक्ष नहीं रखी । श्री श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में नियुक्ति अधिकारी को चैलेंज किया था जिस पर माननीय अधिकरण ने अपना निर्णय दिया है।

श्री दयाल दास श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में जिलाधिकारी, बलिया, अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन), बलिया, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, सचिव, राजस्व विभाग, जिलाधिकारी, गाजीपुर, जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर, अतिरिक्त जिला अधिकारी (नियोजन), गाजीपुर तथा उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिवादी बनाया था। अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन), जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास के नियंत्रणाधीन कार्यरत थे और इस मामले में पक्षकार थे अतएव ग्राम्य विकास विभाग पर यह निर्णय लागू माना गया और तदनुसार लोक सेवा न्यायाधिकरण के निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में नियमानुसार उनके वेतन का निर्धारण होने के पश्चात् उनके बकाया वेतन रुपया 1,22,890.65 का भुगतान दिनांक 20-8-86 को कर दिया गया । इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं इसकी जांच आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

40–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 26-8-86 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित]

41–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड बाजार शुकुल, सुल्तानपुर में कन्या जूनियर हाईस्कूल खोलने की मांग

42–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वांछित सूचना प्राप्त हो गयी? यदि हां, तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न में संदर्भित प्रश्नकर्ता का कोई प्रश्न हुआ प्रतीत नहीं होता है। श्री राम गोविन्द चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा 1985 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के लिए अता0 प्रश्न संख्या–81 पूछा गया था, जिसका उत्तर मा0 शिक्षा मंत्री जी द्वारा 1985 के द्वितीय सत्र के चौथे सोमवार को दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्याय पंचायत भटौली, विकास खण्ड भीटी, जनपद फैजाबाद के कतिपय शिकायतों के संदर्भ में जांच हेतु प्रश्नकर्ता का एक पत्र

43–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-9-86 का पत्र श्री बरोड़ तथा तीन अन्य के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ शासन को मिल गया है जिसमें न्याय पंचायत भटोली, विकास खण्ड भीटी, जनपद फैजाबाद के पंचायत मंत्री तथा उक्त ब्लाक में जानवरों के डीलर श्री घनश्याम पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार और जालसाजी तथा धोखा-धड़ी की गम्भीर शिकायतें हैं? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है? जांच अधिकारी ने अन्य लोगों के अलावा शिकायतकर्ताओं के भी बयान लिये या नहीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

गम्भीर शिकायतें की गई। शिकायतों की जांच सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गई ।

जांच अधिकारी ने अन्य लोगों के अलावा शिकायतकर्ताओं के भी बयान लिये हैं ।

प्रदेश में वक्फ सम्पत्ति सुरक्षा के शासनादेश तथा नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव

44–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु शासनादेश संख्या–1723/बावन-380/86 दिनांक 18 जुलाई, 1986 द्वारा की गयी अन्तरिम व्यवस्था में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी उनमें से अधिकांश कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या शेष अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी करने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 1986 द्वारा की गयी अन्तरिम व्यवस्था अब स्थायी की जा चुकी है। वक्फ आयुक्त से प्राप्त सूचनानुसार तृतीय श्रेणी के उपलब्ध 157 पदों के विरुद्ध 118 कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं। शेष अस्थायी कर्मचारी विभिन्न कारणों से वक्फ आयुक्त द्वारा वर्तमान में स्थायीकरण के पात्र नहीं पाये गये ।

45–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एम0 टी0) सड़क परिवहन निगम, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

46–श्री रणजीत–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, देवरिया डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एम0 टी0) देवरिया द्वारा धन अर्जित करने एवं नियम विरुद्ध कार्य करने आदि के सम्बन्ध में गम्भीर आरोपों का पत्र दिनांक 6-12-86 रोडवेज मजदूर सभा, उ0 प्र0 व विधायक श्री विष्णु देव गुप्त का प्रबन्ध निदेशक आदि अधिकारियों को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त आरोपों पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एम0 टी0) देवरिया के विरुद्ध अध्यक्ष, रोडवेज मजदूर सभा, गोरखपुर का पत्र दिनांक 6-12-86 तथा श्री विष्णुदेव गुप्ता, विधायक का शिकायती-पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है । उक्त पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) वाराणसी द्वारा की जा रही है।

श्री राम निवास सिंह, वाहन संचालन प्रभारी का प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

47–श्री रणजीत–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-2-87 को श्री राम निवास सिंह, वाहन संचालन प्रभारी, देवरिया का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लीन होने की शिकायत परिवहन मंत्री एवं प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त आरोपों पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायकर्ता श्री राम निवास सिंह को तंग करने तथा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाये गये थे । जांच के फलस्वरूप उक्त आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता है।

48–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय महाविद्यालय हरदोई में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण का आधार

49–श्री किशन लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय हरदोई में 3 वर्ष से कम अवधि के कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का बिना किसी उचित आधार के स्थानान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जबकि 5 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से कार्यरत ऐसे अध्यापक एवं कर्मचारी पड़े हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

राजकीय महाविद्यालय, हरदोई के किसी भी अध्यापक एवं कर्मचारी का स्थानान्तरण बिना उचित आधार के नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खण्ड हमीरपुर के मुख्यालय का स्थानान्तरण

50–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खण्ड हमीरपुर वर्ष 1981 में झांसी में स्थापित किया गया था तथा सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा इसका झांसी में ही विधिवत उद्घाटन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त खण्ड का मुख्यालय झांसी से हमीरपुर स्थानान्तरित किये जाने का क्या कारण है ? क्या खण्ड हमीरपुर का कोई कैम्प कार्यालय लखनऊ में भी स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक और कहां तक इसका क्या औचित्य रहा था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। डी0 पी0 ए0 पी0 कार्यक्रम एक केन्द्र पोषित योजना है। जनपद झांसी डी0 पी0 ए0 पी0 कार्य के अन्तर्गत न लिये जाने के कारण, डी0 पी0 ए0 पी0 कार्यक्रम से आच्छादित जनपद हमीरपुर में उक्त नवसृजित खण्डीय कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया । जी हां । तत्कालीन निदेशक द्वारा हमीरपुर खण्ड का कैम्प कार्यालय व विभागीय पुस्तकालय को स्थापित करने तथा उसे सुचारुरूप से संचालित करने के उद्देश्य से लखनऊ में, कार्यालय ज्ञाप सं0 1319/भू0ज0स0सं0/ई-1/जी, दिनांक 27-6-84 द्वारा स्थापित किया गया था किन्तु इसका कोई औचित्य न होने के कारण शासनादेश सं0 4655/54-3-1800 (131)/83, दिनांक 21-8-84 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया ।

51–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

52–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

53–54–श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

फैजाबाद के विकवाजितपुर महरुआ बाजार मार्ग पर बसोहरी घाट पर मडहा तमसा नदी पर पुल का निर्माण

56–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी घाट में स्थित विकवाजितपुर महरुआ बाजार मार्ग पर बसोहरी घाट पर मडहा तमसा नदी पर पुल न होने के कारण उक्त सड़क का समुचित लाभ क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पा रहा है ? क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् फैजाबाद की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण न तो उक्त पुल और सड़क का निर्माण कार्य स्वयं करा रही है और न सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी अन्य विभाग को उस पर कार्य करने दे रही है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु जिला परिषद् फैजाबाद को निर्देशित करने अथवा उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने में सरकार को क्या कठिनाई है और जनहित में उक्त निर्माण कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आर्थिक रूप से विपन्न होते हुए भी जिला परिषद् द्वारा प्रसंगत मार्ग, जिसकी लम्बाई 11 कि0 मी0 है, पर विकवाजीतपुर से बसोहरी घाट तक ईंटों की सोलिंग तथा 6 पुलियों का निर्माण कराया गया है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय जनता को यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ह्यूम पाइप पुल का निर्माण कराया जाता है तथा वर्षा ऋतु में नदी का जल स्तर ऊंचा होने की दशा में नौका संचालन कराकर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते नियमानुसार संबंधित मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही केवल जिला परिषद् द्वारा ही की जा सकती है अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्देश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विभिन्न अपराधों के संबंध में शिकायती-पत्र

57–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गृह सचिव उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्न-कर्ता का दिनांक 3-10-86 का पत्र जिसमें प्रदेश में विभिन्न अपराधों के संबंध में जानकारी देने का अनुरोध किया गया था, शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और कब तक उक्त पत्र का उत्तर न देने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 186 पर ।)

58–कुंवर रेवती रमण सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

59–60–श्री विष्णु देव –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

61–63–श्री मिश्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

64–66–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

67–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[3रे शुक्रवार में अता0प्र0सं0 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

68–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

फखरपुर से बहराइच मार्ग पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा की मांग

69–श्री मयंकर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बहराइच जनपद में फखरपुर में भारी संख्या में यात्रियों को देखते हुए फखरपुर से बहराइच तक राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस निरन्तर चलते रहने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं ।

फखरपुर नामक बस स्टाप बहराइच-जरवलरोड मार्ग पर बहराइच से 17 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है । बहराइच-जरवलरोड के मध्य 13 अप-13 डाउन सेवायें संचालित हैं । इनके अतिरिक्त, बहराइच-लखनऊ के मध्य संचालित 42 अप-42 डाउन सेवायें भी फखरपुर में रुककर यात्रियों को चढ़ाती, उतारती हैं ।

बहराइच जनपद के कतिपय विकास खण्डों में भवनहीन प्राइमरी स्कूलों की संख्या

70–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के फखरपुर हुजूरपुर, तजवापुर तथा महसी विकास क्षेत्रों में कितने प्राइमरी विद्यालय हैं ? उसमें कितने भवन हीन हैं? क्या उन भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद बहराइच के प्रश्न से संबंधित विकास क्षेत्रों के प्राइमरी पाठशालाओं तथा भवन-हीन विद्यालयों की संख्या निम्नवत है:–

विकास क्षेत्र का नाम	प्राइमरी पाठशालाओं की सख्या	भवनहीन प्रा0 पा0 की संख्या
1–फखरपुर	87	34
2–हुजूरपुर	71	19
3–तजवापुर	73	25
4–महसी	95	21

जी हां ।

प्रत्येक वर्ष जिला योजना द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य के आधार पर शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर भवन निर्माण, निर्माण इकाई द्वारा कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जनपद के कतिपय मार्गों पर बस सेवा की मांग

71–श्री मयंकर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद में बहराइच से बाड़ा तथा बहराइच से जैतापुर तक राज्य सड़क परिवहन निगम की एक-एक बस चलती थी, जो बन्द हो गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुनः उन सड़कों पर बसों के चलने का आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच-लखनऊ राष्ट्रीयकृत मार्ग पर मरौंचा तथा फखरपुर नामक स्थान पड़ते हैं जो बहराइच से क्रमशः 11 कि0मी0 एवं 17 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

मरौंचा से बाड़ी 12 कि0मी0 तथा फखरपुर से जैतापुर 10 कि0मी0 क्रमशः अराष्ट्रीयकृत मार्ग है । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बस संचालन नहीं किया जाता है।

बहराइच जनपद में अर्धनिर्मित प्राइमरी व जूनियर राजकीय विद्यालयों की संख्या

72–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में कितने प्राइमरी व जूनियर राजकीय विद्यालयों के भवन अर्द्धनिर्मित अवस्था में पड़े हैं? उनके निर्माण कब-कब प्रारम्भ हुए थे तथा किन परिस्थितियों में अर्द्धनिर्मित अवस्था में निर्माण रोक दिया गया है ? क्या मंत्री जी उनका अति शीघ्र निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

बहराइच जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्माणाधीन 24 प्राईमरी पाठशाला भवन धन की कमी के कारण अद्धनिर्मित अवस्था में पड़े हुए हैं। इन प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 1978 से 1985 के बीच विभिन्न तिथियों में प्रारम्भ हुआ था। धनाभाव के कारण निर्माण कार्य रुक गया। धन मिलने पर भवन निर्माण कार्य पूरे किये जायेंगे।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम फकरैल जनपद बस्ती में पोखरे की खुदाई से संबंधित शिकायती-पत्र

73–श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के मिठवल विकास खण्ड के ग्राम पकरैल में पोखर की खुदाई के लिये मजदूरी के भुगतान सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-12-86 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

यह मामला जिलाधिकारी को संदर्भित किया गया था। जिसमें जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि प्रश्नगत पोखरे पर केवल 5040 रु0 का भुगतान मजदूरों को किया जाना शेष है। जिसके संबंध में कार्यवाही धन की प्राप्ति पर की जाएगी ।

थाना मऊ, बांदा की पुलिस द्वारा अपराधिक तत्वों के संरक्षण देने के संबंध में शिकायती-पत्र

74–श्री कल्याण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 12 अप्रैल, 87 के प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित पत्र के साथ श्री राम स्वरूप त्रिपाठी ग्राम-पो0 हन्ना विनैका, जिला बांदा का कोई पत्र मिला जिसमें मऊ (बांदा) थाने की पुलिस द्वारा अपराधिक तत्वों को संरक्षण देने के कारण क्षेत्र में आये दिन कत्ल जैसी घटनाएं होने का उल्लेख किया है? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? कत्ल जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मा0 विधायक का दिनांक 12-4-87 का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम स्वरूप त्रिपाठी निवासी ग्राम हन्ना बिनैका का प्रार्थना पत्र दिनांक 11-4-87 पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसे जांच हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ को भेजा गया।

जांच से थाना मऊ की पुलिस द्वारा अपराधिक तत्वों को संरक्षण देने एवं इसके कारण कत्ल जैसी घटनाओं के घटित होने की पुष्टि नहीं हुई। घटनाएं आपसी पार्टी बन्दी एवं रंजिश के कारण घटित हुई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कारवाई की गई है।

थाना अरनियां, बुलन्दशहर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

75–श्री कल्यान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 3-12-86 के पत्र के साथ श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री फूल सिंह ग्राम ग्वारौली थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर का दिनांक 2-12-86 का प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी और बतायेंगी कि अब तक सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित दोनों पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। थाना अरनियां की पुलिस के विरुद्ध उल्लिखित आरोप जांच से सही नहीं पाये गये ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 187 पर ।)

श्री जगमोहन त्यागी वर्तमान थानाध्यक्ष थाना दादो अलीगढ़ के कार्यकाल में अपराधों की संख्या

76–श्री कल्यान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-दादों जिला अलीगढ़ के वर्तमान थानाध्यक्ष श्री जगमोहन त्यागी ने थाना "दादो" (अलीगढ़) में किस तिथि को कार्यभार संभाला है और उनकी तैनाती की तिथि से लेकर दिनांक 10-12-86 तक की अवधि में थाना दादों जिला-अलीगढ़ के क्षेत्र में अलग-अलग कब-कब और कहां-कहां चोरी, डकैती, हत्या राहजनी नकबजनी और पकड़ों (किडनैपिंग) की वारदातें हुई हैं तथा इन मामलों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सच है कि जब से उक्त थानाध्यक्ष ने थाना दादों अलीग्ढ़ में अपना कार्यभार संभाला है, तब से तुलनात्मक दृष्टि से उपर्युक्त वारदातों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगमोहन त्यागी, उपनिरीक्षक ने दिनांक 2-8-86 को थाना दादों, जिला अलीगढ़ का कार्यभार ग्रहण किया । उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 10-12-86 तक की अवधि में उक्त थाना क्षेत्र में घटित चोरी, डकैती, हत्या, राहजनी, नकबजनी और अपहरण (किडनैपिंग) की घटनाओं व उन घटनाओं के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

दादो थानाध्यक्ष के रूप में श्री जगमोहन त्यागी के कार्यकाल में तुलनात्मक दृष्टि से कुछ वारदातों में वृद्धि हुई है । श्री त्यागी थाना दादो से अन्यत्र स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 189 पर ।)

77–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय पिथौरागढ़ में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

78–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय कब खोला गया था ? इस कार्यालय हेतु किस-किस वर्ग के क्रमशः कितने-कितने अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी थी ? दिनांक 1 अगस्त, 1980 तक इस कार्यालय में किस-किस वर्ग के क्रमशः कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे ? इस कार्यालय में पूरी क्षमता की संख्या सहित कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय दिनांक 1-11-83 से खोलने का निर्णय लिया गया था ।

इस कार्यालय हेतु टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक सहित एक प्रधान लिपिक, एक कार्यालय सहायक प्रथम, चार कार्यालय सहायक, द्वितीय एवं तीन चपरासी स्थानान्तरित किये गये थे, परन्तु कार्यालय हेतु भवन न मिल सकने के कारण तथा पिथौरागढ़ को क्षेत्रीय मुख्यालय बनाने में निहित व्यय एवं निगम की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में निगम बोर्ड ने अपनी 88 वीं बैठक दिनांक 21/22 जून, 1984 में क्षेत्रीय मुख्यालय को टनकपुर में ही रखने का निर्णय लिया । अतः पिथौरागढ़ में कर्मचारियों/अधिकारियों के तैनाती के आदेश निरस्त कर दिये गये ।

दिनांक 1 अगस्त, 1980 को क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय पिथौरागढ़ में खोला ही नहीं गया था । अतः इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विकलांगों को परिवहन निगम की बस द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा

79–श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि विकलांगों को परिवहन निगम की बस द्वारा 600 कि0मी0 निःशुल्क यात्रा डोनाग्निशन टिकट की सुविधा सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 के पत्रांक संख्या 8257 (1)-छब्बीस-2-83-328(14) 82 दिनांक 26 अक्टूबर, 1983 द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा उन्हें उपलब्ध हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको यह सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को यात्रा-सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या–6257 (1)/छब्बीस-2-83-328 (14)/82, दिनांक 26 अक्टूबर, 1983 द्वारा एक नियमावली बनाकर परिवहन निगम को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इसे लागू किया जाय । इस नियमावली का कार्यान्वयन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि नियमावली के कतिपय नियमों

से परिवहन निगम सहमत नहीं है । अतः संशोधित नियमावली बनाये जाने के संबंध में मामला हरिजन समाज कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम के मध्य विचाराधीन है ।

पन्तनगर विश्वविद्यालय परिसर से महात्मा गांधी की महामूल्य गायब प्रतिमा

80—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के पन्तनगर वि0 वि0 परिसर में गांधी हाल के सामने लगी महात्मा गांधी की कांस्य की सुन्दर प्रतिमा जिसका मूल्य लगभग 20 हजार था इस वर्ष के अप्रैल माह में गायब कर दी गई ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नही उठता है।

लखनऊ-दिल्ली मेल ट्रेन में हरदोई जनपद के वघौली क्षेत्र में पड़ी डकैती

81—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-10-81 को 29 अप लखनऊ-दिल्ली मेल ट्रेन में हरदोई जनपद के निकट वघौली क्षेत्र में डकैती पड़ी थी एवं डकैतों के साथ मुठभेड़ में सब इन्सपेक्टर श्री बहोरी लाल घायल हुए थे और उप महानिरीक्षक पुलिस रेन्ज लखनऊ ने उनकी सहायता के लिए रु0 2500/- एवं वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक दिलाने की सिफारिश की थी, किन्तु अभी तक सहायता राशि एवं पदक प्रदान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त सहायता राशि एवं पुरस्कार तुरन्त दिलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से घायल सब इन्सपेक्टर श्री बहोरी लाल को 2500/- रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ था । परीक्षणोपरान्त उक्त घायल सब इन्सपेक्टर को 1000/- की आर्थिक सहायता दिनांक 26-4-86 के आदेश द्वारा प्रदान की गई एवं इसकी सूचना प्रश्नकर्ता महोदय को दिनांक 4-6-86 के पत्र द्वारा दी गई ।

जहां तक पदक प्रदान किए जाने का प्रश्न है उक्त घटना को घटित हुए काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण उक्त सब इन्सपेक्टर को पुलिस पदक प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया । इसकी भी सूचना प्रश्नकर्ता महोदय को दिनांक 22-7-86 के पत्र द्वारा दी जा चुकी है ।

श्री रघुवीर शरण तिवारी, कार्यकर्ता भा0 ज0 पा0 निवासी गांधी नगर नई बस्ती द्वारा पुलिस एवं प्रभारी कोतवाली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

82—श्री आसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1985 में रघुवीर शरण तिवारी, कार्यकर्ता भा0 ज0 पा0 निवासी गांधी नगर नई बस्ती, ललितपुर द्वारा पुलिस एवं प्रभारी कोतवाली ललितपुर के विरुद्ध दिया गया 13 आरोपों से युक्त

प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्य-वाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से श्री रघुवीर शरण तिवारी के प्रार्थना-पत्र में लगाये गए 13 आरोपों में से केवल एक आरोप, जो मुहम्मद ईसा की पुलिस अभिरक्षण में मृत्यु से संबंधित था, सत्य पाया गया । इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई । यह जांच पूर्ण हो चुकी है । शासन स्तर पर इसका परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह थाना दादों जिला अलीगढ़ का शिकायती-पत्र

83—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम-बहोना कोटरा थाना दादों जिला अलीगढ़ का दिनांक 4-11-86 का कोई प्रार्थना-पत्र सर्वश्री नन्दकिशोर सुरेश, अमरीश, मटौली, रामजी लाल आदि निवासीगण ग्राम-बहोना कोटरा थाना-दादों जिला अलीगढ़ तथा सर्वश्री भगवती प्रसाद मनोहर लाल आदि निवासी-गण ग्राम-ममसोई, थाना दादों जिला अलीगढ़ और सुरेश निवासी ग्राम-दीनापुर, थाना दादों जिला अलीगढ़ के विरुद्ध प्राप्त हुआ है जिसमें उपर्युक्त लोगों द्वारा दिनांक 27-10-86 को श्री राजेन्द्र सिंह शिकायत कर्ता उपर्युक्त के ऊपर जान से मारने की नीयत से बन्दूक से फायर करने के गम्भीर आरोपों का उल्लेख है ? क्या यह भी सत्य है कि थाना दादों जिला अलीगढ़ की पुलिस विपक्षीगण से मिली हुई है तथा कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? क्या इस सारे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम बहोना कोटरा, थाना दादों, जिला अलीगढ़ का दिनांक 4-11-86 का नहीं बल्कि 24-11-86 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्न में अंकित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों का उल्लेख है ।

जांच से उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

अतरौली, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत की मांग

84—श्री कल्यान सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत रामघाट से लाहगढ़ होते हुए पनेहर तक मार्ग की मरम्मत एवं पेन्टिंग करने से सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ को सम्बोधित

प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-9-86 का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की कुल लम्बाई क्या है ? उस पर कहां से कहां तक की कुल कितनी लम्बाई पर पेन्टिंग का कार्य कब पूर्ण किया जा चुका है तथा अभी भी पेन्टिंग के लिए कहां से कहां तक कितनी लम्बाई पर पेन्टिंग का कार्य शेष है ? शेष भाग पर पेन्टिंग का कार्य पूर्ण न किए जाने के क्या कारण हैं और उसे कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? उक्त मार्ग की मरम्मत कब से नहीं हुई है तथा मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 10 कि0 मी0 है । रामघाट रोड से लोहगढ़ तक 2 कि0 मी0 पेन्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 8 कि0 मी0 लम्बाई लोहगढ़ से पनैहरा तक पेन्टिंग के कार्य की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण नहीं कराया जा सका । पेन्टिंग कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

मार्ग के निर्माण के बाद से मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है । जिला योजना के अन्तर्गत आगणन तैयार किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान नं0 447 गीता भवन साकेत नगर कानपुर को मान्यता

85—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान नं0 447 गीता भवन, साकेत नगर कानपुर उ0 प्र0 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है ?

श्री सिब्ते रजी—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है ।

श्री शत्रुघन लाल गुप्त के पत्र पर कृत कार्यवाही

86—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के श्री शत्रुघन लाल गुप्ता का पत्र दिनांक 25-4-86 जो कि उनके भाई श्री भरत लाल के अपहरण करने के संबंध में है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । प्रार्थना पत्र की जांच से ज्ञात हुआ कि श्री भरत लाल गुप्ता दिनांक 12-3-86 की रात्रि करीब 9 बजे बी-23/61, खोजवां, थाना भेलूपुर, वाराणसी स्थित अपने निवास से बाहर निकले और वापस नहीं आए । उनकी गुमशुदगी के संबंध में उनके भाई श्री रामजी गुप्ता द्वारा थाना भेलूपुर, वाराणसी में लिखित सूचना पर रिपोर्ट दर्ज होकर जांच व तलाश जारी है ।

बहराइच जनपद के कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

87–श्री मयंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में हुजूरपुर विकास क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग प्रेमी दास कुटी से हरिहरपुर रैकवारी होते हुए चिलवरिया रेलवे स्टेशन तक अतिशीघ्र निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

वर्ष 1987-88 में एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्ग आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 एवं एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत न होने के कारण उस पर निर्माण कार्य कराया जाना संभव नहीं है ।

मेरठ के श्री अनूप सिंह त्यागी का अपहरण, राज्य अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

88–श्री नत्थू लाल–

क्या गृह मंत्री को पूर्व विधायक आचार्य दीपांकर का एक प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि छोटा मवाना, मेरठ के अनुप सिंह त्यागी का 30-7-86 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, हत्या की धमकी दी और 50 हजार रुपये की फिरौती लेकर छोड़ दिया ? क्या इस आवेदन पत्र में यह भी कहा गया है कि रुपये के बंटवारे पर अपराधियों में झगड़ा हो गया और उन्हीं में से एक श्री मनवीर सिंह ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ की कुड़कियां ली गयी थी, किन्तु एस0 एस0 पी0 मेरठ ने कुड़कियों का सामान वापस कर दिया तथा अपराधियों की गिरफ्तारी रोक दी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

89–श्री नत्थू लाल–

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि आई0 जी0 एवं डी0 आई0 जी0 मेरठ तथा केस के जांच अधिकारी आदेश दे चुके हैं कि अभियुक्त पेशेवर अपराधी हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाय, परन्तु एस0 एस0 पी0 मेरठ ने सब कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी केस डायरी मंगवाकर वास्तविकता की जांच करने और पीड़ित श्री अनूप सिंह त्यागी की जान व माल की रक्षा करने तथा अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह सही नहीं है कि पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई । वास्तव में पुलिस महानिदेशक स्तर

से इस संबंध में तथा एक दूसरे पक्ष के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये मुकदमों को राज्य अपराध अनुसंधान विभाग को संदर्भित किये जाने का निर्णय किया गया । तद्नुसार पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इन मुकदमों में आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट रोके जाने के आदेश दिये गये । अब मामले की विवेचना राज्य अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । गुणावगुण के आधार पर निर्णय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर लिया जायेगा ।

90–राज किशोर सिंह–

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 118 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

91–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

थाना दादों जिला अलीगढ़ की पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र

92–श्री कल्यानि सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि क्या एस0 एस0 पी0 अलीगढ़ को सम्बोधित श्री दयाराम पुत्र श्री जयदत्त निवासी ग्राम-आर्यनगर, मजरा टोडरपुर, थाना-दादों, जिला अलीगढ़ के दि0 11-8-86 और दिनांक 4-11-86 के दो शिकायती प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं जिनमें थाना-दादों जिला अलीगढ़ की पुलिस के विरुद्ध बदमाशों से सांठ-गांठ के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा थाना दादों की पुलिस द्वारा श्री दया राम उपर्युक्त से रिश्वत लेने के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो यह प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए, कब जांच की गई और जांच किसने की ? क्या जांच के समय शिकायतकर्ता श्री दया राम को भी अपने आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया ? जांच का निष्कर्ष क्या रहा ? क्या श्री दया राम ने अपनी जान माल की सुरक्षा की भी मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री दयाराम के दो शिकायती-पत्र दिनांक 11-8-86 (जिसमें गलती से दिनांक 11-9-86 अंकित कर दिया गया है) व दिनांक 4-11-86 शासन को नहीं बल्कि प्राप्त सूचना के अनुसार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को क्रमशः दिनांक 13-8-86 एवं दिनांक 5-12-86 को प्राप्त हुये जिनमें प्रश्नगत आरोपों का उल्लेख है । इन दोनों शिकायती पत्रों की जांच उप निरीक्षक श्री वी0 के0 रंचान द्वारा क्षेत्राधिकारी बरूला के पर्यवेक्षण में की गयी जो क्रमशः दिनांक 9-9-86 व 25-12-86 को समाप्त हुई । जांच के दौरान श्री दयाराम को अपने आरोपों को सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया गया । जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

श्री दयाराम ने अपनी जानमाल की सुरक्षा की मांग की है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष दादों को निर्देशित कर दिया गया है ।

93–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[3रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

94–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

95–श्री राज किशोर सिंह–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 258 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर के विरुद्ध जांच

96–श्री अफजाल अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर के विरुद्ध 1984 की बोर्ड की परीक्षा में भ्रष्टाचार के अभियोग में इनके विरुद्ध कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो किसके द्वारा ये जांच की जा रही है? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या हैं?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

शासन ने अधिसूचना संख्या–6194/15-7-12/89-84 दिनांक 19-9-85 द्वारा जांच आयोग एक्ट की धारा–3 के अन्तर्गत जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में अवकाश प्राप्त न्याय मूर्ति श्री पी0 एन0 हरकौली द्वारा जांच की जा रही है। यह आयोग परिषद् की वर्ष 1984 की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की जांच के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर द्वारा की गई अनियमितताओं,, भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। शासन ने इस आयोग का कार्यकाल 30-9-87 तक बढ़ा दिया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

97–98–श्री कल्यान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया व उनके पुत्र राजू भदौरिया के विरुद्ध संगीन अपराध से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

99–श्री औसान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया व उनके पुत्र राजू भदौरिया के विरुद्ध संगीन अपराध में लिप्त होने विषयक जिलाधिकारी इटावा को संबोधित तथा शासन को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-8-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

पत्र में बिधूना कस्बे में पिता और पुत्र का आतंक व्याप्त होने की बात कही गई है। श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया की दिनांक 17 जून, 1987 को आपसी विवाद के कारण हत्या कर दी गई है तथा उनके पुत्र अवनीश कुमार उर्फ राजू भदौरिया की अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके विरुद्ध वर्ष 1986 में गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी की प्रोन्नति

100–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से अप्रैल, 1987 तक प्रदेश में कितने उप निदेशकों को प्रोन्नतियां दी गई हैं? उनमें कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी हैं तथा उनके क्या-क्या नाम हैं? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रोन्नतियों में शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन उस कोटे की पूर्ति के लिए आदेश देने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

उक्त अवधि में 12 निदेशकों तथा समकक्ष पद के अधिकारियों को संयुक्त निदेशकों तथा समकक्ष पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियां दी गई हैं।

कोई नहीं।

उप निदेशक स्तर के अधिकारियों की पात्रता सूची में केवल अनुसूचित जाति का एक अभ्यर्थी था। वह तदर्थ प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि चयन करने का आधार श्रेष्ठता था। आगामी तदर्थ/नियमित चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों के उनके कोटे के विरुद्ध पात्रता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आफिसर्स मैस लखनऊ के एक पी0 ए0 सी0 के हवलदार की रहस्यमय ढंग से मृत्यु एवं उसकी जांच रिपोर्ट

101–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पी0 ए0 सी0 का एक हवलदार आफिसर्स मैस लखनऊ में दिनांक 21 नवम्बर, 1986 को रहस्यमय ढंग से मृत पाया गया था? यदि हां, तो विवेचना में मृत्यु के लिए किसको दोषी पाया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण क्या था?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

आफिसर्स मेस में हवलदार सोबरन लाल ने दिनांक 21-11-86 को अपनी रायफल से गोली चलाकर आत्म हत्या कर ली थी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। विवेचनाधिकारी ने हवलदार की मृत्यु का कारण सर्विस रायफल से गोली चलाकर आत्म हत्या किया जाना अंकित किया है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने रायफल से चली गोली से आयी गंभीर चोट के फलस्वरूप अधिक रक्त श्राव होने एवं आघात (शाक) लगने के कारण मृत्यु होना दर्शाया है।

102–श्री काशी सिंह ऐरी–

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री सुजान सिंह बुन्देला व श्री प्रताप नारायण द्विवेदी भू0 पू0 विधायक का अधिशासी अभियन्ता, हमीरपुर खण्ड भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विरुद्ध फर्जी पेट्रोल क्रय करने विषयक शिकायती-पत्र

103–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय विकास अनुभाग-2 को श्री सुजान सिंह बुन्देला एवं श्री प्रताप नरायण द्विवेदी भूतपूर्व विधायकों द्वारा दिनांक 5 मार्च, 83 को अधिशासी अभियन्ता, हमीरपुर खण्ड भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा लखनऊ स्थित मेसर्स शिव नारायण एण्ड सन्स लखनऊ से फर्जी पेट्रोल के संबंध में दिया गया कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई एवं दोषी अधिकारी को दण्डित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । श्री सुजान सिंह बुन्देला का शिकायती-पत्र दिनांक 22 मार्च, 83 शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें मेसर्स शिव नारायण एण्ड सन्स से फर्जी पेट्रोल क्रय किये जाने की बात कही गई थी । तत्कालीन निदेशक द्वारा इसकी जांच करायी गई । तत्कालीन निदेशक की आख्या पूर्ण नहीं थी जिसके कारण उपरोक्त शिकायतों की जांच पुनः कराये जाने का निर्णय लिया गया है । जांचोपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

104–श्री औसान सिंह—

[दिनांक 22-6-87 के अता0 प्र0 सं0 147 के द्वारा उत्तरित]

105–श्री औसान सिंह—

[दिनांक 22-6-87 के अता0 प्र0 सं0 21 द्वारा उत्तरित]

106–श्री औसान सिंह—

[पुनरावृत्त के आधार पर निरस्त]

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन प्रदर्शनी इटावा के आयोजन में ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग द्वारा विज्ञापन पर किया गया व्यय

107–श्री औसान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जो इटावा जनपद प्रदर्शनी के तत्वाधान में दिनांक 29-11-86 को आयोजित किया गया था ग्राम्य विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा कितने हजार रुपये के विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये व इनकी क्या उपयोगिता रही जबकि जिला परिषद् इटावा के अनावश्यक विज्ञापन देने पर मण्डलायुक्त व शासन द्वारा रोक आरोपित है व व्यय की सीमा निर्धारित है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस अवसर पर जिला परिषद् द्वारा संचालित पशु मेला बाजारों से व्यापारियों व जनपद की जनता को अच्छी नस्ल के पशुओं के क्रय-विक्रय करने हेतु विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया । विज्ञापन पर रु0 8,202-00 व्यय किया गया है।

विज्ञापन पर व्यय की गई धनराशि के संबंध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् इटावा से पूछा जा रहा है ।

जिला परिषद् के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

108–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला परिषद् के वर्ष 1980 से पूर्व के पेन्शनरों को जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्त संशोधित नियमावली, 1980 का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वे लाभ के पात्र हैं ? क्या मंत्री जी उक्त लाभ पेंशनरों को तुरन्त दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 दिनांक 31 जुलाई, 1980 के गजट में प्रकाशित हुई थी तथा नियमावली गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू हुई है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जिला परिषदों के सेवा निवृत्त कर्मचारी आच्छादित नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109–राक्टर दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्रीमती साधना, न्यू माडर्न रेलवे कालोनी थाना इज्जत नगर बरेली की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु की जांच रिपोर्ट

110–डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के अन्तर्गत न्यू माडर्न रेलवे कालोनी में दिनांक 16-5-86 को एक विवाहित महिला श्रीमती साधना की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गयी एवं पुलिस के जांच अधिकारी ने इसे आत्महत्या का मामला मानकर पोस्ट मार्टम हेतु भेज दिया ? किन्तु पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह एक हत्या सिद्ध हुई ? यदि हां, तो जांच अधिकारी की रिपोर्ट और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में विषमता के क्या कारण थे ? क्या यह सत्य है कि जांच अधिकारी ने किसी दबाव के कारण जानबुझकर हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप दिया था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-5-86 को रात 9-35 बजे श्रीमती साधना के पति श्री मिथलेश कुमार चतुर्वेदी, निवासी न्यू माडल कालोनी, बरेली द्वारा थाना-इज्जतनगर पर अपनी पत्नी द्वारा बीमारी के कारण घर में आत्महत्या कर लिये जाने की लिखित सूचना दी गई । उक्त सूचना को सामान्य दैनिकी में अंकित करके शव को परीक्षण हेतु भेजा गया तथा धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना से मामला आत्महत्या का पाया गया और विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तथा विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट में कोई विषमता नहीं पाई गई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डुमरियागंज जिला बस्ती में हुये गोलीकांड के मृत श्री राम वृक्ष पाण्डे के शव की अवमानना के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

111—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज गोली काण्ड में मृत श्री राम वृक्ष पाण्डे के शव की बस्ती पुलिस द्वारा की जाने वाली दुर्दशा से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-3-86 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

सम्पूर्ण प्रकरण (डुमरियागंज गोली काण्ड) की जांच मंडलायुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा की जा रही है ।

बाराबंकी जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद की वेतनावली जमा किये जाने संबंधी आदेश

112—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के 1985 के द्वितीय सत्र के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-61 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्समय निदेशों के अनुसार वेतनावली उस माह के 10 तारीख तक कार्यालय में जमा करनी थी ? यदि हां, तो क्या माह अक्टूबर, 1979 की वेतनावली को वेतन वितरित करने के उपरान्त एक सप्ताह में उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा करने के निदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नहीं दिए थे तथा क्या वेतनावली जमा करने की तिथि 12-11-79 के पूर्व ही संबंधित अध्यापिका का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हो चुका था ? यदि हां, तो वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

सामान्य निर्देशों के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई पृथक से आदेश निर्गत नहीं किए गए थे ।

जी हां ।

संबंधित प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत होने की सूचना समय से प्राप्त न होने के कारण बाराबंकी जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद की अध्यापिका श्रीमती कमला देवी के चिकित्सा अवकाश एवं वेतन का भुगतान

113—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के 1985 के द्वितीय सत्र के छठे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-91 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित अध्यापिका ने किस तिथि को अनुरोध किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कराना संभव नहीं है तथा प्रतिहस्ताक्षरित कराना संभव न होने का क्या कारण संबंधित अध्यापिका ने दर्शाया था ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र यदि प्रतिहस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं था तो प्रतिहस्ताक्षरित कराने के आदेश क्यों दिए गये थे ?

श्री सिब्ते रजी–

इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

प्रमाण-पत्र में ओवर राइटिंग होने के कारण प्रतिहस्ताक्षरित करने के आदेश दिए गए थे ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु अनुदान की मांग

114–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम को अभी तक कितना अनुदान दिया गया है और गत वर्ष स्वीकृत अनुदान न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत पाठयक्रम हेतु इलाहाबाद विश्वविदयालय को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गीता बसु निवासी टैगोर टाउन, इलाहाबाद के घर में हुई लूट पाट की जांच की मांग

115–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के कर्नलगंज थानान्तर्गत मकान नं0 69 टैगोर टाउन के अवैध कब्जे और लूट पाट के संबंध में 28-5-86 को श्रीमती गीता बसु द्वारा पुलिस अधीक्षक (नगर) को आवेदन दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए।

116–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

117–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

118–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित]

119–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[पुनर्विचार पर निरस्त]

120–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[4थे मंगलवार में अता0प्र0सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टांडा में विकास कार्यों को कराये जाने की मांग

121–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या यह सत्य है कि हर वर्ष हरिजन आवास का पैसा वापस कर दिया जाता है, स्वीकृत कच्चे व पक्के मार्गों का निर्माण नही किया गया है, खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति छः माह से नहीं की गयी है, प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा विकास कार्यों में अनाव-

श्यक बाधा डालने से बार-बार खण्ड विकास अधिकारियों के तबादले किये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड के विकास की समीक्षा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई कार्यालय, आगरा के मेरठ स्थानान्तरण का औचित्य

122–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई आगरा का कार्यालय दिनांक 17 मई, 1986 को मेरठ से स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो इस कार्यालय स्थानान्तरण का औचित्य क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि अधीक्षण अभियन्ता आगरा का कार्यालय लघु सिंचाई विभाग के वृत्तों के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रशासनिक आधार पर दिनांक 20 मई, 1986 को मेरठ स्थानान्तरित किया गया।

श्री अब्दुल जब्बार ग्राम प्रधान खजुरी वि0ख0 क्षेत्र नगर, मिर्जापुर द्वारा लगवाये गये ट्यूबवेल

123–श्री मूलचन्द–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खजुरी वि0 क्षेत्र नगर जनपद मिर्जापुर के भू0 पू0 ग्राम प्रधान श्री अब्दुल जब्बार ने अपने कार्य काल में एक ट्यूबवेल ग्राम सभा के नाम 1969 में लोन द्वारा लगवाया था जिसका उपभोग वे अपने निजी स्वार्थ में कर रहे हैं और वर्तमान ग्राम प्रधान श्री शिव सरन को रजिस्टर एवं सम्बन्धित नलकूप का चार्ज नहीं दिया है जिसकी जिलाधिकारी ने पत्र संख्या 2189/2-लेखा/12/एन0 ई0 एस0/ग0 स0 लो0 85-86 दिनांक 3-7-85 द्वारा अब्दुल जब्बार से वसूली का निर्देश दिया है? यदि हां, तो उसका पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्या उपरोक्त जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक भूतपूर्व प्रधान अब्दुल जब्बार से 10,000 मूलधन की ब्याज सहित वसूली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

इस नलकूप के विरुद्ध विद्युत विभाग का बकाया होने पर तथा विद्युत विभाग के मांग पर उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही में नलकूप की नीलामी दिनांक 13-12-76 को कर दिया गया । 13-12-76 के बाद नलकूप ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं रह गयी । इस प्रकार श्री अब्दुल जब्बार द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान श्री शिव शरन को नलकूप का चार्ज एवं संबंधित रजिस्टर के चार्ज देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

वसूली स्थगित करके पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है जिसके पूर्ण होने पर यथा स्थिति नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

124–श्री मूलचन्द्र–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

ग्राम विकास में पिछले तीन वर्षों में सेवा निवृत्त लोगों की पुनर्नियुक्ति तथा सेवा काल में वृद्धि

125–श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों (1984, 1985 तथा 1986) में ग्राम्य विकास विभाग में कितने सेवा निवृत्त लोगों को पुनर्नियुक्त किया गया अथवा उनका सेवाकाल पुनः बढ़ाया गया? क्या उनका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम्य विकास विभाग में पिछले तीन वर्षों में सेवा निवृत्त लोगों को पुनर्नियुक्त करने, सेवाकाल बढ़ाये जाने की सूचना सभी जनपदों से एकत्र की जा रही है। शासन स्तर पर उपलब्ध एवं 26 जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित विवरण संलग्न है। शेष जनपदों से सूचना प्राप्त होने पर यथा समय विवरण सीधे माननीय विधायक जी को भेज दिये जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ192)

126–श्री सुखपाल पाण्डे–

[2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अशोक कनौजिया 'निवासी सुभाषनगर' फैजाबाद पर दर्ज अभियोग

127—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कनौजिया पुत्र विशुन लाल निवासी सुभाषनगर फैजाबाद अब तक कितने तथा किन-किन अभियोगों के मुलजिम हैं और किन-किन तथा कितने अभियोगों में सजा मिल चुकी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री अशोक कनौजिया अब तक निम्नलिखित तीन अभियोगों के अभियुक्त हैं:–

1–मु0 अ0 सं0–455/86 धारा 382 भा0 द0 वि0, जिसमें विवेचनोपरान्त अन्तिम आख्या प्रेषित की गई ।

2—मु0अ0सं0—1402/86 धारा 332 भा0 द0 वि0–7 क्रि0 ला0 अमेन्डमेन्ट एक्ट, जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

3–मु0 अ0 सं0–1385/86 धारा 294 भा0 दं0 वि0, जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

श्री अशोक कनौजिया को अभी तक सजा नहीं मिली है ।

128—श्री नत्थू लाल विकल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा में ग्राम रुनकता के महर्षि परशुराम के मंदिर में चोरी

129—श्री विजय सिंह राणा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम रुनकता के महर्षि परशुराम के मंदिर से महर्षि च्यवन की मूर्ति की चोरी 9/10 मार्च, 1995 की रात्रि को हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना अछनेरा की पुलिस चौकी रुनकता पर की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? क्या मूर्तियां बरामद हुई और इस सम्बन्ध में कोई अपराधी पकड़ा गया था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। श्री सीताराम भारद्वाज पुजारी की लिखित सूचना पर इस चोरी की घटना के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध सं0 61/85, धारा 379 भा0दं0वि0, थाना अछनेरा पर पंजीकृत हुआ था ।

इस मामले की विवेचना से कयूम पुत्र सकूर, निवासी रुनकता, थाना अछनेरा, जनपद आगरा व नूर पुत्र बुद्धा, निवासी मोहल्ला मनोहरपुरा, थाना कोतवाली, जनपद मथुरा तथा 3 अन्य नाम पता अज्ञात अभियुक्त प्रकाश में आए । अभियुक्त नूर पुत्र बुद्धा को न्यायालय में आत्म समर्पण करने पर तथा अभियुक्त कयूम पुत्र सकूर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । विवेचनोपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । शेष तीन अज्ञात अभियुक्तों का कोई पता नहीं चला ।

विवेचना के दौरान दोनों मूर्तियां बरामद हो गईं जिन्हें मन्दिर के पुजारी श्री सीताराम भारद्वाज को सौंप दिया गया ।

130—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बस्ती जनपद को जोड़ने वाले समचा-मुसहरा मार्ग की लम्बाई तथा इस पर कराये गये कार्य

131—श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक आबादी के ग्राम मुसहरा, विकास खण्ड सांथा, जनपद बस्ती को जोड़ने हेतु समदा मुसहरा मार्ग कुल कितने कि0 मी0 प्रस्तावित हुआ है तथा वर्ष 84-85 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा एवं वर्ष 85-86 में अस्थायी खण्ड प्रथम सा0 नि0 वि0 द्वारा किस-किस कि0 मी0 पर कितना-कितना धन मिट्टी के कार्य पर खर्च किया गया? क्या यह सही है कि वर्ष 1977 से 80 के बीच खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वि0 खं0 सांथा द्वारा भी इस सड़क के कुछ भाग पर मिट्टी का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो कितना?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मार्ग की कुल लम्बाई 15 कि0 मी0 प्रस्तावित है।

वर्ष 84-85 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा 0.00 से 1.54 कि0मी0 पर 21,968 रु0, 4.70 से 5.40 कि0मी0 पर 4,984 रु0, 7.00 से 12.00 कि0मी0 तक 77,600 रु0 व्यय किया गया है एवं वर्ष 85-86 में

अस्थाई खण्ड प्रथम सा0 नि0 वि0 द्वारा कि0मी0 1, 2, 3, 4, 5, 10 तथा 11 में क्रमशः 22,026 रु0, 23,472 रु0, 15,847 रु0 28,949 रु0, 26,235 रु0, 20,637 रु0 व रु0 18,967.50 मिट्टी के कार्य पर व्यय किये गये ।

जी हां । समदा मुसहरा मार्ग पर 4.52 कि0मी0 कार्य विकास खण्ड सांथा द्वारा खाद्यान्न योजनान्तर्गत कराया गया । 32,405.95 घन मी0 मिट्टी का कार्य करवाया गया और इसमें 54,442.00 रु0 व्यय हुए ।

विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत बैल अथवा भैंस क्रय हेतु उपलब्ध कराया गया ऋण

132—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को भैंस अथवा बैल शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक ऋण पर उपलब्ध कराये गये तथा इन जानवरों की खरीददारी किन-किन पशु हाटों/बाजारों से किया गया? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची नाम, पता तथा हाट/बाजार सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

इन जानवरों की खरीददारी सेहरी तथा नरायनपुर पशु हाटों/बाजारों से की गयी है।

जी हां ।

सूची विस्तृत है, अतः सम्पूर्ण विवरण मेरे कक्ष में देखे जा सकते हैं।

श्री अब्दुल मन्नान, प्रधान ग्राम सभा पुरैना, परगना मगहर, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र

133—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा पुरैना तप्पा उजियार, परगना मगहर पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के प्रधान श्री अब्दुल मन्नान के विरुद्ध श्री शई अहमद ग्राम पुरैना ने एक शिकायत पत्र दिनांक 19-12-83 को धारा 95—जी पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत देकर प्रधान के विरुद्ध परगना अधिकारी, खलीलाबाद से कार्यवाही करने की मांग की थी? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 2-12-83 को प्राप्त हुआ । प्रधान को परगनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र दिया गया । अग्रिम कार्यवाही जिले स्तर पर विचाराधीन है ।

134—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

135–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

ब्लाक बेरिया, बलिया के अन्तर्गत नव निर्मित प्रा0 स्कूल मिर्जापुर के भवन की छत ध्वस्त होने विषयक शिकायती पत्र

136–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के ब्लाक बेरिया के अन्तर्गत प्रा0 स्कूल मिर्जापुर के भवन की मरम्मत हेतु केन्द्रीय शासन से प्राप्त धन से 1986-87 में होनी थी जिसकी नयी छत का लीफ हटाते ही गिरकर ध्वस्त हो गयी ? क्या उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक माह पूर्व ही सम्बन्धित अधिकारियों से घटिया निर्माण कार्य की लिखित शिकायत की थी और छत ध्वस्त होने की सम्भावना व्यक्त की थी? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

(विकास खण्ड अधिकारी के माध्यम से कराई गयी थी)

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित ग्राम सेवक को विकास खण्ड अधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

सतीश चन्द्र कालेज, बलिया की आडिट रिपोर्ट

137–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतीश चन्द्र कालेज, बलिया में उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) के शासनादेश आडिट यू0 ओ0 41/दस-3 (34) 72 दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के द्वारा स्पेशल आडिट हुआ था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या रही और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि के लेखों का विशेष सम्प्रेक्षण जुलाई, 1976 एवं जनवरी, 1977 के मध्य कराया गया था।

सम्प्रेक्षण आख्या में कतिपय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनके आधार पर शासन द्वारा प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57–58 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

श्री कृपाल दत्त पन्त, प्रधानाचार्य, जू0 हा0 स्कूल सैलानी गौंठ, जनपद नैनीताल का अचानक गायब होना

138–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री कृपाल दत्त पन्त दिनांक 21-2-76 को जनपद नैनीताल के टनकपुर क्षेत्र में जूनियर हाईस्कूल सैलानी गौंठ में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहते हुए अचानक गायब हो गये थे ? यदि हां, तो इनकी खोज

हेतु सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ? शासकीय नियमानुसार सात वर्षों तक कोई सूचना प्राप्त न होने के बाद मृत घोषित किये जाने का प्राविधान होते हुए भी श्री कृपाल दत्त पन्त के परिवार को दिनांक 1 जुलाई, 1986 तक क्रमशः क्या-क्या देय दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां परन्तु दिनांक 21-2-77 को ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा स्थानीय एवं जनपदीय पुलिस अधिकारियों को लिखित सूचना दी गई। पुलिस से अन्तिम रूप से यह सूचना प्राप्त हुई कि तलाश करने पर उनका कोई पता नहीं चला ।

कोई नहीं।

श्री पन्त के जायज वारिस द्वारा सक्षम अधिकारी से तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण ।

कानपुर–लखनऊ मार्ग पर चल रही डीलक्स बसों की संख्या तथा उनका किराया

139–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से लखनऊ के मार्ग पर कौन-कौन डिपो डीलक्स बसें चला रहे हैं तथा कानपुर से लखनऊ डीलक्स बस का कितना-कितना किराया डिपो प्राप्त कर रहा है? क्या प्रत्येक डिपो के कानपुर लखनऊ के किराया में अन्तर है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा एक ही दूरी के लिए अलग-अलग किराया वसूल किये जाने का क्या आधार है? क्या शासन यह भी अवगत कराने का कष्ट करेगा कि डीलक्स बस पर 3 रुपया प्रति यात्री मेन्टीनेन्स चार्ज लिया जा रहा है और वह मेन्टीनेन्स एकाउन्ट में अलग से न जमा कर आमदनी के खाता में जमा कराया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर संजय सिंह–

वर्तमान में कानपुर–लखनऊ मार्ग पर निगम के चारबाग डिपो, जूही डिपो, महोबा डिपो, गाजीपुर डिपो, झांसी एवं बलिया डिपो द्वारा डीलक्स बसें चलाई जा रही हैं। दिनांक 20-4-87 से कानपुर से लखनऊ डीलक्स बस सेवाओं का किराया अपर क्लास दरों पर प्रति व्यक्ति 14 रुपया चार्ज किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में डीलक्स बसों में यात्रियों से मेन्टीनेन्स चार्ज नहीं लिया जाता है । अतः इस धनराशि को आमदनी के खाते में जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसों में विधायक, सांसद तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बैठने हेतु आरक्षित सीट

140–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सड़क परिवहन निगम ने विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बैठने हेतु आरक्षित सीट सिद्धान्त रूप में कौन सी निश्चित की है? क्या यह भी स्पष्ट करेंगे कि डीलक्स बस में विधायक सीट के न लिखे होने का कारण क्या है ? यदि सिद्धान्त रूप में बस में कोई स्थान निश्चित न किया गया हो तो क्या शासन सिद्धान्त रूप में स्थान निश्चित करके घोषणा करेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

परिवहन निगम की बसों में विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बैठने हेतु सिद्धान्त रूप से चालक के पीछे, दरवाजे के पास एवं पहिये के ऊपर की सीट को छोड़कर आरामदायक सीट आरक्षित रखा जाना पूर्व से ही निश्चित है।

निगम की सभी प्रकार की बसों में विधायक/संसद सदस्य/स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों हेतु आरक्षित सीट अंकित किये जाने के निर्देश परिपत्र संख्या–3406 रो/282रो/81, दिनांक 27 जुलाई, 1981 द्वारा पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धकों को पुनः आरक्षित सीट अंकन सुनिश्चित करने के निर्देश परिपत्र संख्या–3789 आर डब्लू/87-282 आर डब्लू/78 दिनांक 20 जून, 1987 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

सीट आरक्षण हेतु स्थान निश्चित है।
प्रश्न नहीं उठता है।
प्रश्न नहीं उठता है।

मिर्जापुर जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के कतिपय ग्रामों के हरिजनों के उत्पीड़न की घटना

141–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के भराहना व राजपुर ग्रामों के हरिजनों के उत्पीड़न और सवर्णों द्वारा दिनांक 18-8-85 को मारपीट कर उनकी मछली व सिंघाड़ा पैदा करने वाली भूमि को हथियाने तथा पुलिस द्वारा इस संघर्ष में सवर्णों का ही साथ दिये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र के साथ दिनांक 20-8-85 को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार इन हरिजनों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्न में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में श्री मेहीलाल खटिक, ग्राम भरुहना, मिर्जापुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 28-8-85 श्री कल्याण सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था। प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 18-8-85 को कोई घटना घटित होना नहीं पाया गया । बल्कि दिनांक 13-8-85 को तालाब में

सिंघाड़ा लगाने व मछली पालने के प्रश्न पर हरिजनों एवं नोनिया लोगों में तनाव उत्पन्न हो गया था । अतः पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी। मूल विवाद कटिक लोगों व ग्राम प्रधान व नोनिया लोगों में गांव में स्थित 5 तालाबों के उपयोग को लेकर है। जहां तक हरिजनों की सुरक्षा का प्रश्न है, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की गयी।

थाना लक्सा, मिर्जापुर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

142–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत बन्द के सिलसिले में लक्सा थाना वाराणसी के पुलिस कर्मियों की दुर्व्यवहार की शिकायत सम्बन्धी भाजपा युवा मोर्चा वाराणसी के मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र यादव का पत्र दिनांक 1 मई, 1986 उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार पाए गए।

हमीरपुर के कतिपय ग्राम सभाओं को झांसी जिले से जोड़ने हेतु मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा

143–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जनवरी, 1987 की राठ एवं सरीला (हमीरपुर) की सभाओं में मझगवां, जहां पुलिस थाना भी है, को झांसी जिले से सीधा जोड़े जाने की घोषणा की है? यदि हां, तो क्या इसे इस प्रकार जोड़ेंगे कि पुलिस थाना गरौठा एवं ककरवई (झांसी) का मझगवां थाना से सीधा सम्पर्क हो सके ? यदि हां, तो कहां से जोड़ेंगे और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राइफल उपलब्ध कराने विषयक मुख्य मंत्री का पत्र

144–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-1-86 के सन्दर्भ में उन्होंने अपने पत्र संख्या एम0/व-2-21/जी-एम-2/86 दिनांक 2-1-86 के द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ को यह निर्देशित किया था कि प्रश्नकर्ता के लाइसेंस पर उचित मूल्य पर 315 बोर राईफल उपलब्ध करा दी जाय ? यदि हां, तो किन कारणों व किन परिस्थितियों में अभी तक प्रश्नकर्ता को राईफल रेट से क्रय नहीं कराई जा सकी और कब तक करा दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा उचित मूल्य पर राइफल उपलब्ध कराने की अभ्युक्ति के साथ जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को भेजा गया था ।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन द्वारा किसी को राइफल अथवा अन्य कोई आग्नेयास्त्र उपलब्ध नहीं कराया जाता ।

मान्यता प्राप्त मदरसा इसलाहिमया महेशपुर, जनपद गाजीपुर में छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन

145–श्री अफजाल अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम महेशपुर में मदरसा इसलाहिमया महेशपुर में कुल कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इसमें कुल कितने अध्यापक व कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह मान्यता प्राप्त मदरसा है ? यदि हां, तो क्या यहां के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को सरकार की तरफ से पूरी तनखाह दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कर्मचारियों की पूरी तनखाह सरकार की तरफ से देने की घोषणा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचनानुसार मदरसे में 665 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा कार्यरत अध्यापकों की संख्या 19 एवं कर्मचारियों की संख्या 5 है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

गाजीपुर के मुहम्मद थाना क्षेत्र में डकैती चोरी की घटना तथा उसकी सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

146–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मद थाना क्षेत्र में मार्च, 1985 से नवम्बर, 1986 तक हत्या, डकैती, जबरिया लूट चोरी आदि गम्भीर अपराधों के कुल कितने केस दर्ज किए गए हैं ? इनमें से कितने केसों में पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है ? क्या जिन गम्भीर केसों में पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल सिद्ध हुई है उन केसों को सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द करने की मंत्री महोदय घोषणा करेंगे ? क्या मुहम्मदाबाद में मादक द्रव्यों की तस्करी व कच्ची शराब बनाने के अवैध अड्डों की रोकथाम के लिए मंत्री जी विशेष निर्देश स्थानीय पुलिस को देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

147-149–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

150–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बी0 एन0 के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही

151—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 एन0 के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य श्री राम कुमार त्रिपाठी द्वारा दिनांक 23-12-86 पत्रांक 609/86-87 के अनुसार थाना कोतवाली में कोई रिपोर्ट संबंधित विद्यालय के बी0 ए0 प्रथम वर्ष सन् 1986-87 की कक्षा में किसी छात्र द्वारा फर्जी बयान हल्फी देकर प्रवेश लेने से संबंधित लिखायी गयी थी ? यदि हां, तो किस छात्र के विरुद्ध तथा क्या रिपोर्ट लिखाई थी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

दिनांक 23-12-86 को बी0 एन0 के0 बी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर के प्रधानाचार्य श्री राम कुमार त्रिपाठी के पत्रांक 609/86-87 दिनांक 23-12-86 के अनुसार थाना कोतवाली, अकबरपुर में बी0ए0 प्रथम वर्ष, 1986-87 की कक्षा में श्री फरहत अब्बास रिजवी पुत्र श्री अकबर हुसैन बाबर निवासी मीरानपुर, थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध फर्जी बयान हलफी देकर प्रवेश लेने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र भेजा गया था, जिसके आधार पर शासकीय अधिवक्ता से वैधानिक अभिमत प्राप्त करके दि0 22-4-87 को धारा 199 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना अंकित की गयी। जिसकी विवेचना करने के लिये विद्वान सक्षम न्यायालय से अनुमति मांगी गयी, जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 7-5-87 में धारा 195 द0 प्र0 सं0 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विवेचना की अनुमति नहीं दी । अतः न्यायिक निर्णय के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

विकास खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद में ऊंची नीची भूमि सुधार तथा गाटा बन्दी व मेड़ बन्दी की योजना

152—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद में वर्ष 1984-85 व 1985-86 में संबंधित विकास खण्ड के किन्हीं ग्रामों की भूमि को ऊंची नीची सुधार कर गाटा बन्दी व मेड़ बन्दी की योजना शासन द्वारा स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कितने धन की तथा उक्त योजना से किन-किन ग्रामों में कार्य किया गया एवं कितनी कितनी लागत का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

शासन द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं दी गई थी, बल्कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद ने लघु सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता योजनान्तर्गत भूमि विकास सेक्टर की धनराशि से शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना की भूमि संरक्षण इकाई बसखारी, फैजाबाद के माध्यम से विकास खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम अमरौला में भूमि सुधार, मेड़बन्दी एवं समतलीकरण कार्यों के लिए रु0 3,13,820 की योजना दो चरणों में वर्ष 1985-86 में स्वीकृत की गई थी । इस योजना पर वर्ष 1985-86 में परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास

अभिकरण द्वारा प्रथम चरण में कार्य के लिए रु0 1,49,510 की स्वीकृति दिनांक 12-2-1986 को दी गई । इस आवंटित राशि एवं इस पर अर्जित रु0 1,775 के ब्याज कुल रु0 1,51,285 का ग्राम अमरौला में मेड़बन्दी एवं समतलीकरण का कार्य वर्ष 1986-87 में किया गया ।

द्वितीय चरण के लिए दिनांक 12-3-1987 को रु0 1,64,310 की धन-राशि आवंटित की गई, जिसके संबंध में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । शेष स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष पूरा कर दिया जायेगा ।

ग्राम विकास विभाग में जूनियर इंजीनियरों का चयन

153–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1985 ई0 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों के चयन हेतु कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था तथा कितनों का चयन किया गया था ? उक्त चयन में कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी थे और कितनों को चयनित किया गया? क्या यह सही है कि वर्ष 1985 के बाद अब तक उक्त विभाग में कुछ जूनियर इंजीनियर, लिपिक तथा अन्य पदों के लिए तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो कब कब किन-किन पदों पर तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मोहनापुर, जनपद गोरखपुर में अर्ध निर्मित प्रा0 पाठशाला

154–श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के ज0 हकीम नं0 2 ग्राम मोहनापुर में प्रा0 पाठशाला अर्द्ध निर्मित हालत में पड़ा हुआ है और छत पर मिट्टी प्लास्टर एवं फर्श नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रा0 पाठशाला की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

जनपदीय शिक्षा समिति की संस्तुति एवं धन की उपलब्धता पर ।

बरेली के बड़ा बाजार स्थित शिव इन्टर प्राइजेज नामक दुकान में लूट की घटना

155–डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15-12-86 को सायंकाल बरेली के बड़ा बाजार में स्थित दुकान शिव इण्टर प्राइजेज में डकैती पड़ी थी और लगभग एक लाख रुपया लूट लिया गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डकैती में किन लोगों का हाथ होना पाया गया ? क्या वे पकड़े गये ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय पुलिस ने लूटी गयी धनराशि डकैतों से बरामद कर उक्त फर्म के मालिक को वापिस कर दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-12-86 को नहीं बल्कि दिनांक 15-12-85 को बरेली के बड़ा बाजार स्थित शिव इन्टर प्राइजेज नामक दुकान से रुपया 1,09,913 की लूट की घटना हुई थी । इस सम्बन्ध में थाना-कोतवाली पर अभियोग संख्या-1298/85, धारा 392/398/342 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के मध्य अभियुक्तगण गिरीश पाठक, जाकिर अली, व मुन्ना प्रकाश में आये । उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया व उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । अग्रेतर विवेचना से अभियुक्तगण हाशिम व ओमपाल सिंह के कब्जे से 60 हजार रुपये बरामद हुए तथा दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 411 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। मामला विचाराधीन न्यायालय है ।

बरामद की गई धनराशि अभी फर्म के मालिक को वापस नहीं की जा सकी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो न्यायालय में अभियोग के मध्य प्रस्तुत की जायेगी ।

बरेली स्थित पुराना शहर में इण्टरमीडिएट कालेज की मांग

156–डाक्टर दिनेश जौहरी –

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित पुराना शहर क्षेत्र में छात्राओं के लिए हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज न होने के कारण उन्हें इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सी छात्रायें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है ? क्या शिक्षा मंत्री छात्राओं की असुविधा को देखते हुए इसी क्षेत्र में स्थित बालजती प्राइमरी स्कूल के उच्चीकरण अथवा इसी के प्रांगण में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्जे रजी–

बरेली के पुराना शहर क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त बालिका हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है । अभी कोई इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है किन्तु बरेली शहर में कई बालिका इण्टर कालेज हैं । बालजती प्राइमरी स्कूल नगर महापालिका द्वारा संचालित है, जिसे उच्चीकरण करने अथवा हाईस्कूल/इण्टर कालेज खोलने की न तो कोई योजना है और न उसके प्रांगण में हाईस्कूल/इण्टर स्तर के विद्यालय का संचालन ही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

157–श्री दिवाकर विक्रम सिंह –

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित संगठन मंत्री जनतापार्टी का शिकायती-पत्र

158–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि केसरी प्रसाद चौहान संगठन मंत्री, जनता पार्टी, निचलौल (गोरखपुर) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से दिनांक 18-5-86 को पत्र देकर उनके प्रति पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा ? क्या भेजी गयी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी निरीक्षक बीकापुर, फैजाबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

159–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती यशोदा देवी पत्नी राज करन पाण्डेय निवासी ग्राम असरैवा, थाना बीकापुर, जनपद फैजाबाद ने थाना कैन्ट फैजाबाद में दिनांक 17-12-85 को दरोगा श्री राजेश पान्डेय तथा 6 अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके आधार पर कोतवाली बीकापुर में धारा 395, 307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है ? क्या यह भी सही है कि उसके बाद दिनांक 20-1-86 को कोतवाली बीकापुर के कोतवाली तथा कुल अन्य पुलिस कर्मियों ने उक्त श्रीमती यशोदा देवी के लड़के सभापति पाण्डेय का अपहरण कर लिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते रहे और 25-1-86 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप पर मुक्त किया जिसकी जांच बाद में उप पुलिस अधीक्षक, बीकापुर श्री शैलेन्द्र पति त्रिपाठी ने किया है ? यदि हां, तो श्री शैलेन्द्र पति त्रिपाठी की जांच रिपोर्ट और अब तक उस संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

जी हां । दरोगा श्री राजेश पाण्डेय तथा 3 व्यक्ति नामजद और एक सिपाही नाम अज्ञात थाना कोतवाली बीकापुर के विरुद्ध दर्ज कराई थी ।

दिनांक 20-1-86 को फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग पर विसुही नदी के पुल के पास एक रोड होल्डप की घटना हुई थी, इसी घटना के संबंध में सभाजीत पाण्डे को पूंछताछ के लिए थाने पर लाया गया था और निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया था। इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी बीकापुर की जांच से प्रभारी निरीक्षक बीकापुर, श्री वीर पाल सिंह तथा अन्य संबंधित कर्मचारियों को दोषी पाया गया जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

160–161–श्री विष्णु देव –

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाये गये]

162–163–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाये गये]

बिसनगढ़ चौकी को थाना बनाने का प्रस्ताव

164–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1986 उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें बिसनगढ़ चौकी को थाना घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

जी हां ।

चौकी विशुनगढ़ को थाना बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

कलेक्टरगंज बस स्टेशन का विकेन्द्रीकरण

165–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय अधिकारी-क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर ने बस यात्रियों की सुविधा आधार बताते हुए कानपुर कलेक्टरगंज, बस स्टेशन से बसों के संचालन का विकेन्द्रीकरण कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पश्चिम की तरफ से आने वाले यात्रियों को कानपुर कलेक्टरगंज तक का पूर्व निर्धारित किराया ही देना पड़ता है जब कि नयी व्यवस्थानुसार उनको पांच किलो मीटर पूर्व ही चुन्नीगंज बस स्टेशन पर ही उतार दिया जाता है और प्रत्येक यात्री को तीन रुपया प्रति सवारी का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है, इसी प्रकार लखनऊ से इलाहाबाद आदि की तरफ से आने वाले यात्रियों को पश्चिम तरफ की यात्रा करने पर कलेक्टरगंज बस स्टेशन से तीन रुपया प्रति सवारी देकर चुन्नीगंज जाकर यात्रा प्रारम्भ करनी होती है ? यदि हां, तो क्या यात्रियों के इस व्यय तथा समय की बरबादी को शासन दूर करके यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा?

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं ।

कलेक्टरगंज बस स्टेशन का विकेन्द्रीकरण उक्त बस स्टेशन पर बसों के खड़े होने के स्थान के अभाव में किया गया है ।

जी नहीं ।

यात्रियों को पूर्व की भांति ही अब भी पूर्व निर्धारित किराया ही देना पड़ता है, क्योंकि जिन वाहनों का केन्द्र चुन्नीगंज किया गया है उनके किराये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

166–श्री शारदा नन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बे0 प्रा0 पाठशाला नेरा, जनपद मथुरा का ध्वस्त भवन

167–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि बे0 प्रा0 पाठशाला नेरा, जनपद मथुरा की इमारत ध्वस्त पड़ी है जिससे अभिभावकगण अपने बच्चों को अध्ययन हेतु स्कूल नहीं भेज रहे हैं ? यदि हां, तो शासन ध्वस्त इमारत को कब तक निर्मित करा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

छात्रों की पढ़ाई स्थानीय धर्मशाला में की जा रही है ।

ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त संबंधित प्रधानाध्यापक से अंक सहित मांग प्राप्त होने पर मरम्मत करायी जायेगी ।

प्रा0 पाठशाला एवं कन्या प्रा0 पाठशाला नगला संजा, मथुरा की जीर्ण शीर्ण इमारतें

168–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि जू0 हा0 स्कूल, प्राइमरी पाठशाला एवं कन्या प्रा0 पाठशाला, नगला संजा, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा की इमारतें जीर्ण शीर्ण होने के कारण गिरने की स्थिति में हैं ? यदि हां, तो शासन छात्र/छात्राओं की जान की सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जूनियर हाई स्कूल नगला संजा की इमारत मरम्मत योग्य है तथा प्राइमरी पाठशाला एवं कन्या प्राइमरी पाठशाला की इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ।

मरम्मत कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोलंकी थानाध्यक्ष मझगांवा, हमीरपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

169–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 11 नवम्बर, 1986 का पत्र जो श्री लायक सिंह, श्री लाखन सिंह तथा श्री महिरध्वज सिंह, निवासी मझगांवा, हमीरपुर के प्रार्थना-पत्रों सहित थानाध्यक्ष, मझगांवा श्री सोलंकी द्वारा किये जा रहे अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या थानाध्यक्ष को अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र एवं संलग्न प्रार्थना पत्रों में अंकित आरोपों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर द्वारा करायी गयी । जांच से थानाध्यक्ष, मझगांवा श्री सोलंकी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए अतः उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

किराये पर चल रहे राजकीय महाविद्यालय जलेसर, एटा का शीघ्र भवन निर्माण की मांग

170–श्री प्रेम पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महाविद्यालय, जलेसर, जनपद एटा वर्ष 1982 से किराये के भवन में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के देख-रेख हेतु 'मेट' की मांग

171—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें जिला परिषद् द्वारा बनायी गयी हैं और मिट्टी गिट्टी एवं पीच स्तर के कार्य हुए हैं क्या उक्त सड़कों की देख-रेख के लिए "मेट" रखने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली 1970 में मेट के पद की व्यवस्था दिनांक 28 जुलाई, 1984 से कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(समय 12 बज कर 20 मिनट पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में ही एक जानकारी चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में मैंने लिख करके भी आपको दिया है, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी बात को कह दूं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने तो नियम 300 में दिया है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, नियम 300 वाला तो दूसरा मामला है। इस समय मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में जो मैंने लिख कर दिया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची के नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या 6 को आप देखने की कृपा करें । इसमें मेरठ के इस्लामिया इंजीनियरिंग कालेज में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में प्रश्न उठाया गया था। वह कालेज साम्प्रदायिक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। इसमें बहुत से उच्च नेताओं का नाम भी इससे जुड़ा होना बतलाया जाता है । श्रीमती मोहिसना किदवई का नाम भी मेरी जानकारी में है। मान्यवर, उसमें आपका भी नाम है। यह प्रश्न अलग-अलग रूप में विधान सभा के लिए सात बार पूछा जा चुका है लेकिन सातों बार कोई न कोई बहाना ले करके कि 'सूचना एकत्रित की जा रही है' या 'प्रश्न का सम्बन्ध दो विभागों से है' इस तरह से इस प्रश्न को निरस्त कर दिया जा रहा है। जहां तक नियमों में तकनीकी जानकारी का सवाल है उस हिसाब से मा0 मंत्री जी को अधिकार है कि इस सत्र में वे इसका स्थगन ले लेते लेकिन अबकी सातवीं बार नियमों की बाधा के कारण हम इसका उत्तर नहीं पा सके हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप इसकी पत्रावली मंगा कर देख लें कि जानबूझ कर कहीं यह तो नहीं है कि नियमों का बहाना ले करके इस प्रश्न के उत्तर को अवायड किया जा रहा है। आप मुझे संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न दो विभागों से सम्बन्धित है। इसलिये सरकार की ओर से अनुरोध आया कि 15 दिन के बाद इसको ले लिया जाय तो इस बात को हमने स्वीकार कर लिया है। 15 दिन के बाद आपके प्रश्न का उत्तर आयेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सातवीं बार यह निरस्त हुआ है। शासन को जो पत्र मिला है मैंने तो इस प्रश्न में उसी के सम्बन्ध में जानकारी चाही थी।

इलाहाबाद जनपद में बिजली की अनियमित आपूर्ति से जनमानस में आक्रोश होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 7 सूचनायें शलाका के द्वारा स्वीकार की गयी हैं :—

(1) श्री अनुग्रह नारायण सिंह, (2) श्री किशन लाल दिलेर, (3) श्री शिव दर्शन, (4) डा0 दिनेश जौहरी, (5) श्री रघुवर दयाल वर्मा, (6) श्री मनोहर लाल तथा (7) श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचनाएं स्वीकार की गयी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद इस समय भयंकर बिजली के संकट से गुजर रहा है। उ0 प्र0 शासन द्वारा इलाहाबाद जनपद के लिये बिजली कटौती समाप्ति की घोषणा किये जाने के बावजूद प्रति दिन शहर में 6 से 14 घण्टे तक की अघोषित बिजली काटी जा रही है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस समय विश्वविद्यालय, आई ए0 एस0 तथा अन्य प्रतियोगात्मक परीक्षायें चल रही हैं या होने वाली हैं। हजारों छात्रों की परीक्षाओं की तैयारी में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही साथ जल आपूर्ति व्यवस्था भी विद्युत द्वारा संचालित होने के कारण पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी है । कम वोल्टेज होने के कारण उपभोक्ताओं के बल्ब, ट्यूब लाइट तथा विद्युत मोटर आदि जले जा रहे हैं। इस प्रकार नागरिकों के प्रति दिन लाखों रुपये की क्षति हो रही है। घटिया किस्म के ट्रान्सफारमर लगाये जाने से लोड बढ़ने पर वे फट जा रहे हैं जिससे किन्हीं-किन्हीं क्षेत्रों में सप्ताह-सप्ताह तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। अधिकारीगण निष्क्रिय हैं। जन आन्दोलन हो रहे हैं और धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता में भयंकर आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना सदन के संज्ञान में ला कर तत्काल समाधान तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की अपेक्षा करता हूं।

अलीगढ़ नगर में पेयजल की अनियमित व्यवस्था एवं वाटर टैक्स में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर–

मान्यवर, इतनी भयावह गर्मी में नगर अलीगढ़ निवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। गत दिनों अलीगढ़ की जनता ने धरना व प्रदर्शन भी किया था फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अधिकारियों का जवाब है कि बिजली समय से नहीं आती इसलिए

पानी नहीं मिल पाता। पानी के लिए तरसती जनता पर वाटर टैक्स और लगा दिया है जबकि शहर में कितनी जगह नलों की टोंटियों की व्यवस्था भी नहीं है जनता बहुत परेशान है यहां तक कि जनता आंदोलित रूप लेने को तैयार है।

आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूं कि अविलम्ब पानी की व्यवस्था कराये अन्यथा नगर अलीगढ़ की जनता वाटर टैक्स नहीं दे सकेगी। जनता को पानी की व्यवस्था हेतु सरकार को आदेश करें कि अलीगढ़ की जनता को पानी की व्यवस्था अवश्य करें।

ग्राम सुवंशखेरा, बछरावां, जिला रायबरेली में भीषण अग्निकांड से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव दर्शन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र बछरांवा जिला रायबरेली के ग्राम सुवंशखेरा (इचौली) के अग्निकाण्ड की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता हुआ निवेदन करता हूं कि विगत 25 जून को सम्पूर्ण उपरोक्त ग्राम जलकर खण्डहर हो गया। किसी के पास न सिर छिपाने को छाया, न पेट भरने को एक किलो खाद्यान्न और अतिरिक्त कपड़ा ही बचा है। अन्नों के साथ एक व्यक्ति गम्भीर रूप से जल गया है।

यद्यपि जिला प्रशासन ने तुरन्त सहायता की है किन्तु वह ऊंट के मुंह में जीरा है। शासन से मैं मांग करता हूं कि:–

1–एक माह तक भोजन वितरित किया जाय।

2–वस्त्रों का पर्याप्त प्रबंध हो।

3–रात्रि गश्त हेतु पुलिस भेजी जाए।

4–खण्डहरों का मलवा हटाने हेतु अतिरिक्त सहायता दी जाय।

5–खरीफ की फसल हेतु धान बीज उपलब्ध कराया जाय।

बरेली, मुरादाबाद, रामपुर व नैनीताल जनपदों में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, बरेली, मुरादाबाद व रामपुर व नैनीताल जनपदों में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। 13 जून को दो नवजवानों ने बरेली नगर के अयूब खां चौराहे से प्रात: काल टैक्सी नम्बर डी0 आर0 वी0 8918 मुरादाबाद आने जाने के लिए की। मुरादाबाद से टैक्सी चाकू की नोक पर सिहोरा की ओर किसी एकान्त स्थान पर ले गए व टैक्सी ड्राइवर को घायल कर नहर में फेंक दिया व टैक्सी लेकर फरार हो गए।

18 जून को बरेली व रामपुर मार्ग पर घमोरा के निकट चार नवजवानों ने टैक्सी नम्बर आर0 एम0 टी0 980 का रिवाल्वर की नोक पर अपहरण कर लिया।

दोनों टैक्सियां का अभी तक पता नहीं है। 22 जून को बाजपुर में तथा कथित खालिस्तान कमाण्डो फोर्स के एक सक्रिय सदस्य को जो खालिस्तानी साहित्य बांटने में लिप्त था, को गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं से क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है।

अत: आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने हेतु सरकार को निर्देशित करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम हमीरपुर, फिरोजाबाद, आगरा में बिजली के तार से अग्निकाण्ड की घटना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करके माननीय सदन से अनुरोध है कि दिनांक 13-5-87 को फिरोजाबाद क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर में देवी सिंह, महराज सिंह के खलिहान में बिजली के तार टूट जाने से आग लग गयी जिससे उनका सम्पूर्ण खलिहान जलकर नष्ट हो गया जिससे करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ और वह भूखों मरने की स्थिति में हैं ।

दो दिन बाद ग्राम लूडपुर में बिजली के तार आपस में टकराकर टूटे और चिन्गारी होने पर खलिहान में आग लग गयी जिससे उनका 40 हजार रुपया, कीमती खलिहान, मोटर पम्प, दो पेड़ नीम के जलकर राख हो गये । उपरोक्त व्यक्तियों की बिजली विभाग से अभी मुआवजा नहीं मिला और परिवार भूखों मरने लगे हैं ।

अस्तु, मा0 सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि बिजली के तार टूटने की घटनाओं से हुयी क्षति का मुआवजा दिलाने की कृपा करें ।

उन्नाव जनपद में काम के बदले अनाज की योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जितनी भी सूचनाएं हम लोग देते हैं उनपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं इस निवेदन के साथ सूचना पढ़ रहा हूं कि इस पर शासन कार्यवाही करे । उन्नाव जनपद में 1985-86 वित्तीय वर्ष में लगभग 14 लाख रुपये का गेहूं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत आया था और उसके द्वारा पूरे उन्नाव जनपद में मजदूरों को गेहूं देकर कार्य करवाया जाना था। मेरी जानकारी में आया है कि उपरोक्त गेहूं को काफी मात्रा में अधिकारियों को बेच दिया है और काम नहीं हुआ है। इस विषय पर मैंने ए0डी0ओ0 प्लानिंग को भी तथा जिलाधिकारी उन्नाव को भी शिकायती पत्र लिखे थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अत: मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ।

देवरिया जनपद की नहरों में पानी का अभाव होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, देवरिया जनपद गम्भीर सूखे के चपेट से प्रभावित है। वहां सड़क नहरों के होने के बाद भी नहरों में न तो समय से सफाई की गई और न पानी छोड़ा गया जिससे धान की गिराई गई बेड़न सूख गई है और जनता में हाहाकार मचा है। मैंने स्वयं प्रेमपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजवाहा, कुशीनगर माइनर, अन्हया, दिलीपनगर, पपरदेवा, विशुनपुरा माइनर सुन्दरपुर, बलिअवा, जीतपट्टी पकहां माइनर को मौके पर जाकर देखा जिसमें पानी का घोर अभाव है। नहरों में पानी न होने से क्षेत्रीय जनता में घोर असन्तोष और रोष व्याप्त है और खरीफ की फसल गम्भीर रूप से सूखे से प्रभावित हो जायेगी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को सदन की संज्ञान में लाकर देवरिया जनपद के गंडक नहरों की सप्लाई और उसमें सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग करता हूं ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनायें मिली हैं । पहली सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय रघुबर दयाल वर्मा, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा तथा माननीय मैनेजर सिंह की है जो 52 सदस्यों के निलम्बन के बारे में है । दूसरी सूचना माननीय कल्याण सिंह तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की इसी सिलसिले में है । तीसरी सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय रघुबर दयाल वर्मा तथा माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा की है जो दो शनिवार लिये गये हैं उनके सिलसिले में कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश के अन्तर्गत यह सूचना उन्होंने दी है। चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की है जो कि 20 जिलों में सभाओं पर रोक लगाई गई है, उसके सिलसिले में है । पांचवीं सूचना माननीय अनुग्रह नारायण सिंह की है जो पी0 सी0 एफ0 अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये भाषण के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने दो औचित्य की सूचनायें दी हैं जैसा कि आपने बताया है। आपकी अनुमति से मैं दोनों पर एक साथ ही अपनी बात कह दूं । पहली सूचना मेरी यह है कि शनिवारों को सदन की बैठक के लिए नहीं लिया जाना चाहिए । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर दिये गये निर्देशों का जो संकलन है, जिसे विधान सभा पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसके क्रम संख्या 65 पर पेज 111 में कहा गया है ।यह विधान सभा के वाल्यूम 164 जो पृष्ठ 692 पर है, उसमें यह है कि सदन को अपने अधिकारों को संकुचित नहीं करना चाहिए।मान्यवर, हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम 15(2) में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि शनिवार या सार्वजनिक छुट्टियों के दिन नहीं लिये जायेंगे । इसी सिलसिले में क्रम संख्या 66 की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पृष्ठ 111 पर ही आपकी पीठ से दिये गये निश्चयों के संकलन में यह दिया गया है कि सदन ही नियमों को निलंबित कर सकता है, माननीय अध्यक्ष नहीं । इसी में सीरियल 89 पर पृष्ठ 119 पर यह दिया गया है कि नियमों का निलम्बन सर्वसम्मति से ही हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि एक तो शनिवार नहीं लेना चाहिए और अगर लिया जायेगा तो जैसा कि हमारी नियमावली के नियम 15(2) में उल्लेख किया गया है, उसको निलंबित करके ही लिया जा सकता है । और जब तक नियमों का निलम्बन न किया जाय कार्यमंत्रणा समिति के इस तरह के कोई प्रस्ताव को नहीं पारित होना चाहिये। मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव के बारे

मैं इस सदन में परम्परा रही है कि उसका विरोध नहीं होता । इसीलिये उसका विरोध करने के पहले ही मैंने इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना उचित समझा । क्योंकि 26 जून को दोनों पक्षों ने निश्चय किया कि आगे आने वाले जमाने में हम नियमों का पालन करेंगे और आज ही नियमों को इस तरह से खण्डित कर दिया । चार दलों के लोग कार्यमंत्रणा समिति में नहीं है केवल नेता विरोधी दल के लोग रहे होंगे, मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या नहीं। लेकिन एक फैसले के बाद इस तरह से हम नियमों को तोड़े, उचित नहीं।

इसी क्रम में क्रम संख्या 87 और 88 पृष्ठ 260 और 261 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ठ करना चाहता हूं । उस समय नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बाबू त्रिलोकी सिंह विराजमान थे उन्होंने कहा था "जब सदन का यह नियम है कि शनिवार को बैठक नहीं होगी तो जिस समय तक नियम 11 को निलम्बित न किया जाय" उस समय मान्यवर, नियम 11 इस संबंध में था और आज वह नियम 15 (2) है। तो उन्होंने कहा था कोई भी प्रस्ताव इस नियम के अनुसार नहीं लिया जा सकता है कि शनिवार को को बैठक होगी यह प्रस्ताव नियम के अनुसार नहीं मालूम होता है।

दूसरी बात मैं मान्यवर, की सेवा में निवेदन कर दूं कि जब कभी किसी नियम को निलम्बित किया जाता है तो बिजनैस उसके सिलसिले में सदन के सामने होती है केवल एन्टीसिपेशन में कि कल क्या होगा था और किसी दिन क्या होगा कोई प्रस्ताव नियम के अनुसार नहीं होता है। इस पर अध्यक्ष ने निर्णय देते हुये कहा कि इस तरह के शब्द नियम में हैं यह उसका आक्षेप था कि फला प्रस्ताव है कहीं यह चीज नहीं है कि फलां नियम को निलम्बित कर दिया जाय और उसकी एवज में फला कार्य के लिये शनिवार को मीटिंग हो यह शब्द किसी रूप में प्रस्ताव में आना चाहिये । जहां तक टैकिनकल बात नियम में है तो मैं साफ कह सकता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो एतराज उठाया है उसमें सार है"। यह आपकी ही पीठ से दिये हुये निर्णय है। आज सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है उसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

दूसरा औचित्य का प्रश्न यह है कि आज 52 इस सदस्य के सदस्य निलम्बित है उनके निलम्बन को वापस लेने के संबंध में एक प्रश्न उठाया है उसके लिये मैं आपका ध्यान सेन्ट्रल एसेम्बली के एक निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं। उस समय प्रेजीडेंट के आसन पर माननीय विठल भाई पटेल विराजमान थे। उस समय असहयोग आन्दोलन चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि हम सत्र का बाइकाट करेंगे । तो उस समय पटेल जी ने निर्णय देते हुए कहा था कि विपक्ष के अनुपस्थित रहते हुए सदन का चलना न्यायोचित नहीं होगा और यह कहते हुए उन्होंने सदन को एडज्यार्न कर दिया था। आखिर में वाइसराय को इंटरवीन करना पड़ा था फिर दुबारा सत्र को बुलाना पड़ा था। तो हम उन्हीं परम्पराओं को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं।

आज 52 सदस्य निलम्बित है और उनका निलम्बन भी किन कारणों से हुआ उसको भी देखने की बात है। आपकी ही पीठ से व्यवस्था है कि मंत्रियों को जिस समय प्रश्नों का उत्तर देना हो, अनुपस्थित नहीं रहना चाहिये । उस समय स्वायत्त शासी संस्थाओं के सम्बन्ध में जवाब देना था जिसके लिये कैबिनेट मंत्री को

यहां पर रहना चाहिये था जो विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है और वह अनुपस्थित थे उनके स्थान पर राज्य मंत्री उत्तर दे रहे थे । जो नीतिगत प्रश्न होते है उनका जवाब कैबिनेट स्तर के मंत्री जी दे सकते है। सामूहिक दायित्व के नाम पर कोई भी उत्तर दे सकता है लेकिन नीतिगत प्रश्नों के लिये फैसला कैबिनेट में होता है राज्य मंत्री उसमें जाने के अधिकारी नहीं है। कभी-कभी यह होता है कि जिस विभाग से सम्बन्धित राज्य मंत्री होता है उसे बुला लिया जाता है, तो श्रीमती पद्मा सेठ मंत्री थीं उनको बुलाया नहीं गया, बुलाया गया हो तो वह अनुपस्थित थीं। श्री हुकुम सिंह ने जवाब दिया, जो कार्यवाही को देख लें, उन्होंने कहा कि हाई-कोर्ट के फैसले की जानकारी मुझे नहीं है। तो इस तरह क्या गैर जिम्मेदारी का परिचय सत्तारूढ़ दल देगा? और जब सारे लोगों ने माना उस समय नियमों और परम्पराओं की अवहेलना दोनों तरफ से हुई । तो उस अवस्था में सदन के 52 माननीय सदस्यों का निलम्बन और निष्कासन हो, यह संख्या इतनी है कि इससे कम पर इस सदन का कोरम गठित होता है, इसलिये इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को निष्कासित करके बजट सेशन को चलाना संसदीय मर्यादा और प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई अच्छी परम्परा आप नहीं डालेंगे ।

इसलिये आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे 52 माननीय सदस्यों के निलम्बन को वापस लेने का प्रस्ताव लायें ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। मान्यवर, हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था कायम करने और नियमावली के पालन करने की शपथ ली है, इसलिये ईमानदारी से नियमावली पालन करने का आचरण करें । इन दोनों प्रश्नों में मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, पिछले दिनों इसी सदन में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण इस सदन के 2–4 नहीं बल्कि पूरे 52 सदस्यों को पूरे सत्र के लिये निलम्बित किया गया । मैं अधिक विवेचना में नहीं जाना चाहता हूं। अगर विपक्ष के माननीय सदस्यों का आचरण कुछ ऐसा लगा ताकि उनका निलम्बन किया जाना चाहिए, तो मान्यवर, यह सच है कि सरकारी पक्ष का आचरण भी उससे बेहतर आचरण नहीं था। जनहित में ऐसे प्रमुख मुद्दे, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिन पर स्पष्ट उत्तर आना चाहिए था, जो प्रदेश की 12 करोड़ जनता से सीधे जुड़े सवाल है, उन पर टालमटोल करके उत्तर देना, कुछ ऐसी भाषा में उत्तर देना जिससे सरकार के उन उत्तरों पर सामान्य विश्वास न टिक सके । उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिये सरकार का आचरण मेरी दृष्टि में उतना ही जिम्मेदार था।

मान्यवर, अब यह दो पक्ष है। विपक्ष के 52 सदस्य सदन से बाहर है लेकिन जिनके आचरण से यह सारी परिस्थितियां पैदा हुई वह सरकार सदन के अन्दर बैठी है। अच्छा रहता जैसे 52 सदस्य सदन से बाहर किये गये थे उसी प्रकार सरकार को सदन से बाहर कर देना चाहिए था और सजा बराबर हो जाती। आपने किन्हीं विशेष परिस्थितियों में फैसला किया, अब वह परिस्थितियां नहीं है और हर समय किसी का मूड एक जैसा नहीं रहता । आज इस सदन के अन्दर 52 सदस्य नही है। एक बहुत बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्य

सदन से बाहर रहें, तो सदन प्रतिनिधित्व स्वरूप नहीं कहा जा सकता है, रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर सदन का नहीं रह गया। इसलिये कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कुछ ऐसा समाधान होना चाहिए, सम्मानजनक और सन्तोषजनक जिससे उन 52 सदस्यों का निलम्बन समाप्त हो। और इसी के साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सदन की कार्यवाही नियमों से, सुनिश्चित रूप से, शांति से चल सके। सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, और प्रदेश की जनता से जुड़े प्रश्नों को यहां उजागर करने का मौका मिल सके।

मान्यवर, आप उस आसन पर बैठे हैं जहां से हमें अपेक्षा और आशा है कि यदि आप महसूस करें कि सरकार हमारे अधिकारों का हनन करना चाहती है या जिन मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं उन मुद्दों पर सही उत्तर देने से कतरा रही है तो उस आसन पर बैठकर यह कठोर फैसला आपको लेना पड़ेगा कि सरकार को आप हिदायत दें कि गोलमटोल और टालू उत्तर देकर वह इस सदन की गरिमा न गिरायें। मैं महसूस करता हूं कि एक बार फिर से सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने के लिये और व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए तथा 52 सदस्यों के बाहर हो जाने के कारण जो प्रतिनिधि चरित्र इस सदन का नहीं रह गया है वह प्रदान करने के लिये और सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए आप स्वयं भी विचार करें, शासन भी विचार करे कि कोई हल निकाला जाये, जिससे निलम्बन समाप्त हो और उनको अपनी बात सदन में कहने का मौका मिले और साथ ही सदस्यों को भी अपने आचरण पर पुनः गहराई से और गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि उनको भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, जिससे सदन की गरिमा को कोई ठेस पहुंचे। मैं इस तरह अपने औचित्य के प्रश्न को उठा रहा हूं।

(कुछ सदस्यों के पुनः बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठें.. (व्यवधान) जिनके दस्तखत नहीं हैं, उनको बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपकी....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने जैसा कहा जिन सूचनाओं पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, उन्हीं को बोलने का आप मौका दें, तो जब सदन के संज्ञान में किसी भी माननीय सदस्य द्वारा एक सूचना लाई जा चुकी है, तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाती है, फिर उस पर बोलने का हर सदस्य को अधिकार हो जाता है, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो आपसे कहा, आपके उस पर दस्तखत नहीं थे, इसलिए आपको बोलने का अख्तियार नहीं दिया जा सकता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने 26 तारीख को अपने बयान में कहा था कि विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों से यह प्रतिज्ञा नहीं ली जा सकती है और न ऐसा कोई करार कराया जा सकता है कि वह वैल का क्रास नहीं करेंगे, किन्तु परिस्थितियां पैदा होती हैं, तभी ऐसी असामान्य स्थिति के पैदा होने पर और लोग जाते हैं। इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि दिनांक 26 तारीख को सदन का फ्लोर क्रास करने की जो स्थिति पैदा हुई, उसमें सत्ता पक्ष की ओर से नियमों की अवहेलना की गई थी, नियमों को तोड़ा गया था। हुकुम सिंह जी ने जो अपने बयान में प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में अपनी जानकारी दी। नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर राज्य मंत्री, चूंकि उन्हें मंत्रिपरिषद् की बैठक में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है, सदन की प्रक्रिया तोड़कर जो बात कहते हैं, वह नियमों को तोड़ने की बात करते हैं और सदन में जो जनता की ओर से बार-बार यह प्रेशर पड़ रहा है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए और सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार संसदीय कार्य मंत्री ने कहा चुनाव होने चाहिए और हम चुनाव कराने को बल देना चाहते हैं कि सभी छोटे और बड़े नगर नर्क बन गये हैं। तो सत्तापक्ष की ओर से चुनाव कराने की बात है और विपक्ष के लोग कराने का निवेदन करें और प्रार्थना करें तो उस समय नीतिगत प्रश्नों पर राज्यमंत्री अर्थहीन बयान दें तो मैं कहता हूं कि नियमों को तोड़ने का भ्रष्ट काम सत्ता पक्ष की ओर से हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आप तो वही बातें दोहरा रहे हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सत्तापक्ष भी उतना ही दोषी है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस दिन जिन माननीय सदस्यों का निलंबन किया गया है उसे वापस करने की सत्ता पक्ष की तरफ से पहल होनी चाहिये यह मैं जोर देकर कहना चाहता हूं।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप भी वही कहेंगे।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अगर आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं दूसरी बात कहूंगा। नियम 300(4) में आप किसी सदस्य को अनुमति दे सकते हैं। आपको अधिकार है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो घटनायें घटित हुयीं उससे सब परिचित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चले, नियमों से चले यह सबकी इच्छा होनी चाहिये और यह सबका संकल्प होना चाहिये। फ्लोर पर जाने की भर्त्सना हो रही है। मुझे खुशी है, मैं सत्ता पक्ष के या विपक्ष के कुछ भाइयों को बधाई देना चाहता हूं जिनको 25 तारीख की बात, फ्लोर में जाने की घटना,

कुछ अनहोनी लग रही है या बुरी लग रही है। 25 तारीख को फ्लोर में जाने के बाद 26 को कुछ लोग स्वयं चले गये। अब तक यह परिपाटी थी, बड़े-बड़े नेता जो जिम्मेदार आसनों पर बैठे हुये हैं, विरोध पक्ष के नेता के आसन पर थे वह लोग इशारा करते थे कि जाओ फ्लोर में चले जाओ। शासन के मंत्री हैं जिनकी सदन चलाने की जिम्मेदारी है, ऐसे भी 2–4 मंत्री हैं जो हुड़दंग करने के लिए अपने मेम्बरों को इशारा करते हैं। कहते हैं कि हुड़दंग करो, हुड़दंग करो। खुशी की बात है कि अब सबको चिन्ता हुयी है, पानी नाक से ऊपर चला गया है तब चिन्ता हुयी है।

आप श्रीमन्, जानते हैं कि मैं बराबर, मुतवातिर फ्लोर में जाने का विरोध करता रहा हूं। एक बार नहीं अनेकों बार मैंने विरोध किया है। आपसे मान्यवर, अध्यक्ष जी, मेरा बहुत पुराना संबंध है, आपकी इतनी कद्र करते हुये भी कई बार मैंने आपके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, आपको उलाहना दिया है, आपकी शिकायत किया है कि आप नियंत्रित नहीं कर रहे हैं सदन को, रोजाना क्या स्वांग हो रहा है फ्लोर में जाने का। लेकिन न आपका ध्यान गया, न सदन का ध्यान गया और न सरकार के चलाने वालों का ध्यान गया और न हमारे विरोध पक्ष के साथी जो आज चिंतित हैं उनका ध्यान गया। मान्यवर, आप जरा पुरानी कार्यवाही निकालकर देखें कि कौन दल है कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लोर में जाने की शिकायत की है और भर्त्सना की है और कौन दल है जो फ्लोर में नहीं गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक फ्लोर में जाने की बात है मैं उसका सख्त विरोधी हूं। कभी कभार कोई फ्लोर में चला जाय, कोई अनहोनी घटना घट जाय, कोई बहुत अहम सवाल हो साल-दो साल में कोई अनहोनी घटना घट जाय तो वेल में जाना क्षम्य हो सकता है लेकिन रोज-रोज फ्लोर में जाना, दिन में चार बार फ्लोर में जाने की घटना की कोई भी संसदीय मर्यादा को मानने वाला सदस्य उचित नहीं मानेगा। (मेजों की थप-थपाहट) मैं उन लोगों में से हूं जो इसका विरोध करते रहे हैं।

हमारे दल के लोगों ने, मोर्चा के लोगों ने यह निर्णय लिया कि सरकार यदि स्थानीय निकायों के चुनाव की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं करती है तो हम इस सदन की बैठक में भाग लेना बेइमानी समझते हैं। हम सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। हम धरना देंगे, चूंकि मेरे दल का निर्णय था उस निर्णय से मैं भी बंधा था और धरने का जो कार्यक्रम था मैं भी उससे बंधा था, मैं भी उसके समर्थन में था, वहीं खड़ा था लेकिन चूंकि मैं फ्लोर में जाने का व्यक्तिगत विरोधी हूं इसलिए फ्लोर में नहीं गया। बिल्कुल कगार पर खड़ा रहा। अवहेलना करके आज्ञा की खड़ा रहा कि आप मुझे इंगित करें, सदन से निकलवा दें लेकिन उस हालत में भी मैं फ्लोर में नहीं गया। यह 25 को घटना घट गयी। 25 को आपने सदन स्थगित कर दिया। जो साथी यहां धरना दिये थे उन सबकी बातचीत हुई। सब साथी सदन छोड़कर चले गये। फिर 26 को भी कार्यक्रम था इसमें मैं छिपाना नहीं चाहता। 26 को भी धरने का कार्यक्रम था लेकिन मेरे ही सुझाव पर यह निश्चय हुआ था कि मेरठ का एक अहम् मसला है।

सारे प्रदेश की जनता का ध्यान उस समस्या की तरफ है, इसलिए मेरठ पर चर्चा हो। हमारे सदन के हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कल्याण सिंह जी का भाषण होने वाला था, कई नेता तो भाषण कर चुके थे। इनके भाषण को आप जानते हैं सभी लोग सुनते हैं चाहें इनके विचार से सहमत हों या न हों, लेकिन सदन में गम्भीरतापूर्वक इनकी बात सुनी जाती है। इसलिए कि यह जो अनुभव करते हैं वही बोलते हैं। निश्चय था कि उनके भाषण को सुना जायेगा उसके बाद मोर्चे का कार्यक्रम होगा वह प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक घटना ऐसी घट गयी। कहा सुनी में नोकझोक हो गयी माननीय नेता सदन से, और उसमें वह कार्यक्रम जो निर्धारित था वह अव्यवस्थित हो गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके पहले ही हमारे कुछ साथी जो हमारे दाहिने बैठे हैं वह फ्लोर में चले गये। हमने तो राजी किया था **सबको कि** कोई फ्लोर में नहीं जायेगा। हमारे कुछ साथी जो फ्लोर में जाने को प्रोत्साहन देते थे वही फ्लोर में चले गये, अब तक नेता विरोधीदल भेजा करते थे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, काफी समय हो गया।

श्री मैनेजर सिंह–

हमारे नेता विरोधी दल स्वयं पहुंच गये। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोई हंसने वाला नहीं है। सब लोग आत्मचिन्तन करें आगे उसके कोई कोर्ड आफ कडक्ट कोई आचार संहिता बैठकर आपकी अध्यक्षता में निर्धारित हो जाय। उसके अनुसार कार्यवाही चलनी चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फ्लोर में जाने को सख्ती से आप रोके और साथ ही मंत्रियों के अनउत्तरदायित्वपूर्ण जो उत्तर आते हैं उस पर भी अंकुश लगायें और मंत्रियों को भी नियंत्रित करें और यदि आप नियंत्रित नहीं करेंगे, उटपटांग उत्तर आयेंगे, उदण्डता में जैसे हमारे परिवहन मंत्री आज उत्तर दे रहे थे, इसी तरह से उदंण्डता में उत्तर आयेंगे तो उदण्डता इस सदन में पैदा होना स्वाभाविक है उसको कोई रोक नहीं पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय हो गया।

श्री मैनेजर सिंह–

आप दोनों पक्षों को रोकिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यदि आप शनिवार को लेने के हक में है तो यह सदन की सहमति से लिया जाता है यह कार्य-मंत्रणा समिति के अधिकार के बाहर है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 52 साथी सदन से बाहर हैं हम 4 लोग यहां पर बैठे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे तो उसको वापिस ले, सरकार चाहे तो न वापिस ले। आप हम चारों को शेष सत्र के लिए निष्कासित करवा दीजिए आपको भी धन्यवाद और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को भी धन्यवाद। अगर आप निष्कासित नहीं करेंगे तो मेरे जैसे आदमी

को बाध्य होकर इस सदन से स्वयं बाहर होने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। यदि इन 52 सदस्यों को यहां नहीं लाते। तो आप स्वयं निष्कासिन करिये या मैं स्वयं अपने को निष्कासन कर लूंगा। इस सदन के कार्य में तब तक भाग नहीं लूंगा जब तक यहां वह हमारे साथी नहीं आयेंगे।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह) —

मान्यवर, 25 और 26 जून के लिए जो घटना और व्यवधान सदन में उपस्थित हुआ, मैं समझता हूं यह किसी से छिपा नहीं है और मजबूर होकर, मान्यवर, आपको 52 सदस्यों को निलम्बित भी करना पड़ा, सरकारी प्रस्ताव के आधार पर, लेकिन मान्यवर, 52 सदस्यों का निलम्बन तो समस्या का समाधान नहीं है। समाधान आपसी बातचीत से, नियमों का पालन करने पर ही होता है और मैं समझता हूं कि सरकार की भी मान्यता रही है, जन मानस की भी मान्यता रही है कि कानून और नियम किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मान्यवर, उस दिन सत्ता पक्ष ने कितनी बड़ी कोताही की, सत्ता पक्ष की कितनी बड़ी कमियां रहीं। मैं मानता हूं कि विरोध पक्ष के सदस्यों ने यह तय कर रखा था कि उन्हें आज व्यवधान करना है अथवा उन्हें सदन नहीं चलने देना है लेकिन मान्यवर, उसमें सत्ता पक्ष के जवाब और उन मंत्रियों के जवाब जो जवाब देने के हकदार नहीं थे और किसी बात का सही जवाब न आना और जब आपसे चुनाव कराने के लिए कहा गया कि 16 सालों से टल रहे चुनाव कराने के सम्बन्ध में आपसे कहा गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी कह दिया तो फिर मान्यवर, इन प्रश्नों पर सही जवाब न आना तथा साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के तैषपूर्ण तरीके ने व्यवधान खड़ा कर दिया आप एक बड़ी कुर्सी पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि उस दिन अगर मा0 मुख्य मंत्री जी ऐसा तैषपूर्ण रवैया न अपनाते तो इतना बड़ा व्यवधान टल सकता था।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आपको सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके सामने बहुत कठिनाई होती है लेकिन अगर सत्ता पक्ष यह कहता है कि इसके लिए विपक्ष दोषी है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए विरोध पक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष उत्तरदायी है, विरोध पक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसके कारण विरोध पक्ष को ऐसा करना पड़ता है। अभी मैनेजर सिंह जी ने कहा कि 26 तारीख को नेता विरोधी दल भी वेल में पहुंच गये तो मान्यवर, मैं वेल में जाने के पक्ष में नहीं हूं और न ही चाहता हूं कि हमारे कोई साथी वेल में जायें और न ही इन मेजों पर चढ़ें। मान्यवर, उस दिन भी मैं इसी उद्देश्य से वेल में गया था कि उन लोगों को मना कर दूं और मैंने उन लोगों से अनुरोध भी किया कि आप लोग ऐसा न करें और जो कुछ आपको कहना है वह अपनी कुर्सियों के पास खड़े होकर कहें। मैं इसलिए नहीं गया था कि व्यवधान और बढ़े बल्कि व्यवधान को समाप्त करने के लिए मैं गया था।

मान्यवर, इस समय जो 300 का औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि निलम्बन रहना और निलंबन पूरे सत्र तक रहना उचित नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं क्योंकि काफी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहते हैं। भले ही मान्यवर, सत्ता पक्ष के अलावा विरोध पक्ष की गलती रही हो इसके लिए आपको दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर, सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के लोग इस तरह की बात कर ले ताकि इस तरह की बात भविष्य में न आये इसलिए मैं भी 300 पर बल देता हूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके साथियों ने तो कह लिया।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि.....

श्री अध्यक्ष–

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, मैंने निर्णय दे दिया। आप नियमों की दुहाई देते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं। वर्मा जी, यह मुनासिब नहीं है। मान्यवर, मैं इजाजत नहीं देता, नहीं लिखा जायेगा मा0 ओझा जी आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, नियमों से भी वाकिफ हैं और आपके साथियों ने सारी बातें कह ली हैं। आप कृपया बैठें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मेरे साथियों ने जो कहा, वह कह लिया, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसको भी सुन लीजिये जिसे कोई नहीं जानता, सिवाये आपके और मेरे। मान्यवर, मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक मिनट में आप अपनी बात को कह लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह जो मामला है दुर्भाग्यवश मैं उस दिन नहीं था, जिसमें इस सदन के 52 लोगों को बाहर कर दिया गया। मान्यवर, इन 52 लोगों को बाहर नहीं किया गया बल्कि जमूहूरियत और प्रजातंत्र की हत्या की गयी है और अगर शासन पक्ष की हिम्मत हो तो इन 52 के अलावा हम सभी लोगों को सदन से बाहर कर दें और हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। यहां पर मान्यवर, दिन पर दिन बहुत गलत परम्पराएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मान्यवर, इस सरकार का कत्ले आम का बहुत पुराना इतिहास है। गुण्डा-गर्दी का भी बहुत पुराना इतिहास है, अकलियतों को गोली से भुनवाने का भी कोई नया इतिहास नहीं है इनका और यह सरकार अब प्रजातंत्र के प्रहरियों की भी हत्या करना चाहती है।

मान्यवर, संसदीय परम्पराओं के खिलाफ जो भी बात होगी उसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ जो बात होगी, उसको भी हम बर्दास्त नहीं करेंगे और उन्हीं के अनुसार हम भी सत्याग्रह करेंगे और इस पर जो भी आपकी ओर से होगा उसको भी हम भुगतेंगे। आदरणीय सदन के कायदे-कानून के हिसाब से माननीय मंत्री जी जो कहेंगे उसको हम लोग सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे लेकिन जिन्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, जो मंत्रिणियां यहां पर छोटी-छोटी बैठी हैं, उनको सदन की मर्यादा के तहत बात करनी चाहिए, उनको हर मामले में बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए यह बातें कैबिनेट स्तर के डीसिजन की बातें हैं। और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरठ में जो कत्ले आम हुआ है उस सिलसिले में एक संसदीय समिति का गठन करें जो निष्पक्ष जांच आख्या प्रस्तुत करे और मान्यवर, प्रजातंत्र की मेहरबानी से मुझे यह चौथी बार यहां आने का अवसर मिला है, लेकिन मान्यवर, सन् 1974 से आज तक ऐसी स्थिति जो अपने आप में बहुत ही गम्भीरता लिए हुए हैं, नहीं देखी। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं कि यह सरकार विपक्ष के लोगों का गला दबाना चाहती है और आपने हाथों से कानूनी डंडा देकर दबाना चाहती है । हम लोगों को हर तरह से पिटवाना चाहती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो डंडा हम लोगों के सिर पर आपका पड़ रहा है, यह शोभा नहीं देता।

मान्यवर, यह सरकार जो कुछ भी आपके द्वारा करवाना चाहती है, वह ठीक नहीं है, और हम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करने का जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है आपके द्वारा वह उचित नहीं है और हम सारे लोग भी इस बात पर अमादा हैं कि अगर सरकार चाहती है कि इन सारों को पूरे सत्र के लिए निकाल दिया जाए अगर यह ऐसी भावना को लेकर उसका निर्वहन करना चाहते हैं तो करें परन्तु मान्यवर, आप इनकी भावनाओं से अलग रहें वरना संसदीय प्रणाली की बड़ी भारी अवमानना होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर सरकार की ऐसी कोई भावना नहीं है तो इन सब का निलंबन वापस लिया जाए और सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से इस आदरणीय सदन को चलने दिया जाए, वरना सत्ता पक्ष की कोई यह बपौती नहीं है और न ही इनकी यह जागीर है कि जो समझ में आए वह करें। इन्हें और हम सबको संसदीय परम्पराओं और मर्यादा के अनुसार चलना होगा।

(शोर)

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अभी आपके सामने मा0 विधायक श्री राम आसरे वर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस समय आपने निर्णय दिया था कि जिन मा0 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे केवल उन्हीं को बोलने का मौका दिया जायेगा । आपने अपने निर्णय में तरमीम करके मा0 ओझा जी को मौका दिया । मेरा निवेदन है कि उन्हीं नियमों के अन्तर्गत बरार साहब को भी मौका दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ओझा जी का नाम है । मेहरबानी करके बैठें । जब मैंने राम आसरे जी को इजाजत नहीं दी तो आपको भी नहीं मिलेगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

आज जो बात मा0 नेता सदन, नेता विरोधी दल, मा0 कल्यान सिंह जी, मा0 तिवारी जी, मा0 मैनेजर सिंह जी तथा आखिर में जोशीली और गरम तकरीर के साथ मा0 ओझा जी ने कहा, कल ही उस संदर्भ में काफी बातें हो चुकी हैं । रवीन्द्र तिवारी जी ने दो आपत्तियां उठाईं कि शनिवार को नहीं लिया जा सकता । आप नियमावली देखें । नियम 15 का भाग 2 है । उसके पहले भाग में स्पष्ट है, जब तक सदन अन्यथा निश्चय नहीं करता जो भी प्रस्ताव आता है, जो कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है, वह कोई फैसला नहीं होता । वह तो मात्र प्रस्ताव होता है जो सम्मानित सदन के सम्मुख रखा जाता है । सदन उसे अनुमोदित करता है । सदन के अनुमोदनोपरान्त वह पारित समझा जाता है । शनिवार की बात है । सदन देर में बुलाया गया । एलेक्शन था, कई ऐसे कारण थे ।

पहली अगस्त तक वोट-आन-अकाउन्ट है । 24 तारीख तक बजट पास करना है । उसके बाद विधान परिषद् से पास होना है, राजाज्ञायें जारी होनी हैं । अगर राजाज्ञायें समय से नहीं होती तो पेमेंट् रुकते है, जो ठीक नहीं है । समय कम होने के कारण कभी-कभी ऐसा है । कुछ निर्णय करना पड़ता है और शनिवार का लिया जाना प्रस्तावित करना पड़ता है । मान्यवर, यहीं रात्रि के 12-12 बजे तक सदन चला । मा0 तिवारी जी, हाउस आफ कामन्स की बहुत बात करते हैं । वहां रात-रात भर कार्यवाही चलती है । वहीं पर लोग डिनर लेते हैं, सबरे तक कार्यवाही होती रहती है । एजेन्डा में यह है कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता कार्यवाही चलती रहेगी । मा0 तिवारी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि शनिवार को छुट्टी होनी चाहिये । राज्य के हित में, जनता के हित में, प्रशासन के हित में, प्रदेश के विकास के लिये अगर समय देना पड़े तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिये । 29 को गोल्डेन जुबली मना रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष–

50 साल पूरे हो रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, 50 साल पूरे हो रहे हैं । कार्य मंत्रणा का प्रस्ताव सदन के सामने आयेगा । सदन पारित करे या न करे । सदन अपने नियमों का मालिक है । यह सदन अपने नियमों को किसी भी तरह तय कर सकता है और अपना अन्तिम फैसला कर सकता है । मैं यह समझता हूं कि मान्यवर, जो मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने आपत्ति उठायी है, उसकी स्प्रिट से सहमत हूं, लेकिन मौजूदा हालात में यह आवश्यक हो गया है कि शनिवार ले लिये जायं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा कहना यह है कि नियमानुसार शनिवार नहीं लिये जा सकते, लेकिन यदि शनिवार लेना आवश्यक ही हो तो इसके लिये सदन को विश्वास में लेकर प्रस्ताव लाना चाहिये । इस प्रकार सदन की मर्यादाओं और नियमों का पालन किया जाना चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने जो नियमावली का नियम 15(2) पढ़ा इसके हिसाब से इसमें सदन निर्णय कर सकता है । दूसरे जो सैद्धांतिक बात उठाई गयी, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं, बल्कि जहां-जहां प्रजातंत्र और पार्लियामेंटरी सिस्टम है, डेमाक्रेसी है, वहां-वहां यह बात लागू होती है, अगर कोई इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है जिसमें कलेक्टिव रिस्पान्सबिलिटी की आड़ में कोई बात कही जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में लिखा है कि 'मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी' तो संविधान की यह बात, कलेक्टिव रिस्पान्सबिलिटी का यह सिद्धांत शुरू से लेकर आखिर तक जहां-जहां पार्लियामेन्टरी सिस्टम है, वहीं लागू होती

हैं । इसके लिये मिनिस्टर्स को डाउन ग्रेड करना या लेडी मिनिस्टर्स को मंत्राणी कहना, इस प्रकार की बात नहीं कही जानी चाहिये । यहां पर सब मंत्री हैं, सब इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं । यदि कोई इस सदन की महिला सदस्य हैं, तो उनका जिक्र और भी आदरपूर्वक करना चाहिये ।

दूसरी बात कलेक्टिव रिस्पान्सबिलिटी की आती है तो चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें से जो भी एक बात भी खड़े होकर कहेगा, तो उसे पूरी मंत्रि परिषद् की बात माना जायगा । यदि उनके मुंह से कोई भी गलत बात निकल जायगी तो उन पर कलेक्टिव रिस्पान्सबिलिटी का शिकंजा कस दिया जायगा । तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि चाहे हाउस आफ कामन्स हो या लोक सभा को ही देखा जाय, मैं तो कहता हूं कि हाउस आफ कामन्स में न जायं, केवल कौल और शकधर को ही देख लें, और इसी सदन में देख लें कि राज्य मंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से पोर्टफोलियो रखते हैं । उस दिन श्री0 पद्मा सेठ जी के ग्रैण्ड सन की तबियत खराब थी, वह जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहा था, इसलिये उनको दिल्ली जाना पड़ा था । आपके पास इसकी सूचना थी कि इस स्थिति में उन्हें वहां जाना पड़ा है, इसलिये मा0 हुकुम सिंह जी जवाब दे रहे थे । यह कहना कि राज्य मंत्री जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वे मंत्रि परिषद् की बैठक में नहीं बैठते यह प्रैक्टिकल नहीं है । जब भी कोई विषय ऐसा आता है, जिसमें कोई राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट रूप से अपने पोर्टफोलियो के प्रति जिम्मेदार होता है, तो उसे मंत्रि-परिषद् की बैठक में बुलाकर एजेण्डे के संबंध में उससे राय ली जाती है । यह ऐसा सिद्धांत है जो पूरी तरह से हर जगह माना जाता है । मान्यवर, यह कहना कि कलेक्टिव रिस्पान्सबिलिटी का सहारा लेंगे, तो जो बेसिक चीज संविधान में रखी गयी है, हम संविधान का सहारा बराबर लेते रहेंगे । जिनको संविधान में विश्वास न हो, न लें, लेकिन हम बराबर संविधान का सहारा लेंगे, संविधान के बनाने वालों ने जो यह नियम बनाया है, तो हम उसका सहारा अवश्य लेंगे और बराबर लेंगे ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

दूसरी बात कही गयी सदन से संबंधित । जो जजबा है और फीलिंग्स है माननीय नेता विरोधी दल की, माननीय तिवारी जी की, मा0 मैनेजर सिंह जी की, मा0 कल्यान सिंह जी की, और मा0 वर्मा जी की, मैं उसकी कद्र करता हूं क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने उस दिन भी पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से यह मामला सुलझ जाय । हमें यह बात अच्छी नहीं लगती कि हमारे साथी सदन में नहीं हैं। जो बिट्ठलभाई की रुलिंग की बात मा0 तिवारी जी ने कही कि अपोजीशन जब न हो, मैं समझता हूं कि आप लोग बैठे हैं तो विरोधी दल की भूमिका अदा हो रही है और अपोजीशन मौजूद है। हां, यह जरूर है कि कम है। हम स्वयं चाहते हैं कि वे लोग आ जायें। आप अपने कक्ष में सब नेताओं की बैठक बुला लें और बात कर लें, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। माननीय अंभा जी ने कहा कि "जनता की आवाज" को हम पहुंचाने नहीं देंगे। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि आपकी सुरीली आवाज जनता तक जाय, लेकिन उसके लिये एक माहौल बनाना होगा। उसके लिये ऐसी व्यवस्था रखनी होगी कि सदन व्यवस्थित रहे ताकि विरोध पक्ष की आवाज जोरदार तरीके से बाहर जाय। मेरा अनुरोध है कि जैसा सम्मानित

नेताओं ने कहा है, आप नेताओं की बैठक अपने कक्ष में बुला लें और बात कर लें। मैंने आपको बताया है कि हमने किसी इन्तकामी जजबे से या बदला लेने की भावना से कोई प्रस्ताव नहीं किया बल्कि बराबर दो दिन से यह हालत थी जिस वक्त मा0 हुकुम सिंह जी जवाब दे रहे थे, उस वक्त एक दिन निकल चुका था, तो यह कहना कि हमने गलती की, यह बात सही नहीं है। यह तो वैसी ही बात है कि–

हम बावफा थे इसलिये नजरों से गिर गये,
शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक नियम 300 का सवाल है, नियम 300 में ये दोनों बातें नहीं आती हैं। जहां तक निष्कासन वापस लेने की बात है, आप सबको अपने कक्ष में बुला लें और बात कर लें तथा कोड आफ कण्डक्ट बना लें। जैसा राम आसरे वर्मा जी कह रहे थे कि आप गलत व्यवस्थायें दिया करते हैं, तो अगर हम आपकी रूलिंग्स को गलत बतायेंगे तो प्रजातंत्र कैसे चल सकता है, सदन कैसे चल सकता है ? मेरा अनुरोध है कि गलती किसी की भी हो, आप और हम मिलकर एक अच्छा वातावरण बनायें, ऐसा वातावरण बनायें कि काम हो सके ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि कोई ऐसा एग्जाम्पिल बता दें कि कलेक्टिव रिसपान्सबिलिटी के नाम पर स्टेट मिनिस्टर जवाब न देता हो, तो यह आपके द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन का क्रम संख्या 129-130 है, पृष्ठ 275-76 है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । क्रम संख्या 129 में है कि मंत्रियों को बिना आपकी अनुमति के अपने प्रश्नों के दिन अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए । 130 में व्यवस्था है कि अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बाहर जाना हो, तो अपना दायित्व और जानकारी सौंप कर जा सकते हैं । मेरा यह आग्रह था कि मा0 हुकुम सिंह जी ने जो जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं है और दूसरा सरकार का क्या निश्चय है, इसकी जानकारी नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों प्रश्नों पर जो भी निर्णय दें वह ऐसा हो कि आने वाले जमाने में मार्गदर्शन सिद्धान्त का काम कर सकें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

दो सूचनायें उठायी गयीं । पहली वाली निलम्बन के सिलसिले में । यह एक दुखद कहानी है। मैं आप सभी लोगों से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि हम और आप बैठकर एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे उनका निलम्बन वापस लिया जा सके और यह भी कोशिश करें कि किस तरह से सदन चलाया जा सके और किस तरह से हम नियमों के तहत चलें । इसलिए मेरा नेतागणों से अनुरोध है कि आज या कल मेरे कक्ष में आने का कष्ट करें ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अगले सोमवार को बैठक की जाय ।)

कल सायंकाल साढ़े चार बजे मेरे कक्ष में बैठक होगी, इसलिए सभी नेतागण आने का कष्ट करें । आज मुझे अपनी डाक्टरी जांच कराना है, इसलिए आज के लिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, या तो आज शाम को आप बैठक कर लें या फिर, जैसा कि उधर के कई माननीय सदस्यों की राय है, अगले सोमवार को, बजट के आखरी दिन रख लें ।

श्री अध्यक्ष–

बैठक कल शाम साढ़े चार बजे होगी । जहां तक सूचना नम्बर-2 का सवाल है शनिवार को लेने का, ये दोनों नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वैसे भी कार्य-मंत्रणा समिति के पास है, जिसकी सिफारिश सदन के समक्ष रखी जायेगी, सदन स्वीकार करेगा तो शनिवार को बैठक होगी अन्यथा नहीं । सूचना नम्बर-4 पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करेंगे ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, हम सभी माननीय सदस्यों ने भारतीय संविधान की संरक्षा, गोपनीयता, व मर्यादा की शप्थ खाई है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 जिलों में अघोषित आपात्काल की स्थिति लागू की है । भारतीय संविधान के चैप्टर 3 में मौलिक सिद्धान्तों की व्यवस्था दी है । इसके अनुच्छेद 19 (ग) में इस बात की व्यवस्था है कि भारत के सभी नागरिकों को बाक स्वतंत्रता का अधिकार होगा । वहीं मान्यवर, इसी अनुच्छेद के (घ) में यह व्यवस्था है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार होगा । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जिलों में अपनी तरफ से आदेश करके हर प्रकार के जलूसों और हर प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है और जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था दी गई है, उसका हनन इस सरकार ने कर दिया है । इसी प्रकार का एक आयोजन 15 तारीख को गोरखपुर में था, जिसमें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को जाना था, लेकिन राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को वहां जाने से रोका गया, वहां पर लाठी चार्ज किया गया, जिन लोगों को रेलवे रिजर्वेशन करना था, उन्हें घर से बाहर नहीं आने दिया गया । पुलिस और दरोगा ने लोगों को वहां पर पीटा और दुकानों को नहीं खुलने दिया गया। दुकानों से लोग सामान नहीं खरीद सके, दुकानों में मजदूर काम नहीं कर सके। पूरे गोरखपुर में अशान्ति का वातावरण व्याप्त है। पुलिस को जगह-जगह तैनात कर दिया गया। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सभा नहीं होने दी गयी।

विरोधी दलों को भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, इन सभी को अधिकार है कि अपने नीतिगत विचारों को सभाओं में रखें। लेकिन उत्तर प्रदेश के बीस जिलों में लोकतांत्रिक अधिकार ठप्प कर दिये गये हैं। कहीं भी राजनीतिक पार्टियां सभा नहीं कर सकती हैं, उनको जुलूस निकालने की परमीशन नहीं है इसलिए इन बीस जिलों में अघोषित आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गयी है। दुकानें गिरायी जा रही हैं, मकान उजाड़े जा रहे हैं, सभायें करने पर और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गयी है। इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के प्रति हम लोगों को संरक्षण मिल सके। औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं इसे उठा कर इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 20-21 जून को उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ.....

श्री अध्यक्ष–

मा0 अनुग्रह नारायण सिंह, इसको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आप मुझे सुन तो लें। इसमें कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली तथा भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 300 के बारे में जो व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मेरा निवेदन है कि...

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह संविधान में दिये गये मूल अधिकारों का हनन यह उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है लेकिन नियम 300 में 5-6 सूचनायें आपके पास आयी थीं जिसमें मेरी जानकारी है कि किसी को आपने स्वीकार किया है और किसी को नहीं स्वीकार किया है। यह तो आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन उनमें से दो-तीन सूचनाओं को आप यहां सुनेंगे और बाकी सदस्यों को मौका नहीं देंगे तो इससे असन्तोष उत्पन्न हो जायेगा। जब आप सबको सुन रहे हैं तो हमारे दल को भी सुनने की कृपा करें। जैसे आपने दूसरों को बोलने का मौका दिया है वैसे अनुग्रह नारायण सिंह को भी बोलने के लिये मौका दे दें। मैं आपको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं बल्कि आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने बस सुन लिया। अब आप कृपा करके बैठें। आप तो पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप कृपा करके बैठें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 जून, 1987 की बैठक में सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 29 जून, से 1 जुलाई, 1987 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

जून, 1987

29 सोमवार	1–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण — आधा घण्टा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2–मई, 1987 में मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में अवशेष चर्चा — दो घण्टा ।

3–वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण — एक घण्टा ।

4–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी।

30 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा—जारी ।

2–इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण — आधा घण्टा ।

जुलाई, 1987

1 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (अन्तिम दिन) ।

2–उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण — 45 मिनट ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विधान सभा के वर्तमान सत्र में दो शनिवारों अर्थात् दिनांक 11 जुलाई एवं 18 जुलाई, 1987 को भी सदन की बैठक हों ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सदन सहमत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमों में यह व्यवस्था थी कि कार्यमंत्रणा समिति का प्रस्ताव सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रस्तुत करेंगे । बाद में यह संशोधन किया गया कि विशेष परिस्थिति में दूसरा सदस्य कर सकता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सदन में उपस्थित हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने अभी सदन को दी है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जो निर्णय अध्यक्ष महोदय, आपका हो गया वह तो शिरोधार्य है। लेकिन आप व्यवस्था दे दें कि क्या केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव पेश कर सकते हैं या कोई भी सदस्य कर सकता है।

श्री अध्यक्ष–

देखकर निर्णय दूंगा ।

सदन द्वारा पारित भोजन अवकाश के प्रस्ताव को वर्तमान बजट सत्र तक निलम्बित किये जाने की मांग

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

पौने 2 बजने जा रहे हैं । 26 तारीख को शोरशराबे के बीच शासन ने एक प्रस्ताव पास करा लिया कि पौने 2 बजे से पौने तीन तक भोजन अवकाश रहेगा। मेरा कहना है कि बजट सत्र चल रहा है। प्रदेश की अनेकों समस्यायें हैं। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश यह है। विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या सीमित है। विधान सभा में 426 सदस्य हैं। इतनी बड़ी संख्या के कारण हर माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या को दो-दो, तीन-तीन दिन तक नहीं रख पाता है। अगर एक घन्टे के लिये भोजन अवकाश रहेगा तो माननीय सदस्यों के अधिकारों का अहित होगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बजट सत्र के दौरान जो प्रस्ताव पास कराया गया है उसे वापस ले लिया जाय और यदि इसे रखना आवश्यक हो तो विरोध पक्ष से विचारविमर्श कर इस प्रस्ताव को ले आयें। विपक्ष की आम सहमति की इसमें आवश्यकता है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि आज ही इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय और माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिये पूरा-पूरा समय दिया जाय ।

श्री कल्यान सिंह–

यह जो एक घंटे का प्रस्ताव पास हुआ, कई दृष्टियों से उचित नहीं है। एक तो विधान सभा का सत्र ही यदाकदा होता है। बजट सत्र में एक-एक दिन में 2-3 अनुदानों को रखा जाता है। जिन मदों पर एक दिन का समय मिलना चाहिये उसमें आधा दिन या एक, दो घंटे समय मिल पाता है।

इसके अतिरिक्त भी इस सदन में अनेक नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की अनेकों सूचनायें रहती हैं उन पर भी समय जाता है और बजट के ऊपर जितना समय मिलना चाहिए, उतना उस पर चर्चा के लिये नहीं मिल पाता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री बड़े मधुर हैं, चतुर हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें बहला लिया, फुसला लिया और समूचे विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। एक प्रकार से उन्होंने विपक्ष के बजट सत्र की, जो पहले से ही कम थी, उसमें एक घन्टे की और कटौती करवा ली । यह इतना बड़ा सदन है कि माननीय सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, भोजन करके भी यहां पर आ जाते हैं और इसके बावजूद भी कोरम बना रहता है । इसलिये मैं नहीं समझता कि यहां पर बजट सत्र में एक घन्टे की जो बहुत बड़ी कीमत है, उसमें कटौती की जाय । एक घन्टे में कई माननीय सदस्य बोल सकते हैं । सदन को सुचारु रूप से संचालित करने की दृष्टि से आवश्यक है कि जितना ज्यादा समय निर्धारित किया जा सके, उतना ही अच्छा होगा । इसलिये इसलिये मैं भी माननीय नेता विरोधी दल की इस बात से सहमत हूं कि जब तक यह बजट सत्र चल रहा है और जो भोजनावकाश स्वीकृत किया गया है उसको आप निलंबित करें और पूरा समय माननीय सदस्यों को इस सदन में अपनी बात कहने दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मध्याह्न अवकाश का प्रस्ताव जो है वह जल्दी में पारित हुआ है और आपने भी अनुभव किया होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी ज्ञान है कि मध्याह्न काल में कभी कोरम का अभाव नहीं हुआ । यहां पर बराबर माननीय सदस्य जुटे रहते हैं । 6 बजे के बाद जब सदन चलता है तब कोरम का अभाव पैदा हो जाता है । एक घन्टा आप सदन को बन्द कर देंगे तो फिर निश्चित रूप से सदन 6-7 बजे तक चलाना पड़ेगा और कोरम का प्रभाव 6 बजे के बाद ही उपस्थित होता है । उस स्थिति में सदन के कार्य में व्यवधान होगा । इसलिये मैं भी माननीय नेता विरोधी दल और माननीय कल्यान सिंह जी ने जो बात कही है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को निलंबित करके दूसरा प्रस्ताव ले आयें । इस पर पुनर्विचार कर निर्णय ले लें । इस बजट सत्र में पूर्व की तरह ही व्यवस्था चलने दें । कार्य की दृष्टि से यही उचित होगा ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जो प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ था उसको आपने पारित करवा दिया। नियम समिति में आपके भी प्रतिनिधि थे । इधर के भी मेम्बर थे और उधर के भी मेम्बर थे । उसने एक निर्णय लिया । कार्य मंत्रणा समिति में जब यह निर्णय लिया गया तो उसमें हर दल के नुमाइन्दे हैं । अगर हर दल के सदस्यों को वह निर्णय कबूल नहीं तो मान्यवर, यह नेतृत्व का सवाल पैदा हो जायेगा । आप जिस आदमी को वहां पर भेजते हैं अगर उस पर आपका भरोसा नहीं है तो उसके जो निर्णय होते हैं, प्रस्ताव यहां पर आते हैं तो आपत्ति की जाती है । यह उचित नहीं है । सवाल यह है कि एक तो फैसला यह लेना होगा कि कार्य मंत्रणा समिति में जो भी आपका आदमी जाय उसको यह अख्तियार होना चाहिए कि वह आपकी भावनाओं को वहां पर कह सके और अगर कोई एतराज हो तो उस पर अपना नोट आफ डिसेन्ट रख सके । सदन में आपत्ति होती है । मैं समझता हूं कि यह हाउस का प्रस्ताव है और अगर इसे वापस लेना हो तो हाउस ही ले सकता है । सदन इस पर विचार कर ले । अगर दो-एक दलों की भावना की बात हो तो फिर जैसा सदन में पारित हुआ है, वैसा ही चलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैं आपसे संसदीय कार्यमंत्री जी, अनुरोध करूंगा कि बैठ कर इस पर विचार कर लें क्योंकि यह सदन के द्वारा पास किया प्रस्ताव है सदन में ही लाकर इसको करना होगा ।

अब हम उठते हैं पौने तीन बजे हम फिर बैठेंगे ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर सदन में भोजनावकाश हो गया।

भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

कार्य स्थगन, नियम 56, के अंतर्गत आज 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं—

1—श्री रामं नरेश यादव-भयंकर गर्मी व लू से उत्पन्न पेयजल संकट के कारण चित्रकूट एवं प्रदेश के अन्य भागों में लोगों की मृत्यु इसी विषय में दो से लेकर पांच तक सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, शतरुद्र प्रकाश, राम आसरे वर्मा, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, दिवाकर विक्रम सिंह, माता प्रसाद पाण्डेय, सुखपाल पाण्डे और श्री धनराज यादव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-प्रदेश के अधिकांश जनपदों में जुलूश, प्रदर्शनों आदि पर रोक । इसी विषय में श्री मैनेजर सिंह, श्री रघुबर दयाल वर्मा की भी सूचना है ।

7—श्री गोपाल दास यादव—"फतेहपुर जिले में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु" और आठवीं सूचना भी श्री मनोहर लाल ने इसी विषय में दिया है।

9—श्री कल्यान सिंह/श्री सूर्य प्रताप शाही/श्री सत्य प्रकाश विकल ने मेरठ में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक की सूचना दी है।

10—श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने इलाहाबाद जिले में हैजे का प्रकोप संबंधी सूचना दी है ।

11—श्री शारदा प्रताप—ए0 पी0 सेन रोड लखनऊ में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मकान का गिराया जाना ।

12—डा0 दिनेश जौहरी-पानी के अभाव में चित्रकूट में मौतें संबंधी सूचना दी है लेकिन मा0 सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले, चूंकि आज मेरठ के दंगों विषय पर चर्चा होनी है और उसके बाद भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम सदन के सामने है, इसलिये अनुरोध करूंगा कि जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन पर बहुत ही सूक्ष्म में 2-2 मिनट में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर दें।

मुजफ्फरनगर में एक वकील और महिला द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग

*श्री हरेन्द्र सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यहां माननीय सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्रों की समस्यायें उठाते हैं । मैंने 22/23 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक वकील और एक महिला की आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़ा जिसके संबंध में मैंने यहां नियम 56 में सूचना दी थी जिस पर आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि कल ले लिया जायेगा लेकिन वह मसला यहां नहीं लिया जा सका चूंकि नियम 56 निलम्बित था, इसलिये उसके बाद आज सदन चल रहा है, इसलिये इसे ले लें आज चूंकि हमारे यहां पुलिस ने 26 साल के एक युवक को पकड़कर गोली से मार दिया, कल एम0एल0ए0 को पकड़कर मार दिया जायेगा, इसलिये इस मसले पर आज सुन लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह भी ज्ञान होगा कि पिछले दिनों सदन में जो अव्यवस्था रही जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है । निश्चय ही इसमें न केवल आपके प्रश्न बल्कि प्रश्नोत्तरकाल और अन्य कार्यक्रमों को भी स्थगित करना पड़ा था, इसलिये इस विषय में मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी से बाद में विचार विमर्श कर लिया जायेगा कि पिछले दिनों के बारे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपकी पीठ के निर्देशानुसार चूंकि आज सदन चल रहा है इसलिये मेरे मसले को आज ले लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज्वी)–

मान्यवर, मुझे उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कार्यस्थगन प्रस्ताव इन्होंने दिया था । मेरा आपसे अनुरोध है कि बजाए आज के कल आप इनको अवश्य अवसर दे दें और इनकी बात को अवश्य सुन लें, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है । सरकार के द्वारा जो कार्यवाही उस पर की गई है या की जाएगी, उसे हम सूचित कर देंगे ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह –

कमाल साहब, माता प्रसाद और सुखपाल पान्डेय जी ने जो दिया है, उसी के साथ आपने हमारा वाला मिला दिया है, जबकि हम लोगों का विषय दूसरा है । शतरुद्र प्रकाश आदि का दूसरा विषय है, इसलिए दोनों को आप एक में न शामिल करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता –

जिला दूसरा हो सकता है, लेकिन समस्या मैं समझता हूं कि एक ही है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

यह वसूली को स्थगित करने के बारे में है ।

श्री रामनरेश यादव –

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है । पूरे प्रदेश में इधर जो प्रचन्ड लू और गर्मी चली है, उसके कारण जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल का संकट इतना जबरदस्त है और उसके बावजूद सरकार इतनी निष्क्रिय और असमर्थ बनी हुई है कि वह उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है । जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, कुंवों और जलाशय सूख चुके हैं । कहीं पर भी पीने का पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है और जो बिजली की समस्या है उसने पेयजल की समस्या को और भी गम्भीरतम बना दिया है । किन्तु यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, यह सरकार लुंज-पुंज हो चुकी है । कई-कई जनपदों में कई लोग मरे हैं, बलिया में चार मरे हैं और लखनऊ में भी चार व्यक्ति लू गर्मी से मरे हैं । प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं, जहां पर पेयजल के अभाव में लोगों की मृत्यु हुई है । चित्रकूट में तो 25-25 लोग लू और गर्मी की भयंकर चपेट में आए हैं और मरे हैं । चित्रकूट में जहां पर इस गर्मी के मौसम में लाखों-लाखों लोग मेले में एकत्र होने वाले थे, उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करती । वहां पर कहीं पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, जिससे लोग बूंद-

बूंद पानी के लिए तरस गये और 25-25 लोग प्यास से छटपटा कर मर गये । पर सरकार और उसकी सरकारी मशीनरी देखती रही । ऐसी शर्मनाक हालत में इस सरकार को, जो लखनऊ में है, प्रदेश की राजधानी में है, यहां पर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए । इसलिए मर जाना चाहिए कि वह इतनी गम्भीर समस्या का समाधान नहीं कर सकी । शासन और प्रशासन दोनों ही इसके दोषी हैं । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए इस विषय को ध्यान में रखकर सारे सदन की कार्यवाही स्थगित करके आप इस पर चर्चा करायें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

यादव जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन यह बात बड़ी गम्भीर और विचारणीय है । जिस तरह ताल कुवें और नहरें सूख रही हैं, जल-स्तर नीचे चला गया है, अघोषित बिजली की भारी कटौती हो रही है, उससे स्थिति बहुत गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि सरकार को इस समस्या का सामना करने के लिए जितना क्रियाशील और जागरूक होना चाहिए था, उसमें वह बिलकुल फेल हुई है । मनुष्यों की कौन कहे, ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के लिए भी पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है । सरकार को पेयजल की सही व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो स्थिति पैदा की गई है वह यह है कि किसान दोनों तरफ से परेशान है । पिछली फसल ओले से नष्ट हो गयी और गर्मी की वजह से बुवाई का कार्य पिछड़ता जा रहा है । इस समय कोआपरेटिव तथा अन्य देयों की वसूली किसान से बड़ी कठोरता के साथ की जा रही है। किसानों पर प्रताड़ना की कार्यवाही की जा रही है । सरकार को शर्म आनी चाहिए थी कि किसान बर्बाद हो गया है उसकी सहायता की व्यवस्था की जाती । सरकार इसका सामना करने में फेल हो गयी है फिर भी किसानों की प्रताड़ना हो रही है ।

मेरी जानकारी है कि पूरे प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु गर्मी और लू से हुई है । अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा नहीं है । पर्वतीय अंचल को छोड़कर सारा मैदानी भाग पूरी तरह से प्रभावित है । चित्रकूट की जिस घटना का उल्लेख किया गया वह हृदय विदारक है । वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी आप कल्पना करें कि 25 आदमी बिना पानी के किस तरह से तड़प-तड़प कर मरे होंगे इसकी कल्पना करके सिहरन उत्पन्न होती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आज की कार्यवाही को रोककर इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू चल रही है और लोगों को उम्मीद थी कि जब इतनी गर्मी पड़ेगी और लू चलेगी तो सरकार की तरफ से इसकी कोई व्यवस्था की जायेगी । जहां तक मेरी जानकारी है बांदा में 47 डि0सेलसियस तापमान रहा है । बनारस और आजमगढ़ में 46 डि0सेलसियस तापमान रहा है । पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ेगी इसकी सम्भावना 2 महीने पहले मौसम विभाग ने की थी । बनारस में कुवों का जलस्तर नीचे चला गया था लेकिन मई जून आते-आते सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी । मुख्य मंत्री जी ने जनपद बनारस में डेढ़ दो महीने घोषणा की थी कि वहां पर डेढ़ सौ चापाकल लगाये जायेंगे लेकिन आज तक एक भी चापाकल नहीं लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हैं । मुख्य मंत्री जी और जगहों पर भी गये और उन्होंने एलान किया कि पेयजल की व्यवस्था की जायेगी लेकिन मुझे जानकारी है कि आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ में भी पानी के कारण हाय-हाय मची है। हर साल यह परम्परा रही है कि जब गरमी का मौसम आता है तो नगर महापालिकाओं द्वारा पौशाला बैठाये जाते हैं ताकि रास्ता चलते लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कवाल टाउन्स छोड़ दीजिए, जो सुदूर अंचल हैं वहां पर पानी की क्या हालत होगी ।

करीब 80 मौतें प्रदेश में हुई हैं । अभी कल परसों की घटना है, लखनऊ में मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के घर के सामने चौरीचौरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा श्रीमती सुधरी की मृत्यु हो गयी । वह उनसे मिलने आयीं थीं उनकी मौत लू से हुई है । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री के दरवाजे पर जहां प्रदेश से लोग मिलने आते हैं वहां पर पानी का इंतजाम न किया जाय इतनी खराब व्यवस्था शायद किसी मुख्य मंत्री के दरवाजे पर नहीं होगी । बड़े-बड़े लोगों के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए क्या व्यवस्था है, वह मुझे नहीं मालूम लेकिन साधारण आदमी के लिए मुख्य मंत्री निवास के सामने पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । इसकी जितनी निंदा की जाय वह कम है। मेरी जानकारी है कि इस समय लू से मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य विषय की ग्राह्यता पर बोलें । जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास का सवाल है वहां पर ठंडे पानी की टंकी, बाहर और भीतर दोनों जगह पर लगी है ।

श्री अधिष्ठाता –

आप बैठिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

इस तरह की कागजी घोषणाएं करने में यह बहुत माहिर हैं । मेरा निवेदन है कि इस समय जितने लोग लू से मर रहे हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब पानी के अभाव में प्यास के कारण लू से आदमी की मौत हो जाय, दर्दनाक मौत हो जाय और उसके बाद उस मरे हुए आदमी का पोस्टमार्टम कराया जाय, मुझे नहीं मालूम कि यह कहां की इंसानियत है । क्या यह जो मरे हुए लोग हैं इन मरे हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं ?

मान्यवर, मेरा कहना है कि जिन लोगों की मौत पानी के अभाव में हुई है, लू से हुई है उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए । मान्यवर, बिजली का उत्पादन ठीक से नहीं हो पा रहा है इसलिए बिजली के उत्पादन के अभाव में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में किसानों को वहां पर राशन कार्ड पर पानी दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है । आज दैनिक जागरण पत्र में छपा है कि वहां पर गांवों में राशन कार्ड में 5-5 लीटर पानी दिया जा रहा है। मान्यवर, जब महाराष्ट्र की सरकार पानी दे सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती है ? उत्तर प्रदेश की सरकार को जहां लू से लोग मरे हैं या मर रहे हैं वहां पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, चापाकल

लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए, मरे हुए लोगों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए। अगर सरकार तत्काल यह नहीं करती है तो सरकार अपने कर्तव्य से च्युत हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

कमाल साहब संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, इस साल भी सूखे से बस्ती जनपद तबाह हो गया। इस साल अब तक जून खत्म होने को है और आषाढ़ में एक बूंद पानी नहीं बरसा है। लोगों ने धान की बेड़हन डाली उसकी रोपाई नहीं कर सके हैं । उम्मीद थी कि अपने ट्यूबवेल से करेंगे लेकिन इधर इसकी तैयारी हो रही थी कि गन्ने की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गयी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । ट्यूबवेल इनके ठीक नहीं है वहीं जबरदस्त तरीके से सरकारी देयों की वसूली हो रही है। अभी कल मैं अपने क्षेत्र में गया था। कोआपरेटिव के लोगों के द्वारा किसानों को थाने में बन्द किया गया फिर उनके जानवरों को कांजी हाउस भेजा गया। मैं मान्यवर, मांग करता हूं कि इस पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें। चूंकि स्थिति गम्भीर है । अतः ऐसी हालत में तत्काल वसूली रोकी जाय और उत्पीड़न की कार्यवाही रोकी जाय ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, पूरे जनपद में सूखे की स्थिति इस समय व्याप्त हो रही है । श्रीमन्, बस्ती की स्थिति और भी दयनीय है क्योंकि वहां गवर्नमेन्ट के सिंचाई के साधन नहीं हैं, नहरें नहीं हैं, ट्यूबवेल जो है वह ज्यादा से ज्यादा खराब पड़े हुए हैं। प्राइवेट ट्यूबवेल की हालत यह है कि उसमें पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि सुबह को ट्यूबवेल चलायें तो 2 घंटे पानी देता है । मान्यवर, गन्ना अलग सूख रहा है । धान की जिन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल से नर्सरी डाल रखी थी वह नर्सरी खराब हो रही है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है।

मान्यवर, इसके साथ ही ऊपर से इस तरह से भीषण वसूली की जा रही है कि लोगों को पकड़-पकड़ कर बन्द किया जा रहा है । किसान इस समय एकदम परेशान हो रहा है। श्रीमन्, एक दिन की बात है कि मेरे घर के सामने से एक बुढ़िया जा रही थी। थोड़ी दूर पर ही नल था, वह पानी पीने जा रही थी लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंच पाई और वह मेरे घर के सामने ही गिरकर मर गयी । इस तरह से वह रास्ते में ही मर गयी । यह हालत हो रही है इतने लोग परेशान हो रहें और उस पर भी वसूली पूरी तरह से हो रही है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वसूली का काम बन्द किया जाय और इस पर तुरन्त कार्रवाई की जाय । इनके जो सरकारी नलकूप हैं इनको तुरन्त ठीक कराया जाय और वहां पर तुरन्त पानी की व्यवस्था की जाय ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

*श्री सुख पाल पाण्डे–

मान्यवर, हमारी समस्या दूसरी है, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

बस्ती की बात आ गयी है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखे पर जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां इस वक्त घाघरा के कटान से बालू उड़ रहा है । वहां पर लोग झोपड़ियों में बसे हुए हैं और उन्हें पानी नहीं मिल रहा है । उन्हें एक-दो किलोमीटर तक जाना पड़ता है लेकिन वे पीने के लिए पानी नहीं पा रहे हैं क्यों कि वहां पर पानी नहीं है । जल निगम की यह हालत है कि जो हैंड पंप लगाये गये हैं वह आज भी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मा0 मंत्री जी को इसकी जरा सी भी चिन्ता नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जानवर मरे जा रहे हैं । जंगल के किनारे मैंने देखा कि नीलगाय पानी के बिना मर रहे थे, जब गांव वालों ने उन्हें बाल्टी से पानी पिलाया तो उनकी जान किसी तरह से वापस आई । मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था करवायें और उनके लिए आदेश करवायें। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो वसूली हो रही है उसे बन्द करवाया जाय और जो लोग इस तरीके से सूखे के समय वसूली कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, इस समय केवल बस्ती जिला ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है और इस समय आधा आषाढ़ बीत गया है लेकिन अभी तक बोआई नहीं हो पाई है । मान्यवर, यह सूखा नहीं बल्कि अकाल उत्तर प्रदेश के दरवाजे पर खड़ा है जानवर पानी बिना मर रहे हैं । खेती चौपट होने वाली है इसलिए मान्यवर, मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर अवश्य चर्चा करवाई जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इस प्रदेश में हर जगह हैंड पम्प लगाये गये हैं । कही-कहीं पर 60 और 100 तक हैंड पम्प लगे हैं । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बलिया में 15 दिन पहले तक एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा था ।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, आपका कोई प्रस्ताव नहीं है आप कैसे बोल रहे हैं –

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वर्षा अभी नहीं हुई है और अब तक हो जाना चाहिए, इसके कारण कठिनाई और समस्यायें उत्पन्न हुई हैं और जगह-जगह जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ समस्यायें हमारे सामने पीने के पानी की है, सिंचाई की है लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वहां जो लोग हैं ऐसे स्थानों पर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाय और सिंचाई के लिए पानी पहुंच जाय और अगर सिंचाई के साधन नहीं हैं तो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं । इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है और कई स्थानों पर इसे पूरा भी कराया गया है ।

मान्यवर, झांसी में पहुंच बांध है वहां पर रात-दिन काम करवा कर नहर बनवाई गई और 20 किलोमीटर तक नहर की व्यवस्था करवाई गई । वहां पर 30 टैंकर भी लगवाये गये हैं । इसी तरह से और भी जिलों में किया जा रहा है । मान्यवर, यह करना सरकार का कर्तव्य है । सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है और प्रयास कर रही है कि सब जगहों पर पानी पूरी तरह से पहुंच जाय । जिन समस्याओं की ओर

मा0 सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं इसको देखते हुए श्रीमन् मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप चर्चा स्वीकार कर लें ताकि इन सम्मानित सदस्यों के भी सुझाव आ जाएं । जो हम राहत कार्य कर रहे हैं उनको और अच्छी तरह से कर सकें और उनमें तेजी ला सकें क्योंकि यह समस्या बहुत ही गम्भीर समस्या है ।

(शोर)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं वह यह कि जैसे कि आज कल प्रदेशों में सूखे की स्थिति हर जगह व्याप्त है इस पर जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम राहत कार्य पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई राहत कार्य मेरी समझ में पहुंचा नहीं, वहीं पर जो वसूलयाबी में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी घोषणा करेंगे हर जगह उत्पीड़क कार्यवाही को बंद करवा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

हम मान्यवर, राहत कार्य पहुंचाने जा नहीं रहे हैं बल्कि पहुंचा रहे हैं और जहां-जहां सूखे का प्रकोप है वहां पर कोई भी उत्पीड़क कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दो घंटे की चर्चा के लिए इसे स्वीकार करता हूं । (शोर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के रोके जाने के नाम पर प्रदेश के जिन जिलों में जुलूस, प्रदर्शन व सभाओं के करने पर रोक लगाई गयी है। मान्यवर, इस तरह से सरकार द्वारा संविधान में प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गयी है और मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया। मान्यवर, हम उन व्यक्तियों में से हैं कि अगर ईमानदारी से सरकार साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाये तो इसे हम अवश्य स्वागत करेंगे, लेकिन मात्र इसको रोकने के नाम पर आर्थिक अपराधियों द्वारा किये गये अपराधों पर केवल परदा डालने की नियत से यदि यह रोक लगाई जाए तो इसे गलत कहा जायेगा । अगर संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त है, अपनी मांगों को मनवाने का, जनता की आवाज आप तक पहुंचाने का, वह है प्रदर्शन, जुलूस व सभाओं आदि को करने के जो अधिकार दिये गये हैं और अगर इन अधिकारों पर पाबंदी लगायी जाए, तो वह नियमों के तहत पूर्णतया गलत है। और जिन जिलों में ऐसी रोक लगायी गयी है वह है गोरखपुर, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में कौन सी ऐसी सम्भावना है, फैजाबाद में और लखनऊ में कौन सी ऐसी संभावना है साम्प्रदायिक दंगे की। मेरा आरोप है कि यह इसलिए लगायी गयी थी ताकि लखनऊ में सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के प्रदर्शन को विफल किया जा सके और गोरखपुर में इसलिए रोक लगायी गयी थी कि इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और देश के रक्षा मंत्री वहां आयोजित कार्यक्रमों में भाग न ले सकें और जिन भारतियों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, उसकी असलियत जनता के सामने न आ सके और मान्यवर, फैजाबाद में इसलिए रोक लगायी गयी कि फैजाबाद में पुलिस वाले अवैध शराब की बिक्री करा रहे थे और गुण्डों को संरक्षण दे रहे थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए जब हम लोगों ने आवाज उठायी तो मेरे समेत 69 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन जिलों पर इस प्रकार की रोक लगायी गयी, उसका औचित्य क्या है और इसकी सही स्थिति क्या है इस संबंध में माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप माननीय मंत्री जी को निदेश दें कि वह सारी स्थिति को सदन में स्पष्ट करें ?

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा यह प्रतिबन्ध साम्प्रदायिक दंगों को दृष्टि में रखकर नहीं लगाया गया है बल्कि यह प्रतिबन्ध माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ट नेता हैं, उनके कार्यक्रमों को दृष्टि में रखकर लगाया गया है। जो मूल अधिकार हैं नागरिकों के, सभा करने के, बात करने के, अपनी भावनाओं इच्छाओं को रखने के उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विभिन्न दलों के लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं, सभा करना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। माननीय विश्व नाथ प्रताप सिंह जी की सभा थी गोरखपुर में, उस सभा को विफल करने के लिए सारे गोरखपुर में आवागमन ठप्प कर दिया गया। बरातियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। कई शादियां रुक गईं, लोग कोर्ट कचहरी नहीं जा सके, अपनी रिश्तेदारी में नहीं पहुंच पाये। जो जहां पड़ा था वहीं रोक दिया गया। इस प्रकार का पुलिस राज्य तो अंग्रेजी समय में भी नहीं था। जो गोरखपुर में कुछ दिन था। हमारे मा0 नेता श्री जनार्दन प्रसाद ओझा भी इस कुप्रबन्ध को देखकर पहुंचे वह भी गिरफ्तार हुए। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो मुख्य मंत्री थे यहां के भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे, आज भी राजीव गांधी की दोहाई देते हैं। इतनी लथाड़ खाने के बाद वह भी गिरफ्तार हुए। आज वहां इसी कुप्रबन्ध के खिलाफ सभा और जुलुसों का आयोजन हमारे साथियों ने किया है। मुझे सूचना मिली है हमारे नेता रेवती रमण जी गिरफ्तार हुए। हर्षवर्धन जी को गिरफ्तार किया गया उनकी मीटिंग को नाकामयाब करने के लिए। बहुत सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार करने के बाद कहीं ले जाकर उन्हें छोड़ देंगें। कल मा0 गृह मंत्री जी से बयान दिला दिया जाएगा कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें निरीक्षण भवन में ठहराया गया या थाने में ले जाया गया और ठंडा पानी पिलाया गया. . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको स्थिति को स्वीकार करना चाहिए यह वास्तविकता स्वीकारें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

साम्प्रदायिक भावना को लेकर 36 जिलों में से 22 जिलों में सभाओं और रैलियों व अन्य कार्यक्रमों पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। ब्रितानिया हुकूमत के समय भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध होता रहता था। आदरणीय गांधी जी ने मान्यवर, प्रीवी कौन्सिल में एक याचिका दायर की गयी थी। मा0 न्यायाधीश ने फैसला दिया कि जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं का आदान-प्रदान जनतंत्र में

जुलूसों एवं रैलियों के द्वारा करने का अधिकार विपक्ष को होना चाहिए । प्रीवी कौन्सिल में जज ने फैसला किया जब दूसरे देश की गवर्नमेन्ट थी। आज जब स्वयं का शासन है तब हमारे मुख्य मंत्री जी ने फैसला ले लिया कि सभाओं और रैलियों में 22 जिलों में प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। मान्यवर, आगरा से आप हैं आगरा में देखें पानी की कितनी कमी है। बिजली की किल्लत है।

श्री अधिष्ठाता–

आप विषयांतर कर रहे हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आप मेरी बात सुन लें । मैं कहना चाहता हूं कि आगरा विकास प्राधिकरण में करोड़ों का घपला है। आगरा में जो जन आक्रोश की भावना पैदा हुयी है, आक्रोश प्रकट न हो जिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है क्या यह साम्प्रदायिक विरोध है। क्या 36 जिले साम्प्रदायिक विष की चपेट में आ गये हैं। तो श्रीमन्, ऐसी समस्याओं के रहते आज जो यह भावना प्रदर्शित की गयी है, वह लोकतंत्र की हत्या है। इसलिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट सत्र उनके कार्यकाल का आखिरी सत्र है, इस अंतिम समय में क्या वे अपने ऊपर कलंक का टीका लगाना चाहते हैं। इस कलंक को धोने के लिये यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा कर दें कि वे इस आदेश को वापस ले लेंगे ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में नियम 56 में तो आपको सूचना दूंगा, लेकिन चूंकि मा0 मैनेजर सिंह जी ने मेरा नाम ले लिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मा0 वीर बहादुर सिंह की सरकार ने 7 शादियों (लड़कों की हों या लड़कियों की) को नहीं होने दिया । एक गर्भवती महिला का नौसड़ चौराहे पर गर्भपात हुआ और चार लोगों की हत्या हुई। एक आदमी ने लिखा था कि हमको फोर्स चाहिये, कुछ गड़बड़ी हो गयी है, लेकिन केवल दो होमगार्ड दिये गये, इसलिये वहां पर 4 व्यक्तियों की हत्या हो गयी। मैं गोरखपुर शहर में आ रहा था, एक कोई राजा साहब आ रहे थे, पहले मुख्य मंत्री रह चुके थे। लेकिन वहां पर यह 144 मेरे ऊपर कैसे लगती है। यह सब तमाम प्रकरण मैं कल कहूंगा और इस पर अपना बयान करूंगा, आप मा0 गृहमंत्री जी को निर्देशित करें कि पूरे फैक्ट के साथ बतायें कि गोरखपुर को कैद खाना क्यों बनाया गया, निचलौल में लोगों को घरों में क्यों भर दिया गया, आने जाने की सुविधाएं कम क्यों की गयीं, जो चार लोगों की हत्याएं हुईं उनके लिये जिम्मेदार कौन था। इससे पहले जब प्रधान मंत्री गोरखपुर आए थे तो 7 बटालियन पी0 ए0 सी0 लगी थी, लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए तो 40 बटालियन पी0ए0सी0 लगी ।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, इस प्रदेश में संवेदनशीलता के कारण कुछ जनपदों में प्रतिबन्ध जुलूसों और सभाओं पर लगाया गया था। यह कहना सही नहीं है कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण यह प्रतिबन्ध लगाए गये या किसी व्यक्ति विशेष की सभाओं को रोकने के लिये ये प्रतिबन्ध लगाए गये। हमारे प्रदेश में 38 संवेदनशील जनपद हैं, जिसमें से केवल 22 में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था। हम आपका सहयोग चाहते हैं और जैसे-जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

संवेदनशीलता कम होती जायगी, प्रतिबन्ध हटा लिये जाएंगे। हमारी सरकार चाहती है कि किसी भी जनपद में प्रतिबन्ध न रह जाय, संवेदनशीलता की भावना समाप्त हो जाय, साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा हो जाय, ताकि सबको अपनी बात कहने, जुलूस निकालने की सुविधा प्राप्त हो। यही शासन की नीति रही है और आज भी उसे सामान्य स्थिति की प्रतीक्षा है। दूसरी बात यह है कि यह जिला प्रशासन के देखने की बात है कहां शांति व्यवस्था की दृष्टि से कौन सा कदम उठाना पड़ता है और ऐसी दशा में जो भी कदम उठाना वे उपयुक्त समझते हैं, उठाते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के सम्बन्ध में संवेदनशीलता की क्या रिपोर्ट शासन से प्राप्त हुई है और ऐसी क्या स्थिति थी कि 15 जून को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सभा में प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । वहां उनके जाने से कौन सी संवेदनशीलता की बात उठने की आशंका थी, क्या मा0 मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे?

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, अभी पिछले दिनों जहानाबाद (जिला फतेहपुर) में एक शराब के ठेके पर विषैली शराब पीने से लगभग 2 दर्जन व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे । दर्जनों व्यक्ति अन्धे हो गये। पुलिस विभाग की, प्रशासन की और आबकारी विभाग की साजिश से पिछले कई दिनों से विषैली शराब वहां पर बिकवाई जा रही है। इसी का अन्जाम यह हुआ कि वहां पर लोग इस विषैली शराब पीने से दम तोड़ने लगे और वहां के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। कुछ लोगों को फतेहपुर जनपद अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि डाक्टर चाहते तो उन मरीजों के स्टमक को वाश कर बचाया जा सकता था, कुछ को कानपुर जनपद अस्पताल में भेजा गया। 20 आदमी तो रास्ते में ही दम तोड़ गये, और जिन्हें बचाया जा सकता था, परन्तु इलाज न होने के कारण उन्होंने भी तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया ।

इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि फजलगंज में, एक फैक्ट्री है जो पाउडर बनाती है, वहीं पर एक किलो पाउडर में 20 किलो पानी मिलाकर 100 शराब की बोतलें बनायी जाती है। इस प्रकार लाखों रुपया कमाकर लोगों को विषैली शराब वहां पर पिलाई जा रही है। आज इस काण्ड से फतेहपुर के लोगों में आक्रोश है। इस मिलावट के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी के बंगले पर धरना दिया । इसलिए सरकार से मांग है कि वहां पर पुलिस विभाग व आबकारी विभाग के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय अन्यथा, वहां पर इससे भी बड़ा काण्ड हो सकता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आज कार्य स्थगन के प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार, शेष सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायें ।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय अकाल मौतों की काली छाया मंडरा रही है, जब से वीर बहादुर सिंह जी आये हैं, इस प्रदेश में अकाल मौतें हो रही हैं। चाहे वह फैजाबाद रहा हो, चित्रकूट रहा हो, चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाजमऊ कानपुर के पुल पर अकाल मौतें हुई हों और चाहे फतेहपुर में अकाल मौतें हुई हों, ये सब चुड़ैल व भूत बनकर यहां लखनऊ में श्रीमती पद्मा सेठ व श्री वीर बहादुर सिंह जी को अवश्य लगेंगी। श्री अम्मार रिजवी जी के यहां भी ये चुड़ैल व भूत बनकर आयेंगी। मैं जहानाबाद गया था और माननीय नेता विरोधी दल भी वहां गये थे। वहां पर अतर सिंह एक ठेकेदार है, जिसका वहां पर यह शराब का ठेका है। इससे पहले भी उसके यहां से विषैली शराब पीकर कई लोग मर चुके हैं। स्टेशन के पास ही जहां उसकी अंग्रेजी शराब का ठेका है, वहीं पर गन्दा पानी मिलाकर शराब वह बनाता है। केवल यहीं पर नहीं पूरे जहानाबाद में वह शराब बेचता है। डी0 एम0, एस0 डी0 एम0 और एक्साइज के अधिकारी, हम जानते हैं कि शराब पीते हैं। शराब से अच्छी खासी आमदनी सरकार की है और उनसे भी ज्यादा जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, कमिश्नर हैं या वहां के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी है। उस दिन सुबह एक्साइज इन्सपेक्टर वहां गया और रजिस्टर में लिखा कि सब सही पाया, एल्कोहल सही मात्रा में है, 9 बजे शराब पी लोगों ने, 9 आदमी तो वहीं मर गये और 5 अन्धे हो गये, सैकड़ों लोग फतेहपुर और कानपुर के अस्पताल में आये। परसों तक कोई भी अधिकारी वहां देखने नहीं गया था।

हम यह मांग करते हैं कि जो लोग मरे हैं, उनके आश्रितों को एक-एक लाख रु0 दिया जाय और जो सी0 ओ0, डी0 एम0 या एस0 डी0 एम0 हैं, उनको मुअत्तल किया जाय और इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री सत्यपाल सिंह–

जैसा कि मा0 सदस्य मनोहर लाल जी ने कहा, मैं भी वहां गया था। जो बातें मनोहर लाल जी ने कहीं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह पहली घटना नहीं हुई है, दो माह पहले फर्रुखाबाद में भी काफी लोग मारे गये, विषाक्त ताड़ी पीने के बाद। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पकड़ आपके प्रशासन से कमजोर होती चली जा रही है। इसका उदाहरण यह है कि जहानाबाद में जो बस स्टैण्ड के पास ठेका था शराब का उसके अलावा दो जगह पर, खुद मुझसे सी0 ओ0 ने कहा, दो गुमटियां बगैर लाइसेंस शराब बेच रही थीं, उनको कभी भी पुलिस ने या एक्साइज विभाग वालों ने नहीं रोका। जब यह 9 मौतें हो गयीं तो सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि शराब क्यों पी। मैं कहता हूं कि शराब पीने के लिये लाइसेंस आपने दिया, जनता पार्टी ने तो शराब पर रोक लगायी थी। शराब पीने का अधिकार आपने दिया, उसका रेवेन्यू आप ले रहे हैं। मुझे कहना यह है कि उन गरीब लोगों ने जिन्होंने शराब पी, मरे और अन्धे हुए। मैं उन 9 परिवारों में स्वयं गया, एस0 डी0 एम0 थे, सी0 ओ0 थे, कहना पड़ता है कि इन अकाल मौतों के बाद भी एस0 डी0 एम0 से लेकर लेखपाल तक का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी वहां पर नहीं गया।

कई परिवार ऐसे हैं जो भूखों मरने की स्थिति में हैं, उनको एक पैसे की भी सहायता नहीं दी गयी न वह सहायता दी गयी कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी रोजाना दूरदर्शन में घोषणा करते हैं कि ऐसी अकाल मौतों में सहायता दी जायगी। आपके प्रशासन ने एक छदाम भी नहीं दिलवायी है, न ही कोई देखने गया है और न

इलाज की कोई व्यवस्था की गयी है। दरोगा भी सस्पेण्ड नहीं हुआ। जहानाबाद क्षेत्र का दरोगा भी निलम्बित नहीं हुआ, सी0 ओ0 का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। सारी की सारी पुलिस के अधिकारी, एक्साइज के कर्मचारी, उनकी अनुमति के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि शराब बनाये और बेचे, लेकिन वहां तो रोडवेज के पास पूरा कारखाना पकड़ा गया है। वहां कैमीकल्स भी मिले हैं और मशीनें भी मिली हैं जिनसे शराब बनाते थे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जानी चाहिये। इस पर सरकार को चाहिए कि सख्त कार्यवाही करे। उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करे, जो शराब बनवाते थे और बिकवाते थे। इसके अतिरिक्त जो इस दुर्घटना में मारे गये हैं, उनको तुरन्त सहायता भिजवाइये।

श्री मनोहर लाल–

जहानाबाद की शराब पीने वाले बहुत से लोग यहां पर हैं, उनको बुलाकर उनसे "टेस्ट" करा लीजिये।

श्री अम्मार रिजवी–

अधिष्ठाता जी, यह जो दुर्घटना घटी इसका हम सबको अफसोस है। मा0 गोपाल दास यादव जी ने कहा कि करीब दो दर्जन व्यक्तियों की मौतें हो गयीं और साथ ही 200 व्यक्तियों के आंखों की रोशनी चली गयी। उसके साथ ही साथ मा0 मनोहर लाल जी ने कहा कि 9 व्यक्तियों की मौतें हुईं और 5 लोगों के आंखों की रोशनी चली गयी। वास्तव में 9 व्यक्तियों की मौत हुई और तीन व्यक्तियों के आंख की रोशनी चली गयी।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मैंने यह कहा कि 200 लोगों के आंखों की रोशनी गयी पर आपका ध्यान उस ओर नहीं गया। जब लोगों की मौत हुई तब जाकर आप समझे कि जरूर अब कोई घटना हो गयी है।

श्री अम्मार रिजवी–

इसमें वहां के एक सब इंस्पेक्टर को और एक कांस्टेबिल को निलम्बित किया गया है। आबकारी निरीक्षक, श्री सिद्दीकी को और उनके साथ चार सिपाहियों को भी निलम्बित किया गया है। श्री अतर सिंह ठेकेदार पर 99/87 तथा 304/328 भा0 दं0 वि0 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गये हैं लेकिन अभी वह फरार है। उसकी तलाश जारी है। कार्यवाही पूरी तरह से की गयी है। रोगियों को इलाज के लिये अस्पतालों में भेजा गया है। 26 लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेन्टर जहानाबाद भेजा गया और 42 व्यक्तियों को ओखला अस्पताल, कानपुर भेजा गया जहां से 27 लोगों को डिसचार्ज कर दिया गया। तीन लोगों की इससे आंखों की रोशनी चली गयी। जहां तक अतर सिंह का सम्बन्ध है, उनके विरुद्ध सख्ती से कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जो लोग इसमें शामिल हुए पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और जो इसमें शामिल पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। इसमें मैजिस्ट्रीरियल इनक्वायरी के भी आर्डर हो गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लाईसेन्सिंग आफिसर होता है, इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर या ए0डी0एम0 जो कार्यवाहक अधिकारी होता है इन दोनों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या आप इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे क्योंकि लाईसेन्सिंग अथारिटी की ही सीधे जिम्मेदारी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

यह सही है कि लाईसेन्सिंग अथारिटी डी0 एम0 होता है आर्म्स का लाईसेन्सिंग अथारिटी भी वही होता है इसके माने है कि उसके दिए हुए आर्म्स से जितनी मौतें हों, वह डी0 एम0 की जिम्मेदारी हो जाय ? ऐसा नहीं है । इसमें भी इसी तरह से है । वहां पर इसके लिये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो-जो इसमें शामिल है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी बड़ी चतुराई से जवाब दे देते हैं । मैंने जो तथ्य रखे थे उसके संबंध में मैं उनसे केवल तीन बातें पूछना चाहता हूं?

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं, जब यह आ जाय तब आप इसे पूछ लीजियेगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आप बड़े उदार हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं । मैं एक बहुत गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह विषय प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक मूर्खता के कारण छोटी-छोटी बातें विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि मेरठ की स्थिति सामान्य हो रही है, नियंत्रण में है।

दूसरी ओर वहां की स्थिति को और बिगाड़ने का काम स्थानीय प्रशासन कर रहा है । कल 28 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने पर वहां के प्रशासन ने रोक लगा दी । एक दिन पहले वहां के स्थानीय प्रशासन ने इस रथ यात्रा को निकालने की अनुमति दी थी रथ यात्रा निकालने के लिये बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष इकठ्ठा हुये । प्रशासन ने रथ यात्रा निकालने से रोक दिया और पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 50 लोगों को जेल में डाल दिया ।

मैं जानना चाहता हूं कि एक दिन पहले 27 तारीख को कौन सी परिस्थितियां थीं जब प्रशासन ने अनुमति दी और 28 तारीख को कौन सी परिस्थिति बिगड़ गई कि रोक लगा दी गई । यदि ऐसा लगता था कि वहां की स्थिति नियंत्रण में नहीं है तो 27 तारीख को अनुमति क्यों दी गई कि लोग एकत्रित हुये, शान्तिपूर्ण ढंग से जुलूस को निकालने की कोशिश की और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया । अहमदाबाद में पूरे इन्तजाम के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी गई । हवाई जहाज से प्रबंध किया गया यह देखने के लिये कि कोई ऐसी बात न होने पाये और रथ यात्रा शान्तिपूर्ण ढंग से निकल गई, पुरी में निकल गई । मेरठ में भी 100 सालों से यह रथ यात्रा

निकलती आ रही है । सरकार ने रथ यात्रा पर रोक लगाकर केवल मेरठ में नहीं पूरे प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है । मैं चर्चा की मांग नहीं कर रहा हूं वक्तव्य की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं मांग करना चाहता हूं कि इतना अहम मसला है, करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा है, शासन को चाहिये कि पूरे प्रबन्ध के साथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलवाने का काम करें । रथ खड़ा है, इससे दूसरे जिलों के लोगों में भावना भड़केगी । 27 तारीख को यदि ऐसा लगता था कि स्थिति बिगड़ जायेगी तो अनुमति नहीं देनी चाहिये थी लेकिन अनुमति देकर फिर रोक लगाना उचित नहीं है। यही छोटी-छोटी बातें हैं जो पूरे प्रदेश में आग पैदा कर रही है। मैं पुरजोर शब्दों में शासन से मांग करता हूं कि मेरठ में पूरे प्रबन्ध के साथ, मैं नहीं चाहता कि मेरठ में स्थिति बिगड़े, रथ निकलवाने का काम शासन का है, खासतौर पर तब जब वहां का प्रशासन 27 तारीख को रथ निकालने की अनुमति देता है। वहां के डी0 एम0 को शासन ने पता नहीं क्यों बना रखा है । जब मेरठ पर चर्चा होगी तो मैं विवरण के साथ अपनी बात रखूंगा । शासन का काम रथ यात्रा को रोकने का नहीं है । यदि कोई निकालना चाहता है तो निकालने की व्यवस्था करने का काम शासन का है । आज आप रथ निकालने पर रोक लगा रहे हैं, कल दीपावली आयेगी, उपद्रव के डर से आप दीपावली मनाने पर रोक लगा देंगे, परसों ईद आयेगी, दो-चार लोग हंगामा कर देंगे तो आप ईद पर रोक लगा देंगे। शासन का काम है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे और जिन बातों से करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है, उसको सम्पन्न कराने का प्रयास करे।

मैं तीसरी बार फिर मांग कर रहा हूं कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलवाने का प्रबन्ध सरकार करे, रथ शान्तिपूर्वक निकल जायेगा, वहां कुछ होने वाला नहीं है । इसे रोक कर पूरे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं जो न आपके लिये शोभनीय होगी और न हम ही इसे पसन्द करेंगे । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिन लोगों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं पहले आप उनको सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । जिन माननीय सदस्यों ने इसे दिया है पहले उनको मौका दिया जायेगा । लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ने जो बातें कह दी हैं, उनको कृपया न दुहरायें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जिस रथ यात्रा की चर्चा यहां पर हो रही है वह सौ वर्षों से पारम्परिक ढंग से मेरठ में निकलती रही है और इसी वजह से जिला प्रशासन के सामने रथ यात्रा के आयोजकों ने अनुरोध किया और जिला प्रशासन ने रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी । लेकिन बिना किसी कारण बताये, जब वह रथ यात्रा निकली उस समय जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी ने उसको रोक दिया जिसमें 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया । इस घटना की वजह से आज मेरठ में जहां फिर से शान्ति वापस आ रही थी, वातावरण सद्भाव का बन रहा था । मैं कहना चाहता हूं कि वहीं पर फिर आज मेरठ के अन्दर सदर और कैन्ट में करफ्यू लगा दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि फिर से मेरठ को आज साम्प्रदायिकता की आग में धकेलने का काम इस बेलगाम सरकार के प्रशासन ने किया है । इसलिये मेरा निवेदन है इस संवेदनशील मामले पर सरकार को बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिये ।

आज धर्म-निरपेक्षता की जो व्याख्या इस सरकार द्वारा की जा रही है, वह गलत है। उसमें इस बात की रोक नहीं है कि किसी व्यक्ति, जाति अथवा वर्ग विशेष के लिये रोक लगा दी जाय । वहां पर लोग शान्तिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, उस पर रोक लगाना गैर-कानूनी तरीका है। इनकी ना-समझी ने मेरठ को दुबारा साम्प्रदायिक भावना की आग में धकेलने का काम किया है । इसलिये अन्य कार्यों को स्थगित करके मैं इस विषय पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरठ के सम्बन्ध में जो काम रोको प्रस्ताव दिया गया है जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सम्बन्ध में है, उसके सम्बन्ध में दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं । पारम्परिक रूप से पचासों वर्षों से वहां पर यह धार्मिक आयोजन किया जाता रहा है । आज तक ऐसा कोई भी आयोजन चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब से क्यों न संबंधित हो, किसी भी परिस्थितियों में उसे रोकने का प्रयास नहीं हुआ है। मान्यवर, यह धार्मिक आयोजन ऐसे समय में रोक दिया गया जब मेरठ की स्थिति सुधर रही थी । यह देखकर दुख हुआ कि रथ यात्रा की अनुमति देने के बाद जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे, उस समय लाठी-चार्ज किया गया, पचासों लोग गिरफ्तार किये गये और दसियों लोग घायल हुये। सरकार द्वारा वहां पर अशान्ति फैलाने की कोशिश की गई । माननीय कल्याण सिंह जी ने जो बातें बतलाई उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद जैसे संवेदनशील शहर में जहां हर महीने दंगे फसाद होते रहते हैं रथ यात्रा निकाली गई । वहां के कालूपुर, दरियापुर और सरसपुर झगड़े के क्षेत्र हैं उन में भगवान जगन्नाथ की रथ-यात्रा निकाली गई, किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई । शांतिपूर्ण ढंग से निकाली गई ।

मेरठ में आज रथ मंदिर के बाहर खड़ा है । पुलिस कहती है कि हम उस पर हाथ नहीं लगायेंगे रथ यात्रा के आयोजक कहते हैं कि जब तक यात्रा नहीं निकलेगी हम रथ वापिस नहीं ले जायेंगे और पुजारी कहते हैं कि हम मंदिर नहीं खोलेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हम किसी मंदिर का द्वार नहीं खोलेंगे । इस तरह से मेरठ में सरकार ने अशांति पैदा कर दी है । इसलिये जैसा कि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा है शासन और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ, सुरक्षा के साथ मेरठ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलवाने की व्यवस्था करे और मुख्य मंत्री जी इसका आश्वासन देने की कृपा करें ।

(माननीय मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

प्रधान प्रभुदयाल–

मान्यवर, मैं वहां से आया हूं, हमारी गाड़ी 11 बजे यहां आई, इसलिये प्रस्ताव नहीं दे सके ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मुझे चर्चा नहीं करानी है केवल ग्राह्यता पर मुझे सुनना है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

ग्राह्यता पर सुन लीजिये। वहां से यह आये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरठ से 10-15 विधायक आते हैं तो क्या हर विधायक भाग लेंगे? चार बज चुके हैं (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कुछ लोग मौके पर से आये हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमों के ज्ञाता हैं मैं किस नियम के अन्तर्गत उनको बुलाऊं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप नियम 56, 57 और 58 देख लें । (व्यवधान) कहीं नहीं लिखा है कि जिन्होंने सूचना दी है केवल वही ग्राह्यता पर बोलेंगे । जो माननीय सदस्य तथ्यों की जानकारी दे सकते हैं वह बोल सकते हैं । एक-एक मिनट आप दे दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

इजाजत तो आप पहले दे चुके हैं उनको बोलने के लिये क्योंकि आपने पहले कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है उनको बुलाता हूं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहीं यह नहीं कहा कि आपको बुलाऊंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आपने कहा कि पहले उनको बुला लूं जिन्होंने प्रस्ताव दिया है इसलिये आपकी आज्ञा का पालन कर वह बैठ गये। इसलिए एक-एक मिनट उनको बुला लीजिये । अगर नहीं बुलवायेंगे तो फिर व्यवधान पैदा हो जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

अगर ऐसा होता रहा तो फिर फ्लोर में आने दीजिये । (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हमारे दल के लोगों को न बोलने दिया जाय यह उचित नहीं है (व्यवधान) कुछ लोगों को बोलने दिया जाय कुछ को नहीं यह उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमों के ज्ञाता हैं नियमों के अन्तर्गत ही सदन को चलाना है । यह मेरे लिये संभव नहीं है । यह कहना उचित नहीं है कि आपके दल के सदस्यों को समय नहीं दिया गया । (व्यवधान) मैं यहां पर अभी आकर बैठा हूं । प्रस्ताव देना आपके दल के सदस्यों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं।

*श्री भोपाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं नियम 56 में सूचना नहीं दे सका । मेरठ की घटना मेरे सामने घटी है आज हमारी गाड़ी 5 घंटा लेट हो गयी, इसलिये कार्य-स्थगन नहीं दे सके । माननीय कल्याण सिंह जी ने अखबारों की सूचना के आधार पर या टेलीफोन पर बात करके दी होगी लेकिन हमारे सामने घटना हुई है । वहां पर 140 सालों से यह यात्रा निकल रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है पहले उस पर निर्णय सुन लें । आप वरिष्ठ सदस्य हैं । माननीय कल्याण सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा है उसमें आपकी भावना सामने आ गयी ।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह कैसे कहते हैं कि उनकी बात आ गयी ? उनकी जानकारी में कुछ तथ्य होंगे (व्यवधान) वह अपनी बात कहना चाहते हैं । इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप विराजें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

उनकी बात सुनें (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी के दबाव के आगे इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं दूंगा । दबाव में या जोर जबरदस्ती में बुलवाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा ।

श्री भोपाल सिंह–

यह हमारा हक है, दबाव नहीं (व्यवधान)

प्रधान प्रभुदयाल–

इतने में हम अपनी बात कह लेते एक मिनट सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

दोनों में से केवल एक माननीय सदस्य को बुलवाऊंगा। दो मिनट में आप अपनी बात कह लें । एक आदमी आप तय कर लें ।

प्रधान प्रभुदयाल–

एक-एक मिनट दोनों को दे दीजिये ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, 140 सालों से यह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती आ रही है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आपके बगल में पहले सचिव, विधान सभा की कुर्सी लगा करती थी और श्री मित्तल साहब वहां बैठा करते थे जो सलाह दिया करते थे। हम लोगों ने विरोध किया तो उनकी वहां से कुर्सी हट गयी । मैं अनुरोध करता हूं कि अब एक कुर्सी आप अपने बगल में और लगवा दें और उस पर श्री शतरुद्र प्रकाश जी बैठा करें और विरोध पक्ष की कुर्सी पर न बैठकर आपके बगल में बैठें जो आपको सलाह दिया करेंगे, इससे आपको भी सहूलियत हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, 140 सालों से मेरठ शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती रही है। परसों की बात है रथ यात्रा को वहां निकालने का प्रोग्राम बनाया गया, जिला प्रशासन से बातचीत की और जिला प्रशासन ने आज्ञा दे दी लेकिन कुछ शर्तें रखीं। पहली शर्त थी कि बैण्ड और घन्टे नहीं बजाये जायेंगे, रूट शार्ट करेंगे, हमारे बताये रूट पर चलेंगे, इस प्रकार सभी बातें मान ली गयीं और कहा कि 10-12 आदमियों को रथ यात्रा पूरी करा-कर मंदिर पर पहुंचा दें। लेकिन कल जब रथ यात्रा शुरू की गयीं तो पुलिस वहां पहुंची और कहा कि डी0एम0 साहब ने कहा है कि रथ यात्रा नहीं निकाली जायेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसी जिला प्रशासन ने ईद पर कर्फ्यू रोक कर नमाज पढ़वाई लेकिन कल प्रोग्राम के अनुसार वहां लाठी चार्ज कराया गया और लोगों को पकड़-पकड़ कर चाटें मारे गये, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीटा गया और रथ बाहर खड़ा है। इसलिए वहां की जनता में रोष व्याप्त है और सभी मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है। इसलिये मांग है कि इस पर आप तुरन्त चर्चा करायें।

प्रधान प्रभुदयाल–

मान्यवर, मेरठ में मंदिरों में घुसघुसकर पुलिस ने लोगों को मारा है और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको मारा गया है। पुलिस ने इस घटना की वीडियो रील बनायी है। इस घटना से मेरठ का पूरा बाजार बंद है।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, सभी वर्ग और सम्प्रदाय के यहां लोग रहते हैं। सभी को अपने त्योहार और पर्व मनाने का पूरा अधिकार है।

जहां तक मेरठ जिले का सवाल है, वहां कुछ दंगे अभी हुए थे जिसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को मालूम है और आज भी जितनी वहां शांति होनी चाहिए वह पूरी तरह नहीं है। इस बीच में कोई रिस्क लेने के लिये सरकार तैयार नहीं है। मान्यवर, कोई भी दंगा जब होता है तो ऐसे समय देखा जाता है कि यदि एक व्यक्ति भी गलती कर देगा तो उसका रूप बिगड़ जायेगा। इसलिए ऐसे समय में जुलूस और रथ यात्रा निकालना ठीक नहीं है। मान्यवर, आप खुद समझते हैं और माननीय सदस्य समझें कि अभी वहां दंगा हुआ है इसलिये यह नहीं होना चाहिये। मान्यवर, जब दंगा होता है तो उसमें सभी लोगों का नुकसान और सभी को दर्द होता है। मेरठ में काफी नुकसान हुआ है, इसलिये इससे फिर दुबारा कोई रिस्क हम लेने के लिये तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, जहां तक कहा गया कि परमीशन दी गयी, तो अभी गृह मंत्री ने मेरठ डी0 एम0 से बात की तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई परमीशन नहीं ली गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वहां इजाजत दी गयी है, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने पर मालूम हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यदि बिना अनुमति के जुलूस निकलता है तो कोई चाहे कि हम जबरदस्ती से काम कर लें तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, किसी को इस तरह का मौका नहीं मिलना चाहिए जिससे हमारा जो नुकसान हुआ है वह फिर हो। हम बिल्कुल कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। मेरठ के दंगे से काफी नुकसान हुआ है। हम सभी लोग काफी उससे दुखी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति हो। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में आप सबका हमें सहयोग मिलना आवश्यक है और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप को स्वयं लोगों को मना लेना चाहिए। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं, जो आज स्थिति वहां पर है, उसमें खराबी पैदा हो।

श्री कल्याण सिंह–

डी0 एम0 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बताया है कि वहां जुलूस निकालने की कोई परमीशन नहीं दी गयी थी, उस सम्बन्ध में हमारी सुनिश्चित जानकारी है कि 27 तारीख को बैठकर जो अन्तिम वार्ता हुई थी, उसमें सारी शर्तें तय हो गयी थीं और उस आधार पर परमीशन मिल गई थी। सारी बातें तय हो गई थीं, रूट तय हो गया था, कम आदमियों को ले जाने की बात हो गई थी। किन्तु आज डी0 एम0 की मूर्खता के कारण दूसरी स्थिति पैदा हो गई है, तो क्या मुख्य मंत्री जी जांच करायेंगे कि जो परमीशन देने या न देने की बात है, उसमें सच क्या है ? मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि जलसा जुलूस सबके निकलें और मुख्य मंत्री जी भी कह रहे हैं कि वह कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी भी वहां चलें और हम लोगों को भी लेकर चलें और सबके सहयोग से व्यवस्था करके हर हालत में रथयात्रा निकलनी चाहिए। उस रुकी हुई रथयात्रा को किसी प्रकार निकलने की व्यवस्था सरकार की ओर से अवश्य होनी चाहिए।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जब तक वहां पूरी स्थिति शान्त नहीं हो जाएगी, कोई यात्रा या जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा।

श्री कल्याण सिंह–

सरकार की इस व्यवस्था, रुख के खिलाफ मैं अपने दल के सदस्यों के साथ थोड़े समय के लिए इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज पूरा इलाहाबाद जनपद हैजा की चपेट में है। पश्चिम सरीरा, पूरब सरीरा गौराज आदि के आसपास के गांवों में 15 जून से लेकर 28 जून तक लगभग 36 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ केवल उमरपुरनीवा गांव में 27 तारीख को ही पांच मौतें हो चुकी हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी इलाके में मीरापुर, राजपुर, सदियाबाद और बघाड़ा, दारागंज आदि क्षेत्रों

में भी क्रमशः 3, 1, 2, 1, 1 मौतें हो चुकी हैं। फिर भी वहां पर सफाई और रोग के रोकथाम के लिए आवश्यक टीके लगाने तथा चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग आंख मूंदकर सोया हुआ है। सरसंवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सूचना दिये जाने के बाद भी डाक्टर लोग उपस्थित नहीं मिले। जब वहां पर जनता आतंकित थी जिलाधिकारी तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रा0) द्वारा सूचित करने पर भी कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं मिला। वहां पर कोई चैकित्सिक व्यवस्था नहीं है। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है। अतः कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिये सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें तथा पूर्ण चिकित्सा तथा सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो सूचना दी है, उसके अनुसार पूरी समुचित व्यवस्था कराई जाएगी वहां पर और आज ही वहां पर सी0 एम0 ओ0 और कन्सर्न डिप्टी डायरेक्टर को आवश्यक निर्देश देकर डाक्टरों की टीम और स्पेशल स्क्वायड आदि भेजकर पूरी कार्यवाही की जाएगी और मरीजों के पूर्ण उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अन्तिम दो प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, देखें, यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत छोटा है केवल एक शब्द का संशोधन है लेकिन इसके पीछे बहुत गम्भीर भाव छिपा है। मैं समझता हूं कि पिछले कई दिनों से आदरणीय सदन में प्रकारांतर से जो चर्चा चल रही है उसी की इससे पुष्टि होती है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार जो जनतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर जनता के प्रतिनिधि चुनकर प्रशासन का काम करेंगे उन संस्थाओं के महत्व को नष्ट कर देना चाहती है। चाहे लोकल बाडीज हों या चाहे मंडी परिषदें हों, या जिला परिषद् हों या गन्ना समितियां हों या सहकारी संस्थायें हों, जहां पर जन प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिये थे वहां चुनाव न करके अधिनायकवादी दृष्टिकोण सरकार ने अपनाया है जिसका परिणाम यह है कि आज हिन्दुस्तान में सहकारिता आन्दोलन जो सर्वहारा वर्ग के उत्थान के पवित्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्देश्य से चलाया गया था, वह इस सरकार के कारण उत्तर प्रदेश में तबाह और नष्ट हो गया है जबकि अन्य प्रदेशों में फल फूल रहा है। इन्होंने अपने उद्देश्य और कारण में बताया है कि कुछ प्रशासकीय कठिनाइयां ऐसी सामने आ गयीं जिनके कारण सहकारी समितियों का निर्वाचन और प्रबन्ध कमेटियों का गठन 30 जून तक सम्भव नहीं हुआ । वह कौन सी परिस्थितियां हैं उनका दिग्दर्शन नहीं किया गया है।

मान्यवर, आपको भी जानकारी है कि सहकारिता के चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी थी और निर्वाचन हो गये थे लेकिन उसके बाद स्थगन कर दिया गया । इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, नौकरशाही के हाथ में सहकारिता आंदोलन रहने से सहकारिता आंदोलन की मूल भावना नष्ट हो गयी है और प्रशासक (इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।) अत्याचार कर रहे हैं । इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज लाखों-करोड़ों रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है। रिकवरी सर्टीफिकेट जारी नहीं किये जाते हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है लेकिन मेरे जिले सीतापुर में एक गरीब हरिजन काश्तकार जिसके ऊपर केवल 788 रुपये सहकारिता का बकाया था उसको अमीनों ने पकड़ा और इतना प्रताड़ित किया कि हवालात में उसकी मृत्यु हो गयी। ऐसा हृदयहीन कार्य प्रशासक और अमीनों ने किया है। आप देखें कि किस तरह से आज सहकारी आंदोलन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

पर्वतीय विकास मंत्री, दीक्षित जी बैठे हुए हैं। इनके जिले हरदोई में एक हरदोई केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड नाम की संस्था है। उसके अध्यक्ष रजनीकांत पांडेय थे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन आरोपों की जांच हुई और वह आरोप सही पाये गये जिसके परिणामस्वरूप 8 फरवरी, 82 को उनको अध्यक्ष पद से सरकार द्वारा हटा दिया गया। लेकिन वह कौन सी मजबूरी हो गयी कि श्री पाण्डेय को 2 वर्ष बाद ईमानदार और कुशल व्यक्ति समझा गया और उनको फिर उसी समिति में नामिनेट कर दिया गया । जिनको सरकार ने भ्रष्ट और अनुपयुक्त पाने के कारण हटाया था उनको फिर नियुक्त कर दिया । तो आज इसी प्रकार की नियुक्तियां हो रही हैं। उनके नाम एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई थी और चार्जशीट लगा दी गयी थी लेकिन सरकार के द्वारा पैरवी नहीं करायी जा रही है। यह आरोप जो उन पर लगाये गये थे सचिव ने लगाये थे । तो यह केवल एक नमूना मैंने बताया है जितने भी प्रशासक नियुक्त किये गये हैं वह इसी प्रकार के हैं, डिफाल्टर हैं और असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देते हैं। अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिये सहकारिता आन्दोलन को वह नष्ट कर रहे हैं। एक भूतपूर्व मंत्री ने कहा था कि 80 फीसदी प्रशासक असमाजिक तत्वों से घिरे हैं।

एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। मान्यवर, इस लखनऊ में इस तरह की एक समिति है आशुतोष गृह निर्माण सहकारी समिति है। उस समिति में श्री जोशी जिन्होंने फर्जी सदस्य बनाकर उस गृह सोसाइटी के नाम फर्जी पट्टा कर लिया और पट्टा कर साढ़े 4 लाख रुपया ले लिया। उसके भाई एक अधिकारी हैं उन्होंने प्रेक्षागृह बनाने के लिए काफी धनराशि दे दी । इस विभाग में फिर से

वही प्रशासक और सचिव नियुक्त करते गये इसलिए यह स्थिति हो रही है। मेरा आरोप है कि आप चुनाव केवल इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि चुनाव करायेंगे तो यह सब चीजें खत्म हो जायेंगी और भ्रष्टाचार के बल पर जो धन उगाही की जा रही है वह समाप्त हो जायेगी। आपकी नीयत को देखकर केवल एक उदाहरण और देना चाहता हूं सहकारी समितियों के चुनाव आपके हाथ में हैं हो या न हो। लेकिन जो गन्ना समिति के चुनाव हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गन्ना फेडरेशन के चुनाव 30 जून तक पूरे करा दिये जायं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। एक मैं जजमेन्ट का उद्धरण देना चाहता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती।

मान्यवर, अभी मेरठ का दंगा हुआ उस दंगे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिये आपने सोचा और आपके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गये कि हम डेलीगेशन से चुनाव नहीं करा पायेंगे। मान्यवर, डेलीगेशन चुनाव मेरठ शहर में नहीं होना था। डेलीगेशन का चुनाव चन्द प्रतिनिधियों के बल पर ग्रामीण अंचल में होना था, क्या डेलीगेशन का चुनाव भी सम्भव नहीं है। लेकिन मेरठ में जो दंगा हुआ उसका बहाना लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह आदेश प्राप्त कर लिया कि यह चुनाव स्थगित कर दिया जाय। यह सीधे इस संस्था का चुनाव नहीं करेंगे इसको निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जायेगा। मान्यवर, इस सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप में यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इसमें यह एलान करने की आवश्यकता है कि समितियां खत्म होने से पूर्व अनिवार्य रूप से सहकारी समितियों के चुनाव कराये जायेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही इसको प्रवर समिति के हवाले करने के लिए मैंने कहा है। इससे सारे गरीब वर्ग के लोगों का भला होगा इसी नियत से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

माननीय सम्मानित सदस्य, माननीय राजेन्द्र गुप्त ने जो भावना व्यक्त की है शासन की मंशा थी कि चुनाव हों। यह बात सही है कि जहां-जहां चुनाव नहीं हो पाये हैं इसमें माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए जो उनकी विचारधारा है उनसे अपने को जोड़ता हूं। चुनाव निकट भविष्य में हो जायेंगे। कतिपय मामलों के परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि पहले भी शासन की इच्छा हुई लेकिन शुरू में जैसा कि प्रदेश में हड़ताल हो जाने के कारण रुकना पड़ा। बाद में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में जिस प्रकार से चुनाव शुरू हुए थे आधी प्रक्रिया से रुकना पड़ा क्योंकि चुनाव शैक्षणिक संस्थाओं में होते हैं उसके बाद शासन की इच्छा हुई कि चुनाव को बहुत जल्द निष्पादित किया जाय। मान्यवर, फिर चुनाव की प्रक्रिया हुई लेकिन उसी बीच विभागीय कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से चुनाव स्थगित करना पड़ा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, माननीय सदस्य गुप्त जी ने जो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की बात कही, मैं उनसे सादर आग्रह करूंगा कि इसमें ज्यादा समय का व्यवधान न किया जाय और आने वाले दिनों में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह संशोधन वापस ले लें। जो समय था 30 जून तक, उस समय तक प्रारम्भिक गठन पूरा नहीं हो पाया है इसलिए इसके लिए 31 दिसम्बर, 1987 तक का समय सुनिश्चित करने की कृपा करें । मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो इच्छा व्यक्त की है और जिनके बारे में आपने इंगित किया है, जहां पर कतिपय शिकायतें आती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने दो उदाहरण प्रस्तुत किये थे, एक हरदोई का और दूसरा लखनऊ का । आपके द्वारा ही वे हटाये गये और उन्हीं को फिर से प्रशासक नियुक्त कर दिया गया । उनको कैसे नियुक्त किया गया ? क्या उन निबंधकों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे और उन भ्रष्ट प्रशासकों को हटायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, ऐसे जो भी हैं, हटा दिये जायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, चुनाव की प्रक्रिया है कि पहले परिसीमन कराया जाता है । गोरखपुर में अभी यह कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। वहां पर जानबूझकर अधिकारी परिसीमन नहीं कराना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में, मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले गोरखपुर में परिसीमन का कार्य समाप्त कर लिया जायेगा ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आपके जनपद या प्रदेश में जहां कहीं भी परिसीमन पूरा नहीं हुआ है या जहां कहीं से भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होंगी, पहले परिसीमन करा लिया जायेगा तभी चुनाव का कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इसको वापस ले लेता अगर निबंधक और उप निबंधक की बात होती । मान्यवर, यह पौलिटिकल एप्वांटमेंट है और उनके आवरण में आप अपने दलीय भ्रष्टाचार को छिपाने की चेष्टा न करें । जिन दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है उनके प्रशासकों के खिलाफ आपने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आप कार्यवाही करें । मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि आप फिर इसको टालेंगे, इसलिए मैं इसको वापस नहीं लेना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे वापस नहीं लेना चाहते ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, आस्था ही जीवन है और माननीय सदस्य इतनी जल्दी निराश हो गये। मान्यवर, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस आशा के साथ कि आगे आने वाले समय में इसके चुनाव अवश्य होंगे, इसे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3 व खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अतः खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गये।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा

श्री कल्याण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी मेरठ के दंगों के सम्बन्ध में आज बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा सदन में विचाराधीन है । मुझे खेद है कि इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में रहना चाहिए था, परन्तु वह यहां पर नहीं हैं । इससे पहले भी मेरठ के ऊपर चर्चा हुयी है । मान्यवर, मैंने सत्ता पक्ष को भी सुना है और विपक्ष को भी सुना है । मुझे अफसोस इस बात का है कि सारे प्रकरण में लीपा-पोती करने के ज्यादा प्रयास किये गये हैं । सच्चाई को कोई कहना ही नहीं चाहता । इस बात के लिए मात्र सत्ता पक्ष को मैं दोषी नहीं ठहराता अपितु मैंने विपक्ष के माननीय नेताओं के भाषण भी सुने हैं । इन सब से भी मुझे ऐसा ही लगा है कि वे लोग मेरठ की चिन्ता तो कम कर रहे हैं वोटर लिस्ट की चिन्ता ज्यादा कर रहे हैं । सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ नेता मेरठ में मरने वाले इन्सानों की लाशें नहीं अपितु अपने-अपने वोट गिन रहे हैं। यह शर्म की बात है।

एक सदस्य–

क्या सच्चाई से चित्र खींचा है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, चोर को चोर न कहा जाए और चोर को सजा न दी जाए तो क्या इससे चोरी रुकेगी? दंगाइयों को दंगाई न कहा जाए और उनको इसकी कठोरतम सजा नहीं दी जाये तो क्या दंगे भविष्य में रुकेंगे ? मेरठ की घटना कोई अगण्य घटना नहीं है। यह सरकार की एक सोची-समझी भूल है और इस भूल का सरकार को निदान तो करना होगा । यह पता लगाना जरूरी है कि इन दंगों में किन लोगों का हाथ है ? कौन दोषी है और दंगा किसने क्यों किया अथवा कराया है? इन सारी बातों की छान-बीन करनी होगी, विश्लेषण करना होगा ।

यह भी गहरा प्रश्न है कि इस प्रकार के दंगे कुछ विशेष स्थानों पर ही क्यों हो रहे हैं ? यह दंगे मेरठ में ही क्यों अधिक होते हैं ? यह दंगे मुरादाबाद में ही क्यों होते हैं और संभल में ही क्यों होते हैं व अलीगढ़ में ही क्यों अधिक होते हैं ? यह दंगे मथुरा, एटा व मैनपुरी आदि में क्यों नहीं होते ? एक वर्ग विशेष जहां 30 प्रतिशत है या इससे ज्यादा लोग हैं वही जिले संवेदनशील क्यों बने हैं? दंगे के स्थल भी वही जिले क्यों हैं ? इन घटनाओं की सच्चाई को स्वीकारना होगा । तब जाकर सही निदान होगा । तब यह दंगे रुक पायेंगे । यह दंगे देश की ताकत, देश की आजादी के लिये खोदे गये गहरे तक है । इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस जहरीली समस्या का हल खोजना होगा । आज 40 साल के बाद भी हमारा देश साम्प्रदायिक आग में झुलस रहा है । जिस साम्प्रदायिकता के कारण देश के टुकड़े

हुए थे वही चिन्गारी अब भी दहक रही है। हमें उम्मीद थी और हमनें चाहा था कि 40 साल बाद साम्प्रदायिकता आमूल-चूल समाप्त हो जायेगी । परन्तु आज भी आग वैसी ही जल रही है । मेरठ का दंगा एकांगी समस्या नहीं है ।। सारे प्रदेश में ज्वाला भड़क रही है। हमें इसका फल भुगतना होगा। दंगों का रोग, रोग का सही निदान और दंगों का सही इलाज करना होगा। दंगों के कारण जानने होंगे। मान्यवर, दंगों के पांच कारण हैं, पांचों का निवारण किये बिना दंगों को रोकना मुश्किल होगा । दंगों के कारण है वोट की गन्दी राजनीति, फिरकापरस्ती की जहरीली जहनियत, प्रशासन की अक्षमता, विदेशी हाथ और विदेशी पैसा, शासन की तोड़-मोड़ की नीति । इन पांचों को दृष्टिगत रखकर ही इस समस्या का हल निकल सकेगा । क्या कभी भी शासन ने किसी भी दंगाई के खिलाफ कार्यवाही की ?

1971 में अलीगढ़ में दंगा हुआ था जांच की गई थी । क्यों नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया ? जिसकी जिम्मेदारी ठहराई गई थी उसको सजा क्यों नहीं दी गयी? 1977-78 में अलीगढ़ में फिर दंगा हुआ जांच बैठाई गई थी, जनता पार्टी के शासन के दौरान। कांग्रेस की हुकूमत आई जुडिशियल इन्क्वायरी को ही खत्म कर दिया गया । क्यों रोक दी गई इन्क्वाइरी ? 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए । सक्सेना आयोग बैठाया गया । रिपोर्ट आ गयी । साफ-साफ आरोप लगाये गये कि दंगों में साम्प्रदायिकता का जहर बोने का काम मुस्लिम लीग के नेताओं का है ।सरकार ने उसके बाद क्या किया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि दो साल के अन्दर रिपोर्ट को क्यों दबा दिया गया? शासन ने किसके दबाव में आकर दंगा भड़काने वालों के विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की ? जब से वीर बहादुर मुख्य मंत्री बने हैं, तब से लगभग डेढ़ दर्जन दंगे हो गये । इनकी सरकार को दंगों की सरकार कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति न होगी । जो जहर पैदा हुआ है उस जहर को समाप्त न किया गया तो दंगे नहीं रुकेंगे ।

साम्प्रदायिक मानसिकता वाले लोगों का कानपुर में जहरीला भाषण होता है, भारत माता को डाइन कहा जाता है। क्या इस भाषा से देश में साम्प्रदायिकता की आग नहीं भड़केगी? मैं निन्दा करता हूं, इस भाषा की। मैं निन्दा करता हूं इस भाषा को प्रयोग करने वालों की। यह सत्ता में बैठे हैं इन्हें तो जेलों में होना चाहिए। यह खुला जहर फैला रहे हैं साम्प्रदायिकता का। 30 मार्च, 1987 को दिल्ली की रैली हुयी। उसके बाद मेरठ में क्या हुआ? 30 मार्च, 1987 को शहाबुद्दीन, अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था अगर डेढ़ करोड़ सिखों को यह सरकार नहीं दबा सकती तो हमारी संख्या तो 10–15 करोड़ के आस-पास है। हम सड़कों पर निकल आयेंगे तो यह देखते रह जायेंगे और इनकी सेना तथा पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती । मेरठ में तो इनके जहरीले भाषणों की केवल परिणति हुयी है। शासन ने इनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की? ऐसे जहरीले भाषण होते रहे, साम्प्रदायिकता के बीज बोये जाते रहे, शासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा। कौन सा दबाव था? गत 14 अप्रैल, को जो मेरठ में दंगे हुए वह दंगे 19 मई को होने वाले दंगों का रिहर्सल मात्र था। 14 अप्रैल, के दंगों के दंगाइयों के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गयी? क्यों नहीं रोका गया उन दंगों को? आरोप तो इस बात का भी है कि 16 मई की इंका रैली में जो लोग दिल्ली गये थे वहां मेरठ से कम गये थे, लेकिन वहां से लौट कर जो

बसें आईं, वह दंगाइयों को लेकर लौटी, इन बसों को क्यों नहीं चेक किया गया? यह क्यों नहीं पूछा गया कि वहां पर कैसे हथियार आये और मेरठ में कैसे तेजाब के ड्रम इकट्ठा हुए? उसके बाद 19 मई को दंगा होता है। उसके बाद 22 मई को दिल्ली में दंगा होता है। इसी क्रम में 21 जून को अलीगढ़ में दंगा भड़कता है। अलीगढ़ में कोतवाली पर पथराव किया जाता है। वे कौन से तत्व हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अलीगढ़ में दो लोग मरे थे, जो बेगुनाह थे। मैं नहीं कहता कि उसमें हिन्दू कौन था और मुसलमान कौन था। जान न हिन्दू की होती है, जान न मुसलमान की। जान एक इन्सान की होती है। हिन्दू की जान जाती है तो हमें पीड़ा होती है, और मुसलमान की जान जाती है तो भी हमें पीड़ा होती है।

इसी 2 जून को अलीगढ़ में सराय सुल्तानी के भीतर अब्दुल हकीम के यहां बम विस्फोट हो गया। यह बम काहे के लिए बनाए जा रहे हैं। क्या देश की एकता और अखण्डता के लिए? क्या देश की आजादी की रक्षा के लिये? इसी 24 जून को मेरठ में भी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री अब्दुल अजीज के यहां पकड़ी जाती है। इन अवैध हथियारों का देश में क्या होगा? क्या यह हथियार सीमाओं की सुरक्षा के काम आयेंगे ? क्या यह सही नहीं है कि ऐसा वायुमण्डल पैदा करके देश की अखण्डता को खतरा पैदा किया जा रहा है? मैं शासन से जानना चाहता हूं कि ये तत्व कैसे और क्यों हथियार बना रहे हैं? कैसे बम बनाए जा रहे हैं? क्यों सी0 आई0 डी0 फेल हो रही है? क्यों अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्यों अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं? इन सब चीजों पर गौर करना होगा। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं लोग बाहर भी जहरीला वातावरण पैदा करने में लगे हैं, और कुछ लोग सदन के अन्दर भी जहरीला वातावरण पैदा कर रहे हैं। कोई भी मौका आता है तभी बाबरी मसजिद की बात काले झण्डे दिखाकर इस सदन में उठाई जाती है। क्यों उठाई जाती है? क्या बाकी लोगों की भावनाएं नहीं हैं ? क्या इस तरह सदन में काले झण्डे दिखाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है?

मान्यवर, रामजन्म भूमि और बाबरी मसजिद का मसला न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है। रामजन्म भूमि का ताला न्यायालय द्वारा खुलवाया गया है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उसका ताला किसी भीड़ ने नहीं खोला है। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि कोई अब्दुल्ला बुखारी और कोई शहाबुद्दीन किसी भी भीड़ को ले जाकर वहां ताला भी बन्द नहीं करवा सकता। यह न्यायालय का मामला है, किसी को तकलीफ होती हो तो न्यायालय में जा सकता है।

अत: सदन में बाबरी मस्जिद का काला झण्डा दिखाने वालों की निन्दा करता हूं। उनकी जहरीली जहनियत की निन्दा करता हूं। मान्यवर, मलियाना काण्ड पर तो चर्चा की। उस काण्ड से मुझे भी तकलीफ हुई है। एक भी जान जाती है तो मुझे तकलीफ होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इधर के लोगों को भी और उधर के लोगों को भी सबको मलियाना काण्ड तो याद आया। पी0 ए0 सी0 का तथाकथित अत्याचार सबको याद आया। पी0 ए0 सी0 ने गोली चलाई सबको याद आया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि पी0 ए0 सी0 पर भी किसी ने गोली चलाई। 13–14 अप्रैल को जो लोग मारे गये उनकी लाशें किसी को याद नहीं आईं। लोधी गली पर मुसलमानों ने इकतरफा

हमला किया, किसी को याद नहीं आया। गत 16 मई को अजय शर्मा की हत्या हुई उसकी लाश की याद किसी को नहीं आई। 28 मई को कुलभूषण की हत्या हुई, उसकी याद किसी को नहीं आयी। फिर 19-20 मई के दंगों की याद किसी को नहीं आई जब दंगाई जिधर चाहे आग लगाते रहे, कत्ल करते रहे। यह किसी को याद नहीं आया कि 19, 20 मई को मेरठ शहर पूरी तरह दंगाइयों के हाथों में रहा। उनको यह भी याद नहीं आया कि डा0 प्रभात जो आपरेशन करने जा रहा था और उसका नौकर उनके साथ था। उनकी फियेट कार पर तेल छिड़क कर उन्हें जिन्दा जला दिया गया। मैंने उस जली हुई कार को स्वयं देखा है। पिछले महीने मई की 28 तारीख को केन्द्रीय गृह मंत्री की अनुमति लेकर मैंने एक-एक चीज को वहां पर देखा है।

बेगमपुल से लेकर हापुड़ रोड तक पेट्रोल पम्प जलाये गये, वह इन नेताओं को याद नहीं आया। जिन लोगों की हत्या की गई, क्या वे माई के लाल नहीं थे। श्रीमती शकुन्तला कौशिक का भांजा, मेजर का भाई जो छत पर खड़ा था, उसे छत पर गोली मार दी और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी क्या वह किसी मां का लाडला नहीं था। माता के लाडले नहीं थे? कितनी ही माताओं की गोदियां सूनी कर दी गई और कितनी ही ललनाओं के माथे का सिन्दूर उजाड़ दिया गया, लोगों को इसकी याद नहीं आई? हर बात पर मलियाना–मलियाना। इन्हें एक ही बात याद आती है। दोनों बातें कहो। मलियाना में जो कुछ हुआ है तो उसे भी कहो किन्तु शेष जगह जो हुआ है, उसे भी कहो। मेरठ में पिलखेड़ी मार्ग पर 11 कारखाने धू-धू करके जला दिये गये। 15 लोगों को आग में जला दिया गया। उनकी लाशें इन्हें याद नहीं आती। नैपाल सिंह के फार्म पर दंगाइयों द्वारा 8 लोगों की हत्या याद नहीं आती। मलियाना से पहले जो कुछ हुआ है, उसको भी कहो। पुलिस की राईफलें छीनी गई। पी0 ए0 सी0 पर हमले किए गए लेकिन आज पी0 ए0 सी0 पर आरोप लगाये जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पी0 ए0 सी0 ने अत्याचार किया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मेरठ के अन्दर समय रहते पी0 ए0 सी0 न पहुंची होती तो मेरठ का नक्शा और विकृत हो गया होता, दंगाइयों ने मेरठ श्मशान बना दिया होता। इस्लामाबाद के पास जो बैंक कालोनी है जहां पर 66 मकान है और 450 लोग रहते हैं, यदि वहां पर 5 मिनट देर से पी0 ए0 सी0 पहुंचती तो, ये 66 मकान धरती पर न होते और इनमें रहने वाले लोग खत्म हो गये होते, इसकी याद किसी को नहीं आती।

प्रारम्भ कहां से हुआ, इसे भी याद करना चाहिए। यदि प्रतिक्रिया को देखना हो तो, मैं कहता हूं क्रिया को देखना चाहिए। याद रखो क्रिया कि हमेशा प्रतिक्रिया होती है और यह भी याद रखो कि प्रतिक्रिया किसी तराजू पर नाप-तौल कर नहीं होती। कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। क्रिया दंगाइयों ने सुनियोजित ढंग से की। मस्जिदों से जहरीले भाषण दिये गये। उन मस्जिदों के कुछ नाम आपको गिनाना चाहता हूं। नौगना की मस्जिद, इमिलियान की मस्जिद, इस्लामाबाद की मस्जिद, जैदीफार्म की मस्जिद, विकास पुरी की मस्जिद तथा श्याम नगर की मस्जिद से उत्तेजक भाषण दिये गये। जो भाषण दिये गये, उसे भी मैं आपको सुनाता हूं इन प्रसारणों का टेप किया हुआ यह कैसिट मेरे पास है जिसे सुनना हो सुनवा सकता हूं। इन मस्जिदों से 19 मई की प्रातः 3 बजे से एक साथ यह प्रसारण किया गया कि "मुसलमानों

इस्लाम खतरे में है, हथियार लेकर निकल पड़ो, रमजान का महीना चल रहा है, महजब की हिफाजत में शहीद हो आगे तो जन्नत मिलेगी और जीत गये तो गाजी कहलाओगे, दोनों हाथों में लड्डू है । काफिरों को मार दो और मंदिरों को तहस-नहस कर दो।'' यह पी0ए0सी0 पंजाब से पिट कर आई है, यह हमारा क्या बिगाड़ सकती है ।'' क्या इन जहरीले और उत्तेजक नारों से भाषणों से देश के अन्दर सामंजस्य हो सकता है ? इन पर गौर करना होगा । मेरठ का दंगा कोई सिर्फ साम्प्रदायिक दंगा नहीं बल्कि साफ तौर पर एक बगावत थी, एक देशद्रोह था । हिन्दुस्तान को गृह युध्द की आग में झोंकने का एक सोचा समझा पूर्वाभ्यास था । ये वहां लोग है जिन्होंने 1947 में देश के टुकड़े कराये थे । आज पुन: फिर देश के विभाजन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर रहे है । सरकार कहती है कि विदेशी ताकतों का हाथ है मैं इसे नहीं नकारता। मैं मानता हूं कि है विदेशी ताकतों का हाथ । लेकिन क्या कर रही है । विदेशी ताकतें यहां पर काम किये जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसा लग रहा है कि विदेशियों का हाथ देश में और देश के सत्ताधारियों का हाथ विदेशी बैंकों में लगा हुआ है। क्या यही सरकार का काम है? यह पता लगाना चाहिये कि हथियारों का जखीरा कहां से आया ? 13 ड्रम एसिड कहां से इकट्ठा हुआ ? क्या यह एक ही दिन में हो गया?

यह पाकिस्तान की राइफिल, चीन की राइफिल कहां से आ गयी? पैसा कहां से आया ? पाकिस्तानी तत्वों को कौन शरण दे रहा है ?

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं 5 मिनट और लूंगा ।

डी0 जी0 पी0 कोतवाली में मीटिंग करते है किन्हीं तत्वों की यह जुर्रत हो जाय कि डी0 जी0 पी0 पर गोली मारी जाय । जहां के डी0 जी0 पी0 सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता की सुरक्षा की क्या गारण्टी है? इसलिये मैं कहता हूं कि मात्र साम्प्रदायिक दंगा ही नहीं अपितु यह दंगा देश को तोड़ने की बहुत लम्बी साजिश का पूर्वाभास है । इन दंगों को जब इसी रूप में लिया जायगा, तभी इनका समाधान होगा। इस दंगे में 300 लोग मारे गये और 400 वाहन फूंके गये, 500 घर, मकान, दुकान और कारखाने नष्ट कर दिये गये है । 11 कारखाने जिनमें 600 करोड़ रु0 का टर्न-ओवर था पिलखेड़ी रोड पर, ये नष्ट कर दिये गये है । मान्यवर, हजारों लोगों को बेरोजगार बना दिया गया। उद्योग चौपट कर दिये गये । आर्थिक ढांचा ध्वस्त कर दिया गया है। केन्द्र के गृह मंत्री कहते है कि दंगा पूर्व नियोजित था। हमारे कांग्रेस (इ0) के विधायक अजीत सिंह सेठी साहब कहते है कि दंगा पूर्व नियोजित था। बाबू मोहम्मद उमर अलवी, महामंत्री कांग्रेस (इ0) मेरठ कहते है कि दंगा सोची समझी स्कीम के अन्तर्गत हुआ है इसमें बाहरी तत्वों की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता, श्रीमती शारदा त्यागी, अध्यक्ष मेरठ मण्डल महिला कांग्रेस (इ0) कहती है कि इन दंगों के लिए शहरी विकास मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जिम्मेदार है । श्री कैलाश प्रकाश, नेता, कांग्रेस (इ0) कहते है कि दंगे पूर्व नियोजित है तथा इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है। श्री जय नारायण शर्मा, विधायक, मेरठ नगर, कांग्रेस (इ0) उन्होंने भी कहा है कि यह दंगा नहीं है, सिविल वार है ।

एक इम्प्रेशन हो गया कि सरकार कमजोर है, चूंकि आपकी सरकार कमजोर है, इसलिये इस कमजोरी का दुरुपयोग करके फिरकापरस्त लोग देश की अखण्डता को कमजोर कर देना चाहते हैं। मलियाना काण्ड की जांच हो रही है, अवश्य हो। लेकिन अकेले मलियाना काण्ड की ही न्यायिक जांच क्यों, पूरे दंगे की जांच क्यों नहीं ? दंगा केवल 19 मई से नहीं 14 अप्रैल से दंगा शुरू हुआ था। लोधी-वाली गली पर हमला हुआ था वहां से दंगों की न्यायिक जांच क्यों नहीं की गयी ? दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होने चाहिये। आज जो पाकिस्तानी तत्व मेरठ में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, ये दंगों के लिये जिम्मेदार नहीं हैं क्या ? भारत में एक करोड़ घुसपैठिये हैं। कुछ उत्तर प्रदेश में भी होंगे, इसकी जांच होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ श्रीमती मोहसिना किदवई के आचरण की भी जांच की मांग करता हूं। 14 अप्रैल के दंगों के दौरान यामीन खान के साथ उनकी बैठक मेरठ सर्किट हाउस में हुई। वह यामीन खान, जिसको डी0 एम0 ने रासुका में बन्द किया है। मोहसिना किदवई का एकान्त में बैठकर बात चीत का यह फोटो मेरे पास है, इसकी जांच होनी चाहिये। इसकी भी जांच होनी चाहिये कि मा0 मुख्यमंत्री जी, जो कि वहां मौजूद थे, इन दंगों को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय करना चाहते थे ? दंगाइयों को देखते ही गोली मारने की घोषणा रोकी गयी, क्या मोहसिना किदवई का दबाव पड़ा था ? एक साहब ने कहा कि रमजान में तलाशी नहीं लेनी चाहिये थी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर दंगाइयों के हाथ में हथियार हैं और वह हिंसा कर रहे हैं तो कोई त्योहार कार्यवाही करने में आड़े नहीं आना चाहिये। क्या मौतों के ऊपर एक और मातम मनाया जाता रहे और दूसरी ओर जश्न मनाया जाता रहे ? क्या लोग यही मांग करते हैं ?

मान्यवर, जफरअली को पकड़ा गया जिनके पास जखीरा निकला हथियारों का उनको रासुका में बन्द किया गया लेकिन किसका दबाव आ गया कि जफरअली को रासुका से मुक्त कर दिया गया अनुमोदित नहीं किया गया ? किसके दबाव से यह किया गया ? यदि इस्लामाबाद, जली कोठी, हाशिमपुर, शाहपीर गेट व इमलियान में छापा मारा जाय तो हथियारों के जखीरे के जखीरे आज भी निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यदि इन जखीरों की व्यापक तलाशी नहीं ली गयी तो मेरठ में किसी और बड़े दंगे की सम्भावना बनी रहेगी।

अन्त में मैं तीन-चार बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मलियाना के दंगे के साथ ही साथ पूरे दंगे की न्यायिक जांच करायी जाय और उसी के साथ ही साथ इस सदन की भी एक कमेटी बनायी जाय जो कि उस दंगे की जांच करे शासन और प्रशासन चूंकि एक पार्टी है इसलिये सदन द्वारा बनायी गयी कमेटी निष्पक्ष जांच कर सकेगी सरकारी जांच समिति सही और निष्पक्ष जांच नहीं कर सकेगी। सत्ता पक्ष में बहुमत है, जो उनके सदस्य उस कमेटी में ज्यादा संख्या में रहेंगे और विपक्ष के भी कुछ सदस्य उसमें होने चाहिये जिससे कि दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हो सकें। दूसरे पूरे दंगे की न्यायिक जांच होनी चाहिये क्योंकि इसके बिना दंगाइयों के चेहरे बेनकाब नहीं होने पायेंगे।

मान्यवर, 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और यहां लोग कहते हैं, कि 85 तो लौट आये । मेरी जानकारी है कि बशीर ने मसजिद के छत पर चढ़ कर पी0 ए0 सी0 को गोली मारी है । क्या दंगाई हत्यायें करते रहेंगे, जिन्दा लोगों को आग में झोंकते रहेंगे, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट करते रहेंगे, पुलिस, पी0 ए0 सी0 पर गोली चलाते रहेंगे तो क्या पी0 ए0 सी0 हाथ पर हाथ बांधें खड़ी देखती रहेगी ? वह कौन लोग हैं जो सड़कों के दंगे को प्रदेश में फैलाना चाहते हैं ? देश को नष्ट करना चाहते हैं ?

मेरी दूसरी मांग है कि बेगम पुल से ले करके हापुड़ रोड तक जितनी भी क्षति हुई है, पेट्रोल पम्प नष्ट हुए हैं, गोला कुआं पर सूत का मार्केट नष्ट हुआ है, पिलो खड़ी रोड के 11 कारखाने नष्ट किये गये हैं जिनमें 600 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्न ओवर होता था उनकी शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति की जाय । सूत के दुकान वालों का जो नुकसान हुआ है उन दुकानवालों का पूरा पैसा दिया जाना चाहिये । नैपाल सिंह के फार्म की क्षति पूर्ति की जाय। मृतक के परिवारों को पुर्निवास के लिए कम से कम एक लाख रु0 क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना चाहिये । दंगाइयों ने जिनकी भी सम्पत्ति नष्ट की है, उनको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाये । व्यवसाय को पुनः चालू करने के लिये आर्थिक सहायता दी जाये।

मान्यवर, सभी से मैं कहता हूं कि वोट की राजनीति से ऊपर उठिये और देश से प्यार कीजिये । देश, बचेगा तो पार्टी का अस्तित्व बचेगा और यदि देश ही नहीं बच पायेगा, देश ही टूट जायेगा तो पार्टियों की कोई कीमत नहीं रहेगी । दंगाई कोई भी क्यों न हो उसके प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये । दंगा करने वाले की कोई कौम नहीं होती है, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता है । दंगा करने वालों के साथ जो कोई भी लिंक रखता है, वह भी उतना ही दोषी है जितना कि दंगा करने वाला । देश को साम्प्रदायिकता के जहरीलेपन से बचाना होगा । जहां कहीं भी ऐसे लोग हों जो कि दंगाइयों को पनाह देते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से निपटना होगा ।

ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए । लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ लोग ऐसे ही तत्वों को अपना नेता मानते हैं । मैं पुनः कहता हूं कि काम नहीं चलेगा जब तक कि ऐसे तत्वों पर रोक नहीं लगेगी, वोट की राजनीति से दंगे नहीं रुकेंगे । दंगों से देश की प्रगति रुकती है लेकिन कुछ लोगों की राजनीति ही दंगों पर चल रही है । इन शब्दों के साथ, मैं मांग करता हूं कि सारे प्रकरण की जांच न्यायिक जांच करायी जाना चाहिए ।

श्री जय नारायण शर्मा—

मा0 उपाध्यक्ष जी मेरठ मेरी कर्मभूमि है । मैं आहत हूं, पीड़ित पक्ष हूं इसलिए अनुनय विनय करना चाहता हूं कि जैसे आपने कल्यान सिंह जी को समय दिया वैसे मुझे भी समय देने की कृपा करें क्योंकि गणित के सत्य के अनावरण करने की आशा मुझसे ही की जाती है । मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं । जब मैं पहली बार विधान सभा में आया तो मेरा विश्वास था कि यहां दूरदर्शी, चिन्तनशील, मननशील एवं सही

विश्लेषण करने वाले लोग होते होंगे और साफ तौर से सही चीज गम्भीरता से कही जाती होगी । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना कहना पड़ रहा है कि मेरठ के बलवों के सम्बन्ध में जितनी चर्चा पक्ष एवं विपक्ष में हुई है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । वह बहुत ही सही तौर से चर्चा की गई है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं इस चर्चा को सुनकर ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोग वहां गये और वहां के अखबारों को लेकर सत्य का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सच्चाई उससे अलग है ।

श्रीमन्, मेरठ कद्दावरों का शहर है लेकिन आज बौना हो गया है । 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का शंखनाद मेरठ की धरती से ही फूंका गया था । वहां हिन्दू मुसलमानों एक साथ आजादी के लिए फांसी के फन्दे पर चढ़े थे लेकिन आज इसे परिस्थितियों का गम्भीर षड़यन्त्र कहूं या मेरठ की धरती का दुर्भाग्य कि आज वहां तमाम इन्सानी कीमत तबाह हो गयी है । वहां मानवीय आधार सौहार्द्र एवं प्रेम का होम हो गया है । लेकिन फिर भी आशा की किरण हमको दिखायी देती है । जिस तरह से एक बार जामिया मिलिया यूनीवर्सिटी में आग लग गयी थी और वह फूंक गया उस समय वी0 सी0 जाकिर हुसैन थे, जब गांधी जी को पता चला वो वहां गये और उन्होंने डा0 जाकिर हुसैन साहब से कहा कि आपका बहुत नुकसान हुआ है इसके लिए हमे बहुत तकलीफ है । डा0 जाकिर हुसैन ने जवाब दिया हमें बहुत खुशी है। इस पर गांधी जी ने कहा कि आपका बहुत कुछ फूंक गया है इसमें खुशी की क्या बात है तो उन्होंने कहा बहुत कुछ बच गया है । इस तरह से एक आशा की किरण हमें दिखायी देती है । इस दरिन्दगी के बावजूद भी हजारों लोग दोनों सम्प्रदाय में इस तरह से हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों की जान की हिफाजत की है । इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जो नुकसान हुआ है वह दुबारा पूरा हो जायगा ।

मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने भाषण में कई तथ्य उठाये हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें दूसरे पक्ष का स्पर्श करने में शायद संकोच हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि ही केवल बलवों का मूल कारण नहीं है। मेरी राय में इस समय जो ज्वलन्त प्रश्न है कि किन-किन कारणों से बलवे हो रहे हैं। मेरी राय में यह ज्यादा गम्भीर है जिस दिन राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मसला दोनों सम्प्रदाय के धर्मप्राण लोग या कुछ और बड़े लोगों ने इस प्रश्न का हल निकाल दिया उस दिन अन्तर्राष्ट्रीय ताकतें कोई और मुद्दा खड़ा कर देंगी क्योंकि उनकी यह सुनियोजित साजिश है, वह जान गये हैं कि अभी हिन्दुस्तान की सीमाओं को ट्रेडिशनल वार से जीता नहीं जा सकता है ताकि उसके आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाय वरन् उनकी यह साजिश है कि हिन्दू सिक्ख को लड़ाओ, सवर्ण को अछूत से लड़ाओ, हिन्दू और मुसलमान को लड़ाओ ताकि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाय और यह मुल्क नफरत के ढेर पर खड़ा हो जाय। तमाम वे बेनुल अकवामी ताकतें वो ताकतें जो मर्कन्टाइल तहजीब की हामी है, अलगाववादी और फिरकावादी हैं वे हिन्दुस्तान को तबाह करना चाहती हैं। इसके अलावा वे लोग जो राजनीतिक पूंजी बनाने में लगे हुये हैं, वे लोग जो बीमार दिमाग के हैं, वे लोग जो बिके हुये इन्सान हैं, वे इसके हामी हैं।

मान्यवर, अगर अदालत ने यह फैसला कर दिया कि राम जन्म भूमि का ताला खोला जायेगा और उसके पक्ष में फैसला दे दिया तो उसकी कार्य कारिणी के लोगों को सारे प्रदेश में विजय रथ की यात्रा निकालकर दूसरे सम्प्रदाय को चिढ़ाने के अतिरिक्त और क्या मन्तव्य था, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है वस्तुतः यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है किन्तु यह एक जगह नहीं, सब जगह लागू होती है। यदि एक जगह लागू होता है तो सभी जगह लागू होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। इसी तरह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने साम्प्रदायिकता को बढ़ाने के लिये काफी पुरजोर कोशिश की। उनकी तकरीर में जो शोला बयानी है जो इस्तालगेज तकरीरें उनकी होती हैं वह बरफखाने को ज्वालामुखी बना देती हैं। इसके लिये मेरठ के सैक्यूलर मुसलमानों ने और हमने भी प्रशासन से कहा था कि इस तरह की मीटिंगों को परमीशन न दी जाए और किसी भी फिरकापरस्त को मेरठ नहीं आना चाहिए। लेकिन उनको नहीं रोका जा सका और यह मेरठ का बलवा हो गया। मेरठ में यह प्रतिक्रिया हो गई। मेरठ में मुसलसल तरीके से मीटिंगे होती रहीं।

आप मेरठ के इन बलवों को देखें कि कहां-कहां पर ये बलवे हुये हैं जहां पहले कभी बलवे नहीं हुये थे। कभी हाशिमपुरा में बलवा नहीं हुआ, इम्लियाना में नहीं हुआ। गोलकुंवा में नहीं हुआ। मिया मोहम्मदनगर में नहीं हुआ, इस्लामाबाद में नहीं हुआ। पहली बार इन जगहों पर यह बलवा हुआ है। वहीं यह बलवे हुये जहां बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी। श्रीमन्, मैंने कहा भी था कि इनको रोको और वहां के जो सैकुलर मुसलमान हैं उन्होंने भी कहा कि इसे रोका जाय। लेकिन बदकिस्मती से उसे नहीं रोका गया। 14 ता0 को यह बलवा होना शुरू हुआ, जब सब-ए-रात को तमाम शहर के लोग आतिशबाजी का कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे अच्छा आतिशबाज है उसकी एक जगह दी गयी जहां से नौचंडी का रास्ता जाता है लाखों लाख लोग नौचण्डी का मेला देखने वहां से जाते हैं। और कोई दूसरा रास्ता अपनायें तो कई मील से लोगों को गुजरना पड़ता है। आपने देखा होगा कि उस आतिशबाजी में क्या होता है एक पटाखा एक टाल में जा घुसा। अनजाने में भी जा सकता है और जान-बूझकर भी जा सकता है। ज्योंही पटाखा टाल में पड़ा लकड़ी की टाल जलना शुरू हो गयी। पुलिस को आग की सूचना मिली, उनके दमकल वहां पहुंच भी नहीं पाये थे क्योंकि करीब 5, 6 हजार प्रतीक्षा में खड़े हुये थे, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में 52 दुकानें फूंक दी गयी। मैं उस दिन लखनऊ में था मैं जिन्दगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठा हूं। यहां से दिल्ली पहुंचा और तब दिल्ली से मेरठ गया तो उन जगहों को देखा। उसके बाद 15 ता0 को खामोश रहा लेकिन 16 ता0 को फिर एक सम्प्रदाय के आदमी का कत्ल हुआ। उसके बाद एक महीने तक खामोशी रही। फिर एक महीने बाद 18 ता0 को दुबारा बलवा शुरू हुआ। कलेक्टर के यहां मीटिंग हुई उसमें वहीद साहब थे, वह जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया समाप्त करें।

श्री जयनारायण शर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही अर्ज किया था यह बड़ा गम्भीर मामला है मैं उन चीजों को बताना चाहता हूं जिनके कारण यह सब हुआ और जिनकी चर्चा यहां पर नहीं हुई।

कलेक्टर के यहां तमाम अपोजीशन के लोगों को बुला कर बातचीत हुई मैं भी उसमें था और मोहनलाल कपूर साहब भी थे जो यहां माननीय सदस्य रह चुके हैं और मौलवी यामनी साहब भी थे। मैंने कहा था कि मेरठ में न अटल बिहारी साहब को तसरीफ लानी चाहिए। और न साहबुद्दीन साहब को तसरीफ लानी चाहिये। क्योंकि चार दिन पहले मेरठ में अटल बिहारी जी ने कहा था एक्क मीटिंग में कि साहबुद्दीन को घुसने नहीं दिया जायेगा। इसकी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि एक एक्सन का रिएक्शन होना स्वाभाविक है तो दूसरे लोगों ने कहा कि साहबुद्दीन साहब को हम लायेंगे। तो नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ मानसिक तनाव शुरू हुआ और योजना बनी। बलवा कुछ जमीन की बीज नहीं यह तो मस्तिष्क का समान है जो किसी वक्त जमीन पर उतर आता है इसकी प्रणाली व पद्धति कुछ भी हो सकती है इसलिए इस बलवे की नींव का पत्थर अटल बिहारी साहब ने रख दिया और फिर बाद में साहबुद्दीन साहब ने उस पर सीमेंट लगा दिया ।

अपोजीशन के लीडर माननीय यादव जी और माननीय कल्याण सिंह जी ने बातें कहीं उन्होंने वह कुछ अखबारों की बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरठ के बलवे में जो हथियार आये वह उस रैली में जो गाड़ियां गयी थी उनमें आये। इसी तरह की पुनरावृत्ति माननीय कल्याण सिंह जी ने भी की। तो शायद उन्होंने अखबार पूरे पढ़े नहीं। एक मैगजीन रविवार है शायद उसको उन्होंने पढ़ा नहीं अगर पढ़ा होता तो वह इस बात को छिपा लेते। चूंकि उसमें लिखा है कि उस गाड़ी में जो लिबर्टी ट्रान्सपोर्ट की थीं जिसमें हथियार आये । मान्यवर, वह किसी की गाड़ी नहीं बल्कि माननीय सदस्य श्री वहीब साहब की थीं जो कि लिबर्टी ट्रान्सपोर्ट के मालिक हैं यह उस मैगजीन में लिखा है। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि उन्हीं के दल के एक माननीय सदस्य के गाड़ियों में बलवे के लिये असलहा आया था लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि राजनीतिक पाप करना कोई आवश्यक नहीं है। मैं उनको जानता हूं, उनकी नीयत पर शक करना ठीक नहीं है। वह लिबरल और सेकुलिरिज्म किस्म के आदमी हैं। अखबार कुछ लिखे लेकिन मैं कहता हूं कि वह ईमानदार आदमी हैं, और उनकी हुब्बुलवतनी पर सुबहा करना गुनाह है।

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह ने कहा आज के रविवार को देखें जहां बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग 18 ता0 को इमिलियान में मौजूद थे। इमलियान जहां 18 तारीख को बलवा शुरू हुआ और 18 तारीख को ही सूरजकुण्ड में इनकी मीटिंग शुरू हुई। क्या अखबार में है, क्या मैगजीन और रविवार में है। उसे पढ़े तो अखबार पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिये अखबारों की बात कहना ठीक नहीं है। आप सच बात कहें तो ठीक है।

मान्यवर, दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष को विरोधपक्ष का कोपभाजन होना ही पड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है उस पर भी इनको गौर करना चाहिए। इनके स्वयं के आर्गूमेन्ट है उसमें वह स्वयं फंस रहे हैं। इसलिये कहना चाहता हूं कि आज के मेरठ के हालात बहुत बेटर हो गये हैं लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि श्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि विरोध पक्ष सुझाव दें, कि बलवा कैसे शान्त किया जाए मुलायम सिंह जी ने कहा कि क्या गवर्नमेन्ट हमारे सुझाव

को मानेंगे? मान्यवर, हमारे कांग्रेस के विधायक अपने आप से पीड़ित हैं कि मुख्य मंत्री जी यदि किसी की बात मानते हैं तो विरोध पक्ष के श्री मुलायम सिंह की बात को मुख्यरूप से मानते हैं। इसलिये कांग्रेस विधायकों की यह निश्चित राय है। मैं तो कहता हूं कि सुझाव आपके माने जा रहे हैं। इसका सबूत यह है कि मेरठ के एक विधायक को आप डराते हैं कि मुख्य मंत्री से कहकर तुमको सूली से उतारा था और फिर भी लोकदल (अ) में है।

मान्यवर, सूली से उतारने की क्षमता श्री मुलायम सिंह को है हमको तो वह क्षमता है, नहीं ।

श्रीमन्, बलवों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि इसको दलीय आधार से हटकर चिंतन करना चाहिए चूंकि इसमें कुछ लोग पोलिटिकल पूंजी बनाने में लगे हैं । सियासी पूंजी बनाने में लगे हैं जिससे देश का नुकसान होगा । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरठ के बलबे के प्रथम चरण में जुल्म आगजनी, लूट और हत्यायें अपनी सीमाओं को लांघ गयीं थीं लेकिन आज मेरठ के बल्बे की परिभाषा ही बदल गयी है और यह बल्बा नहीं बल्कि इसे सिविल वार कहा जाना चाहिए क्योंकि जिस दंगे में 50 हजार व्यक्ति इंवाल्व हों तो क्या उसको बलबों की परिभाषा से निरूपित किया जाता है । उसको बलवा कहा जायेगा । बलबे का इतिहास उठाकर देखें । 10/20 का कोई इधर-उधर मर्डर हो जाता है । 15/20 आदमी कहीं आमने-सामने आ गये, तो वह तो बलवा कहा जायेगा । लेकिन जहां पर 16 मोहल्ले जो 20/30 हजार की आबादी के प्रत्येक अप्लावित मोहल्ले हैं, वहां के लोग एक दूसरे की ओर बलवे के लिए जा रहे हैं तो यह बलवा नहीं है । वहां जब पहली बार कुछ लोग गये थे, उन्होंने यह बलवा पूर्व नियोजित कहा है और मैंने भी यही कहा कि यह पूर्व नियोजित है । मैंने यह भी कहा कि मेरठ की वह सर जमीं है जो दंगों के लिहाज से उर्वरा जमीन है। मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष –

अब आप समाप्त करें ।

श्री जयनारायण शर्मा –

तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बलबा का मुकद्दस क्या है, निष्कर्ष क्या है, जब हिन्दू पर जुल्म होगा, हिन्दू फिरकापरस्ती पल्लवित और विकसित होगी और जब मुसलमान पर जुल्म होगा तो मुस्लिम फिरकापरस्ती पल्लवित और विकसित होगी। वह एक माना हुआ, अटूट सिद्धान्त है । इसलिए जो लोग हिन्दू के हिफाजत की बात करते हैं और कहते हैं या जो लोग मुसलमान के हिफाजत की बात करते हैं, उससे यह खेल रुकने वाला नहीं है । आज जरूरत इस बात की है कि जहां हिन्दुओं पर जुल्म होता है मुसलमान उसकी हिफाजत में आगे आये और जहां पर मुसलमान पर जुल्म होता है हिन्दू लोग उसकी हिफाजत में आगे निकलकर आएं । तभी इस फिरकापरस्ती की बढ़ती हुई आग को काबू पाया जा सकता है । लेकिन जहां इसका यह रूप नहीं देखने में आता है लोग अपनी-अपनी की ही हिफाजत में लगे रहते हैं और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों का दुश्मन मानकर उनका नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास करते हैं, तो यह घोर फिरकापरस्ती है जो लोग हिन्दू व मुसलमान की बात करते हैं वह लाशों के मसीहा हैं और फिरका-

परस्ती ही नहीं वह लाशों का मरशिया है । और वह लाशों का सौदागर है । यह वही लोग हैं जो बलवा कराकर देश को समाप्त कर देना चाहते हैं . . (व्यवधान) ।

मैं अन्त में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर बात थी . . (व्यवधान) मोहसिना किदवई के लिए कहा गया है, मैं उसके लिए अपनी बात कहना आवश्यक समझता हूं, कल अखबारों में निकला है जो बहुत गम्भीर बात है । अभी कल्याण सिंह जी ने मोहसिना किदवई जी के साथ मौलवी यामीन, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मेरठ के सदर हैं, का एक चित्र दिखाया है और बताया है कि यह गंभीर मंत्रणा इन दोनों में क्या हो रही है। तो श्रीमन् वह फोटो तो चूंकि वहां मोहसिना साहब तशरीफ रखती थी और उनसे वहां पर सभी दलों के डेपूटेशन और सामाजिक संगठनों के डेपूटेशन मिले हैं, उसका वह फोटो है । इस तरह के डेपूटेशन तो प्राईम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री जी से भी मिले हैं और मौलवी याम्मीन भी मिले थे तो उनकी फोटो खींच ली गई होगी और उनसे कोई गम्भीर मंत्रणा है तो फिर कपूर साहब भी मिले थे, जो मेरठ से बी0 जे0 पी0 के हैं, माननीय सदस्य इस सदन में दो बार रहे हैं । फोटो तो उनके साथ भी है और एक फोटो मेरा, कपूर साहब और वशीर अहमद साहब का भी है, जो मुस्लिम लीग के आल इंडिया प्रेसीडेन्ट है। चूंकि हम सब लोग मोहसिना और मुख्य मंत्री जी से मिलने आए थे, उनका भी है तो इस फोटो के माध्यम से वह क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

अब आप बैठें, अब आगे बिल्कुल नहीं ।

***श्री भोपाल सिंह –**

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, यहां पर जो चर्चा हो रही है एक रोज पहले चर्चा हुई और आज भी हुई किन्तु कोई भी आदमी सच्चाई पर नहीं आना चाहता । श्री शर्मा जी सम्मानित सदस्य हैं, जो अभी बोल रहे थे । उनसे हमारी जो बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा तो यही था कि मैं सारी सच्चाई खोल कर रख दूंगा और कुछ भी न छिपाकर सारी बातों का बिना किसी डर दबाव के खुलासा सदन में पेश कर दूंगा, किन्तु उसके अनुसार उन्होंने यहां सच्चाई न पेश करके लीपापोती भर की है और अपने भाषण में उन्होंने किसी की न बुराई की, न किसी की अच्छाई की। उन्होंने लीपा-पोती करके सबको बराबर कर दिया । मेरी उनके साथ जैसी रात में ट्रेन पर बात हुई थी, वैसा उन्होंने यहां पर कुछ नहीं कहा । उन्होंने रात में कुछ और ही कहा था और उस सच्चाई पर वह पर्दा ही यहां डाले रहे । लगा कि वह भी वोटों की राजनीति के कारण ऐसा भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई की बात है, हमने अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है और बातचीत भी की है, उसको मैं आपके सामने सही रूप में बयान करना चाहता हूं ।

14 अप्रैल को यह दंगा कैसे शुरू हुआ ? यह सुनयोजित ढंग से शुरू हुआ । इसका पहले से प्लान था । एक जनाजा जा रहा था । यह मुसलमान का जनाजा था और जो हमारा गुलमर्ग सिनेमा है उससे गुजर रहा था । वहां पर शबेरात के पटाखे छोड़े जा रहे थे, जो छुर्री वाले पटाखे थे। वहां नौचन्दी का जो बहुत प्रसिद्ध मेला है, जिसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मद्रास और कलकत्ता तक से दुकानें आती हैं और दूर-दूर से मेला देखने लोग भी आते हैं । उस रोड पर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की कि इस सड़क पर यहां इन दिनों इतनी भीड़ चलती है । इतनी भीड़ चलती है कि 10/20 रिक्शे से दुर्घटनायें हो जाती हैं ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, वहां पर पटाखे छोड़े जा रहे थे । जनाजे वालों ने कहा कि पटाखे बन्द कर दो जनाजा जा रहा है। वहां से 2-3 फर्लांग पर सुभाष नगर है, वहां पर जगराता चल रहा था या शादी होगी। वहां पर माइक चल रहा था। उन लोगों ने कहा कि माइक बंद कराइये तो हम पटाखे बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि उससे हमारा मतलब नहीं, आप पटाखे बंद करें। तो आपस में झगड़ा हुआ और नहीं मालूम है कि वह जनाजा कहां से लेकर गये। इस घटना से आपस में असंतोष था। सुभाष नगर के एक टाल में आग लगायी गयी गयी और 10-5 दुकानों को फूंक दिया गया। डी0एम0 और डी0आई0जी0 नत्थू लाल वहां गये। फायर बिग्रेड की गाड़ी भी गयी लेकिन इतना जबरदस्त पथराव हो रहा था कि वह लोग दो घंटे वहां पर खड़े हुए तमाशा देखते रहे । अगर सख्ती की जाती तो झगड़ा बंद हो सकता था । इसके अलावा वहां से एक रास्ता गढ़ रोड पर निकलता है जिसको शंभू नाथ रोड के नाम से पुकारा जाता है, अगर प्रशासन ने उस रास्ते को बंद कर दिया होता तो लोग उससे यहां न आते और दंगे के शिकार न होते । तमाम औरतों की बेइज्जती की गयी और लोगों को मारा गया । पुलिस प्रशासन ने कोई देखभाल नहीं की ।

दो दिन तक गम्भीर झगड़े होते रहे लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू नहीं लगाया और पुलिस का अरेंजमेंट नहीं किया। 2 दिन बाद कर्फ्यू लगाया गया और दंगा बंद हो गया। वहां पर इसके पहले 37 बटालियन पी0 ए0 सी0 लगायी गयी थी लेकिन डी0 जी0 के आदेश से 4 दिन में वह पी0 ए0 सी0 वहां से हटा ली गयी। रोज 10 कम्पनियों को हटाया गया । पी0 ए0 सी0 को क्यों हटाया गया । क्या यह मालूम नहीं था कि दंगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल मिनिस्टर के दबाव के कारण पी0 ए0 सी0 को वहां से हटाया गया ताकि जो दंगा करने वाले हैं उन पर दबाव न पड़े। जैसा कि अभी मेरे साथी ने कहा वहां पर 16 तारीख को एक लड़के का मर्डर हुआ और एक दुकान में आग लगा दी गई लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया । अगर उस वक्त कुछ लोगों को बन्द किया गया होता और सख्ती से कार्यवाही की गयी होती तो शायद दंगा न होता । उसके बाद 16 तारीख को रैली में लोग गये । मैंने आंख से तो नहीं देखा है लेकिन लोगों से सुना है कि बसों में गोला बारूद, असलहा लाया गया क्योंकि मेरठ में इतना तेजाब और इतने असल्हे कैसे आये । 16 तारीख को लोग रैली से आये । 17 तारीख को चुप रहे । 18 तारीख की रात को नेपाल सिंह के फार्म पर दंगाई गये और वहां पर झगड़ा शुरू किया । 2-3 हजार लोगों ने फार्म को जला दिया, ट्रैक्टर को फूंक दिया और दूसरे सामान को जला दिया तथा 7 आदमियों को मार दिया। पूरी रात दंगाइयों ने आगजनी की । जैसा कि शर्मा जी ने कहा अबकी दंगे दूसरे इलाकों में हुए क्योंकि दंगा करने वाले जानते थे कि

जहां पुलिस लगी है वहां हमको दबा लिया जायगा इसलिये उन्होंने बाहर जाकर दुकानों और फैक्टरियों में आग लगायी । इसका सबेरे मुझे पता चला । मेरा एक गार्ड है जो ब्रह्मपुर में रहता है वह घर जा रहा था तो वह वापस आ गया और मुझसे बताया कि शहर में आग लगी है और दंगे हो रहे हैं इसलिये मैं वापस आ गया हूं । हम छत पर गये तो देखा कि आग लगी हुई है। मैं 15 मिनट में दाढ़ी बनाकर, तैयार होकर तुरन्त गार्ड को लेकर शहर में निकला तो मैंने देखा कि दंगाइये आग लगा रहे हैं। गढ़ रोड पर कोई पुलिस नहीं थी। केवल 2 पुलिस वाले थे । मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं दंगाइयों को रोकते हो तो उन्होंने कहा कि हमें गोली चलाने के आदेश नहीं हैं। हम दो सिपाही हैं अगर किसी को रोका तो हम मार दिये जायेंगे । 11 बजे तक गोलाकुआं आदि जगहों पर आग लगायी जाती रही । प्रशासन के लोग डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 वगैरह पहुंचे । डी0 आई0 जी0 ने कहा कि मेरा प्रमोशन हो चुका है अगर दंगे को रोकने में हिस्सा लिया और गोली चलवायी तो प्रमोशन रुक जायेगा । एस0 एस0 पी0 का डी0 आई0 जी0 के पद पर प्रमोशन होने वाला था इसलिये उन्होंने कहा कि अगर एक्शन लिया तो मेरा प्रमोशन रुक जायगा । दिन भर खड़े रहे, डी0 एम0 ने कुछ नहीं किया । हमने आकर कहा कि फोर्स भेज दीजिये तो कहा गया कि फोर्स नहीं है।

आखिर में जब मुझे मालूम हुआ, मैं पूरा दिन घूमता रहा, मुझे पता चला कि सरकिट हाउस में सेन्ट्रल की मंत्री महोदया आई हैं। मैंने वहां जाकर देखा कि मोहसिना किदवई और राज्य मंत्री चिदम्बरम साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने डी0 एम0 और एस0 पी0 को 3 घंटे तक बिठाये रखा । मैंने शोर मचाया कि डी0 एम0 और एस0 पी0 को बाहर भेजिये लेकिन 2-3 घंटे तक दरवाजा नहीं खुला । उसके बाद मैंने किसी प्रकार से दरवाजा खुलवाया । उसके बाद अखबार वालों को मिलवाया । मैंने सारी कहानी उनको बतायी, उसके बाद शाम को मुख्य मंत्री जी पहुंचे । दिन में वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गयी । एस0 एस0 पी0 ने कहा कि हमारे पास फोर्स नहीं है। मैंने कहा कि इतनी फोर्स तो हमेशा शहर में रहती है जो दंगे को रोक सकती है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे अभी बहुत बातें कहनी हैं अभी तो आधा घंटा लगेगा । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 (इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) को 4 घंटे तक सर्किट हाउस में बैठाये रखा । उनको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर ने सर्किट हाउस में बैठाये रखा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, सारे दंगे की बात मुझे मालूम है, मुझे कहने दें ।। मान्यवर, उसके बाद 48 घंटे तक मेरठ जलता रहा और प्रशासन ने कुछ नहीं किया पहले एक सम्प्रदाय ने मेरठ को जलाया उसके बाद दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने 24 घंटे तक मेरठ को जलाया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बोले जाइये इस तरह से बहस नहीं होगी आप कृपा करके बैठें । आप इसके बाद बोलेंगे तो वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे कहना था कि जिस रोज सेन्ट्रल से एम0 पी0 लोग आये (व्यवधान) उसके बाद मैं थाने पहुंचा । मैंने उनसे कहा कि कोई राजनीतिक यहां न आये तो दंगा रुक जायेगा । अगर आप लोग आते रहेंगे और अखबार में स्टेटमेन्ट देते रहेंगे तो और दंगा भड़केगा । जो लोग आये वह दंगे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने वोटों के लिए आये थे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं लिखा जायेगा । अब आप विराजिए।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते । सदन के लोग यह चाहते थे कि असली बात बतायें वह आप बताने नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कह रहा हूं कि आप विराजिए ।

यह विषय अपने में बहुत नाजुक है और ऐसा विषय है कि अपनी नाजुकता के दबाव से यह सुझाव के रूप में आये जिससे आगे ऐसा दंगा न हो उसके लिए कुछ सुझाव अच्छे आयें तो मैं समझता हूं कि बेहतर रास्ता बनेगा । मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस नाजुक मसले पर बोलते वक्त अपने सुझाव दें जो जायज लगें। ऐसी बातों से परहेज करें जो स्थिति को खराब बनाने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बात वह कही जाय जिससे अमन कायम हो जिसे प्रगति बढ़े । मैं सदस्यों से अर्ज कर रहा हूं कि 10 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा।

भोपाल सिंह जी, अब आपकी बात खत्म हो गयी । आप एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, जो राजनीतिक लोग गये . . . .

(सत्ता पक्ष की तरफ से "बैठो-बैठो" की आवाजों से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनायें ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, हिन्दू मुसलमान बिल्कुल मेरठ में दंगा नहीं करना चाहते थे लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने दंगे को भड़काकर उसे और बढ़ाया और बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें की हैं। मान्यवर, वहां पर स्टोर लुटवाया गया इस तरह की खबरें रोज अखबार में लिखी होती हैं इसलिए इनकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करवाई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय भोपाल सिंह जी आप कृपया बैठिये । अभी आपको पुलिस विभाग पर चर्चा करने का मौका मिलेगा तब बहस कर लीजियेगा ।

मैं माननीय सदस्यों से सुझाव के रूप में फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वे सुझाव के रूप में कुछ ऐसी बातें कहें जिससे अमन बढ़े । मैनेजर सिंह जी आपने दो घंटे का समय निर्धारित किया है इसलिये मैं 10-10 मिनट का समय सदस्यों को दूंगा ।

श्री अजीजुर्रहमान–

मान्यवर, ईषोपनिषद का एक श्लोक है–

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।
यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूदविजानतः
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।

(ईषोपनिषद 6–7)

मतलब यह है कि जब मैं यह देखता हूं कि दुनिया की हर चीज मुझमें है और मैं दुनिया की हर चीज में मौजूद हूं। यह देखते हुए कि हर चीज का जौहर एक ही है, मैंने कसरत से निकल कर वहदत को पा लिया है। इसलिये न मुझमें नफरत रही न मैं फरेब में आ सकता हूं न मुझे रंज पकड़ सकता है।

कुरान शरीफ की एक आयत है :—

"माकताला नफसंम बिगरे नफसिन ओके सादिन फिल अर्द
फका अन्नमा कतालन नासा जमीआ व मन अहयाहा
फका अन्नमा आहियनासा जमीआ ।"

जिसका मतलब यह है कि जिस शख्स ने एक शख्स का नाहक कत्ल किया उसने दुनिया के हर शख्स का कत्ल किया और अगर किसी ने एक की जान बचाई तो उसने तमाम इन्सानों की जान बचा ली।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अजीजुर्रहमान साहब, आप अगर माइक के सामने अपना मुंह रखकर बोलें तो माननीय सदस्य आपको बहुत शान्तिपूर्वक सुनेंगे ।

श्री अजीजुर्रहमान–

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक हिन्दू भाइयों का ताल्लुक है, उनके लिए भी एक बड़ा बुनियादी उसूल है और कुछ बुनियादी गाइडलाइन्स हैं और इसी तरह से जहां तक मुसलमान भाइयों का ताल्लुक है, इनके लिए भी इनके ईमान, धर्म व मजहब सब कुछ कुरान है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश में मेरठ में या और भी कहीं पर जहां भी ऐसे फसाद हुए हैं, उन सब के पीछे मजहब नहीं है। "मजहब नहीं सिखाता है, आपस में बैर रखना। हिन्दी हैं हम, हिन्दुस्तान है वतन हमारा।" लेकिन मुझे निहायत ही रंज और अफसोस है कि मेरठ में हिन्दू भाइयों की जानें जायें और मुझे बेहद कलक है कि हिन्दू भाइयों के माल असबाब लूटे जायें । मैं इन पसमानन्दगान से बेहद उन्सीयत और मुहब्बत रखता हूं । वहीं पर मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि नादिर खां एण्ड कम्पनी वालों ने जिन्होंने 20 हजार रुपये ऐसे लोगों के लिए पेश किये, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो वह बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और ऐसे लोगों की हम सभी लोगों को नकल करनी चाहिए। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसकी आज सख्त जरूरत है और जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है जनाबेआला, मैं मजबूर हूं भाई कल्याण सिंह जी मुझे माफ करें कि शायद उनको कुछ नागवारी हो कि आज मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे पड़ रहे हैं "हर बलाए कज आसमां आयद गर चैबर दिगरे कजा बाशद बर जमीन या रसीदा भी पुरसर खपाए मुसलिमां कुजा बाशद" "हर वह बला जो आसमान से जमीन की तरफ नाजिल होती है, वह रास्ते में पूछती चलती है कि मुसलमान का घर कौन सा है।" तो मेरठ के मुसलमानों पर वह कयामत टूटी हैं, उनकी जानों पर, उनके मालों पर, उनके बच्चों पर । इसके सुनने के लिए और इसके पूछने के लिए पत्थर के दिल होने चाहिए जो कहां से लाये जायं कौन सुनता है यह दास्तां मेरी और वह भी जुबानी मेरी । मुसलमानों के घर वालों की इज्जतें लूटी गयीं न कि सिर्फ माल लूटा गया । सब कुछ लूटा गया और कत्ले आम हुआ है।

मैं पूछना चाहता हूं जनाबेआला कि इन मुसलमानों के जो कसूर थे, इसके लिए प्रदेश सरकार के पास कानून कायदे हैं। हिन्दुस्तान का संविधान है। ताजीराते-हिन्द है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। सब कुछ तो मौजूद है, उसके खिलाफ केस करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती थी। दोषी था तो सजा दी जा सकती थी। लेकिन ऐसा न करके फौरी सजा को तजवीज की गयी कि सामानों की तरह हाशिमपुरा के मुसलमानों को गाड़ियों में भरा गया और नदी के किनारे एक-एक करके सबको शूट कर दिया गया और यही हालत मलियाना के मुसलमानों के साथ की यह सारे वाक्ये बेकसूर और बेगुनाह लोगों के साथ हुए। हमारे भाई कल्याण सिंह साहब जिसकी तारीफ करते हैं, पी0 ए0 सी0 । उसका फर्ज है अमन कायम करना । पी0 ए0 सी0 हमारी फोर्स है, हम उसको मेरठ से कैसे हटा सकते हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री अजीजुर्रहमान–

दो मिनट समय और जोड़ दें ।

जनाबेआला, मेरठ में पी0 ए0 सी0 ने क्या किया । अखबार कह रहे हैं, हिन्दुस्तान का हिन्दुस्तानी कह रहा है— सनडे आब्जर्वर, हिन्दुस्तान टाइम्स, पैट्रियाट, इण्डियन एक्सप्रेस, इन्डिया टुडे, सनडे, वीक आप देखें। निखिल चक्रवर्ती साहब, जोकि जाने माने संवाददाता हैं, 14 जून की टाइम्स आफ इण्डिया में लिख रहे हैं—

हेयर इज ए क्लीयर केस आफ ए विंग आफ दि स्टेट गोइंग आउट विथ कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन टू रेड एण्ड ग्राउन्ड अप ए ग्रुप आफ सिटीजनस, विस्क देम अवे, शूट देम व्हाइल इन कस्टडी एण्ड दैन थ्रू देयर बाडीज इन टू दि रिवर। सच ए फाइनडिश एक्ट हैज नेवर टेकिन प्लेस बीफोरे। डजन्ट दिस रिमान्ड वन आफ दि नाजी प्रोग्राम्स अगेन्स्ट दि जियूस ।

इसका तर्जुमा है:–

"यह इस बात की रोशन मिसाल है कि हुकूमत की मशीनरी का एक बाजू अपना सफेद किये हुए इस तौर पर उठे कि वह मुल्क के शहरियों के एक ग्रुप पर हमला करे, उन्हें गिरफ्तार करे और मौके से अहदेह करके हिरासत के दौरान उन्हें गोलियां मार कर हलाल करें और उनकी लाशों को दरिया में फेंक दें । इससे पहले ऐसा वहशीयाना अमल कभी नहीं हुआ । क्या यह अमल नाजियों के यहुदियों के खिलाफ की हुई कत्लेगारत की याद नहीं दिलाता ?

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य आप समाप्त करें ।

(शोर)

श्री अजीजुर्रहमान–

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिये, हमारी पार्टी के लिये हिन्दस्तान के अमन के लिये यह निहायत जरूरी है कि हम इस पर गौर करें। इस फोर्स को बदलें, इस फोर्स की जगह और कोई फोर्स दें।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

अजीजुर्रहमान साहब, आपका समय समाप्त हो गया। दो मिनट भी हो गये, आप विराजिये ।

श्री अजीजुर्रहमान–

यह सनडे आब्जर्वर है, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता–

अखबार नहीं पढ़ा जाता, आप बैठिए, मैंने रघुवर दयाल वर्मा जी को समय दे दिया है।

(शोर)

श्री अजीजुर्रहमान–

सूरज निकला होता है। हम सुप्रीम कोर्ट की जांच बैठा देते हैं कि सूरज निकला या नहीं इसकी रिपोर्ट दे । ऐसी हालत में मेरठ में आप देखें जनाबे-आला.....

श्री अधिष्ठाता–

अजीजुर्रहमान साहब कृपया बैठें, बैठ जाइये ।

(शोर)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर । जिस दिन इस विषय पर चर्चा स्वीकार हुई थी मा0 अध्यक्ष जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि सभी दलों के मा0 नेताओं तथा मेरठ के मा0 सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा । मेरा निवेदन है कि मेरठ के जो सदस्य हैं, उनको बोलने का अवसर दें चाहे आपको समय बढ़ाना पड़े ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 अध्यक्ष ने इस पीठ से कहा था कि नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेतागण और वे लोग जो मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, वह लोग ज्यादा हिस्सा लेंगे, लेकिन इसके बावजूद और दलों के लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरठ में हुए साम्प्रदायिक दंगों की चर्चा में हमारे मा0 सदन के सामने बड़ा ही गम्भीर प्रश्न उपस्थित है। मा0 सदन के सदस्यों को इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ प्रदेश में साम्प्रदायिक विद्वेष की आग को समाप्त करने के लिये क्या तरीका हो सकता है, इसकी चर्चा में भाग लेना चाहिये । मान्यवर, सन् 47 के साम्प्रदायिक विद्वेष के बाद हमारे शासनकाल में 1979 में फैसला हुआ कि एक राष्ट्रीय एकीकरण समिति का निर्माण कराया जाय । उसी समय इसके लिये प्रदेश में एक मंत्रालय की स्थापना की गयी। उसी विभाग के अन्तर्गत अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय उस समिति ने लिये । उन निर्णयों का परिपालन सत्ता पक्ष की ओर से न होना, साम्प्रदायिक दंगों के बाद दंगों से सम्बन्धित मुकदमों का वापस लिया जाना और मुआवजा देकर कार्य समाप्त कर देना, क्या इन सब कारणों का नतीजा यह हुआ कि वाद विवाद में अपनी-अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले करते रहें ?

मुरादाबाद के 1980 के दंगे के बाद प्रदेश में सुलहकुल जैसे नाटक पर लाखों रुपये बर्बाद किये गये । फिर सुलहकुल और राष्ट्रीय एकीकरण समिति के निर्णयों के बाद उन पर अमल न करने के लिये कौन दोषी है, कोई दोषी है तो सबसे ज्यादा दोष शासन में बैठे लोगों का है। श्रीमन्, मैं बड़े आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन दंगों को रोकने के लिये राष्ट्रीय एकीकरण समिति के जो फैसले थे, दण्डात्मक कर लगाने के, तो श्रीमन्, जब प्रदेश में दंगे की आग भड़की तो दण्डात्मक कर क्यों नहीं लगाये गये । कर नहीं लगाए गये तो उसके पीछे एक ही साजिश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है कि सत्तापक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये राष्ट्रीय एकीकरण समिति के फैसलों को अब तक लागू नहीं किया । इस कारण से इस देश और प्रदेश में दंगों की ज्वाला धधकती रही ।

हमारे सामने यह प्रश्न आ चुका है कि इन दंगों को रोकने का कारगर फार्मूला क्या है? अब हमारे सामने यह प्रश्न आ चुका है कि क्या पी0 ए0 सी0 और पुलिस के लोगों का इन दंगों के भड़काने में हाथ है। इसमें जिन अफसरों का दंगे भड़काने में हाथ है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। जिन राजनीतिक मंचों के लोगों का इनमें हाथ है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ? जो लोग हिन्दू मुसलमान की भावना फैलाते हैं, श्रीमन्, मैं निष्पक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि जो लोग दंगे भड़काते हैं वही समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं और वही राजनीतिक दलों में प्रतिष्ठा पाते हैं । साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को राजनीतिक दलों में ऊंचा स्थान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। इसमें कौन दोषी है? इसमें सबसे ज्यादा दोषी हैं कुर्सी पर बैठने वाले । इसलिये मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी से कि वे बिल्कुल निष्पक्ष भावना से राजनीतिक दलों में ऐसे लोगों की विवेचना करावें । रोजाना आरोप लगाये जाते हैं। मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। दंगा भड़काने में जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष भाव से विवेचना करा कर इस सदन के समक्ष रखी जाय और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि ऐसे लोगों के मुंह को काला करने का मौका मिल सके । प्रशासन में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दंगा भड़काने का काम करते हैं और उन लोगों को प्रशासन की तरफ से प्रश्रय मिलता है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

मेरठ के दंगे के मामले में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं ? मेरठ में जब दंगा हुआ तो वहां पर गृह मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रवेश किया तो क्या इन्होंने वहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करने के लिए समस्त राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया ? आमंत्रित करने के बाद, उनसे आपने सुझाव लिये और उन्हें विश्वास में लेकर, ऐसे असामाजिक तत्वों, जो दंगा भड़काते हैं, के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये ? आप श्रीमती किदवई जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, डाक बंगले में बैठकर और उस बैठक में केन्द्र की मंत्री को अलग कर, प्रशासन के साथ बैठकर आपने क्या फैसला लिया ? यह सन्देह पैदा करता है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मेरठ जैसे संवेदनशील मसले पर, पिछली भूलों को छोड़कर सबक सीखना चाहिए। दंगों के मुकदमों को वापस लेकर और उन्हें मुआवजा देकर चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसे हमें त्यागना चाहिए। एक बार भी दंगा भड़काने वाले को कानून के तहत सजा मिल जाय । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के दंगे नहीं हो सकते । हमें हृदय पर हाथ रखकर संकल्प करना चाहिए कि ऐसे साम्प्रदायिक दंगा भड़काने वाले व्यक्ति को हम अपने दल का मेम्बर नहीं बनायेंगे और ऐसे व्यक्ति को अपने दल में किसी प्रकार का सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहिए । आज जिस प्रकार राजनैतिक दलों में असामाजिक तत्व आ रहे हैं, उसे हमें सुधारना होगा । यदि हमने इसे ठीक

नहीं किया तो आने वाला इतिहास यही कहेगा कि विधान सभा में बैठने वाले ने देश की यह गति की । प्रदेश को इस साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का मुख्य कारण मुख्य मंत्री की अदूरदर्शिता , विवेकहीनता व अक्षमता थी। वह प्रशासन के हाथों में खुद खेल गये । इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मेरठ के इस मसले पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

6 बजकर 25 मिनट पर मेरठ के दंगे के बारे में चर्चा को समाप्त हो जाना है। अभी कई माननीय संदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, इसलिए 5-5 मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें । हालांकि जो सूची नत्थी है, उसमें विपक्ष के लोगों के ही दस्तखत हैं लेकिन चर्चा का रुख तभी सही बनता है, जब पूरा हाउस उसे रिप्रिजेन्ट करे ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, पहले आप मेरी बात सुन लें। नियम–52 में एक चर्चा स्वीकार कर ली गई और नियम–56 में कुछ लोगों ने सूचनाएं दी हैं। 22 तारीख को उस पर जब यहां पर बहस शुरू हुई तो यह बात सामने आयी कि नियम 56 की सूचनाओं को नियम 52 में मिला लिया जाय और उसके बाद चर्चा शुरू करायी जाय । ऐसी सूरत में जो निर्णय हुआ था वह यह था कि नियम 56 की सूचनायें जितने लोगों ने दी हैं, उसको उसमें शामिल कर लिया जाय । पहले आप 10–10 मिनट समय दे रहे थे, अब 5-5 मिनट के लिये कह रहे हैं और उसके बाद समाप्त कर देंगे । जिन लोगों ने नियम 56 के लिये इस बात को स्वीकार कर लिया था कि नियम 52 में चर्चा में बोल लेंगे, उनका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मेरा कहना यह था कि नियम 52 और नियम 56 के सिलसिले में जो निर्णय हो चुका है, उसके अनुसार सूची आयी । इसमें जो समय का निर्धारण होता है, वह भी निर्धारित समय के अन्दर चर्चा खत्म हो जानी चाहिये । माननीय नेता, विरोधी दल के आग्रह पर इसे दो घण्टे और बढ़ाया गया, अब इसे मुसल्सल नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री फजलुल बारी–

जिन लोगों ने नियम 56 की सूचनाएं दी थीं, उनमें से आपने एक-दो लोगों को ही बुलवाया है।

श्री अधिष्ठाता–

जितना मुमकिन है, बुलवा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं बुलवा सकता हूं।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरठ पर चर्चा के लिये सदन में आपने कहा कि 5-5 मिनट सब बोलेंगे । मेरा कहना यह है कि मेरठ के लोग इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी रखते हैं। सब भाषण दे रहे हैं, कभी कहीं का जिक्र हो जाता है, कभी कहीं का । मेरठ के बारे में कोई कहना नहीं चाहता ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें। सदन अपनी गरिमा के हिसाब से चलेगा, आप निर्धारित समय से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री भोपाल सिंह–

मैं इसके विरुद्ध सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री भोपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

इस नाजुक मसले पर जो बातचीत हुई और दोनों तरफ के ख्यालात सुनने को मिले, उससे यह महसूस हुआ कि कुछ संजीदा बातें कही जानी चाहिये । अभी एक बहुत सीनियर मेम्बर ने जब इसको शुरू किया, फिर दोनों तरफ से शोर हुआ, तो ऐसा लगा कि इन्सानियत का वह खून जो मेरठ में बहा, वह लोग जो उन लाशों को देखकर आये, उनका दिल तड़प गया और उनकी आंखें खून के आंसू रोयीं। इन सीनियर लोगों की, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्हें मालूम नहीं है कि यह कितना बड़ा मसला है। यहां पर भी ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिससे उनकी सिक्यूलर सोच का पता ही नहीं चलता है कि क्या है। इस सदन की भी यह हालत है जहां जिम्मेदार लोग आते हैं । जब उनकी बातचीत से एक खास अन्दाज और खास चीज का पता चलता है तो क्या समझा जाये कि इस नाजुक मसले पर कोई दिल की तड़प के साथ भी सोच रहा है।

इस मौके पर मैं यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे साथियों का अन्दाज बहुत सेकुलर होना चाहिए। हमें राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी के मुल्क में बैठ कर ऐसी बातें करें जिससे दिल जुड़े, दिल टूटे नहीं। ऐसी बातें करें कि एक दूसरे के करीब आवें। एक दूसरे के करीब बैठें। एक दूसरे को अपने आगोश में लें। ऐसी कोई बात हमारी जबान से नहीं निकलनी चाहिये जिससे कि यह मुल्क टूटे। लोगों में दूरी पैदा हो।

मेरे बोलने के लिये समय कम है। अधिष्ठाता जी ने बोलने के लिये मुझको समय कम दिया है । मैं अधिष्ठाता महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे मुद्दत में तौसी की जाय ताकि लोग मेरी बातों को सुनें । इस सदन में जब यह चर्चा आई तो इससे जाहिर है कि उनके चेहरे भी हमारे सामने आये। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकाब ओढ़े बैठे हुए हैं उनके चेहरे भी आज बे नकाब हुए। इस सिलसिले में मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि

"दावर हश्र मेरा नामये अमाल न दे,
इसमें कुछ पर्दानशीनों के भी नाम आते हैं।"

इन पर्दानशीनों का जब हम तस्किरा करेंगे तो इनके चेहरे बेनकाब होंगे और इनकी नकाब उठेगी। इनकी बातों से बेवजह फसाद पैदा होता है यही बातें हैं जो कि फसाद पैदा करती हैं। अभी यहां तुष्टिकरण की बात कही गयी। तुष्टिकरण हुआ या नहीं हुआ लेकिन चेहरे बेनकाब हो गये हैं। पूरे मेरठ में नफरत का माहौल पैदा हुआ। 5 फरवरी, 1986 को मैंने देखा था, एक दिन एक समूह में देखा कि कुछ लोग काली पट्टी बांध

कर मुख्य मंत्री जी से मिलने गये थे और कहने लगे कि हमारी मसजिद हमको दें और दूसरी तरफ अपने साथियों को भेजा था कि राम जन्म भूमि का रथ आ रहा है, जाकर उसका स्वागत करो। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि आपका एक चेहरा होना चाहिए। आप जिस किस्म की बात करते हैं उसका एक अन्दाज होना चाहिये । दो तरह की बात करने से आपको एक्सपोजर हो जाता है। आप सोचिये कि कोई भी बन्द हो क्या आपने उसमें भाग नहीं लिया? कोई भी रथ यात्रा निकली हो, क्या आपने उसमें भाग नहीं लिया? कोई जलसा किया गया हो क्या आपने उस में हिस्सा नहीं लिया ? और आज यहां पर ऐसी बातें करते हैं ?

हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम देखते हैं कि मुसलमान के बारे में एलान हो रहा है। कोई यहां 40 बरसों से है उसके पैदा हुए यहां पर 40 बरस बीत गये और आज आप उसे पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो हमको एक सेकुलर अन्दाज में सियासी अन्दाज में अपने सोचने का तरीका अखित्यार करना चाहिए जिससे कि हिन्दुस्तान जाना जाता है और यह तरीका तब तक चलना चाहिये अगर देश को कायम रखना है, यह सेकुलर सोच का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए।

जहां तक वे लोग हैं जिन्होंने यह मसला उठाया है वही ऐसी बातें करते हैं और दूसरे कौ हमदर्द अपने को कहते हैं। कोई उनके घर में जाकर देखे कि उनके बच्चों को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि हम गांधी के उसूलों पर चलने वाले लोग जब तक जिन्दा हैं, आपको मजहब की आड़ में सियासत नहीं करने देंगे और इन्सानी लाशों पर चलने की इजाजत नहीं देंगे । कांग्रेस के सिपाही आपके रास्ते में आ जायेंगे, अपनी जान हम दे देंगे लेकिन आपके मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे विरोध पक्ष के एक नेता ने मेरठ के पूरे हालात को पेश किया। जिस प्रकार से कानपुर में तकरीर हुई और भारत माता को डायन कहा गया उसी तरह से सदन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस काण्ड को दूसरा अन्दाज देना चाहते हैं। हिन्दुस्तान सिर्फ गांधी का हिन्दुस्तान बनेगा। हम इसे न जिन्ना का हिन्दुस्तान बनने देंगे न गोलवरकर का हिन्दुस्तान बनने देंगे। जो लोग दूसरे का नाम लेकर बोलते हैं वह अपने गिरेबान में मुह डालकर देखें मुस्लिम मजलिश, आर0एस0 एस0, बजरंगदल, विश्व हिन्दू परिषद् आदि ऐसी संस्थाओं से जो लोग वास्ता रखते हैं उन्हें मेरठ के दंगे पर आसू बहाने का कोई हक नहीं है। आंसू बहाने का हक हम कांग्रेस के लोगों को है जिसने गांधी जी से गोली खानी सीखी है। मैं दावत देता हूं आइये खुशहाल भारत बनाने के लिये, अच्छा माहौल बनाने के लिये हमसे हाथ मिलाइये और फिरकापरस्ती को उखाड़ कर फेंक दीजिये। यही जिन्दगी का वसूल होना चाहिए ।

श्री फजलुल बारी–

मेरठ के सिलसिले में जो ख्यालात लोगों ने पेश किये हैं, मुझे अफसोस है कि एक राजनीतिक मसले को जिसकी कड़ियां देश से दूर निकल गई है, बहुत दूर स्विस बैंकों से जुड़ी हुई हैं । इसको साम्प्रदायिक रूप दिया गया। यह गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था । माननीय कल्याण सिंह को इस दृष्टि से इस मामले को नहीं देखना चाहिये था और न ही उधर के दोस्तों को इस तरह से इसको देखना चाहिये।

इसको सही एंगिल से देखना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पर नियम लेकर इस मुद्दे को दबाने या खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसको सही एंगिल से देखना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पर नियम 52 के तहत चर्चा क्यों हो रही है? नियम 52 की सूचना एक ऐसे निर्दलीय सदस्य ने दी है जो कांग्रेस से जुड़े है और जिन दो लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं वह भी कांग्रेस के सदस्य हैं। कुछ डाइरेक्ट हैं और कुछ इन्डाइरेक्ट हैं। आखिर वह कौन सा गुनाह है जिसको छिपाने के लिये सरकार खुद अपनी तरफ से नियम 52 के अन्तर्गत इस मसले को ले आई है। यह एक ऐसा मसला था इस पर बड़ी-बड़ी सरकारें उखड़ जाती हैं। इस मुद्दे को हल्का करके इस सदन में बहस करके मैं खुद अपने को और सबको मुलजिम ठहराना चाहता हूं । सदन का कार्य रोक कर पूरे मसले पर बहस होनी चाहिए थी ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश के प्रति प्रेम है, आपको अंग्रेजों की नीतियों को खत्म करना पड़ेगा । इस मुद्दे पर बहस करने के लिये हमने हमेशा कहा है कि गलियारों को खाली करा दिया जाय । प्रेस पर रोक लगा दी जाय । लेकिन होता यह है कि प्रेस में नाम छपाने के लिये, वोटर्स के बीच अपना वोट बनाने के लिये ओवर-ऐक्टिंग कर दी जाती है। इस तरह से यह पोलिटिकल मसला हल नहीं हो सकता। यह सरकार की नाकामी का सबूत है। मेरठ में दंगे क्यों हुए? जब इसके बारे में नियम 56 में सूचनायें आयी थीं तो उस समय मैं भी बोलना चाहता था । जो बातें कही गई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । माननीय मैनेजर सिंह जी तथा माननीय शाही जी ने आज गोरखपुर और दूसरी जगहों पर मीटिंग्स पर रोक लगाने की बात नियम 300 और 56 में कही । उसको इस मुद्दे के साथ जोड़ता हूं। इन सारी मीटिंग्स पर रोक लगायी जा सकती थी। इनको रोका जा सकता था पुलिस और पी0 ए0 सी0 लगा कर वहां लोगों को नहीं जाने दिया गया । लेकिन शामली के कांड ने यह साबित कर दिया था कि किसानों को नहीं रोका जा सकता था क्योंकि पुलिस और पी0 ए0 सी0 से वह लड़ चुके थे । सरकार इस बात को जानती थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, महेन्द्र सिंह टिकैत की रैली में जाने वाले हैं। कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। खून इस देश में बहुत बहाया गया....

(व्यवधान)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फजलुल बारी–

हिन्दू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिन्दू को मारा । क्या इस बात पर बहस करें, जिस बात को लेकर मेरठ में दंगे हुए दो दिन तक इन्सान ने इन्सान को मारा, खून बहाया गया, बच्चे यतीम हो गये । यह मुल्क उन्हें सम्भाल नहीं सकता । वे ताकतें जिनका बार-बार नाम लिया जाता है, स्विस बैंक के खुफिया नम्बरों के अन्दर महफूज हैं और वे चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, एक विषय विशेष पर चर्चा हो रही है उधर के सदस्य भी चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, इधर के सदस्य भी चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन विषय से हटकर दुनिया भर की हर चीज को लेकर इसके अन्दर मिलाना यह विषयान्तर हो सकता है। यह विषय के अन्दर नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरठ के दंगों पर चर्चा हो रही है। दंगे किन कारणों से हुए । मैंने अखबारों में पढ़ा था कि माननीय सदस्य हाजी मस्तान के साथ घूम रहे थे । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य हाजी मस्तान से सम्बद्ध हैं। माननीय सदस्य मेरठ के दंगों तक ही अपने को सीमित रहने दें।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

इन्होंने यह दंगा कराया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय बारी साहब, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें क्योंकि केवल दो मिनट व्यवधान से पहले आपके रह गये थे उसमें मैंने आपको रोका था।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जब कोई सही बात कही जाती है, तो उसकी कड़वाहट से आदमी को परेशानी होती है। लोगों ने शोर मचा कर मुझे सुनाने नहीं दिया। मैं अपनी बात इसलिये नहीं कह रहा हूं कि अखबारों में यह बात छपे । मैं इसलिये कह रहा हूं कि देश की अखण्डता और एकता मजबूत रहे । आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आज की सिविलाइज्ड हिस्ट्री में तीन जालिमों के नाम मौजूद हैं उसमें एक तो हिटलर है जो नाजियिज्म के लिये जाने जाते हैं। दूसरे आदमी हैं मुसोलिनी जो अपने फासिज्म के लिये जाने जाते हैं और तीसरे आज दक्षिण अफ्रीका के बोथा साहब हैं जो रेशियलिज्म के लिये जाने जाते हैं। तो इन तीनों का कूड फार्म बन कर एक हुआ उसमें वीर बहादुर साहब नजर आये । (व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बारी साहब का पिछले समय से आज तक का जो रवैया रहा है उसमें उन्होंने साम्प्रदायिकता को भड़काने की कोशिश की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान) जो भी उनकी स्पीच है उसको सुन लीजिये । जहां-जहां वह बोले हैं वहां किस तरह से उन्होंने कहा है उससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिये दूसरों पर दोषारोपण करना उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जब वह अपना भाषण दें तो संयम से काम लें ऐसा कोई आरोप दूसरे पर न लगायें जिसे बाहर नहीं लगा सकते हैं और यहां पर उसे लगाने का प्रयास न करें ।

श्री फजलूल बारी–

मान्यवर, मैंने जितनी बातें कही हैं वह सब कार्यवाही में लिखी हुई हैं। आप इस सदन की एक कमेंटी बना दीजिए और अगर इसमें से कोई एक बात भी, या कोई जमुला साम्प्रदायिकता को प्रेरित करने वाला साबित होगा या मेरी किसी पिछली स्पीच से साबित होगा कि मैं गंदी जहनियत का आदमी हूं तो मैं इस भरे सदन में कहता हूं कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहां खड़े होकर अपना और इन सब लोगों का समय बर्बाद करूं (व्यवधान) मैं एक बात कह कर अपनी बात को खत्म करता हूं क्योंकि नेता सदन ने इस किस्म का मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया । तो उसके लिए एक कमेटी बनवा दीजिए जो मेरे इस पूरे भाषण की और मेरे पूरे राजनीतिक आचरण की जांच करे ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जो बाबरी एक्शन कमेटी में भाषण दिया उसमें क्या कहा ।

श्री फजलुल बारी–

मैंने अगर कोई गलत भाषण दिया है तो उसके लिये दफा 153 ए में मुकदमा चलाइये । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री फजलुल बारी–

मैं एक आखरी बात कह कर समाप्त करता हूं मेरी सही बात सुन ली जाय । जो यह इलजाम लगाया गया है उसके लिये एक अलग से कमेटी बना दीजिये । आप बनायेंगे नहीं, मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वह कोई एक कमेटी बना कर इसकी जांच करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें ।

(व्यवधान)

(कई मा0 सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मुझे कुछ सवाल करने की इजाजत दें ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे मेरठ दंगे पर बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री हरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांत रहें । मुख्य मंत्री ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मेरठ के दंगे पर दो दिन चर्चा हुई। एक दिन डेढ़ घंटा और आज दो घंटे। इस प्रकार कुल साढ़े तीन घंटे मेरठ दंगे पर चर्चा हुई। अभी कुछ माननीय सदस्य और बोलना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है, इसलिये वह न बोल सके । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सभी की जिम्मेदारी है कि आगे कोई बात बिगड़ने न पाये उसके लिये प्रयास करना चाहिये । क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसके बारे में पहले भी कह चुके हैं कि इसके लिये जुडीशियल इंक्वारी मलियाना के बारे में चल रही है। साथ ही साथ तीन सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी की जांच भी चल रही है जिससे जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो सके और जिनकी गल्ती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके । जब हम यहां पर बैठते हैं तो बहुत सी राजनीतिक बातें करते हैं लेकिन उन मुद्दों पर बात करते हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर सही माने में देखना चाहिए कि अपने प्रदेश में किस तरह हम अमन-चैन कायम कर सकते हैं।

हमारे प्रदेश और देश में जो भाई हैं, जो विभिन्न वर्गों के हैं उनमें कैसे भाई चारे की भावना पैदा करें। उनमें जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करें इस बात का विचार किया जाना चाहिए और जो लोग साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करते हैं ऐसे लोगों को मौका न दिया जाये । यह सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है। जब तक सब लोग मिलकर यह काम नहीं करेंगे, केवल सरकार पर ही दोषारोपण करके कहा जाये कि यहां पुलिस पहुंच गयी होती या डी0 एम0 लापरवाही न करते तो यह घटना न घटती जिसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि इसकी जांच हो रही है और जिनका दोष पाया जायेगा वह चाहे बड़ा अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किसी को ऐसी बड़ी घटना में जहां इतने अपार जन और धन की हानि हुई हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि बहुत सी बातें बढ़ाचढ़ाकर की जाती हैं जिससे साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का मौका मिल जाता है उसको हमेशा रोकना चाहिए। अब मैं बहुत नहीं कहना चाहता हूं चूंकि इस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं जिनका जवाब न दूं तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी । इस-

लिये एसा मैं नहीं करना चाहता हूं । इसलिये मान्यवर, हम चाहते हैं कि कैसे हम सब मिलकर इस मसले पर काबू पायें कि भविष्य में एसी घटना न घटे । एक बात जरूर है कि बहुत सारे दोषारोपण सरकार पर लगाये जाते हैं, सरकार की जिम्मेदारी भी है इसलिये सरकार जितनी कोशिश कर सकती है वह कोशिश करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की शक्तियां, बहुत सी एसी ताकतें हैं जो बाहरी इशारे पर काम कर रही हैं और देश के लिये खतरा पैदा कर रही हैं, इसलिये एसी ताकतों से हमको सावधान रहना चाहिए जिससे वे शक्तियां देश को कमजोर न कर सकें और देश की अखंडता को खतरा पैदा न कर सकें । हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस खतरे से सावधान रहें और कैसे मिलकर साम्प्रदायिक भावना को बढ़ने से रोक सकते हैं क्योंकि चाहे जो नागरिक हो उसे इसी देश में उसको रहना है, इसी देश का वह नागरिक है और इस देश को बनाने की जिम्मेदारी है । देश बिगड़ता है तो सबका बिगड़ता है । तो कैसे एसी भावना पैदा हो यह हम सबको देखना है । अभी कहा गया कि सभी दलों की बैठक बुलाई गई । हमने बैठक बुलाई थी और उसमें लोगों के साथ बहुत विचार विमर्श भी हुए और फिर राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक भी बुलाई गई । बहुत से उसमें विचार विमर्श हुए । मैं फिर कहना चाहता हूं कि एसे मसलों पर हमेशा सभी दलों की बैठक बुलाकर ही हम उस पर नियन्त्रण पाने की बात सोचते हैं । जहां कोई त्रुटियां किसी की होंगी, हम उसको दूर करेंगे और जहां किसी का दोष होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । लेकिन कोई एसी बात कही जाए, जिससे उत्तेजना पैदा हो, वातावरण दूषित हो तो यह ठीक नही है । हमने कहा है प्रदेश स्तर पर तमाम राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठकें की जांए इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमारे जो बड़े शहर हैं, संवेदनशील जिले हैं, वहां भी इन समितियों को गठन करने का प्रयास होना चाहिए और बराबर उनकी बैठकें भी होते रहे और उसमें यह पूरा ध्यान रखा जाए कि कैसे एक दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को नजदीक लाया जाए । तो हमारा प्रयास होगा कि हम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए काम करें । हम ब्लाक स्तर पर भी इस प्रकार की कमेटी बनाना चाहते हैं और उसके जरिए से सभी सम्प्रदायों में सैन्स लाना चाहते हैं । जहां कहीं भी कोई घटना घटती है, जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह कोई एसी घटना न होने दे । यह उनकी जिम्मेदारी होगी, तो यह भी किया गया है कि यदि कोई बात हो तो वह सख्ती से उसके साथ निपटें और यह भी कोशिश की जाए कि परस्पर प्रेम और सौहार्द पैदा हो ।

पी0 ए0 सी0 के बारे में बार-बार कहा जाता है, तो हमने तीन बटालियनें नई बनाई है । उसमें, जिस तरह की बात की जाती है, उसको दूर करने का रास्ता निकाला गया है । यह किया गया है कि सभी वर्ग के लोगों को उसमें रखा जाए और इसके लिए हमने चयन समितियों में माइनॉरिटी समुदाय के भी किसी अफसर को रखा है । यह अफसर इस बात को देखेंगे कि अब इन बटालियनों में इस प्रकार की शिकायत न मिले । गलत लोग इसमें न रखे जाएं । जहां एसे आदमी नहीं मिलते हैं, वहां पर गांवों से बुलाकर यह कहा जाता है कि उनको रखा जाए, ताकि यह शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाए ।

हमारा प्रयास है कि जहां पर संवेदनशील जिले हैं, वहां पर मिले हुए अधिकारी रखे जाए, ताकि जो यह शिकायत है और आती है कि लोग पक्षपात करते हैं, वह भी न होने पाए । इसलिए हम जो भी प्रिकाशन ले सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं, वह हम सब कर रहे हैं । तो जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो यह प्रयास किया जाए कि आगे कोई घटना न हो । जहां तक बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि विवाद की बात है, यह कोर्ट से हुआ है, कचहरी से हुआ है । जो कोर्ट, कचहरी से हुआ है, उसमें हमारा कोई वश नहीं होता है । उसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते हैं । इसलिए जो मसला कोर्ट का, न्यायालय का है, वह या तो न्यायालय से तय किया जाए या फिर बातचीत के जरिये तय किया जाए । मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कोर्ट द्वारा या बातचीत के जरिये इसका हल निकाला जाए । उसके लिए हमारा सब प्रयास है और आप सबको भी प्रयास करना चाहिए, वरना लोगों के दिलों में भ्रान्तियां बनी रहेंगी । सरकार चाहती है कि इसका जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकले, ताकि आगे इस तरह की कोई बात आगे बढ़ने न पाये । मैं चाहता हूं कि जो अभी बातें कही गई हैं और अभी कल्याण सिंह ने कहा कि हाउस की एक समिति बनाई जाए ।

मान्यवर, तीन बड़े अधिकारियों की एक जांच बैठा दी गई है, काफी उसमें गवाही वगैरह हो चुकी है, काफी काम हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जल्दी ही उस पर फैसला आ जाये। इसी प्रकार से जो जुडीशियल जांच बैठी है उसका फैसला आयेगा, उसको बदलने में दिक्कत होगी। इसी प्रकार से जो दूसरी एजेंसियां हो सकती हैं, दूसरी एजेंसियों से जानकारी करा रहे हैं। अगर काम में कोई कमी रह गई है, जांच नहीं होती है तो जांच के बाद बतायें कि कौन सी कमी रह गई है। हाउस की कमेटी बनाने से मैं समझता हूं कि कोई फायदा होने वाला नहीं है । हम चाहते हैं कि जल्दी से जो मामला है उसकी रिपोर्ट आये और जो गलती करने वाले लोग हैं उनको गलती न करने दें । और जो कार्यवाही कर सकते हैं, करेंगे इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बैठ करके इन समस्याओं का समाधान निकालें, यही रास्ता है । मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग इसको ठीक करने में और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में पूरी तरह से मिलता रहेगा ।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब इस पर चर्चा बहुत हो गई ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, चूंकि 14 मई से 19 मई तक की घटनाओं की परिधि को न्यायिक जांच में शामिल करने को नहीं मान रहे हैं और इस सदन की समिति की मांग को नहीं स्वीकार कर रहे हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री राम नरेश यादव–

अभी माननीय नेता सदन ने बहुत सी बातें कहीं हैं । उन्होंने यह भी कहा कि इसमें बहुत सी विदेशी ताकतें सक्रिय हैं जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह विदेशी ताकतें जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा है और मेरठ के दंगे में जिस तरह की घटनाएं घटित हुईं उसमें अगर उन विदेशी ताकतों का हाथ है तो प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार इस मामले में क्या कर रही थी ? दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो नेता सदन कहते हैं कि मलियाना की घटना की न्यायिक जांच करायी जायगी दूसरी तरफ अन्य स्थानों पर घटित घटनाओं की जांच करने के लिये उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनायी है और सी0 आई0 डी0 से भी जांच करा रहे हैं तो जांच में यह दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा

(इस समय 6 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

है । यह बहुत गलत है । मैं जानना चाहता हूं कि मलियाना के साथ-साथ हाशिमपुर, गढ़रोड बटेश्वर रोड की एवं अन्य वहां की सारी घटनाएं घटित हुई हैं और जो दुकानें जलाई गई हैं और जिन लोगों की क्षति हुई है तो इन सबालों भी जुडीशियल इंक्वायरी के तहस रखने में क्या आपत्ति है ? तीसरी बात यह है कि सरकार ने सन् 80 में, 82 में जुडिीशियल इन्क्वारी बैठायी थी लेकिन जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्या सदन को विश्वास दिलाने का काम करेगें कि जो आयोग बैठाया जा रहा है वह अपनी रिपोर्ट 6 महीने में दे देगा ? ताकि उसको सदन के पटल पर रखा जा सके । चौथी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि जो रैली हुयी थी 16 मई को दिल्ली में और मेरठ में तनाव था और रमजान का महीना था तो सारे प्रशासकीय अधिकारियों को रैली सफल बनाने में क्यों लगाया गया ? पी0 ए0 सी0 को दिल्ली क्यों ले जाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, कुरेशी जी को मौका दे दीजिए । एक स्पष्टीकरण करना चाहते हैं । इन पर आरोप लगाया गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इनका नाम लिया गया है, इनको स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए । मान्यवर, इनका व्यक्तिगत नाम लिया गया है इनको सुन लें।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाहता जो इस वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाने की है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप नाम के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर लें, चर्चा नहीं एलाउ है।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन का जनरल सेक्रेट्री भी हूं और मेरी लिबर्टी के नाम से कुछ गाड़ियां भी हैं। जब गाड़ियां किसी रैली में हमसे मांगी जाती हैं। वह शासन को या पार्टी को हम दे देते हैं। उसके बाद पार्टी या शासन जहां चाहे वहां एलाट करती है। उस एलाटमेन्ट में हमें नहीं मालूम कि वह किसे देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। मान्यवर, 'माया' पत्रिका में मुझे ही नहीं बल्कि शासन को भी आरोपित किया और यह कहा कि हमें विजिलेंस द्वारा मालूम हुआ है कि लिबर्टी के जरिये हथियार आये हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली और मेरठ में पुलिस तथा विजिलेंस थी तो कांग्रेस रैली में हथियार कैसे आ गये ? माया ने यह गलत खबर क्यों छापी ? मैं यह चाहता हूं कि शासन माया पत्रिका से एक हफ्ते के अन्दर जवाब ले कि उसने यह गलत खबर क्यों छापी?

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यादव जी ने कुछ स्पष्टीकरण किये हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता । मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण किये गये हैं उनका जबाब दे दें। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरठ के दंगे में आपने डी0 जी0 पी0 को दोषी पाया और उसको हटा दिया । उसी तरह से मेरठ के डी0 आई0 जी0 को मेरठ के दंगे में दोषी मानकर उसको हटाया गया और क्या यह सही है कि उसको प्रमोशन देकर आई0 जी0 बनाया है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके रोके कुछ रुकता नहीं । मेरठ के बाद अलीगढ़ में दंगा हुआ उसको रोक नहीं पाये । मैं आपसे मांग करता हूं कि पूरे मेरठ की मलियाना सहित जांच करायेंगे, इसको आप बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि जांच हो रही है जांच के बाद जिसके खिलाफ रिपोर्ट आ जायेगी कि फलां का दोष है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी अपने जिद की बात कर रहे हैं और पूरे मेरठ की जांच नहीं करवा रहे हैं। साथ ही साथ दोषी अधिकारियों को प्रमोशन दे रहे हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री सत्य पाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि शासन ने निश्चय किया है कि जहां दंगा होगा वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी मानी जायेगी, तो मैं जानना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि आपकी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां पर दंगे होंगे वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जायेगा । आपने मेरठ से पुलिस अधीक्षक को तो हटा दिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अभी बना हुआ है जब कि कई माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर भी लांछन लगाया तो आपने अपनी घोषित नीति के अनुसार उसको क्यों नहीं हटाया ? जांच में दोषी होते तो दण्ड देते और दोषी न होते तो दण्ड न देते लेकिन आपने उसको हटाया क्यों नहीं ?

उत्तर प्रदेश महिला संस्था एवं बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड में निर्वाचन सम्पन्न हेतु कार्यक्रम के पुन: निर्धारण की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था एवं बाल संस्था नियन्त्रण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु दिनांक 22 जून, 1987 को सदन में घोषित कार्यक्रम को मा0 संसदीय कार्य मंत्री एवं मा0 नेता विरोधी दल के अनुरोध पर स्थगित करते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम पुन: निर्धारित किया गया है :—

क–नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	6 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4 बजे तक ।
ख–नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	7 जुलाई, 1987 को अपराह्न 3 बजे तक (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
ग–नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4 बजे तक ।
घ–निर्वाचन हेतु यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	21 जुलाई, 1987 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन में होगा ।

2–यही निर्वाचन कार्यक्रम चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी रहेगा ।

3–उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किये जायेंगे ।

4–उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 4–न्याय विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–न्याय विभाग के अन्तर्गत 36,27,888 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–न्याय विभाग के अन्तर्गत 36,27,888 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6–संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर) के अन्तर्गत 5,81,289 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर) के अन्तर्गत 5,81,289 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 7–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,21,46,559 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,21,46,559 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग के अन्तर्गत 1,29,12,614 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग के अन्तर्गत 1,29,12,614 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,42,185 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,42,185 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत तथा अन्य व्यय)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,98,35,398 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,98,35,398 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17—सचिवालय

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 13,77,910 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अतिरिक्त 13,77,910 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा व श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 15,828 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 15,828 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत 3,07,061 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 3,07,061 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 28,29,655 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 28,29,655 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,49,135 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,49,135 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33–शिक्षा विभाग

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 5,29,05,716 रुपयें की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 5,29,05,716 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34–प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 27,27,824 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 27,27,824 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36–सांस्कृतिक कार्य विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 94,801 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 94,801 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 39–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,29,30,582 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,29,30,582 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,94,14,393 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,94,14,393 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–आवास एवं नगर भूमि विभाग

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 42–आवास एवं नगर भूमि विभाग के अंतर्गत 62,53,795 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 62,53,795 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 27,42,392 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 27,42,392 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 46–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,92,94,411 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,92,94,411 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47-सहायता और पुनर्वासन विभाग

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 90,705 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अंतर्गत 90,795 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 1,08,79,218 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 1,08,79,218 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 53–कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिव बालक पासी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 60,78,693 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 60,78,693 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54–गन्ना विकास विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54-गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 39,66,563 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54-गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 39,66,563 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 59–पशुधन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–पशुधन विभाग के अन्तर्गत 22,98,675 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59–पशुधन विभाग के अन्तर्गत 22,98,675 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 18,09,317 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 18,09,317 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61-मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 44,04,851 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 44,04,851 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत 3,27,439 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत के अन्तर्गत 3,27,439 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग के अन्तर्गत 19,56,719 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग के अन्तर्गत 19,56,719 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 30,83,47,697 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 30,83,47,697 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 69–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,62,82,566 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,62,82,566 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अंतर्गत 1,94,41,491 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,94,41,491 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत 85,32,251 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 85,32,251 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74–पर्यटन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 72,753 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 72,753 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 54,30,61,083 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 54,30,61,083 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 3,54,89,223 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 3,54,89,223 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 81–गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,40,507 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,40,507 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 85–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 50,00,000 रुपए वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 86–सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,12,91,075 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,12,91,075 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 88–उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 30,89,611 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 30,89,611 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 101–मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 101–मत्स्य विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,340 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 101–मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,340 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 104–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,22,43,34,362 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,22,43,34,362 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 105–सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105-सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 28,12,25,571 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105-सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 28,12,25,571 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 106–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 23,97,63,675 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्ययों के अन्तर्गत 23,97,63,675 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 108–पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 108-पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 11,41,300 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 108-पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 11,41,300 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 110-शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 110-शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 7,40,183 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 110-शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 7,40,183 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 112–स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या-112-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 19,73,000 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 112-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 19,73,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 120-उद्योग विभाग-(चीनी उद्योग)-ऋण और अग्रिम

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुन्शी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 120-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 9,98,500 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 120–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 9,98,500 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 123–क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत 34,75,463 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत 34,75,463 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

(समय 7 बजकर 20 मिनट पर)

मद संख्या 18 जो विचार के लिये है, उसे पहले रखवा लें। फिर उसके बाद आप बोल लीजियेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

उपस्थित तो हो गया। अब तो आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

विचार के लिए प्रस्ताव आ जाय, उसके बाद आप विचार व्यक्त करें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, यह पहली बार सरकार ने स्वयं इतनी बड़ी रकम की स्वीकृति का प्रस्ताव इस सदन में रखा है और यह वह धन है जो सरकारी खजाने से नियम के विरुद्ध अनधिकृत रूप से निकालकर विभिन्न विभागों ने व्यय कर दिया और मनमाने ढंग से कर दिया और तब आज 5 साल के बाद इसको स्वीकृति के लिए सदन के सामने रखा गया है। इससे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है और उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग निकम्मा और बेअसर वाला विभाग है। माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाय, आई0 टी0आई0 खोल दी जाय लेकिन यहां का वित्त विभाग लिखता है कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा करने के पहले धन का प्राविधान क्यों नहीं देख लिया, इसको इसलिए अमान्य किया जाता है। सारे प्रस्तावों को और घोषणाओं को वित्त विभाग का एक डिप्टी सेक्रेटरी एक कलम से अमान्य कर देता है और वह रुपया अनधिकृत रूप से व्यय कर देता है। उत्तर प्रदेश में यह क्यों हो रहा है? हमारे सचिवालय में भी फाइल ऐसे ही नहीं घूमती है जब तक कि यहां के सचिवालय के बाबुओं को नाश्ता पानी का प्रबन्ध नहीं होता और अफसरों को रिश्वत नहीं दी जाती। इस सचिवालय की जो गरिमा थी वह नष्ट हो गई है। भ्रष्ट अफसर जो बाहर जिलों में रिश्वत लेते हैं वही अफसर सचिवालय में आकर रिश्वतबाजी का धंधा करते हैं। आज हालत यह हो गई है कि जब जिले के अफसरों को कोई अनुदान रिलीज करना होता है तो सचिवालय में वे आते हैं और रिश्वत देते हैं और अनुदान रिलीज करा-कर चले जाते हैं। जिस जिले का ईमानदार अफसर होता है, न रिश्वत लेता है न देता है, उसका अनुदान लैप्स कर दिया जाता है। उस जिले को अनुदान नहीं मिलता है।

तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह व्यय तो हो चुका है। इसको आप नियमित करा लीजिये। लेकिन इस सदन की एक समिति बनाइये कि 1981-82 का अरबों रुपया क्यों, किस अधिकार से, किस उद्देश्य से, किस नाम और नीयत से अधिकारिव्यों ने विभिन्न विभागों में व्यय कर दिया? माननीय मौर्या जी भारी भरकम शरीर के हैं और उसी तरह से इनका मुहकमा भी है। स्वरूप कुमारी जी 5/6 करोड़ का व्यय कर चढ़ा मुहकमा भी है शरीर भी छोटा है.... (व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

गरीबों के लिये खर्च हुआ है, गांवों के लिये खर्च हुआ है।

श्री मैनेजर सिंह–

गरीबों के लिये हुआ होगा तो मैं आपको बधाई दूंगा। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह धन माननीय हरदेव जी के पास चला गया है जिनकी तोंद लम्बी है तो तो उसकी जांच होनी चाहिये हां अगर सही आदमी के पास गया है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अनियमित पैसा खर्च हो चुका है उसकी जांच के लिये एक समिति इस सदन की बना दी जाय जो एक-एक विभाग की जांच करे जहां-जहां यह खर्च हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मेरी इसमें एक वित्तीय आपत्ति है यहां पर जो वर्ष 1981-82 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है यह उचित नहीं है। दौरानें बजट तो हम अनुपूरक अनुदान ला सकते हैं जब इनके खर्चे में बढ़ोत्तरी हो जाती है तो उसमें यह अनुपूरक अनुदान ला सकते हैं। लेकिन आज यह 1981–82 के लिये अतिरिक्त अनुदान की मांग यहां पर लाये हैं विनियमित कराने के लिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह से 5 साल बाद या 10 साल बाद अतिरिक्त खर्चों के लिये विनियोग विधेयक लाया जाता रहेगा तो फिर आपके वित्त विभाग की क्या जरूरत है जो इतने बड़े खर्चों को नहीं देख सका वह अधिकारी और कर्मचारी क्यों लगाये गये हैं। विधान सभा में यह पहली बार सारी पुरानी परम्पराओं को तोड़ कर नयी परम्परा डाली जा रही है और 1981-82 का बजट यहां पर आज पास किया जा रहा है और अनुपूरक अनुदान इस घाटे को पूरा नहीं कर सकी और आज 3 अरब 19 करोड़ 80 लाख से ऊपर की अतिरिक्त मांग पेश की जा रही है। यह बिल्कुल गलत है। इस विनियोग विधेयक को पास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप इस विनियोग विधेयक के उद्देश्य और कारणों को जरा पढ़ें इसमें लिखा है कि किसी वर्ष के दौरान किसी सेवा पर सेवा के लिए उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय की गयी धनराशि की मांगों के विधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (2) के साथ पठित अनुच्छेद 204 के अधीन राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरः स्थापित करना आवश्यक है।

विधेयक में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 के सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

में उत्तर प्रदेश की समेकित निधि से स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति के लिये अपेक्षित समस्त धनराशि के विनियोग की व्यवस्था है ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि शायद पहली बार यह बात हुई है कि जब 1981-82 में जो कुछ खर्च इन्होंने किया है उसका विनियोग विधेयक यह यहां पर लाये हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सरकार का वित्तीय अनुशासन ढीला है। हम आज इस बात की जांच पड़ताल करने की स्थिति में नहीं है कि जो पैसा इन्होंने मांगा है अतिरिक्त धनराशि के रूप में वह सही उपयोग हुआ है या नहीं। मेरी राय में जो कुछ भी पैसा अतिरिक्त धनराशि के रूप में मांग रहे हैं यह सही खर्च नहीं हुआ है । जब आपका बजट बनता है उस समय आंकलन सही होना चाहिए । जो पैसा विभिन्न विभागों के लिए मांगा गया है कि इन विभागों में ज्यादा खर्च हो गया है उसमें मेरा आरोप है कि यह 3 अरब 19 करोड़ 80 लाख से ऊपर की धनराशि मांगी गई है उसमें से लाखों रुपयों का घपला हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा जिसकी जांच पड़ताल आज नहीं हो सकती है । (व्यवधान) जो भी मुख्य मंत्री रहे हों, मेरा मतलब यह नहीं है कि वी0 पी0 सिंह रहे या कोई और रहे उस 1981-82 के लिए आज 87 में स्वीकृति दी जा रही है । यह सारा पैसा उचित खर्च नहीं किया गया है । तो जो प्रस्ताव माननीय मैजेनर सिंह जी ने रखा है कि उन खर्चों की जांच के लिये सदन की एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जो सारे मामलों की जांच करें, उनके कारणों की जांच करे और देखे कि कहां-कहां घपला हुआ है और उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय, करीब 319 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान विनियोग विधेयक के रूप में यहां पर पेश किया गया है। यह अजीब संयोग है कि श्री वीर बहादुर सिंह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की गल्तियों को सुधारने के लिये यहां आ गये हैं। 1981-82 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां मुख्य मंत्री थे। वर्ष 1987 में इस समय इस विधेयक के पेश करये का गौरव श्री वीर बहादुर सिंह को मिल रहा है। क्या जरूरी था कि इस समय इसे पेश करें, इसके पहले भी कर दिया होता या दूसरा मुख्य मंत्री आता तो वह पेश करता। लेकिन इस समय जबकि कांग्रेस में आन्तरिक लड़ाई तेजी पर है और एक दूसरे को गिरफ्तार करने का सिलसिला चल रहा है। यह साफ तौर पर राजनीतिक तथ्यों से प्रेरित होकर पेश किया गया है, इसलिये जितनी आलोचना की जाये वह कम है जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने किया। लेकिन इसमें कोई राजनीतिक शरफा छोड़ा जा रहा है। यह कांग्रेस की गुटबन्दी का नतीजा है जिससे उनको गोरखपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और सारी उनकी मीटिंगों को रोक दिया। मेरठ में दंगे की समस्या को लेकर चूंकि उत्तर प्रदेश में आगे वह कहीं बोल न सकें। इससे जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे जो मुख्य मंत्री रहे कोई भी सही काम नहीं कर सकता है जैसे कि वित्तीय अनियमितता 1981-82 में हुई है और पेश अब कर रहे हैं। कहीं दूसरा मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी का आ जाये तो श्री वीर बहादुर सिंह की 638 करोड़ रुपये की आर्थिक अनियमितता वह सामने ला देगा। इस प्रकार आर्थिक अनियमितता की यहां से स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 1981-82 का यह बजट आया है।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि परम्परा है कि इस तरह के विनियोग विधेयक आते हैं। विरोध पक्ष का या जिसने पहले अपना नाम दिया है, मैनेजर सिंह, बोल चुके हैं। हाउस चलाने के नियम बने हैं उनके अनुसार बोलना चाहिए यह नहीं कि एक-एक, दो-दो मिनट सभी बोलें। यह विनियोग विधेयक कभी भी आ सकता है। यह गैरकानूनी नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री जाहिदी साहब ने कहा कि यह गैरकानूनी नहीं है, मैं उनसे सहमत हूं लेकिन ब्यूरोक्रेसी का यह घिनौना प्रहार राजनीतिज्ञों पर नहीं होना चाहिए। मान्यवर, वर्ष 1981-82 के मामलों पर पी0 ए0 सी0 ने 1985-86 में जो रिपोर्ट दी है उस पर ध्यान दें। लोक लेखा समिति की सिफारिश पर रिकांसाइल के आंकड़े जो आये हैं उसका आब्जरवेशन क्या है, यह देखना पड़ेगा। मान्यवर, वह आब्जरवेशन कितना कड़ा है, सरकार पर प्रहार है और एक शर्म की बात है कि मुख्य मंत्री और उनके मुख्य सचिव एवं जो विभिन्न सचिव हैं, विभागाध्यक्ष हैं उनको वित्तीय अनुशासन पालन करने के लिए आदेश दिये गये हैं। उन निर्देशों का खुला दुरुपयोग और अवज्ञा की जा रही है और उसका परिणाम यह है 81-82 का बजट। उसकी कापी यहां हमारे पास नहीं है परन्तु इस तरह के त्रुटिपूर्ण पृष्ठांकन के कारण घपले हुए हैं, पूरे विभाग में उसका लेखा जोखा ही गलत ढंग से रखा जा रहा था। यह आवजरवेशन ए0 जी0 का है। 20 प्रतिशत तक कोई कमी या बढ़ोत्तरी हो जाती है तो वह क्षम्य है। लेकिन यहां तो 248 प्वाइन्ट कुछ प्रतिशत बढ़ाया है, 45 और 61 प्रतिशत अधिक व्यय है। इससे खराब कोई दूसरी वित्तीय स्थिति नहीं हो सकती है।

सन् 73-74, 82-83 और 85-86 में हमारे मुख्य सचिव की ओर से विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जिसमें जितने आब्जेक्शंस होते हैं, आब्जेक्शन की प्राप्ति की तीन महीने के अन्दर उनका रिकंसाइलेशन कर लेना चाहिए। किन्तु वह उस समय नहीं गये और फिर जब वह लोक लेखा समिति को संदर्भित हो गया तो उस समय कर लेना चाहिए था, किन्तु उस समय भी नहीं किया गया और फिर लोक लेखा समिति ने उस पर विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की तो अब इस वित्तीय अनुशासनहीनता के लिए कौन दोषी है। यह अत्यन्त लज्जास्पद बात है। इससे स्पष्ट है कि शासन का नियन्त्रण विभागों पर बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस पर घोर आपत्ति करने का सदन को पूर्ण अधिकार है। मैं निवेदन करूंगा कि वह विभागों को निर्देश दें दें। इस सम्बन्ध में सचिवों को यह निर्देश दिये गये हैं कि आडिट आपत्ति प्राप्त होने के तत्काल बाद वह अपने मंत्रियों से भी परामर्श कर लें, उनको परामर्श करना चाहिए। किन्तु कोई मंत्री खड़ा होकर बता दे कि इस वर्ष ए0 जी0 की आडिट आपत्तियों के बारे में किसी सचिव ने उनके साथ परामर्श किया है? तो मंत्रियों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्धकार में रखा जाता है। यह गिरी हुई स्थिति है, घोर वित्तीय अनुशासनहीनता है। इसलिए पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि कड़ाई के साथ वह वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए जो समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं, उनका कड़ाई से पालन कराने की व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यादव जी आप बैठिये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

* श्री गोपाल दास यादव–

मैं चाहता हूं कि मेरी बात भी आप सुन लें (व्यवधान) दो मिनट आप हमें भी दे दें। अभी माननीय सदस्य राजेन्द्र गुप्त जी ने लोक लेखा समिति का जो यहां पर उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 81–82 का जो अनुपूरक आया है, उसमें 16 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये की जरूरत थी, इसमें से केवल 10 प्रतिशत, 1012 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 90 प्रतिशत धनराशि खर्च कर दी गयी। 14 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए 1 अरब रुपये की आवश्यकता होगी। तो अगर यह समय पर बन गये होते तो यह हानि न हुयी होती। इसी तरह से बनारस में भदोही में जलनिगम द्वारा 22 लाख रुपये की लागत से सीवर लाइन पड़नी थी लेकिन कार्य समय से पूरा नहीं किया गया और वही काम अब 80 लाख रुपये में पूरा हो रहा है। अगर समय से काम किया गया होता तो यह लागत न बढ़ती। इस तरह से वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह बातें तो सामान्य बजट पर कही जा सकती हैं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह जो वित्तीय अनुशासन हीनता हो रही है इससे 3 अरब 29 करोड़ रुपये जो आम जनता का पैसा है वह बेकार जा रहा है। इस वित्तीय अनुशासनहीनता के लिये जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। यह नहीं कि सदन में जो चाहें बहुमत के आधार पर पास करा लें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार जो अधिक व्यय किये जाते हैं उनको अनुपूरक अनुदानों की मांगों के रूप में यहां प्रस्तुत किया जाता है। मान्यवर, जहां तक यह देखा गया है कि जो व्यय के आंकड़े हैं वह लेखा परीक्षण हो जाने के बाद प्रस्तुत किये गये हैं और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे स्वीकार किये जाने और लोक लेखा समिति के पूरी तरह देख लेने के बाद यह आपके सामने प्रस्तुत किये गये हैं। लोक लेखा समिति आपके हाउस की समिति है जो पूरी तरह से इसको देखती है उसके बाद यह यहां रखे गये। माननीय गुप्त जी ने इसका हवाला दिया कि क्या-क्या कमियां हैं। इनको मैं देखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी वित्तीय अनुशासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना चाहिये वह हो । इसके लिये जो प्रयास किया जाना चाहिये वह करेंगे । यह भी देखेंगे कि पिछले वर्षों में किसी प्रकार का वित्तीय अनुशासन कायम नहीं रहा तो उसके लिये प्रयास किया जायगा कि भविष्य में ऐसा न होने पाये । आज जो बातें रखी गयी हैं वह विचार होने के बाद, क्योंकि लोक लेखा समिति खुद इसको देख चुकी है, केवल आपके सामने प्रस्तुत किया जाना था इसलिये प्रस्तुत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987

दिनांक 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

वर्ष 1981-82 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 3,19,83,04,356 रुपए का दिया जाना

2—उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को जिनका कुल योग 3,19,83,04,356 रुपए (केवल तीन अरब उन्नीस करोड़ तिरासी लाख चार हजार तीन सौ छप्पन रुपए) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो दिनांक 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों को सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिए और काम में लाए जाने के लिए प्रधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

3—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश समेकित निधि में से जिन धनराशियों के देय और काम में लाए जाने को प्राधिकृत किया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग दिनांक 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान/ क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
4	न्याय विभाग	36,27,888	..	36,27,888
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर)	5,81,289	..	5,81,289
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	2,21,46,559	..	2,21,46,559
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	1,29,12,614	..	1,29,12,614
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	1,42,185	..	1,42,185
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	3,98,35,398	..	3,98,35,398
17	सचिवालय	13,77,910	..	13,77,910
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	..	21,271	21,271
21	संस्थागत वित्त विभाग	15,828	..	15,828
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	3,07,061	..	3,07,061
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	28,29,655	..	28,29,655
32	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	2,49,135	..	2,49,135
33	शिक्षा विभाग	5,29,05,716	..	5,29,05,716
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	27,27,824	..	27,27,824
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	94,801	..	94,801
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,29,30,582	..	2,29,30,582
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	1,94,14,393	..	1,94,14,393
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	27,738	27,738
42	आवास एवं नगर भूमि विकास	62,53,795	..	62,53,795
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	27,42,392	..	27,42,392
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	5,92,94,411	..	5,92,94,411

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
47	सहायता और पुनर्वासन विभाग	90,795	..	90,795
48	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	1,08,79,218	..	1,08,79,218
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	60,78,693	..	60,78,693
54	गन्ना विकास विभाग	39,66,563	8,000	39,74,563
55	ग्राम्य विकास विभाग	..	6,101	6,101
59	पशुधन विभाग	22,98,675	..	22,98,675
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	18,09,317	..	18,09,317
61	मत्स्य विभाग	44,04,851	..	44,04,851
64	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	3,27,439	..	3,27,439
67	विद्युत विभाग	19,56,719	..	19,56,719
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा)	30,83,47,697	..	30,83,47,697
69	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,62,82,566	..	4,62,82,566
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	1,94,41,491	..	1,94,41,491
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	85,32,251	..	85,32,251
74	पर्यटन विभाग	72,753	..	72,753
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	54,30,61,083	..	54,30,61,083
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	3,54,89,223	..	3,54,89,223
81	गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय	1,40,507	..	1,40,507
85	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय	50,00,000	..	50,00,000
86	सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,12,91,075	..	1,12,91,075
88	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय	30,89,611	..	30,89,611

अनुदान क्रम संख्या	अनुसूची	बढ़तो		
		स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
101	मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,340	..	1,340
104	सिंचाई विभाग–निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,22,43,34,362	..	1,22,43,34,362
105	सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	28,12,25,571	..	28,12,25,571
106	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	23,97,63,675	..	23,97,63,675
108	पर्यटन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	11,41,300	..	11,41,300
*109	राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण	..	18,16,37,889	18,16,37,889
110	शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम	7,40,183	..	7,40,183
112	स्वायत्त शासन विभाग–ऋण और अग्रिम	19,73,000	..	19,73,000
120	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम ।	9,98,500	..	9,98,500
123	क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम ।	34,75,463	..	34,75,463
	योग	3,01,66,03,357	18,17,00,999	3,19,83,04,356

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड एक, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 87-88 का जो परम्परागत बजट प्रस्तुत किया है उससे हमारे प्रदेश के लोगों को इसलिये और निराशा हुई है क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 87 को विकास के वर्ष की संज्ञा दी थी और विकास के वर्ष के माध्यम से प्रदेश की जनता ने यह एहसास किया था कि उत्तर प्रदेश का विकास माननीय मुख्य मंत्री जी 1987-88 के बजट के माध्यम से करेंगे । उस विकास के नाम पर पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4 महीने के लिए बजट ही लेट कर दिया लेखानुदान के माध्यम से और मैं समझता हूं कि वर्ष 87-88 के बजट पर चर्चा के पहले माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा जो अपने बजट भाषण में वर्ष 86-87 का विवरण दिया गया है, उसकी विसंगतियों के विषय में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अभी वर्ष 1981-82 के बजट को विनियोजित करा रहे थे, उसकी भी एक विसंगति आपके माध्यम से सदन में लाना अपना कर्तव्य समझता हूं। वर्ष 1986-87 के बजट में सरकार द्वारा 88 करोड़ 64 लाख रुपए के घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है और पुनरीक्षित अनुमानों के माध्यम से यह 55 करोड़ 98 लाख होना चाहिए था क्योंकि मान्यवर, लोक खाता के अन्दर गुणात्मक वृद्धि 63 करोड़ की हो गयी थी और लोक खाता की उस गुणात्मक वृद्धि के आधार पर वास्तव में बजट का पुनरीक्षित घाटा 25.84 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन मान्यवर, 25.84 करोड़ न होकर यह घाटा 55.58 करोड़ हुआ ।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विसंगति का क्या कारण है जबकि वास्तव में लोक लेखा से जो भी वृद्धि गुणात्मक हुई है? इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। लोक लेखा के अन्दर यह जो आपने बजट परिचय वितरित कराया है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में या किसी स्थानीय निकाय द्वारा सरकारी अभिकरण के माध्यम से किसी प्रयोजना को निष्पन्न करने के लिए जमा की गयी धनराशियां तथा विभिन्न भविष्य निधियों और रक्षित निधियों आदि में जमा की जाने वाली राशियां । ऐसी धनराशियां लोक खाता के अन्तर्गत जमा की जाती है।" इसके विषय में कोई भी सरकारी प्रयास को श्रेय नहीं जाता है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जो पुनरीक्षित अनुमान 31 मार्च, 1987 का पेश किया है उसमें मान्यवर, उन्होंने घाटा दिखाया है 150.02 करोड़ रुपये का और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो आपका 31 मार्च, सन् 1987 के बाद पहली अप्रैल, सन् 1987 का ब्योरा पेश किया तब उसमें बताया गया 161.83 करोड़ रुपये जो कि मान्यवर, घाटे में दिखाया गया । तो मैं आपसे इस वित्तीय अनुशासन के विषय में जानना चाहता हूं? यह 11-81 करोड़ रुपया का जो अन्तर आता है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भरोसा करता हूं कि जिस समय यह अपना जबाब देंगे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस समय जरूर इस अन्तर के विषय में बतायेंगे कि इस तरह की विसंगति क्यों पैदा हुई?

अब मैं वर्ष 1987-88 के बजट में कुछ बातें रख देना चाहता हूं। राजस्व और पूंजी लेखा को कुल मिलाकर 72 अरब 36 करोड़ 16 लाख रुपये राजस्व प्राप्तियों को मिलाकर उन्होंने 4 आइटम बताये हैं और वह चारों आइटम केन्द्रीय आंकड़ों में जो राज्य का अंश है, केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ अनुदान है। राज्य सरकार का यह राजस्व है और करों के अलावा राजस्व है इस राजस्व प्राप्तियों में जो 46 अरब, 2 करोड़ और 49 लाख रुपये हैं इन राजस्व प्राप्तियों का जो व्यय आपने दिखाया है 4924.51 करोड़ अर्थात राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय 322.02 करोड़ रुपये अधिक होगा अर्थात यह अतिरिक्त व्यय पूंजी गत प्राप्तियों में से करना होगा।

पहली बात तो यह है कि योजनागत मदों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मात्र तिहाई धनराशि रखी है। यदि दोनों मदों को मिला लीजिये तो 49 अरब 24 करोड़ 51 लाख रुपये का राजस्व व्यय है और योजनागत मदों पर 40 अरब 2 करोड़ 49 लाख है। इसमें 3 अरब 38 करोड़ रुपये पूंजी लेखे से विनियोजित किया है जो कि मैं समझता हूं कि पूंजी लेखे के अन्तर्गत जो भी धनराशि आपके पास है उस धनराशि को आप राजस्व व्यय में खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूंजी लेखे के व्यय में आपने कहा है कि इसके अन्तर्गत 4 लाख लोक ऋण तथा उधार और उससे सम्बन्धित प्राप्तियों और वसूलियों का उल्लेख किया है। मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय भी इसी उद्देश्य से किया जाता है तो मान्यवर, मेरा कहना है कि उन राजस्व प्राप्तियों की पूर्ति के लिए आपने धनराशि ली है 3 अरब 38 करोड़ 97 लाख रुपये ।

मान्यवर, पिछले साल का जो बजट था उसमें आपने अपनी वार्षिक योजना 86-87 की 21 अरब 50 करोड़ रु0 रखी थी और इस समय 26 अरब 29 करोड़ और 65 लाख रु0 रखी है । मान्यवर, आपकी वार्षिक योजना 22 प्रतिशत अधिक है सन् 86-87 के बजट से । पिछले साल जब आपने वार्षिक योजना रखी थी उस समय भी आपने दो वायदे किये थे पहला तो यह कि हम कोई भी नया कर नहीं लगायेंगे और दूसरा यह कि जो हमारी वसूलयाबी है लोगों के ऊपर उसको हम ज्यादा तत्परता से करेंगे और इस तरीके से इस बजट के घाटे को पूरा करेंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री अपने वायदे पर नहीं टिक सके और यह परम्परागत बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। आपने 20 प्रतिशत परिवहन पर टैक्स बढ़ाया । आपने विद्युत के अन्दर भी 40 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया । आपने कहा था कि हम विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करेंगे लेकिन आपने उसे साढ़े बाइस से बढ़ाकर 30 रु0 कर दिया। आप इस सदन के अन्दर कहते हैं कि दरें नहीं बढ़ायेंगे और उसके बाद जब यह बजट सत्र समाप्त होता है तो आप टैक्स लगा देते हैं तो आपके वायदों का क्या प्रमाण है कि आप उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे । आपने वायदा किया है कि जनता पर टैक्स का बोझ नहीं आयेगा और वह भी विकास वर्ष की संज्ञा देने के बाद वायदा करते हैं। अगर यह टैक्स नहीं बढ़ायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इनसे पत्रकारों ने इस बात को पूछा तो इन्होंने उस वक्त यह क्यों कहा कि हम अभी कोई वायदा नहीं कर सकते हैं कि हम

टैक्स नहीं बढ़ायेंगे तो इससे यह बात आपकी स्पष्ट हो जाती है कि आप टैक्स लगाने की उम्मीदों के साथ इस बजट को लाये हैं।

मान्यवर, यह जो 71 करोड़ 83 लाख रु0 का घाटा बताया गया है यह 233 करोड़ रुपये का घाटा हो जाता है। यह तो सदन को केवल गुमराह करने के लिए कि इतनी-इतनी धनराशि लोक लेखा से ले ली है और इस प्रकार से केवल 71 करोड़ रुपयों का ही घाटा रह जायेगा, यह कहकर केवल सदन को गुमराह करने की कोशिश है। पूरे 75 करोड़ और 13 लाख रुपयों में से 72 करोड़ 16 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां हैं और इन प्राप्तियों के अन्तर्गत जो खर्चे बताये गये हैं, उनसे भी इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती है और न ही आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और न ही आप टैक्स लगाने जा रहे हैं जैसा कि आपने कहा है, तो यह पूरा कैसे करेंगे।

आज किसी भी देश या प्रदेश के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, एक तो टैक्सेज बढ़ाकर और दूसरे अपने खर्चों को कम करके, तो खर्च आप कम नहीं कर सकते हैं और टैक्स आप लगाने नहीं जा रहे हैं। तीसरे एक रास्ता यह भी होता है कि किसी दूसरे मुल्क से उधार ले लिया जाता है और चौथा जो तरीका है वह यह कि करेन्सी जितनी चाहे उतनी छाप सकते हैं। वैसे यह तो केन्द्र सरकार के अधिकार है, लेकिन अब इसका भी कोई माप-दण्ड नहीं रह गया है, जितनी चाहें छाप सकते हैं और आखिरी बात यह होती है कि अपनी वार्षिक योजनाओं में कटौती करें अथवा अपने संसाधनों से कुछ जुटाएं, लेकिन इसकी उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती है। पिछली बातों को देखते हुए वर्ष 1986-87 में जो केवल 21 अरब के संसाधन जुटाने थे, उसमें से भी काफी कटौती की गयी है और प्रदेश का नागरिक इस बात का भरोसा आप पर नहीं कर पा रहा है कि आप इस वर्ष जिसे विकास वर्ष का नाम दे रहे हैं कि आप अपने लक्ष्यों में कटौती नहीं करेंगे। दूसरे एक विकल्प यह भी हो सकता है कि आप राज्य कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं जैसा कि एक बार यह कहा गया कि हम 50 हजार दैनिक कर्मचारियों को निकालने के पक्ष में है, लेकिन कर्मचारियों के दबाव पड़ने की वजह से इस ओर आप कोई भी कदम नहीं उठा सके और किसी को भी आप निकाल नहीं पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार भी आप ऐसा नहीं कर पायेंगे। इसलिए अब केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं एक तो यह कि वार्षिक बजट के अन्तर्गत कटौती करेंगें या टैक्स लगाने पर मजबूर होंगे। यह हमारी शंका है जो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जब वे अपने भाषण के दौरान जवाब देंगे तो इन शंकाओं को भी ध्यान में रखेंगे।

मान्यवर, एक बात इनकी ओर से और कही गयी वह यह कि हम मितव्ययता इस वर्ष बरतेंगे और यही बात पिछली बार भी आपकी ओर से कही गयी थी। इस संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है कि मितव्ययता तो क्या बरतेंगे इस साल और क्या पिछले साल मितव्ययता बरती गयी बल्कि फिजूलखर्ची दिन पर दिन बढ़ रही है। चाहे वह उद्योग विभाग हो या निगम हों खासकर सभी इनके अधिकारीगण बड़े-बड़े होटलों अवध क्लार्क वगैरह में मीटिंग्स कराते हैं, जिसमें इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खूब खर्च होता है और इण्टर नेशनल बिजनेस मैन के साथ ऐसी मीटिंग्स इन

होटलों में इसलिए की जाती है कि उनका कमीशन उद्योग संबंधी मसौदों पर तय हो और विशेषकर ऐसे लोगों की खूब दावतें यह अधिकारीगण इन होटल्स में करते हैं । तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को कोई भी अधिकारी या मंत्रिमण्डल के सदस्य खर्च करने का अधिकारी न होगा कि वह इन बड़े-बड़े होटलों में रहकर दावतें करे और सरकारी धन का दुरुपयोग करे । मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि मंत्रियों के निजी सचिव पी0 सी0 एस0 अधिकारी होंगे । मैं समझता हूं नहीं बनाये जा रहे हैं, ठीक है । अगर बनाये जा रहे हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी, उनके लिये जीपों की व्यवस्था करनी होगी । उनके ऊपर खर्चा होगा और सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा । कहां से आयेगा यह पैसा ? सरकार ने जिलों के अन्दर गाड़ियां दी हैं, बड़ा दुरुपयोग होता है इनका । डीजल का पेट्रोल का बेइन्तहा दुरुपयोग होता है । मैं समझता हूं इस पर मितव्ययता बर्ती जानी चाहिए ।

मा0 मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री महोदय की परम्परा का निर्वहन कर रहे हैं । प्रधान मंत्री जी जहां जाते हैं, घोषणा कर देते हैं । राजस्थान में कहा हम इतना दे रहे हैं, हरियाणा में कहा हम इतना दे रहे हैं । मुख्य मंत्री जी भी घोषणा करते रहते हैं हम यहां को इतना दे रहे हैं वहां को उतना । आप देखें कितनी गरीबी की हालत में प्रदेश चल रहा है फिर भी इस तरह की घोषणा करते जा रहे हैं । आप भी ऐसी हालत पैदा कर रहे हैं जिसके तहत वित्तीय स्थिति को संभालना मुश्किल हो जायेगा ।

आपने मितव्ययता की बात कही, मैं नहीं समझता कैसे कर पायेंगे ? आपने जो 5 प्रतिशत खर्च कम करने का वादा किया था, कम नहीं कर पायेंगे । आफिसेज का फर्नीचर बदला गया, कार्पेट बदले गए, उन पर पैसा बहाया गया । उत्तर प्रदेश जैसे गरीब प्रदेश में सचिवों, मंत्रियों तथा मुख्य मंत्री के कार्यालय में इस तरह की साज-सज्जा करना फिजूलखर्ची है । मितव्ययता का आप वादा करते हैं । इस फिजूलखर्ची पर आपको रोक लगाना चाहिए । आप कितनी मितव्ययता कर पायेंगे यह भविष्य ही बतायेगा । आपने कहा जो हमारे कर्ज हैं किसानों पर, उद्योग-पतियों पर उनकी वसूलयाबी करेंगे । मैं नहीं समझता आप यह कर पायेंगे । प्रदेश में सूखा पड़ा है । कर्जे की वसूली आप टाटा, बिड़ला से नहीं कर पायेंगे । जिन पर करोड़ों रुपया बकाया है । आप वसूली करेंगे गरीब किसान से, गरीब मजदूर से जिसके पास 10-5 बीघे जमीन है । जिसने गल्ती से पम्पिंग सेट के लिए, खेती के लिए आपसे कर्ज ले लिया है 10-5 हजार रुपए । आप देखें इस भीषण सूखे की हालत में कर्जे की वसूली के लिए गांवों में कितना भयानक उत्पीड़न हो रहा है । इस परम्परागत बजट को पेश करने के बावजूद प्रदेश के अन्दर कोई नई चीज होने वाली नहीं है । 20 हजार कर्ज होगा, जमीन नीलाम कर देंगे, जेल में भी बन्द करेंगे, कुर्की भी करेंगे । सरकार को चाहिए इस ओर ध्यान दे । गरीब की जमीन न बिकने पाए, वह बेरोजगार न होने पाये । इन गरीब मजदूरों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

आपने बजट भाषण में घोषणा की कि हम तीन और जिले बनाने जा रहे हैं । बना दीजिए आपका प्रशासन और चुस्त होगा । कन्ट्रोल करने में सुविधा रहेगी । मैं

समझता हूं केवल जिलों की संख्या बढ़ा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा । जिलों का वर्गीकरण करें, राजनैतिक नजरिये से नहीं कि यह राजीव गांधी का जिला है, यह अरुण नेहरू का और यह आपका जिला है । इस नाम पर विकास नहीं होने वाला है, चाहे 100 जिले बना दें । समस्या का समाधान होगा जिलों के पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकरण से । आज आपको कुर्सी मिली है, हमेशा रहने वाली नहीं है । किसी की नहीं रही । मैं चाहता हूं कि आप इतिहास बना जायें । उत्तर प्रदेश के इतिहास के अन्दर लोग आपको याद करें । आपने किसानों की गरीबी को देखा है कुर्सी पर आकर भूल जाएं, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं है । केवल जिलों की घोषणा करके वाहवाही लूट लेने से काम नहीं चलेगा ।

इसके अलावा आपने दूसरी घोषणा की है कि 1 नवम्बर, 86 से राज्य कर्मचारियों को 15 प्रतिशत की अंतरिम सहायता देंगे, और अब आपने फिर 10 प्रतिशत अंतरिम सहायता की बात कही है और कहा है कि एक जून, 87 से कम से कम 60 रुपये और अधिकतम 225 रुपए की अंतरिम सहायता देंगे । आपके बजट में उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए इसका प्राविधान है । दूसरे आपने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए पेंशन बेचने का भी अधिकार दे दिया है । मैं समझता हूं कि आपने यह कर्मचारियों के हित का काम किया है । इसके अलावा आपने 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन औसत परिलब्धियों पर 50 प्रतिशत देने की बात कही है । यह भी कर्मचारियों के हित से सम्बन्धित है । इसके अलावा आपने डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी है । लेकिन मेरा कहना है कि क्या आप भरोसा करते हैं कि कर्मचारी इससे सन्तुष्ट हैं । आपने 15 प्रतिशत पहले और 10 प्रतिशत आज देने की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी प्रसन्न नहीं हैं । वह यह चाहते हैं कि उन्हें केन्द्र सरकार के समान वेतन दिया जाय । आप यह कह सकते हैं कि वे चाहते तो सब कुछ हैं, तो उनकी मांग कैसे पूरी की जाय । तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी आलोचना के अनुसार अपनी जिम्मेदारी पूरी करें । आप कहते हैं कि कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करें तो मैं अभी बताता हूं । आपने यह सुविधाएं केवल कर्मचारियों को दी हैं । इसके अलावा आपने विधवाओं और निराश्रित लोगों के लिए, विकलांगों के के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था कर दी है, मैंने बजट भाषण में देखा कि उनको आप 1.40 लाख रुपया पहले दे चुके थे । उनको अब एक लाख और मिला है । इस 5 करोड़ रुपयों से मैं समझता हूं कि किसी भी निराश्रित विधवा को 30.00 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा । आपके जो अनुमान हैं आप उसमें से केवल आधे तिहाई ही पूरे कर पाते हैं । एक विधवा को 22.50 रुपए से अधिक नहीं मिलेगा । इससे उनका भला होने वाला नहीं है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी से कि 1985-86 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा आउट ले था, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास का वादा किया गया है, उसको दूसरे प्रदेशों की तुलना में देख लें तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इन्कम कितनी कम है । उत्तर प्रदेश में इस समय

पर-कैपिटा निवेश 183 रुपया है, जबकि आसाम में 251 रुपया, आन्ध्र प्रदेश में 187 रुपया, उड़ीसा में 228 रुपया, महाराष्ट्र में 334 रुपया, मध्य प्रदेश में 265 रुपया, कर्नाटक में 206 रुपया, हरियाणा में 406 रुपया, गुजरात में 279 रुपया, पंजाब में 342 रुपया, हिमांचल प्रदेश में 479 रुपया, जम्मू कश्मीर में 526 रुपया, मणिपुर में 612 रुपया, मेघालय में 681 रुपया, नागालैण्ड में 1006 रुपया और सिक्किम में 1582 रुपया व त्रिपुरा में 511 रुपया है । लेकिन आपका इनवेस्टमेंट केवल 183 रुपये पर-कैपिटा है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण आ चुका है और जो जनता तक पहुंच गया है । उसी प्रकार माननीय नेता विरोधी दल का जो पक्ष है, वह भी जनता तक पहुंचना चाहिए लेकिन प्रेस गैलरी खाली है, इस लिए मेरा अनुरोध है कि इसे कल के लिए जारी रखा जाय, भले ही नेता विरोधी दल ही उसमें बोलें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उसमें मेरा यह कहना है कि इस आईटम को पहले लिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आखिर में लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

समय तो आपके हाथ पर निर्भर करता है । वैसे संसदीय कार्य मंत्री जी को इस पर कुछ कहना है तो वह कहें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर सामान्य बहस कल भी जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

नियम–51 के अन्तर्गत केवल एक सूचना श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी की प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में जहरीले पाउडर व स्मैक के व्यापार के संबंध में है, इसे स्वीकार किया गया ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
29 जून, 1987

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर ।)

रवीन्द्र नाथ तिवारी

सील

सदस्य विधान सभा

उत्तर प्रदेश

37, रायल होटल, लखनऊ

दिनांक 22-8-1986

सेवा में,

माननीय शिक्षा मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

विषय : जनपद फैजाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राम कृष्ण जायसवाल के भ्रष्टाचार के कारण जनपद के छात्रों/छात्राओं तथा अभिभावकों को होने वाली परेशानियों के संबंध में ।

महोदय,

जनपद फैजाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राम कृष्ण जायसवाल के भ्रष्टाचार के कारण पूरे जिले के लोग परेशान हैं । हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के फार्म जिनकी कीमत बहुत मामूली है उसे श्री जायसवाल ने जिला के विद्यालयों को 10/- रुपया 15/- रुपया प्रति फार्म ले करके दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वही फार्म विद्यालयों में 20/-रुपये से लेकर 50/-प्रति फार्म की दर से बेचे जा रहे हैं । कहीं-कहीं यह फार्म 80/- रुपया प्रति फार्म की दर से भी बेंचे गए ।

इसी प्रकार से नवोदित स्कूल के लिये फार्म जिन्हें 20 अगस्त 86 तक छात्रों द्वारा जमा कर दिये जाने थे वे 21 अगस्त 86 तक केवल कुछ विद्यालयों को भेजे गये हैं जिन पर किन्हीं अज्ञात कारणों से श्री जायसवाल की विशेष कृपा रहती है ।

श्री जायसवाल का भ्रष्टाचार पूरे जनपद में आम चर्चा का विषय बना हुआ है । बिना पैसा लिये श्री जायसवाल या उनके कार्यालय के लोग कोई कार्य करते ही नहीं ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इन आरोपों की जांच आप अपने सूत्रों और अपनी पार्टी के सदस्यों द्वारा भी करा लें और यदि उस जांच के बाद मेरे आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो इस बारे में आप अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

सादर ।

भवदीय,

ह0/-रवीन्द्र नाथ तिवारी

22-8-86

(रवीन्द्र नाथ तिवारी)

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में आने वाले ग्रामों की सूची एवं उनकी थाने से दूरी

क्रम-सं0	नाम ग्राम	दूरी किमी0	क्रम-सं0	नाम ग्राम	दूरी किमी0
1	2	3			
1	बन्थरा	1	30	गढ़ी चुनौटी	3
2	हमीरपुर	1	31	ऐन	12
3	सराय सहजादी	3	32	मवई पड़ियाना	9
4	दादूपुर	3	33	रमदासपुर	6
5	बरौली	3	34	नानमऊ	15
6	खान्उदेव	3 1/2	35	भदोई	18
7	भोंकापुर	3 1/2	36	गुन्दौली	20
8	जहानाबाद	2	37	सहिजनपुर	10
9	बीबीपुर	4	38	सादुल्लानगर	10
10	रतौली	5	39	खुर्रम नगर	18
11	धातापुर	5	40	गढ़ी रुस्तफ	4
12	पहाड़पुर	5	41	अगावी	10 1/2
13	नीबा	5	42	लोनहा	14
14	किशनपुर लौड़िया	5	43	रसूलपुर	12
15	खासरवारा	6	44	नरायनपुर	10
16	खाटोला	8	45	भटगांव	5
17	मेमौरा	7	46	वादेखेड़ा	5
18	औरावां	1	47	रहीमनगर पड़ियाना	15
19	रामचौरा	2	48	हरौनी	13
20	अन्धपुर देव	3	49	मिर्जापुर	8
21	सरैया	5	50	हुलास खेड़ा	15
22	कुड़ौनी	5	51	सहजनामऊ	17
23	अलीनगर खुर्द	6	52	वेती	10
24	शाहपुरम झिगवां	4	53	सैदपुर पुरही	15
25	कमलापुर	6	54	दाराब नगर बटकोतां	16
26	यामी	8	55	तेरवा	18
27	मकदूमपुर	8	56	लतीफ नगर	11
28	आशरफ नगर	8 1/2	57	भटगांवा पाण्डे	17
29	नूरनगर मदरसा	11	58	बनी	7

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर ।)

विन्दुवार सूचना

1–1-10-85 से 30-9-86 तक की अवधि में प्रदेश में कुल 29 सामूहिक हत्या-काण्ड हुये, जिनमें 153 व्यक्ति मारे गये और 40 व्यक्ति घायल हुये ।

2–उक्त अवधि में प्रदेश में बलात्कार की कुल 1215 घटनायें हुई ।

3–उक्त अवधि में प्रदेश में कुल 80 साम्प्रदायिक दंगे हुये, जिनमें 44 व्यक्ति मारे गये एवं 243 व्यक्ति घायल हुये । इन दंगों में रु0-19,70,641-00 की क्षति हुई ।

4–उक्त अवधि में प्रदेश में चोरी की 49157, डकैती की 2057, तथा हत्या की 6501 घटनायें हुई ।

5–उक्त अवधि में पुलिस एवं दस्युओं के मध्य 1223 अवसरों पर मुठभेड़ हुयीं, जिनमें 284 दस्यु घटनास्थल पर मारे गए । इन मुठभेड़ों में 6 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी तथा 74 पुलिसकर्मी घायल हुये ।

6–उक्त अवधि में दस्यु गिरोहों के उन्मूलन हेतु 77 अवसरों पर कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप पुलिस से हुई मुठभेड़ों में 19 दस्यु मारे गये, 291 दस्यु गिरफ्तार किये गये तथा 22 दस्युओं ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । इस कार्यवाही पर रु0-13,81,458-00 व्यय हुआ ।

7–प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में अपहरण के कुल 1155 अपराध पंजीकृत किये गये, जिनमें से 210 अपराध फिरौती के लिए अपहरण के संबंध में थे । पुलिस द्वारा उक्त अपराधों में से 655 अपराधों में सफलता प्राप्त की गई जिसमें 114 अपराध फिरौती के भी सम्मिलित हैं । इस संबंध में 885 अभियुक्तों को बन्दी बनाया गया ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

कल्याण सिंह, विधायक, भू0 पू0 स्वास्थ्य मंत्री (उ0 प्र0), नेता, भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल दल (उ0प्र0) का डी0 आई0 जी0 मेरठ रेन्ज मेरठ तथा गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र दिनांक 3-12-1986 की प्रतिलिपि ।

कृपया श्री चन्द्रभानु सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी ग्राम ग्वारौली, थाना अरनियां, जिला बुलन्दशहर के संलग्न प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । यह स्वयं भी मुझसे आज मिले हैं और सारी वस्तुस्थिति की जानकारी करायी है ।

इन्होंने जिलाधिकारी बुलन्दशहर से पूर्व अनुमति लेकर अपने गांव में एक मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ किया था, मन्दिर की बाउण्ड्री एक मीटर की ऊंचाई तक बन चुकी थी तभी इन्ही के गांव के ही सर्व श्री अमीचन्द्र सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह, नेमसिंह पुत्र श्री छिद्दा सिंह एवं उनके परिवारीजनों ने मन्दिर की इस बाउण्ड्री को तोड़कर विस्मार कर दिया । पुलिस से कहने पर भी पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की और स्थानीय पार्टी बन्दी के आधार पर गांव के कुछ सरकश लोगों से सांठ-गांठ करके स्थानीय पुलिस ने उल्टे श्री चन्द्र भानु सिंह पुत्र श्री फूल सिंह के स्कूटर और उसके लाइसेन्स को थाने में रखवा लिया जो अभी भी थाने में मौजूद है । पुलिस ने इनके ऊपर इन्हीं के गांव में लगभग डेढ़ साल पहले पड़ी डकैती में बन्दूक ले जाने का झूठा आरोप लगाया है । उल्लेखनीय है कि उक्त कथित डकैती की रिपोर्ट में न इनका कहीं नाम है और न किसी प्रकार का सन्देह ही व्यक्त किया गया है ।

अतः कृपया थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर की पुलिस को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इनके स्कूटर तथा स्कूटर लाइसेन्स को तुरन्त वापस किया जाय साथ ही पुलिस के उत्पीड़न से श्री चन्द्रभानु सिंह की जान-माल की रक्षा की जाय ।

श्रीमान् डी0आई0जी0, मेरठ रेन्ज, मेरठ को संबोधित तथा प्रतिलिपि श्रीमान् मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ, श्रीमान गृह सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ, श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, श्रीमान जिलाधिकारी बुलन्दशहर तथा श्रीमान् एस0 एस0 पी0 बुलन्दशहर को पृष्ठांकित प्रार्थी श्री चन्द्रभानु सिंह पुत्र श्री फूल सिंह निवासी ग्राम ग्वारौली थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-12-86 की प्रतिलिपि ।

प्रार्थी ग्राम ग्वारौली, थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर का एक शान्तिप्रिय नागरिक है । प्रार्थी ने जिलाधिकारी बुलन्दशहर से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करके अपने गांव में एक मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ कराया था । मन्दिर की बाउण्ड्री लगभग एक मीटर की ऊंचाई तक पूरी भी कर चुका था तभी मेरे ही गांव के श्री अमी चन्द्र सिंह पुत्र श्री नाहरसिंह, नेमसिंह पुत्र श्री छिद्दा सिंह एवं उनके अन्य परिवारजनों ने मंदिर की उस निर्माणाधीन बाउण्ड्री को दिनांक 1-11-86 को तोड़ कर विस्मार कर दिया । इसकी

जानकारी पुलिस को देने के बावजूद भी मुल्जिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रार्थी जब थाने गया तो उल्टे प्रार्थी के ही स्कूटर तथा स्कूटर के लाइसेन्स को लेकर थाने में रख लिया ।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के गांव में लगभग डेढ़ साल पहले एक डकैती पड़ी थी जिसमें बदमास एक बन्दूक भी ले गये थे । स्थानीय पुलिस अकारण और निराधार रूप में उक्त डकैती में सम्मिलित होने तथा बन्दूक ले जाने का झूंठा आरोप प्रार्थी पर स्थानीय पार्टी बन्दी के कारण लगा रही है जबकि इस डकैती की रिपोर्ट में न प्रार्थी का नाम है और न ही प्रार्थी के ऊपर कोई सन्देह ही व्यक्त किया गया ।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को पुलिस के इस उत्पीड़नों से रक्षा की जाय और प्रार्थी को थाना अरनियां जिला बुलन्दशहर की पुलिस से स्कूटर तथा स्कूटर का लाइसेन्स बापस कराया जाय ।

———

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

थानाध्यक्ष श्री जगमोहन त्यागी के कार्यकाल की अवधि में थाना दादों, अलीगढ़ के क्षेत्र में घटित अपराधों तथा उन अपराधों के सम्बन्ध में की कार्यवाही का विवरण:

चोरी:—

1—दिनांक 4-8-86 को ग्राम अकवानडेर में सरकारी नलकूप के सामान की चोरी हुई जो विवेचना से असत्य पाये जाने पर खारिज किया गया ।

2—दिनांक 8-8-86 को वमोरी खुर्द के चौखे लाल ने ग्राम काका बेगपुर के ट्यूब-वेल से सामान आदि चोरी जाने के अपराध को पंजीकृत कराया जिनमें दौराने विवेचना अभियुक्त गुमानी, ओम प्रकाश, जयपाल प्रकाश में आये । इनके खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित किया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

3—दिनांक 9-8-86 को ग्राम दती में बैलों की चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ । माल तथा मुलजिमों का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

4—दिनांक 23-8-86 को ग्राम माढपुर में इंजन का सामान चोरी जाने के बारे में अभियुक्त अख्तर, शीषपाल, सूरज, चरन सिंह के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ, बाद विवेचना आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

5—दिनांक 28-8-86 को ग्राम हुसैनपुर के पास से बिजली का तार चोरी जाने की सूचना अंकित कराई गई, बाद विवेचना अभियोग असत्य पाये जाने के कारण खारिज किया गया ।

6—दिनांक 19-9-86 को जंगल ग्राम रनमोचना में एल्मोनियम के तार की चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ । प्रकाश में अभियुक्त गुमानी सिंह, ओम प्रकाश, जयपाल आये । अभियोग विवेचनाधीन है ।

7—दिनांक 19-10-86 को ग्राम दती में भैंस की चोरी का अपराध पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त करुआ, ईसाक, शौकत, महराज सिंह, राजेन्द्र के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय है ।

8—दिनांक 30-10-86 को ग्राम हुसैनपुर में मोटर ट्यूब वेल की चोरी का हरी सिंह आदि 8 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित करके अभियोग विचाराधीन न्यायालय है ।

9—दिनांक 7-12-86 को ग्राम नकुपुरा में इंजन व मशीन के पुर्जे, पट्टा आदि की चोरी का अभियुक्त निजाम अली आदि 6 नफर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना से नामजदगी गलत पाई गई । सही मुल्जिमान व माल का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

10—दिनांक 9-12-86 को नगला लोचन की हद से एल्मोनियम का तार चोरी जाने की सूचना हुई । बाद विवेचना माल व मुल्जिमान का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

डकैती:—

1—दिनांक 23-10-86 को नगला बिजौली में रतन सिंह आदि 6 अभियुक्तों के खिलाफ डकैती का अभियोग पंजीकृत हुआ । जिसमें बाद विवेचना जुर्म केवल धारा 323/324 का पाया गया जिसमें 4 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया । दो अभियुक्त गलत पाये गये ।

2—दिनांक 27-10-86 को ग्राम ततारपुर में बस्तवा, जयराम आदि 3 नफर व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डकैती डालने की सूचना अंकित कराई गई जिसमें राम खिलाड़ी आदि अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनके गवाहों द्वारा शिनाख्त न करने पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

3—दिनांक 6-11-86 को ग्राम सहपुर कटरा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डकैती डालने की सूचना अंकित कराई गयी । विवेचना से 6 अभियुक्त प्रकाश में आये । उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

4—दिनांक 8-11-86 को ग्राम कासिमपुर में 10, 12 अज्ञात डकैतों द्वारा डकैती डालने की सूचना पर अभियोग पंजीकृत होकर दौराने विवेचना 9 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय है ।

5—दिनांक 3-12-86 को ग्राम कासिमपुर में 8, 10 अज्ञात बदमाशों ने डकैती डाली जिसमें 10 अभियुक्त प्रकाश में आये । अभियोग विवेचनाधीन है ।

6—दिनांक 5-12-86 को ग्राम भूपालगढ़ी में 8, 10 बदमाशों ने डकैती डाली । अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना से कल्लू आदि 10 अभियुक्त प्रकाश में आये । अभियोग विवेचनाधीन है ।

हत्या:—

दिनांक 20-11-86 को ग्राम दूसमा में श्रीमती सुमित्रा के खिलाफ अपने पति की हत्या करने का अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना से मृतक की मृत्यु अधिक शराब पीने के कारण होनी पाई गई । बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

लूट:—

दिनांक 25-10-86 को रामपुर खास से सूचना प्राप्त हुई कि 3 अभियुक्तों ने लूटपाट की है । विवेचना से 3 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनके खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

नकबजनी:—

1—दिनांक 9-8-86 को ग्राम सिधौली खुर्द में अभियुक्त खचेरा ने नकब लगा कर चोरी की सूचना पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना के उपरान्त अभियोग असत्य पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

2—दिनांक 25-9-86 को ग्राम व्यावली में शिव शंकर आदि अभियुक्तों के खिलाफ दूकान में नकब लगा कर चोरी करने की सूचना पाई गई । माल बरामद होने व मुल्जिम को सही पाये जाने पर मुल्जिमानों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

3—दिनांक 9-10-86 को नगला तबल में अभियुक्त यादराम आदि ने मारपीट कर घर में घुस कर सामान चोरी करने की सूचना पर अभियोग पंजीकृत होकर 2 अभियुक्त

और प्रकाश में आये । बाद विवेचना सभी के खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

4—दिनांक 1-11-86 को ग्राम सिधौली खुर्द में वइस्तवा सत्य पाल सिंह आदि 3 नफर के विरुद्ध नकब लगा कर चोरी करने की सूचना पर अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना से मुल्जिमान का सही पता न चलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

अपहरण:—

दिनांक 4-1,1-86 को नगला मेवा से अशोक दत्त को जान से मारने की नीयत से 7, 8 अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया । अपहृत अपने मकान पर वापस आ गया, उसने किसी भी व्यक्ति को आरोपित नहीं किया, अतः द्वारा अन्तिम रिपोर्ट विवेचना समाप्त की गई ।

———

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिनको पुनर्नियुक्त किया गया अथवा जिनका सेवा काल बढ़ाया गया।

क्रम-सं0	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	पुनर्नियुक्ति सेवा काल बढ़ाने की अवधि
	सर्वश्री	
1	पी0सी0 श्रीवास्तव, आई0ए0एस0, निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।	13-7-84 से 31-1-87 तक
2	वी0 जे0 रैले, उप विकास आयुक्त, इलाहाबाद।	1-10-1984 से 30-9-85 तक
3	भगवान स्वरूप सक्सेना, आई0ए0एस0, विशेष कार्य अधिकारी, ग्राम्य विकास।	1-1-86 से 30-6-87 तक
4	हरीश चन्द्र बाजपेयी, पी0सी0एस0, ग्राम्य विकास मैनुअल कोष्ठक।	1-8-86 से 31-1-1987 तक
5	बाल कृष्ण आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास मैनुअल कोष्ठक।	1-10-1986 से 31-3-1987 तक
6	दया शंकर लाल, जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।	1-2-86 से 30-4-86 तक
7	आद्या प्रसाद सिंह, परियोजना निदेशक, वाराणसी।	1-9-86 से 31-8-87 तक
8	आई0एन0आर0 पाण्डेय, आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब लखनऊ।	5-1-87 से 31-12-87 तक
9	जसवन्त सिंह, परियोजना निदेशक, अलीगढ़।	1-3-87 से 2-6-87 तक
10	आर0एन0 शर्मा, जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।	1-5-85 से 31-10-85 तक
11	अशोक नारायण द्विवेदी, खण्ड विकास अधिकारी, धनपतगंज, सुल्तानपुर।	1-3-86 से 31-5-86 तक
12	शिव गोविन्द अस्थाना, खण्ड विकास अधिकारी, सीतापुर।	1-2-86 से 31-1-87 तक
13	उमा शंकर राय, खण्ड विकास अधिकारी, मड़वारा, ललितपुर।	1-8-85 से 31-7-86 तक

वी0एस0यू0पी0—एल0 160 वि0स्वमा (284)—1987—813।